

वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली-110002 (भारत)

www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वर्ष 2014-2015 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

vè; {k

1. प्रो. वेद प्रकाश

mikè; {k

2. प्रो. एच. देवराज

l nL; x.k

3. श्री अशोक ठाकुर^{\$}

4. श्री सत्य एन. मोहन्ती^{\$\$}

5. श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल^{*}

6. श्री ए.एन. झा^{**}

7. डॉ. इन्दु साहनी[&]

8. डॉ. वी.एस. चौहान[@]

9. प्रो. डी. नरसिम्हा रेड्डी[#]

10. प्रो. एम.एम. अन्सारी

11. प्रो. संजय गोविन्द ढान्डे

12. प्रो. मोहम्मद मिया

13. डॉ. के.एन. शांति

14. श्री पतंजलि (पातु) जी. केशवानी

15. श्री इन्द्र मोहन कपाही^{##}

l fpo

प्रो. (डॉ.) जसपाल सिंह संधु

\$ 30 सितम्बर, 2014 तक

\$\$ 10 अक्टूबर, 2014 से

* 10 फरवरी, 2015 तक

** 11 फरवरी, 2015 से

& 27 जुलाई, 2014 तक

@ 28 नवम्बर, 2014 तक तथा दूसरा कार्यकाल 01 जनवरी, 2015 से

19 मार्च, 2015 तक

27 जनवरी, 2015 से

सर्वाधिकार सुरक्षित : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नवम्बर, 2015

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
डिजाईन एवं मुद्रण : nh;k ehfM;k vkV!
: डी-41/ए, मेट्रो पिलर 33 के सामने, विकास मार्ग,
: लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
: फोन: +91 9312550335,+91 9211656230 | ई-मेल : infodma07@gmail.com

विषय सूची

iLrkouk	i"B l[;k
dk;ldkjh lkjk'k 2014&15	ix
1- ifjp;	1
1.1 पृष्ठभूमि	20
1.1 (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन	20
1.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में	23
1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ	25
(क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ	25
(ख) वेतनमान प्रकोष्ठ	25
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ	26
(घ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ	26
(ङ) सतर्कता प्रकोष्ठ	26
(च) विधिक प्रकोष्ठ	27
(छ) डेस्क : संसदीय मामले	28
(ज) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ	28
(झ) "कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न" को रोकने संबंधी प्रकोष्ठ	29
(ञ) रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ	29
1.4 प्रकाशन	30
1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	31
1.6 केन्द्रीय तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	38
1.7 वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय	39
2- mPprj f'k{kk iL.kkyh dk fodkl	46
2.1 संस्थान	46
2.2 छात्र नामांकन	53
2.3 संकाय संख्या	58
2.4 शोध उपाधियाँ	60
2.5 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि	61
2.6 राज्य तथा संकाय के आधार पर महिलाओं के नामांकन का संवितरण	61
2.7 महिला महाविद्यालय	62
2.8 उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े	63
3- fo'ofok ky;k dk fodkl %;ktukxr½ rFkk vuj{k.k %xj&;ktukxr½ lgk;rk	64
3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता	64
3.1 (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय	64
3.1 (ख) राज्य विश्वविद्यालय	76
3.1 (ग) सम विश्वविद्यालय	81
4- egkfo ky;k dk fodkl %;ktukxr½ vkj vuj{k.k %xj&;ktukxr½ lgk;rk	86
4.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल	86
4.2 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	86

4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	86
4.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति	87
4.5	दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान	97
5-	xj.koRrk vkj mRÑ"Vrk	103
5.1	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.)	103
5.2	विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सी.पी.ई.पी.ए.)	105
5.3	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सी.पी.ई.)	106
5.4	नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना	108
5.5	विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)	108
5.6	स्वायत्त महाविद्यालय	109
5.7	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी) (पूर्व में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.) के नाम से जाना जाता था)	113
5.8	राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन	113
5.9	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम	114
5.10	राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा: शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन विकास	118
5.11	यात्रा अनुदान	125
5.12	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)	126
5.13	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	131
6-	vu.lëkku dk ikRlkgu	133
6.1	शिक्षकों हेतु शोध परियोजनाएँ: बृहद् तथा लघु	133
6.2	अनुसंधान अवार्ड/अनुसंधान वैज्ञानिक	134
6.3	पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	135
6.4	अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी. हेतु)	138
6.5	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	148
6.6	स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ	153
6.7	विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना।	156
6.8	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना	157
6.9	विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान	157
6.10	नेटवर्किंग शोध केन्द्र: समर-विंटर स्कूल	158
6.11	भर्ती हुए नए संकाय सदस्यों हेतु "स्टार्ट-अप अनुदान"	158
6.12	बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को "एकमुश्त अनुदान"	158
6.13	महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान	159
7-	fyx rFkk lkekft d lekurk	161
7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास तथा उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण	161
7.2	सामाजिक बहिर्वेशन और समावेशन की नीति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना	161
7.3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना	162
7.4	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति	162
7.5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिप (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अनुशिक्षण योजनाएं	162
7.6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक छात्रों हेतु अनुशिक्षण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति	163

7.7	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना	163
7.8	निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ	164
8-	iklfxd rFkk eY; vkèkkfjr f'k{kk	167
8.1	विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना	167
8.2	विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र	167
8.3	भारतीय युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन	169
8.4	मानवाधिकार शिक्षा (एच.आर.ई.)	170
9-	l pkj ,o l puk ik kfxfd;k dk ledu	171
9.1	ई-गवर्नेंस	171
9.2	स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना	171
9.3	डिजिटल इंडिया पहल-उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मैपिंग	171
10-	ub igy	174
10.1	सामुदायिक महाविद्यालय	174
10.2	व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.वोक.)	179
10.3	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी)	184
10.4	विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली	189
	ifjf'k"Vk dh lph	191
I.	fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vul kj केन्द्रीय, राज्य (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों सहित), राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा राज्य विधानमण्डलों के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान और समविश्वविद्यालय संस्थानों की राज्यवार सूची	191
II.	o"k 2014&15 d nkjku विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सामान्य योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) के अंतर्गत प्रदत्त अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण	224
III.	o"k 2014&15 d nkjku विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सामान्य गैर-योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) के अंतर्गत प्रदत्त अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण	241

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2014-2015 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में उच्चतर शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में वि.अ.आ. द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती है बल्कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास का संवर्धन करने, में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई को पहल पर भी प्रकाश डालती है जिससे शिक्षा तक पहुंच, समता, संगतता और उत्कृष्टता में वृद्धि हुई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता और समता आधारित विस्तार सुनिश्चित करने के लिए अनेक नई पहल की हैं। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए समस्त आंकड़े/जानकारियां शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का वि.अ.आ. के एजेन्डे को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरूप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रो. एच. देवराज, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल, अपर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; श्री सुभाष चंद्र, पूर्व समन्वयक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; डॉ० दीक्षा राजपूत, प्रकाशन अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके अमूल्य योगदान तथा अथक प्रयासों हेतु विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

मैं, श्री प्रकाश चंद्र, सहायक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्री रमेश कुमार यादव, अपर श्रेणी लिपिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा श्री पीयूष कुमार, परियोजना अधिकारी, इन्फ्लिबनेट को रिपोर्ट को तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है।

ub! fnYyh

çk- on i:dk'k
vè; {k

कार्यकारी सारांश 2014-15

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 का कार्यकारी सारांश न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य उद्देश्यों बल्कि उसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा इन पर हुए व्यय के साथ-साथ आँकड़ों के संदर्भ में हुए विकास और इनके तहत प्राप्त वास्तविक लक्ष्य को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रियाकलापों को भी समाहित करता है।

1. प्राक्कथन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न ब्यूरो तथा प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्य करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन प्रकोष्ठों के विभिन्न क्रियाकलापों की रिपोर्ट निम्नवत उद्धृत है।
- वर्ष 2014-2015 के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 16648 आवेदन तथा 1,199 अपीलें प्राप्त हुईं जिनका सी.पी.आई.ओ. तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निपटान किया गया तथा आरटीआई शुल्क संग्रहण 95,850/- रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 46,259/- रु0 रहा।
- वेतनमान प्रकोष्ठ जिसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान करने और शिक्षकों के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति के कार्यों का समन्वय करने के लिए गठित किया गया है, द्वारा शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों और उपाचार्य से आचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता के संबंध में विनियमों को परिचालित किया। सीएसएस के तहत उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी करने हेतु किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई।
- विश्वविद्यालयी प्रणाली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा के लिए प्रवेश तथा शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी की जाती है।
- वर्ष 2008 में स्थापित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर कार्यवाही की जाती है जैसे सम-विश्वविद्यालय दर्जा प्रदान करना और अल्पसंख्यक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना आदि। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की के कृत्यों के निर्वहन करने के लिए समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकारियों की तैनाती की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 310 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (15), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (11), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (29) और अन्य (255) (विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुई) से शिकायतें प्राप्त हुईं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संवेदनशील स्वरूप की कुछ शिकायतों को जाँच समिति के समक्ष रखा गया है और समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर दी गई।
- वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 1369 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर पिछले वर्ष के 269.38 लाख रुपये की तुलना में 208.05 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- संसद डेस्क को वर्ष 2014-2015 के दौरान पिछले वर्ष के 505 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 756 प्रश्न प्राप्त हुए। 63 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।
- जाली विश्वविद्यालयों तथा उपाधियों की बढ़ती संख्या के खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी कदाचार प्रकोष्ठ ने कुल 21 जाली संस्थानों की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। 21 जाली संस्थानों के अतिरिक्त दो और विश्वविद्यालयों यथा (1) भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ (2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट (आईआईपीएम) जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्रदान नहीं की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईआईपीएम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता है। वि.अ.आ. ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक नोटिस/प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ को कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मौजूद रैगिंग की समस्या पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है। रैगिंग के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो भी निर्देश हैं, उनका अनुपालन करने के लिये समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों को कहा गया है। कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ 12 भाषाओं में 24x7 एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है। एक रैगिंग-रोधी वेब-पोर्टल का भी विकास किया जा रहा है।

रिपोर्टधीन वर्ष (2014-15) के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध संस्थानों से 211 शिकायतें प्राप्त हुई। संस्थानों से शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। 181 शिकायतों के मामले में संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। तथापि, शेष 30 मामलों में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

- रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने प्रकाशन/मुद्रण पर 31.90 लाख रुपये व्यय किए।

वित्त ब्यूरो

- वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए बजट और सहायता अनुदान की प्राप्ति निम्नवत है:

o"kl 2014&2015 d fy, ctV

(करोड़ रु. में)

Ø-1-	ctV 'kl"kl	;ktukxr vkoVu		xj&;ktukxr vkoVu	
		c- vu-	l- vu-	c- vu-	l- vu-
1.	सामान्य	3905.00	3779.61	5461.26	5666.94
	dy	3905.00	3779.61	5461.26	5666.94

o"kl 2014&2015 d nkjku Áklr ;ktukxr vkj xj&;ktukxr %lkekU;½ vunku

(करोड़ रु. में)

Ø-1-	e=ky; }kjÁklr vunku	;ktukxr	xj&;ktukxr
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	3480.52	5432.07
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	148.85	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00	0.00
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (डीईबी)	1250.00	0.00
	dy	4879.37	5432.07

- वर्ष 2014-2015 के दौरान जारी किये गये योजनागत अनुदान (4178.46 करोड़ रुपये) में से 57.25 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 2.63 प्रतिशत सम विश्वविद्यालयों, 12.33 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा 5.72 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों, 1.15 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों, 3.15 प्रतिशत अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों, 13.85 प्रतिशत क्षेत्रीय केन्द्रों, 3.85 प्रतिशत प्रकीर्ण/विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों, 3.24 प्रतिशत अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों को ऑनलाइन भुगतान, 0.06 प्रतिशत स्थापना तथा 0.05 प्रतिशत दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो को जारी किया गया।
- वर्ष 2014-2015 के दौरान जारी किये गये कुल गैर-योजनागत अनुदान (5536.09 करोड़ रुपये) में से 63.26 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 28.45 प्रतिशत दिल्ली और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 4.53 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों, 2.56 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों, 0.87 प्रतिशत अंतर्विश्वविद्यालय संस्थानों/केन्द्रों, 0.04 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों, 1.43 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभागों (मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों) को जारी किया गया।
- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) जो उन शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों के पदों (केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिये) एक समान संवर्ग संरचना तैयार करने और वेतनमानों, कर्तव्यों, अर्हताओं का योजितकरण करने के लिये किया गया है जो शिक्षण कर्मचारिवृंदों हेतु वेतन समीक्षा समिति के तहत कवर नहीं होते हैं। समिति ने वर्ष 2011-12 के दौरान ही 24 संवर्गों के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया था। आयोग द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट को मा.सं.वि.मं. का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। मा.सं.वि.मं. ने दिनांक 07.05.2014 के पत्र के माध्यम से जेसीआरसी की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया जिन्हें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/वि.अ.आ. द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को कार्यान्वयन के लिए प्रेषित किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानों में एसीपी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अनुमोदित दिशानिर्देश भी परिचालित किए जा चुके हैं।
- दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय तथा निर्धारण के अधिदेश के साथ ही अपने अस्तित्व में आने के 61 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस प्रकार, इसने देश में उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के 61 महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर लिए हैं।

fo'ofokj; vunku vk; kx% o"kl d nkjku fy, x, egRoi.k fu.k;

उच्चतर शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों को बनाये रखने के अपने मूल कृत्यों के निर्वहन तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष (2014-15) के दौरान अनेक उपाय किये हैं।

- आयोग ने योजना के तहत प्रत्यायन समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर एनएएसी से 'ए' ग्रेड का पुनर्प्रत्यायन प्राप्त करने वाले उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों (सीपीई)/सीई के तहत महाविद्यालयों को जारी रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया तथा उसकी अभिपुष्टि की।
- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से आयोग की वर्ष 2012–13 के वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी) को संसद के समक्ष रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया तथा उसकी अभिपुष्टि की।
- आयोग ने गैर-योजनागत व्यय के तहत गैर-वेतन व्यय में कमी की भरपाई हेतु वर्ष 2013–14 की आंतरिक प्राप्तियों के भाग का उपयोग करने के संबंध में 8 सम विश्वविद्यालयों के मामले को अनुमोदित किया।
- आयोग ने वर्ष 2014 के लिये अमेरिका में पोस्ट-डॉक्टोरल शोध हेतु 300 रमन अध्येतावृत्तियों को अवार्ड किये जाने पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने वर्ष 2013–14 के लिये वि.अ.आ.-यूकेआईआईआरआई (यू.के.-इंडिया एजुकेशन एण्ड रिसर्च इनीशियेटिव) विषय संबंधी भागीदारी हेतु अनुदान दिये जाने पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद (आईएनजेडईसी) के तहत संयुक्त शोध परियोजना, 2014 के अवार्ड पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने 'परियोजना-आधारित कार्मिक आदान-प्रदान' कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण किये जाने पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने दक्षिण एशिया संस्थान हेडलबर्ग का दौरा करने के लिये वित्तपोषण किये जाने पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने "वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम" के तहत वित्तपोषण किये जाने पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत तथा नारवीयन सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोपरेशन इन एजुकेशन (एसआईयू) के बीच दिनांक 14 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में शैक्षिक सहयोग हेतु हस्ताक्षर किये गये करार पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने पिछले अनेक वर्षों से लंबित लेखापरीक्षा पैरा पर ध्यान दिया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सचिवालय को इन लंबित पैराओं का तत्काल उत्तर भेजने का अनुदेश दिया।
- आयोग ने यह निर्णय लिया कि सम विश्वविद्यालय संस्थान जिन्हें 25 वर्ष अथवा इससे अधिक समय से यह दर्जा प्रदान किया गया है तथा जिनके पास वैध एनएएसी ग्रेड-'क' प्रत्यायन है और जिन्हें टण्डन समिति द्वारा भी 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम विश्वविद्यालय संस्थान विनियम, 2010 के खण्ड 5.2 के उपबंधों में छूट प्रदान की जानी चाहिए जिसके माध्यम से ऐसे संस्थानों की प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी को प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी का अध्यक्ष/न्यासी/प्रोमोटर अथवा उसके निकट संबंधी को इसका कुलाधिपति भी नियुक्त किया जा सके बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति एक सुविख्यात शिक्षाविद अथवा एक जानी मानी हस्ती हो। मौजूदा विनियमों में तदनुसार संशोधन किया जा रहा है।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों हेतु आंतरिक प्राप्तियों के माध्यम से 'आरक्षित निधि' के सृजन तथा प्रबंधन हेतु योजना को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को मानदण्ड आधारित वित्तपोषण करने के लिये दिशानिर्देश तैयार करने तथा उन्हें आरयूएसए के तहत मानदण्ड के अनुरूप ढालने के लिये आयोग के दो सदस्यों, केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालयों से प्रतिनिधियों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक प्रतिनिधि की समिति बनाई जाए।
- आयोग ने श्रेणी-'ग' के 44 सम विश्वविद्यालय संस्थानों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21 जनवरी, 2014 तथा मध्यस्थ के दिनांक 5 मई, 2014 के निदेशों पर विचार किया तथा यह संकल्प पारित किया कि चूंकि मंत्रालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2014 है, इसलिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर श्रेणी-ग के 41 सम विश्वविद्यालय संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिये एक उप-समिति का गठन किया जाये।
- आयोग ने निर्णय लिया कि तकनीकी शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूद विनियमों को उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के आने तक आस्थगित रखा जाये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(घ) के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय को एफवाईयूपी की समीक्षा करने/पुनर्विचार करने हेतु परामर्श देने का संकल्प पारित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के लिए दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।

- आयोग ने मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान (भाषाओं सहित) में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय पुनर्पोषण कार्यक्रम के तहत 300 संकाय के पदों का सृजन करने को अनुमोदन प्रदान किया तथा यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संकाय पुनर्पोषण कार्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने के लिये एक प्रस्ताव भी तैयार किया जाये।
- आयोग ने एनएएसी मुख्यालयों को सुदृढ़ करने के लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 25 पदों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) के निष्पादन की समीक्षा करने के लिये समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया तथा कार्यान्वयन निगरानी समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना को इस टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया कि माता-पिता की आय की सीमा को प्रस्तावित 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम करके 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाये। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि योजना को शिक्षा वर्ष 2014-15 से आरंभ किया जाये।
- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के 33 नये मामलों तथा दर्जा बढ़ाने के 12 मामलों में दिनांक 03.06.2014 को आयोजित स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थायी समिति की 7वीं बैठक की सिफारिशों को अनुमोदित किया तथा स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचार किया।
- आयोग ने महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में संस्वीकृति आदेश पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया तथा उल्लेख किया कि जीएफआर के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर इसका उपयोग किया जाना चाहिये।
- आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी परियोजनाओं हेतु किये गये आवंटन में से संस्थानों को अव्ययित राशि को बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परियोजनाएँ पूर्ण करने हेतु उपयोग करने की अनुमति प्रदान की।
- आयोग ने इस टिप्पणी के साथ अधिसूचना को अनुमोदित किया कि स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के उपबंधों को स्नातकोत्तर कार्यक्रमों पर भी लागू किया जाये तथा इन स्तरों पर किसी भी प्रजाति से किसी भी पशु का किसी भी प्रयोजनार्थ किसी शिक्षक अथवा छात्र द्वारा विच्छेदन नहीं किया जाए।
- आयोग ने अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिये किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों (सीपीईपीए) हेतु दिशानिर्देशों में संशोधनों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये हिन्दी विभाग की स्थापना हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किये गये बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने नेट परीक्षा को आयोजित करने के कार्य को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को ऑउटसोर्स किये जाने के मामले पर विचार कर अनुमोदित किया तथा नेट के आयोजन-पूर्व तथा आयोजन-उपरांत क्रियाकलापों से जुड़े मामलों पर सीबीएसई से समन्वय करने हेतु एक समिति का गठन करने साथ ही वि0अ0आ0-नेट के मौजूदा नेट पैटर्न को जारी रखने का संकल्प पारित किया। तथापि, समिति की सिफारिशों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये एक उप-समिति का भी गठन करने के संबंध में भी टिप्पणी की।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान "विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को विशेष विरासत वाले विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी योजना" हेतु दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने इस टिप्पणी के साथ कि "ज्ञानवर्धन तथा क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र" (आरसीकेईसीबी) का नाम बदलकर "क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीसीबी) किये जाने के साथ "ज्ञानवर्धन तथा क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र" (आरसीकेईसीबी) तथा "मानव संसाधन विकास केन्द्र" (एचआरडीसी) हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया तथा यह संकल्प पारित किया कि पुनश्चर्या/अभिविन्यास कार्यक्रमों में भागीदारों की संख्या कम से कम 30 (तीस) होनी चाहिये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं में "ट्रासजेन्डर" को "तीसरे लिंग" के रूप में सम्मिलित किये जाने के मामले पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने 'ग' श्रेणी के 41 सम-विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कार्य आरंभ करने हेतु गठित उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया तथा संकल्प पारित किया कि उप-समिति की रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनके स्तर पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये भेजा जाये।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत तथा विदेशी शिक्षा संस्थानों के बीच शिक्षा संबंधी सहयोग को बढ़ावा देने तथा मानकों के रखरखाव) विनियम, 2012 में आशोधनों पर विचार किया तथा विधिवत विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदन प्रदान करने का संकल्प पारित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 के मसौदे पर विचार कर उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के नियम 12(ख) तथा आवेदन संरूपों में आशोधनों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालय संस्थानों तथा राज्य विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास सहायता (जीडीए) के लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्राचार में उल्लिखित विचारों/बिंदुओं के संबंध में नई योजनाओं को तैयार करने/मौजूदा योजनाओं को विस्तार देने/सुदृढ़ करने की व्यवहार्यता के संबंध में विचार किया तथा कार्यवाही आरंभ करने का संकल्प पारित किया।
- आयोग ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के तहत अनुमोदन हेतु लंबित नये प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान विश्वविद्यालय में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी हेतु केन्द्र स्थापित करने के संबंध में दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठों संबंधी दिशानिर्देशों के तहत गोवा विश्वविद्यालय में डास्पोरा अध्यक्षपीठ की स्थापना को सम्मिलित किये जाने के मामले पर विचार कर उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया और यह निर्णय लिया कि इसे पीएचडी कार्यक्रम जारी रखने हेतु प्रदत्त किए जाने वाली अन्य अध्येतावृत्तियों के समरूप ही माना जाये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन के मामलों की भांति ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध वैज्ञानिकों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन सीधे ही वित्त प्रभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भुगतान किये जाने हेतु विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठों के संबंध में दिशानिर्देशों के तहत अध्यक्षपीठ के आचार्य को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक के मामले में संशोधन पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने 'भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों के विकास' तथा 'उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण' संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत' संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली का अगरतल्ला (त्रिपुरा) में ऑफ-कैम्पस केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिये गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार कर उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा स्थापित 'उच्चतर शिक्षा में नीतिगत शोध हेतु केन्द्र' के लिए अपेक्षित निधियों की जांच करने के लिये गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा विधिवत् रूप से विचार-विमर्श करने के उपरांत वार्षिक रूप से केन्द्र की प्रगति की समीक्षा करने तथा आयोग द्वारा इसे समय-समय पर भेजे जाने वाली परियोजना को प्राथमिकता पर आरंभ किये जाने की शर्त के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित करने का संकल्प पारित किया।
- आयोग ने उप-समिति की टिप्पणियों पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च), 12 (ख) के तहत संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने तथा अधिनियम की धारा 13 के तहत अनुपालन के संबंध में उनकी सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने विधिवत् रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को अनुमोदन प्रदान किया। इसके अलावा, आयोग ने यह संकल्प पारित किया कि इन दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय को अंगीकार करने/अपनाने के लिए कहे जाने से पूर्व

श्री पंतजलि (पातु) जी. केशवानी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यगण की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा इनकी पुनरीक्षा की जाये।

- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठ हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों में श्री लक्ष्मीनाथ बेजबाराओं तथा श्री अरबिन्दों के नाम पर एक अध्यक्षपीठ को सम्मिलित किये जाने पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- अधिकांश सदस्यगणों से प्राप्त सहमति के आधार पर आयोग ने 56 करोड़ (अनावर्ती) तथा 8.32 करोड़ रुपए (आवर्ती) प्रति वर्ष की बजटीय आवश्यकता के साथ वाराणसी में आईयूसी-टीई की स्थापना को अनुमति प्रदान की। सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सरकार के संगत अधिनियम जिसके क्षेत्राधिकार के तहत संस्थान अवस्थित है, के तहत पंजीकरण के प्रयोजनार्थ संगम ज्ञापन को भी अनुमोदित किया गया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के तृतीय संशोधन, 2014 के मसौदा संशोधन पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया साथ ही यह भी संकल्प पारित किया कि चूंकि राघवन समिति अनेक वर्षों से कार्यरत हैं, इसलिये उसे समग्रता से इस मुद्दे पर विचार करने तथा आगे का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया जाये।
- आयोग ने वेतनेतर व्यय (गैर-योजनागत) के तहत कमी को दूर करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वेतनेतर घटकों के तहत उपर्युक्त आवंटन किये जाने तक गैर-योजनागत अनुदान के तहत वेतनेतर घटक में कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास मौजूद आंतरिक प्राप्तियों को बनाये रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया तथा यह संकल्प पारित किया कि आंतरिक प्राप्तियों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) से लेखापरीक्षा भी करवाई जाये।
- आयोग ने शिक्षा सत्र 2015-16 के लिये मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थानों की मान्यता को जारी रखने के लिये यथावत स्थिति बनाये रखने की रणनीति पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने एनएएसी प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान जारी करने के लिए 31 दिसम्बर, 2015 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने कुलपति के चयन हेतु सम विश्वविद्यालयों में चयन-सह-खोज समिति की संरचना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 की खण्ड 7.3.0 में संशोधन पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने दिनांक 17.11.2014 को “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों” (यूपीई) संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने “भारत के युगपरिवर्तक सामाजिक चिंतकों” योजना संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने स्वदेशी भाषाओं के विकास के लिये एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा के साथ किये गये सहयोग पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया और यह संकल्प पारित किया कि केवल एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा को ही वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
- आयोग ने कौशल तथा ज्ञान अर्जन हेतु ज्ञान उन्नयन केन्द्रों (कौशल) संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधनों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने सामुदायिक महाविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित कौशल में, पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, मूल्यांकन मानदण्ड तथा क्रेडिट प्रणाली पर विचार किया तथा दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने मुंबई विश्वविद्यालय हेतु नेनो-विज्ञान, कोलकाता विश्वविद्यालय हेतु नेनो प्रौद्योगिकी/जैव-चिकित्सा तथा मद्रास विश्वविद्यालय हेतु नेनो-प्रौद्योगिकी केन्द्रों, जिन्हें उनके अस्तित्व में आने के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया, एक वर्ष का समय विस्तार देने पर विचार किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2012 के खण्ड 6.2(3) से “वरिष्ठतम डीन अथवा यदि कोई डीन न हो तो” वाक्य का लोप करने संबंधी संशोधन पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने दिनांक 5 जुलाई, 2014 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना में प्रथम संशोधन के रूप में अधिसूचित की जाने वाली उपाधियों की विनिर्दिष्टताओं संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अंतर्वर्ती आवेदन करने वाले 7 सम विश्वविद्यालय संस्थानों का वास्तविक निरीक्षण करने के लिये गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विचार किया तथा जांच की। आयोग ने समिति द्वारा निरीक्षण किये जाने वाले इन सम विश्वविद्यालय संस्थानों में अनेक कमियां पाईं।

- आयोग ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय और माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराया जाना) विनियम, 2015 पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने पर्यटन/अध्ययन दौरों के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने एनएएसी के संवर्ग भर्ती नियम पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने स्नातकोत्तर विषयों पर ई-विषयवस्तु पाठ्य सामग्री को तैयार करने के लिये गठित स्थायी समिति की सिफारिशों पर इम्प्लिबनेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र) को 20 करोड़ रुपये अंतरित करने तथा जारी करने पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने सम विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की संभाव्यता का दर्जा प्रदान संबंधी मानदण्डों तथा दिशानिर्देशों पर निर्णय लेने के लिये एक उप-समिति का गठन करने पर विचार किया, अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्णय लिया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्राओं के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उनके यौन उत्पीड़न का निवारण तथा प्रतिषेध और शिकायतों का निपटान) करने संबंधी विनियम, 2015 पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में संबद्ध संकाय को पेनलबद्ध करने संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय, राज्य तथा सम विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु अनुदान जारी करने के लिए सहायता के संशोधित पैटर्न पर विचार किया तथा प्रथम किस्त में 40 प्रतिशत तत्पश्चात् दूसरी किस्त में 40 प्रतिशत तथा अंतिम किस्त में 20 प्रतिशत राशि जारी करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने पूर्व में अनुदान जारी करने में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया तथा ईएमएमआरसी तथा एनआईएसडब्ल्यूएसएस, राष्ट्रीय समाज कार्य तथा सामाजिक विज्ञान संस्थान (एनआईएसडब्ल्यूएसएस) को स्थापित किये जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिनांक 11.03.2013 को आयोजित बैठक में लिये गये पूर्व के निर्णय को दोहराया और इसके अतिरिक्त आयोग ने संस्थान में अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित दो जांच समितियों का भी संज्ञान लिया तथा ईएमएमआरसी और एनआईएसडब्ल्यूएसएस को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ज) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बंधित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझता है।
- शिक्षा क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देशभर में उच्चतर शिक्षा के समग्र हालात का जायजा लेने के लिये डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।
- आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिये नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डेटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। वि0अ0आ0 के सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014-15 से सीधे विश्वविद्यालय से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है तथा अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल <http://aishe.gov.in> के माध्यम से आंकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य किया जा रहा है इससे यह प्रक्रिया कागज़रहित हो गई है।
- स्वतंत्रता के समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 2.1 लाख छात्रों के साथ देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब विश्वविद्यालयों से संबंधित संख्या 40 गुना हो चुकी है। महाविद्यालयों से संबंधित यह संख्या 82 गुना हो चुकी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में उच्चतर शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 127 गुना हो चुका है।
- दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय की संख्या 711 हो गई – (46 केन्द्रीय, 329 राज्य, 205 राज्य निजी, 128 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत स्थापित 3 संस्थान तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 40760 महाविद्यालय स्थापित हुए)। जहां

तक राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालय का संबंध है, अब तक 68 विश्वविद्यालय के साथ राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (64), तत्पश्चात् तमिलनाडु (52) है। सूची से यह पता चलता है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों का असमान संवितरण है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष 2014–2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 18 राज्य तथा 30 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया हैं और 6 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।
- वर्ष 2014–2015 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 1147 नए महाविद्यालय स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2013–14 के 39613 से बढ़कर वर्ष 2014–2015 के दौरान 40760 हो गयी।
- वित्त वर्ष 2014–2015 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 9940 थी। इनमें से अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (2000), जिसके बाद महाराष्ट्र (1266), कर्नाटक (848) और गुजरात (521) आदि में हैं।
- शिक्षा सत्र 2014–2015 के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों और नियमित विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 265.85 लाख था जिसमें 124.76 लाख छात्राएँ थीं, जो कि समस्त नामांकन का 46.93 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (43.97 लाख) रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (28.60 लाख), तमिलनाडु (24.01 लाख) तथा राजस्थान (16.24 लाख) आदि रहा।
- विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन प्रतिशत के संदर्भ में स्नातकपूर्व (88.26 प्रतिशत), स्नातकोत्तर (11.09 प्रतिशत), शोध (0.67 प्रतिशत), डिप्लोमा/प्रमाणपत्र (1.57 प्रतिशत) तथा समेकित रूप से (0.41 प्रतिशत) रहा।
- सभी स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 88.37 प्रतिशत तथा समस्त स्नातकोत्तर छात्रों के 71.09 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों में थे, जबकि शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और उनके संघटक महाविद्यालयों में थे।
- छात्रों के कुल नामांकन (265.85 लाख) में से 37.41 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, जिसके बाद 17.59 प्रतिशत विज्ञान में, 16.39 प्रतिशत वाणिज्य/प्रबंधन में थे। इस प्रकार केवल तीन संकायों में 71 प्रतिशत नामांकन था जबकि शेष 29.00 प्रतिशत नामांकन पेशेवर संकायों में रहा। यह अनियमित संवितरण इंगित करता है कि एक नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण संकायों की संख्या पिछले वर्ष की 10.49 लाख की तुलना में से बढ़कर 12.61 लाख हो गई। 12.61 लाख शिक्षकों में से 84.66 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे और शेष 15.34 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में थे।
- वर्ष 2014–2015 के दौरान 22849 पी.एच.डी. शोध उपाधियाँ प्रदान की गईं। इनमें से सबसे अधिक कला संकाय में 7480 पी.एच.डी. उपाधियाँ, तत्पश्चात् विज्ञान संकाय में 7018 पी.एच.डी. उपाधियाँ प्रदान की गईं। इन दोनों संकायों में प्रदत्त उपाधियाँ कुल उपाधियों का 63.45 प्रतिशत रहीं।
- रिपोर्टाधीन वर्ष 2014–2015 के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों पर छात्राओं का नामांकन 88 रहा।
- प्रतिशत के संदर्भ में, महिला नामांकन लक्षद्वीप राज्य में सर्वाधिक रहा (71.17 प्रतिशत) उसके पश्चात् गोवा (60.06 प्रतिशत) रहा। परिशुद्ध संख्या में उत्तर प्रदेश 21.73 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (13.01 लाख) तथा तमिलनाडु (12.32 लाख) आदि रहे।
- महिला नामांकन कला संकाय में सर्वाधिक (41.70 प्रतिशत) में था, उसके पश्चात् विज्ञान (18.60 प्रतिशत) तत्पश्चात् वाणिज्य (15.73 प्रतिशत) था, जो तीनों संकायों में कुल 76.03 प्रतिशत रहा। जबकि शेष 23.97 प्रतिशत सभी पेशेवर संकायों में था। प्रतिशत के संदर्भ में पेशेवर संकायों में सबसे ज्यादा महिला नामांकन अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी (9.88 प्रतिशत) में रहा।
- वर्ष 1950–51 से वर्ष 2014–15 तक उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संदर्भ में वृद्धि 24.7 गुना रही, महाविद्यालयों की संख्या में 58 गुना वृद्धि तथा छात्र नामांकन में 67 गुना वृद्धि तथा शिक्षकों की संख्या में 52 गुना वृद्धि दर्ज की गई।

3. विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को पहुंच बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं का संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय का भुगतान करने, प्रयोगशालाओं,

पुस्तकालयों, भवनों आदि के रखरखाव, और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक खर्च आदि के लिये अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ समविश्वविद्यालयों को योजनागत और गैर-योजनागत अनुदान दिये जा रहे हैं, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है।

- वर्ष 2014-15 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 46 थी। इनमें से छह विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन मैरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) सॉउथ एशियन युनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, और (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। वर्ष 2014-2015 के दौरान केवल 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत एवं गैर-योजनागत अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2014-15 के दौरान 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 1835.67 करोड़ रुपए का सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा एक चिकित्सा महाविद्यालय को 3527.45 करोड़ रुपए का अनुरक्षण अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, डॉ० बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय) को 1019.39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु 20.00 लाख रुपए तथा अम्बेडकर अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को 25.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई।
- ऐसे शिक्षक जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार विनिर्दिष्ट अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता रहे हों, उनके लिए विशेष मानदेय योजना के तहत पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 1.80 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।
- अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 4060.94 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया था।
- अवसंरचना विकास के लिये 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 21788.50 लाख रुपए का एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु 25.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- 12-13 सितम्बर, 2014 को चण्डीगढ़ में आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के दो दिवसीय समारोह के दौरान केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने अवसर की शोभा बढ़ाई। समारोह की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत रही:-
 - नेशनल रैंकिंग प्रणाली हेतु ढांचे का विकास करने के लिये एक समूह का गठन किया गया।
 - उद्योग परिषद्-उच्चतर शिक्षा सहयोग (सीआईएचईसी) को आरंभ किया जा रहा है।
 - कौशल उत्कृष्टता के 100 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जिन्हें ज्ञान अर्जन तथा कुशल मानवीय सक्षमता तथा आजीविका केन्द्र (कौशल) कहा जाता है।
 - निम्नवत के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिये एक कार्य समूह का गठन किया गया था:-
 - सामान्य प्रवेश, सामान्य परिपत्र, छात्रों का स्थानांतरण, संकाय का स्थानांतरण, क्रेडिट अंतरण की राष्ट्रीय प्रणाली
 - शैक्षिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल (जीआईएएन)
 - एमओओसी प्लेटफार्म के माध्यम से एसडब्ल्यूवाईएम (स्टैंडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माईंड) की डिजिटल इंडिया पहल।
 - वाई-फाई सक्षमकारी उच्चतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये 'नेशनल एलिजिबिलिटी' (राष्ट्रीय अर्हता) आरंभ की गई है।
 - कैम्पस कनेक्ट कार्यक्रम
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) के कुलपतियों (वीसी) का दो दिवसीय सम्मेलन 4 से 5 फरवरी, 2015 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। कुलपतियों ने सम्मेलन के पांच कार्यसूची मदों पर विस्तृत सिफारिशों को अंगीकार किया नामतः (1) शोध तथा नवोन्मेष हेतु वातावरण तैयार करने हेतु कदम उठाना (2) संकाय की क्षमता विकास, पूर्व छात्रों की भागीदारी तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालय का समुदाय के साथ भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाना (4) गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना तथा (5) चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को अंगीकार करना।

- वि.अ.आ. ने 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार करने तथा उसे सुदृढ़ करने, जिसके लिए विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था, और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 110 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत एवं जारी की गई थी, जिसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान 35.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्तमान में, 36 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व-सेवाओं (प्री-सर्विसेज) तथा अन्य अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा की पेशकश कर रहे हैं
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती को लुप्तप्राय भाषा केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय में आंतरिक आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिये 5.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया की कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके अंतर्गत कोई इकाई, चाहे इसे किसी भी नाम से जानी जाती हो, यदि वह 31 दिसम्बर, 2015 तक मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन नहीं करवाते हैं तो वह 1 अप्रैल, 2016 से आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने का पात्र नहीं होंगे।
- 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त किया था परंतु प्रत्यायन की अवधि पूर्ण हो गई है तथा उन्होंने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। 11 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है, छह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्यायन हेतु आवेदन किया जाना शेष है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश तैयार किये हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने अस्तित्व में आने के सौ वर्ष पूर्ण करने वाले विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत वाले विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिये 10.00 करोड़ रुपए का एकमुश्त अनुदान प्रदान करने की एक योजना तैयार की है।
- 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 534 राज्य तथा राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कृषि तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों के अलावा केवल 156 राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) अनुदान हेतु 2069.95 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 156 पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को 827.98 करोड़ रुपये का विकास अनुदान प्रदान किया गया।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजना के तहत 137 राज्य विश्वविद्यालयों को 2195.67 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समान अवसर प्रकोष्ठ की योजना के तहत 116 राज्य विश्वविद्यालयों को 60.75 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान “स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत” नामक नई योजना आरंभ की है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करेंगे जिसे पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित किया जा चुका है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 40,03,93,965/रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- कश्मीर विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों की स्थापना हेतु कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर को 33,59,95,600/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कोलकाता विश्वविद्यालय को नेनो-विज्ञान तथा नेनो-प्रौद्योगिकी में शोध के प्रयोजनार्थ 20,00,00,000 रुपए की विशेष अनुदान राशि संस्वीकृत की गई।
- अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विशिष्ट कार्यक्रम के तहत गैर-योजनागत अनुरक्षण अनुदान के लिए अन्ना विश्वविद्यालय को 15,71,07,242/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के लिये मुंबई विश्वविद्यालय हेतु 2,00,00,000/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।

- गैर-योजनागत अनुदान स्वरूप पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को 1,31,83,97,040/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार 128 सम विश्वविद्यालय थे जिसमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 18 सम विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान तथा 10 सम विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास, दोनों अनुदान प्रदान कर रहा था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास सहायता योजना के तहत सम विश्वविद्यालयों को 5445.04 लाख रुपये की राशि जारी की।
- वर्ष 2014-15 के दौरान 10 सम विश्वविद्यालयों को गैर-योजनागत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान) के तहत 24792.94 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

4. महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- विकास हेतु सहायता का बल, मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण-ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार करने, विशेषरूप से स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों को करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए, उन्हें औचित्यपूर्ण तथा विविध बनाने पर जोर दिया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर भी नये महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।
- दिनांक 31 मार्च, 2015 तक देश में 40760 महाविद्यालय थे। इनमें से 31 मार्च, 2015 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 9940 महाविद्यालयों अर्थात् 24 प्रतिशत को मान्यता प्राप्त है। कुल 9940 महाविद्यालयों में से मात्र 8201 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक से संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलुरु में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।
- वर्ष 2014-2015 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 5371 पात्र महाविद्यालयों को 609.90 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2014-15 के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने 430 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 104.22 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने 171 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को स्वायत्त महाविद्यालय की योजना के तहत 33.02 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने लघु शोध परियोजना की योजना के तहत विज्ञान में 2375 शिक्षकों हेतु विज्ञान के लिये 44.29 करोड़ रुपए तथा मानविकी के 2785 शिक्षकों हेतु मानविकी में 31 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संगोष्ठियों/परिसंवाद/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए 2455 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र महाविद्यालयों को 21.58 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
- वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने संकाय विकास कार्यक्रम योजना के तहत 1473 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 34.31 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) के रूप में 3.00 लाख रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस योजना के तहत 321 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 8.81 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना तथा उपकरण योजना के तहत 352 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 65.49 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान 1404 लाभार्थी महाविद्यालयों को प्रतिबद्ध देयताओं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाओं) के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों ने 126.56 करोड़ रुपये के अनुदान की राशि जारी की।
- वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को कुल 1458.83 करोड़ रुपये की राशि और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 घटक महाविद्यालयों को 31.49 करोड़ रुपये की राशि का अनुरक्षण अनुदान के रूप में भुगतान किया गया।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों को सामान्य विकास, महिला छात्रावास तथा खेल-कूद अवसंरचना, भवन निर्माण तथा संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला के लिए 170.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 15 चिह्नित विश्वविद्यालयों को “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय” का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2014–2015 के दौरान कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग ने चुने हुए विभागों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 12 केन्द्रों को अनुमोदित किया ताकि वे एक साथ कार्य कर सकें और संयुक्त रूप से नवीन नवोन्मेषी शैक्षिक शोध कार्यक्रम आरंभ करने में सक्षम हों। इन केन्द्रों ने केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ किया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत 12 केन्द्रों का भी चयन किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान योजना के तहत 24 केन्द्रों में से वर्ष 21 केन्द्र कार्य कर रहे थे। सभी केन्द्रों की समीक्षा की गई और उन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई।
- महाविद्यालयों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय” (सीपीई) नामक एक योजना आरम्भ की है। वर्तमान में, 172 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 14 महाविद्यालयों को उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2014–15 के दौरान इस योजना के तहत महाविद्यालयों को 51,93,50,000/- रुपये की राशि जारी की गई थी।
- आयोग ने वर्ष 2001 में विभिन्न अंतर-विषयक क्षेत्रों में अध्ययन तथा शोध पर “नये केन्द्रों की स्थापना/उत्कृष्टता के संस्थान” की नई योजना को आरंभ किया। वर्तमान में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब राष्ट्रीय अध्ययन का एक केन्द्र चल रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान केन्द्र को 4.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना को बंद कर दिया गया है।
- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014–2015 के दौरान एसएपी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष की 919 की तुलना में 863 रही। वर्ष 2014–2015 के दौरान विभिन्न स्तरों पर विभागों को 31.26 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सम्भाव्यता वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु स्वायत्तता का दर्जा प्रदान कर रहा है। 31.03.2015 तक 24 राज्यों के 92 विश्वविद्यालयों के 487 महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 171 स्वायत्त महाविद्यालयों को 33.02 करोड़ रु० का अनुदान भी जारी किया गया था।
- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी), (अकादमिक स्टॉफ कॉलेज-एएससी) विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहत कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। वर्ष 2014–2015 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे इन केन्द्रों के कार्यक्रम हेतु 46.87 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी किया गया।
- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा प्रकोष्ठ ने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण और मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, कार्यशालाओं का संचालन किया और हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस मनाया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग ने हिन्दी विभागों की स्थापना करने/उन्नयन करने के लिए 26 केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों को अनुदान संस्वीकृत किया गया था।
- 33 देशों के साथ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम चल रहे हैं तथा विभिन्न देशों के साथ 09 अन्य शिक्षा सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों हेतु 46.19 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, युवा भारतीय शोधकर्ताओं तथा शिक्षकों को उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमेरिका में पोस्ट-डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्तियों की पेशकश कर रहा है। वर्ष 2014–15 के दौरान 144 अभ्यर्थियों को यह अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई।
- राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाईटेड किंगडम, भारत में विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा महाविद्यालय में उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को शोध कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए 10 राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्ति अवार्ड की पेशकश की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय छात्रों से हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरल अध्ययन के लिये आवेदन आमंत्रित किये। हंगरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा चयन किया जायेगा।
- वर्ष 2014 के दौरान जर्मनी के साथ वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान हेतु कार्यक्रम के लिये चार अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) द्वारा तैयार किये गये परियोजना आधारित कार्मिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी) के तहत वर्ष 2014 के दौरान तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014 के दौरान सॉउथ एशियन इंस्टीट्यूट हेडलबर्ग अध्येतावृत्ति अवार्ड हेतु दो अभ्यर्थियों की सिफारिश की।
- वर्ष 2014 के दौरान, शोध हेतु सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों को दौरा करने हेतु शिक्षकों को यात्रा अनुदान योजना के अन्तर्गत एक भारतीय स्कॉलर को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- यू0के0 इंडिया एजुकेशन एण्ड रिसर्च इनीशियेटिव (यूकेआईआईआरआई) विषयगत भागीदारियों के तहत वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालयों से प्राप्त 10 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत और अमेरीका के बीच शिक्षा संबंधी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए भारत-अमेरीका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल कार्यक्रम के तहत चार संयुक्त शोध कार्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है।
- भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजनाओं के तहत वर्ष 2014 के दौरान 7 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।
- भारत-इजरायल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजरायल साईंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने संयुक्त-शोध परियोजना हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित किया तथा वर्ष 2014 में 21 परियोजनाओं को अनुमोदित किया।
- उच्चतर शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में इंडो-नारवीयन सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नयी पहल है जिसका उद्देश्य भारत तथा नारवे के बीच उच्चतर शिक्षा संपर्क को बढ़ाना है। उच्चतर शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) भारत और 'नारवीयन सेन्टर फॉर इन्टरनेशनल को-आपरेशन इन एजुकेशन' (एसआईयू) के बीच शिक्षा सहयोग समझौते पर दिनांक 14 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षर किये गये थे। आईएनसीपी के तहत वर्ष 2014 के दौरान 13 परियोजनाओं का चयन किया गया।
- आस्ट्रेलिया-भारत शैक्षणिक परिषद् (एआईइसी) ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को छात्र स्थानांतरण विषय पर एक परियोजना अवार्ड की।
- वर्ष 2014 के दौरान 55 लाभार्थियों को संयुक्त शोध परियोजनाएं (समेकित) प्राप्त हुई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यापन और शोध के पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्राचार्य तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (नेट) आयोजित करता है। नेट परीक्षा 79 विषयों में देशभर में फैले 89 केन्द्रों पर आयोजित की जाती है। दिनांक 29 जून, 2014 तथा 28 दिसम्बर, 2014 को सहायक आचार्य हेतु आयोजित नेट परीक्षा में अर्हता के लिए क्रमशः 5.39 और 6.20 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 30229 (5.61 प्रतिशत) तथा 35731 (5.76 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति हेतु क्रमशः 3.71 तथा 4.23 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 4795 (1.29 प्रतिशत) तथा 3702 (0.88 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए। सी0एस0आई0आर0 की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित करता आ रहा है। जून, 2014 तथा दिसम्बर, 2014 में संयुक्त सीआईएसआर-वि0अ0आ0 नेट परीक्षा आयोजित की गई तथा क्रमशः 1200 तथा 781 अभ्यर्थियों ने वि0अ0आ0-जे0आर0एफ0 तथा 2793 तथा 2097 अभ्यर्थियों को केवल लेक्चररशिप हेतु अर्हक पाया गया। वि0अ0आ0-नेट परीक्षाओं को आयोजित करने तथा नेट ब्यूरो के सभी अनुषंगी क्रियाकलापों पर 16.25 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए भी प्रत्यायन प्रदान किया है। जिन उम्मीदवारों ने 1 जून, 2002 से पूर्व, लेक्चरशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण कर ली है, वे उम्मीदवार "नेट" परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र हैं। जून, 2002 अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, जहाँ उसने सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- वर्ष 2014-2015 के दौरान तेलंगाना और आंध्रप्रदेश (संयुक्त रूप से), गुजरात, कर्नाटक, उत्तर-पूर्वी राज्य, राजस्थान, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों ने सफलतापूर्वक सेट परीक्षा आयोजित की। सेट परीक्षा संचालित पर होने वाले व्यय को संबद्ध राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 744 महाविद्यालय के शिक्षकों, 08 कुलपतियों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। उनकी विदेश यात्रा, पंजीकरण शुल्क, ठहरने के भत्ते आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी पद पर नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालय अध्यक्ष तीन वर्ष में एक बार और कुलपति तथा आयोग के सदस्य तथा वि0अ0आ0 के अधिकारी दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 9.00 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित 7 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.), भारतीय विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक उपकरण

और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएँ, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराये जा सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान छह अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को योजनागत अनुदान के रूप में 63.84 करोड़ रुपये तथा गैर-योजनागत अनुदान के रूप में 89.48 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है तथा उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन केन्द्रों को 3.15 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान जारी किया।

6. अनुसंधान संवर्धन

- “शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ योजना” का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, वृद्धावस्था रोग, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव आदि कुछ ऐसे क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों पर बल दिया जायेगा जिनमें सभी विधाएँ तथा विषय सम्मिलित हों। भाषा/कला/विधि आदि सहित विज्ञान और मानविकी विषयों में अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/आयुर्विज्ञान/भेषजी/कृषि तथा सामाजिक विज्ञान में वृहद शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि क्रमशः अधिकतम 20.00 लाख रुपये तथा 15.00 लाख रुपये होगी। यहां तक कि सेवानिवृत्त शिक्षक भी 70 वर्ष की आयु तक अनुसंधान परियोजना आरंभ कर सकते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान भेषजी तथा आयुर्विज्ञान सहित विज्ञान और अभियांत्रिकी में 603 वृहद शोध परियोजनाओं तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में 414 वृहद शोध परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। इनके लिए क्रमशः 31.31 करोड़ रुपये तथा 16.39 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- शोध अवार्ड योजना, पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा बिना शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। 45 वर्ष से कम आयु वाले डॉक्टोरेट उपाधि धारक शिक्षकों को यह अवार्ड प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष, सभी विधाओं में 100 स्लॉटों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2014-2015 के दौरान अवार्ड धारकों को 15.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- ‘शोध वैज्ञानिक योजना’ के अन्तर्गत विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए वर्ष 1983 में यह योजना आरम्भ की गई और लागू की गई थी। वर्तमान में 67 शोध वैज्ञानिक विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। वर्ष 2014-2015 के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 10.10 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- ‘अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति’ की एक नई योजना का उद्देश्य अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में उच्च शोध करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने पहले ही स्वतंत्र रूप से शोध कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। प्रथम दो वर्ष के दौरान अध्येतावृत्ति की संशोधित राशि की दर 38,800/- रुपये प्रतिमाह तथा तीसरे वर्ष के पश्चात् यह राशि 46,500/- रुपये प्रतिमाह है तथा आकस्मिक राशि 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 100 स्लॉटों के समक्ष अ0जा0/अ0ज0जा0 के 100 चयनित अध्येताओं को भुगतान करने के पर 11.63 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. उपाधि धारक तथा पोस्ट-डॉक्टोरल शोध करने की इच्छुक बेराजगार महिलाओं के लिए पूर्णकालिक आधार पर प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिसके तहत नए अभ्यर्थियों के लिए 38,800/- रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और दो वर्ष पश्चात् 46,500/- रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और पांच वर्षों तक 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान के लिए 20.67 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।
- मानविकी तथा भाषा सहित सामाजिक विज्ञान में महिलाओं हेतु डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डाक्टोरेल अध्येतावृत्ति नामक एक नई योजना भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं। प्रथम दो वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति की राशि 38,800 रुपये प्रतिमाह तथा दूसरे वर्ष के पश्चात् 46,500/- रुपए प्रतिमाह तथा 50,000/- रुपए प्रति वर्ष की आकस्मिक राशि है। वर्ष 2014-15 के दौरान 180 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2.17 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।
- विज्ञान विषयों में डॉ0 डी0एस0 कोठारी के नाम से एक नई योजना अर्थात् पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना लागू की गई है। आज तक, 1588 अभ्यर्थियों को योजना अवार्ड की गई है तथा 875 पी0डी0एफ कार्यरत हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत अध्येताओं को 26.93 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिवाषिता की आयु के समीप प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से ‘विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग—बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति' नाम से नई योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह-आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। अध्येतावृत्ति में 46,500/- रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है जो कि पेंशन अथवा/और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है। वर्ष 2014-2015 के दौरान 59 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 3.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- इमेरिटस अध्येतावृत्ति योजना के तहत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु तक के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष विज्ञान विषय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या 100 है। अध्येता के लिए 50,000 रु0 प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014-2015 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 4.67 करोड़ रुपये व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (भारतीय नागरिकों हेतु) प्रदान की है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के अन्तर्गत वार्षिक आकस्मिक राशि के साथ प्रारम्भिक दो वर्षों तक 25000/- रुपये प्रतिमाह तथा शेष अवधि के लिए 28,000/- रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति राशि प्रदान की जाती है।
- विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में एम0फिल/पी0एच0डी0 करने के इच्छुक एशिया/अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों से ऐसे छात्रों तथा शिक्षकों में से 20 विदेशी नागरिकों का कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए चयन किया। अध्येतावृत्ति चार वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए जेआरएफ/आरए योजना के तहत 433.00 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (अ0जा0 के लिए 2000 तथा अ0ज0जा0 के लिए 667) के लिए 2667 राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ उपलब्ध कराता है ताकि वे उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। अध्येतावृत्ति का स्वरूप कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के समान है। वर्ष 2014-2015 के दौरान योजनागत स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के अध्येताओं के लिए 149.58 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के अध्येताओं के लिए 46.61 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।
- केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समेकित 5 वर्ष की अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना है ताकि वे एम.फिल. और पी.एच.डी. जैसे अध्ययन कर सकें। प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए 756 प्लॉट उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्ति की दर आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों की दर के समकक्ष है। वर्ष 2014-2015 के दौरान विभिन्न राज्यों से 756 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 65.21 करोड़ रु0 का व्यय किया गया।
- उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिये निशक्त छात्रों को एम.फिल. तथा पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2012 से निशक्त छात्रों हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना को लागू करने का कार्य सौंपा है। अध्येतावृत्ति राशि अन्य कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति योजनाओं के समतुल्य है। वर्ष 2014-15 के दौरान 300 स्लॉट आवंटित किये गये थे। अध्येता को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिब) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। प्रत्येक वर्ष सभी विषयों के लिये अध्येतावृत्ति के 300 स्लॉट उपलब्ध हैं। अध्येतावृत्ति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के समतुल्य है। योजना का वित्तपोषण सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।
- महिलाओं के बारे में स्वामी विवेकानंद के महान विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा बालिकाओं की शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति आरंभ की। प्रथम दो वर्षों के लिये अध्येतावृत्ति राशि 12,400 रुपए प्रतिमाह तथा शेष दो वर्षों के लिए 15,500 रुपये प्रतिमाह है। वर्ष 2014-15 के दौरान 65 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को भुगतान करने के लिए केनरा बैंक को 1.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई तथा 4.46 लाख रुपए की राशि का संवितरण किया गया।
- "विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति" योजना को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि वे विज्ञान विषय में पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त कर सकें। जो अभ्यर्थी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों/उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित विशेष सहायता प्राप्त

विभागों में विज्ञान के विषयों में पी0एच0डी0 के लिए पंजीकृत हैं, वे इस योजना हेतु पात्र हैं। प्रारंभ में इस अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष है, जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रथम दो वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति राशि के रूप में 21,700/- रुपये प्रतिमाह और आकस्मिक धनराशि के रूप में 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। समय विस्तार दिए जाने पर अगले तीन वर्षों के लिए 24,800 रुपये प्रतिवर्ष तथा 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएगी। वर्ष 2014-2015 के अंत तक सैप/गैर-सैप विभागों को 9300 शोध अध्येतावृत्तियां आवंटित की गईं तथा 8145 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत हैं। वर्ष 2014-2015 के दौरान अध्येताओं को कुल 75.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

- समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों के लिए एक नई योजना नामतः 'पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना' को कार्यान्वित किया गया है। कुल स्लॉटों की संख्या, प्रतिवर्ष 1000 है।
- "इंदिरा गाँधी एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना" नामक स्नातकोत्तर अध्ययन योजना का उद्देश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना तथा माता-पिता को छोटे परिवार मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है तथा शोधवृत्ति राशि 3100/- रुपये प्रतिमाह है (एक वर्ष में 10 माह के लिए)। सभी पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। शिक्षा सत्र 2014-16 के लिए कुल 3192 बालिकाओं का चयन किया गया। वर्ष 2014-2015 के दौरान छात्रवृत्ति हेतु भुगतान करने पर 8.46 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने में मदद करने के लिए एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा विषयों में गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ 12,000 रुपये प्रतिमाह (सभी सेमेस्टर्स में 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक) की छात्रवृत्ति तथा प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान 17.42 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।
- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2005-2006 से एक स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को प्रारम्भ किया गया जिसके अंतर्गत उन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का व्यवस्था की गई है जिन्होंने स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र देश में किसी भी उच्चतर शिक्षा के संस्थान में किसी विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर विषयों में (जिनमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं) अध्ययन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे। 3100/- रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति राशि के साथ छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष (एक वर्ष में 10 माह के लिए) है। योजना के तहत वर्ष 2014-2015 के दौरान 976 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा 2.87 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014-15 से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01.12.2014 सामान्य उपाधि पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति की दर 5,400/- रुपए प्रतिमाह तथा तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 7,800/- रुपए प्रतिमाह है। योजना के तहत 10,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच किये गए करार (समझौता ज्ञापन) के अनुसार अभ्यर्थियों को केनरा बैंक द्वारा सीधे ही भुगतान किया जाता है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं, मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विशिष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना आरंभ की है। योजना के तहत वर्ष 2014-15 के दौरान 70 लाभार्थियों को 40.00 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।
- भारतीय विश्वविद्यालय में मूलभूत वैज्ञानिक शोध हेतु अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:
- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके तहत, आरंभ में 80 : 80 : 40 अनुपात (आचार्य: सह-आचार्य: सहायक आचार्य) में 200 पदों पर नई भर्ती की जायेगी। यह नए और सेवार्त शिक्षक दोनों के लिए है। आरंभ में, इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए है और यह प्रत्येक पांच वर्ष पर समीक्षा के अध्वधीन अधिवर्षिता की आयु तक चलती है। इस प्रयोजनार्थ, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और साथ ही शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय समन्वयक की भी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में 163 संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है जिनमें से 77 कार्यरत हैं। वर्ष 2014-2015 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के 72 चयनित अभ्यर्थियों को वेतन तथा 'स्टार्ट-अप अनुदान' के रूप में 6.92 करोड़ रुपये की राशि जारी गई है।

- बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्क शोध केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 विभागों को अनुमोदन प्रदान किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान इन विभागों को 7.61 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- “नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट-अप अनुदान योजना” के तहत, पी0एच0डी0 उपाधि धारक सहायक आचार्य के स्तर के ऐसे सभी शिक्षक इस योजना हेतु पात्र हैं जिन्होंने अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में न्यूनतम दो शोध प्रकाशित किये हों। 425 नए नियुक्त हुए संकाय सदस्य लाभान्वित हुए। योजना के तहत वर्ष 2014-15 के दौरान 25.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बीएसआर कार्यक्रम के तहत ‘शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान’ प्रदान करने की योजना का उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध को जारी रखने हेतु सहायता प्रदान करना है। जिस शिक्षक की अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष है और जिसने अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 15 पीएचडी और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम पांच पीएचडी उपाधियां प्राप्त करने में सहायता की हो और जिसने राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम पांच प्रायोजित शोध पूर्ण किए हों, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। शिक्षक को उसके शोध कार्य के लिए 7.00 लाख रु0 उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2014-2015 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपने शोध कार्य को जारी रखने वाले 33 शिक्षकों को 2.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- वर्ष 2014-15 के दौरान विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर शोध के लिये अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु पात्र महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभागों को कुल 9.30 करोड़ रुपए का अनुदान मुहैया कराया गया।

7. लिंग और सामाजिक समानता

- भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास और क्षमता निर्माण तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में महिला प्रबंधक योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित कर विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों को सुदृढ़ करना एवं उसे धारणीय बनाये रखना है साथ ही साथ अन्य आंगिक घटकों के साथ तालमेल बनाने की उनकी स्वयं की क्षमता को सुदृढ़ करना है ताकि वे परस्पर एक दूसरे को बल प्रदान करें तथा एक दूसरे को सहयोग कर सकें इसके साथ की बेहतर लिंग संतुलन कायम करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी हेतु को बढ़ाना है। विशेष बल इस बात पर दिया जाना है कि जाति श्रेणी/धर्म समुदाय एवं व्यवसायों से इतर कार्यवाही, शोधकार्य, मूल्यांकन एवं ज्ञान की क्षेत्रगत परियोजनाओं का विकास किया जा सके तथा नेटवर्क में अधिकाधिक लोगों व संगठनों को भी जोड़ा जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस नवीन रूप से उद्भूत होने वाले क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाये तथा इसकी गुणवत्ता बनाई रखी जाए। दिनांक 31.03.2015 तक विश्वविद्यालयी प्रणाली में 153 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके थे तथा कार्य कर रहे थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रों द्वारा 205 संवेदनशील बनाने/जागरूकता/उत्प्रेरक (एसएएम), 22 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी), 13 प्रबंधन कौशल संवृद्धि मॉड्यूल, (एमएसईएम), तथा 05 पुनश्चर्या कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 9.54 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है।
- सामाजिक समावेशन तथा बर्हिवेशन के मुद्दों पर शोध हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बर्हिवेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण-सह-शोध केन्द्रों की स्थापना की थी। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 35 विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र कार्यरत थे। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान 777.00 लाख रुपये जारी किये गये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अ0जा0/अ0ज0जा0 प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके। बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु स्कीम के संशोधित दिशानिर्देश आयोग के विचाराधीन हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अ0जा0/अ0ज0जा0 प्रकोष्ठ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अ0जा0/अ0ज0जा0 और शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश, शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अ0जा0/अ0ज0जा0 संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/(असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों को उपचारी अनुशिक्षण/नेट-सेट परीक्षा/सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान कर एक अपेक्षित स्तर तक लाने के लिये नियमित समय-सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/(असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजना के तहत 137 राज्य विश्वविद्यालयों को 2195.67 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसी अनुशिक्षण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ई0ओ0सी0) की स्थापना करने की योजना तैयार की थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 116 विश्वविद्यालयों को 60.75 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया था।
- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निशक्त व्यक्तियों की अनदेखी न की जाए तथा विशेष शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु एक पाठ्यक्रम को विकसित करने के साथ ही साथ निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'विशेष शिक्षा में शिक्षकों को तैयार करने' (टीईपीएसई) तथा 'विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा' (एचईपीएसएन) योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा चलाया जा रहा है तथा प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है।

8. प्रासंगिता एवं मूल्य आधारित शिक्षा

- शिक्षा में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किये जाने का उद्देश्य वृत्ति एवं बाजारोन्मुखी कौशल में वृद्धि करने वाले अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को आरंभ करना है जिनकी रोजगार प्राप्त करने में एवं स्व-रोजगार हेतु उपयोगिता हो और जिससे छात्रों का सशक्तिकरण हो सके। इस कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्र संस्थानों को मानविकी एवं वाणिज्य संकाय के प्रति पाठ्यक्रम के लिए 7.00 लाख रुपये प्रति पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं तथा विज्ञान विषयों में पुस्तकें, पत्रिकाएँ, प्रयोगशाला तथा अन्य उपस्करों की खरीद तथा अतिथि संकाय को मानदेय हेतु पाँच वर्ष के लिए प्रति पाठ्यक्रम एकमुश्त राशि ('सीड-मनी') के रूप में 10.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को आवश्यकता आधारित तीन पाठ्यक्रमों के विकल्प को अपनाना अपेक्षित होगा। फरवरी, 2013 के माह में अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु 522 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 353 महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों को निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 28.32 करोड़ रुपये के अनुदान जारी किया गया था।
- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के समग्र बोध को बढ़ावा देने, विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राणनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 8 केन्द्र (दिनांक 01.04.2011 से 31.04.2016 तक) तथा 40 केन्द्र (01.04.2014 से 31.03.2019 तक) चल रहे थे।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 404 अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 6.98 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने और मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा पर सम्मेलन, संगोष्ठियाँ तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए और शिक्षकों, छात्रों तथा जनसाधारण में जागरूकता फैलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को मानवाधिकार शिक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। योजना के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 के दौरान 244 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों लाभान्वित हुए हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-2017) के दौरान 4.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

9. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकियों का सम्बन्ध

- ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई-कार्यालय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यान्वित किया गया है ताकि मिसिलों की प्राप्ति और उनके चालन के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार किया जा सके। रिपोर्टीयन वर्ष के दौरान संयुक्त सचिव के स्तर तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं हेतु एन0आई0सी एक ऑनलाइन वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित कर रहा है।
- सभी विधाओं में स्नातकोत्तर विषयों में ई-विषयवस्तु पाठ्य सामग्री को विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के समग्र प्रचालन की देखरेख के लिए एक खाका तैयार करने हेतु एक स्थायी समिति का गठन किया है। ई-विषयवस्तु के विकास का कार्य इन्फलिबनेट को सौंपा गया है। इस प्रकार विकसित ई-विषयवस्तु, इन्फलिबनेट केन्द्र और साथ ही साक्षात पोर्टल पर स्थापित एक ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से मुक्त रूप से पहुंच हेतु उपलब्ध होगी। वर्ष 2014-15 के दौरान परियोजना पर कुल 9.08 करोड़ रुपये की लागत आई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (क) डिजीटल फाईबर के साथ जुड़े विश्वविद्यालय (ख) लैन की सुविधा वाले विश्वविद्यालय (ग) वाई-फाई की सुविधा वाले विश्वविद्यालय के संबंध में विश्वविद्यालय की मैपिंग का कार्य किया, जिसमें 636 विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तथा यह पाया कि (i) 89 प्रतिशत विश्वविद्यालय ऑप्टिकल फाईबर से जुड़े हैं (ii) 92 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में लैन मौजूद हैं तथा (iii) 85 प्रतिशत विश्वविद्यालय में वाई-फाई सुविधा मौजूद है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सूचना और सांख्यिकी ब्यूरो, एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल (<http://eaishe.gov.in>) का उपयोग कर छात्र नामांकन, शिक्षण कर्मचारीवृंदों आदि के सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण तथा संकलन कर रहा है।

10. नई पहल

- वर्ष 2013-14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना आरंभ की। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से कम लागत, उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है जिसमें पारम्परिक कौशल विकास साथ ही पारम्परिक पाठ्यक्रम, दोनों शामिल हो ताकि शिक्षार्थी को नियोजन क्षेत्र अथवा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जाने का सीधा अवसर मुहैया करवाया जा सके। वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के तहत 157 सामुदायिक महाविद्यालयों (विश्वविद्यालयों में 16 तथा महाविद्यालयों में 141) को अनुमोदित किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 35.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयी/विश्वविद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा हेतु एक योजना को आरंभ किया है जिससे एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा जैसे बहु-निकास विकल्पों के साथ व्यवसाय में स्नातक (बी0वोक0) उपाधि प्राप्त हो सके। योजना के तहत 127 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों (20 विश्वविद्यालयों + 107 महाविद्यालयों) को अनुमोदित किया गया है तथा वर्ष 2014-15 के दौरान 80.64 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के आदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाई जा रहे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में मान्यता प्रदान करने हेतु विनियम, मानदण्डों के अनुरक्षण के संबंध में निदेश जारी किये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन निदेशों के संबंधों में अनेक कदम उठाये। वर्ष 2014-15 के दौरान 157 विश्वविद्यालयों/संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्रदान की गई तथा विकास अनुदान के रूप में 07 मुक्त विश्वविद्यालयों को 1557.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- सीबीसीएस, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यचर्या में नवोन्मेष तथा सुधार, शिक्षण-ज्ञान अर्जन प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में शिक्षा मानदण्ड तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु किए गए अनेक उपायों का भाग है। सीबीसीएस के तहत, विश्वविद्यालयों द्वारा वर्तमान में अनुपालन की जा रही अंकों की मार्किंग प्रणाली को त्याग कर मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष के दौरान एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।
- भारत सरकार, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस सदस्यगणों (सचिव-शिक्षा, सचिव-व्यय, आठ अन्य सदस्यगण) की नियुक्ति/नामित करेगी। सचिव, सचिवालय का अध्यक्ष होता है जिसमें समूह 'क' के 89, समूह 'ख' के 251 तथा समूह 'ग' के 206 अधिकारियों के साथ कुल 557 कर्मचारिवृंद हैं। कुल कर्मचारियों में 28.01 प्रतिशत महिलाएं, 18.67 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.67 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारिवृंद हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से अपने कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत करते हुए 1kr क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ताकि सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके और महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु शीघ्रता से अनुदान जारी किया जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता, समावेश तथा तर्कसंगतता के साथ शैक्षणिक सुधार कर उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) हेतु 30 प्रतिशत का लक्ष्य है तथा इसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि कर तथा मौजूदा संस्थानों के दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने की दोहरी रणनीति को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

1-1%d% fo'ofokky; vunku vk;kx dh Òfedk vòj lxBu

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया, वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक संगठन बना। वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा तथा शोध में मानदंड के निर्धारण तथा उनके अनुरक्षण हेतु ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वह उचित समझता हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिये शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनियम भी तैयार करता है।

उच्चतर शिक्षा के बहु-आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा कार्यान्वित किये हैं।

lxBukRed <kpk

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक से किया जाता है।

शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए:

1. जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो;
2. जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हों, अथवा
3. जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

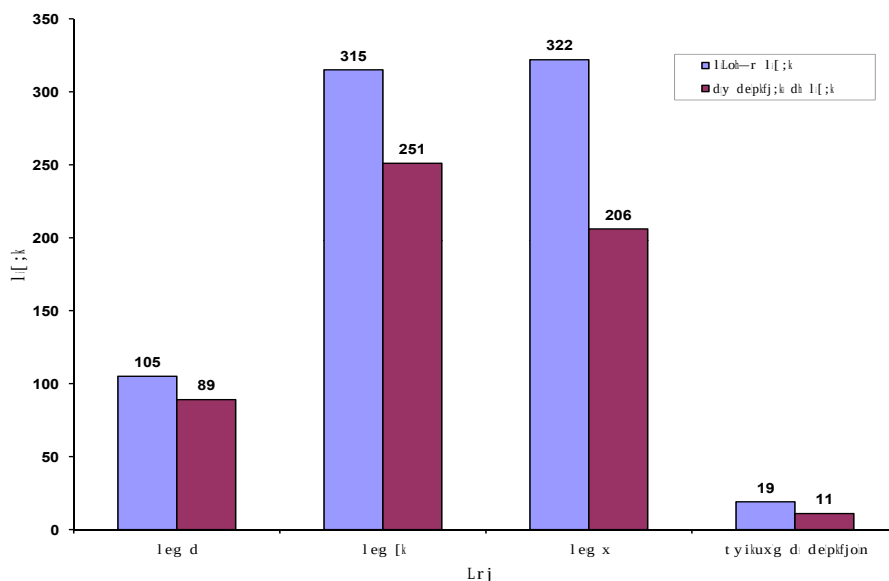
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी प्रभारी, सचिव महोदय हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंदों के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:-

rkfydkk 1-1dk

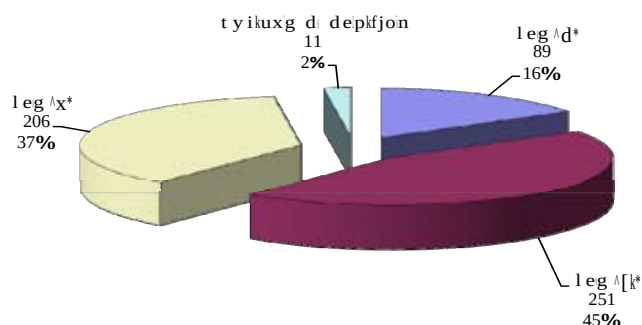
leg	lloh-r l[:k	dy depkfj; dh l[:k	dy depkfj; dh l[:k e		
			efgyk %cfr'kr%	vulfpr tkfr %cfr'kr%	vulfpr tutkfr %cfr'kr%
समूह क	105	89 (84.76)%	38 (42.69)%	09 (10.11)%	2 (2.25)%
समूह ख	315	251 (79.68)%	100 (39.84)%	56 (22.31)%	10 (3.98)%
समूह ग	322	206 (63.97)%	17 (8.25)%	36 (17.48)%	14 (6.79)%
जलपानगृह के कर्मचारिवृंद	19	11 (57.89)%	1 (9.09)%	3 (27.27)%	शून्य
dy	761	557 %73.19%	156 %28.01%	104 %18.67%	26 %4.67%

- कार्यक्रमों को तैयार करने, मूल्यांकन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों की सहायता प्राप्त करता है।

j:[kkfp= 1-1dk o"kk 2014&15 d nkjku vk;kx d lfpoky; d depkfj; dh llohÑr rFkk ektnk l[:k



j:[kkfp= 1-1dk vk;kx d lfpoky; d depkfj; dh Lrjokj ektnk l[:k



[illegible]

क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद
1.	दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड,
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एआरसीओ), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश

1.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में

लोगों के उत्थान तथा देश की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली को योजना सहायता प्रदान की जा रही है। वि.अ.आ. ने देश में सूचना आधार को स्रोत सामग्री के रूप में विकास करने के लिए उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अध्ययनों को प्रायोजित किया ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पद्धति और रणनीति तैयार की जा सके। यह अध्ययन विस्तार, समावेश, गुणवत्ता और वित्त से जुड़े हुए हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सूचना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए उपयोग किया गया है और निष्कर्षों द्वारा इसके उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिली है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेश, गुणवत्ता तथा संगत शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली में आवश्यक शैक्षिक सुधारों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। इस प्रकार, मुख्य बल संस्थागत क्षमता तथा दाखिले की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा का विस्तार तथा पहुंच में वृद्धि, करना तथा उच्चतर शिक्षा तक विभिन्न समूहों को पहुंच के समान अवसर उपलब्ध करवाकर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शैक्षिक तथा शासी सुधारों को आरंभ करना आदि है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2012 के 15 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि कर उसे 2017 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 15 प्रतिशत की निवल वृद्धि का लक्ष्य दोहरी रणनीति से प्राप्त किया जाना है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थानों की दाखिले की क्षमता बढ़ाना शामिल है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :

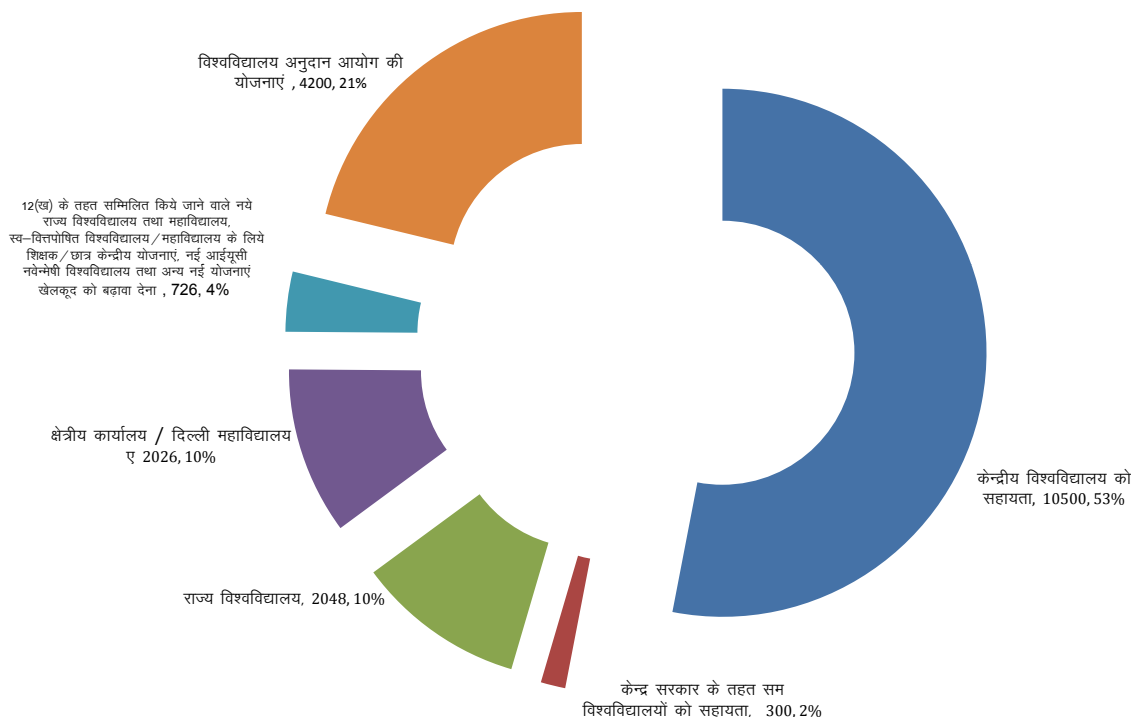
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नामांकन अनुपात को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत के स्तर तक लाने में मदद करना;
- विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य इस प्रकार के संस्थानों के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विस्तार कर 30 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्यों को प्राप्त करना ;
- उन जिलों की सकल नामांकन दर में वृद्धि करना जिनकी उच्चतर शिक्षा एक पहुंच सीमित है;
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के नामांकन में वृद्धि करना तथा समावेशी बनाना;
- गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ;
- संगत शिक्षा को बढ़ावा देना ;
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अन्य संबद्ध मुद्दे पर ध्यान केन्द्रीत करना;
- विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया आरंभ करना;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंतरिक कार्यकरण का कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सुधार करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मानव संसाधन में सुधार सहित शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना;
- डाटाबेस और शोध क्षमताओं में सुधार करना ताकि शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को सतत् रूप से सुदृढ़ किया जा सके तथा एक उचित संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके।

vk;kx u fnukd 10-05-2013 dk vk;kftr cBd e 19800 djkm #i, d vkoVu dk vuekfnr fd;k gA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये योजनागत आवंटन को मोटे-तौर पर निम्नवत छह क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सहायता	10500.00
केन्द्र सरकार के तहत सम विश्वविद्यालयों को सहायता	300.00
राज्य विश्वविद्यालय	2048.00
क्षेत्रीय कार्यालय, एनआरसीबी तथा दिल्ली महाविद्यालय	2026.00
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं	4200
धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित किये जाने वाले नये राज्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिये शिक्षक/छात्र केन्द्रीय योजनाएं, नई आईयूसी नवेन्मेषी विश्वविद्यालय तथा अन्य नई योजनाएं, खेलकूद को बढ़ावा देना तथा आरंभ की जाने वाली अन्य योजनाएं तथा अन्य विविध कार्यक्रम	726.00
d.y	19800-00

j:[kkfp= 1-2% ckjgoi ipo"kh; ;ktuk dk {k=okj vkcVu %djkm #i; e%



वित्त वर्ष 2013-14 से निम्नवत योजनाओं को चि करने का निर्णय लिया गया है।

- (1) जीवन-पर्यन्त ज्ञान अर्जन एवं विस्तार;
- (2) नवेन्मेषी कार्यक्रम;
- (3) कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन;
- (4) विश्वविद्यालयों में मौजूदा तथा नये प्रबंधन विभागों के उन्नयन हेतु विकास सहायता;
- (5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-इन्फोनेट नेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम;
- (6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन्फोनेट नेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्शियम;
- (7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द्र;
- (8) महाविद्यालयों को जयंती एवं शताब्दी अनुदान;
- (9) मीडिया केन्द्र/संबद्ध मीडिया केन्द्रों की स्थापना;
- (10) नई योजना के तहत केन्द्र।

निम्नलिखित योजनाओं को अन्य योजनाओं के साथ समूहबद्ध किया गया है:

- (1) मानवाधिकार एवं कर्तव्य शिक्षा (एचआरडीई) को सामान्य विकास सहायता (जीडीए) के साथ समूहबद्ध किया गया है;
- (2) महिला प्रबंधकों हेतु क्षमता निर्माण योजना को महिला अध्ययन केन्द्र के साथ समूहबद्ध किया गया है;
- (3) योग शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना को खेलों को बढ़ावा देने की योजना के साथ समूहबद्ध किया गया है;

- (4) एनकोर को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया गया है;
- (5) उपकरण अनुरक्षण सुविधाओं को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया गया है;
- (6) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना तथा उपस्कर संबंधी विकास योजना को खेलकूद को बढ़ावा देने संबंधी योजना के साथ समूहबद्ध किया गया है;
- (7) आगन्तुक/अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति/मानदेय संबंधी योजना को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया गया है।

उपरोक्त सात योजनाओं पर किया गया व्यय/किये जाने वाले व्यय को उन योजनाओं के शीर्ष से किया जायेगा जिनके साथ उन्हें समूहबद्ध किया गया है।

आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नवत नई योजनाओं को जारी रखने अथवा आरंभ करने का निर्णय लिया है :

- (1) पदक विजेता
- (2) संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। आर.आई.ए. प्रकोष्ठ आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा विभिन्न केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकरणों जिनके पास संगत जानकारी होती है, को भेजता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 24 अपीलीय प्राधिकरण तथा 39 सीपीआईओ हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो प्रमुखों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण पदनामित किया गया है तथा उनके तहत उप-सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।
- आवेदनकर्ताओं से प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपीलों तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जिनके पास संगत, जानकारी होती है, उन्हें भेजा जाता है।
- आरटीआई आवेदन/अपील/नोटिस/निर्णय की एक प्रति आरआईए प्रकोष्ठ में अभिलेख स्वरूप रखी जाती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुखों को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में उप-सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाया गया है।
- प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है।
- आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा-जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है।
- केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है।

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 16,648 आवेदन तथा 1199 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 95,850/- रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 46,259/- रुपये रहा।

वेतनमान प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी तथा इसे समय-समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह प्रकोष्ठ, वेतनमान, करियर प्रोन्नति योजना (सीएस), एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि धारकों के लिए अग्रिम वेतनवृद्धियों, पुनश्चर्चा/अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, पिछली सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अन्य विविध मामलों में शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी वार्ता करता है। वेतनमान प्रकोष्ठ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शिक्षण कर्मचारिवृद्धों की न्यूनतम योग्यता, अधिवर्षिता की आयु तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी कार्यवाही करता है।

वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में सीएस के अंतर्गत उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2014-15 के दौरान सीएस के अंतर्गत उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शिक्षण कर्मचारिवृद्धों की न्यूनतम योग्यता, अधिवर्षिता की आयु तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी कार्यवाही करता है।

वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में सीएस के अंतर्गत उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2014-15 के दौरान सीएस के अंतर्गत उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शिक्षण कर्मचारिवृद्धों की न्यूनतम योग्यता, अधिवर्षिता की आयु तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी कार्यवाही करता है।

वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में सीएस के अंतर्गत उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2014-15 के दौरान सीएस के अंतर्गत उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शिक्षण कर्मचारिवृद्धों की न्यूनतम योग्यता, अधिवर्षिता की आयु तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी कार्यवाही करता है।

दस्तावेज/प्रकाशन/मूल्यांकन-आंकलन रिपोर्ट को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा आयोग को भेजा गया था तथा इनका ब्यूरो द्वारा आंकलन किया गया था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्तियों हेतु अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के रखरखाव हेतु उपाय), 2010 को तैयार किया जो दिनांक 30.06.2010 से लागू हुए। विनियम, 2010 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रेक्षकों को नामनिर्दिष्ट करने का कोई उपबंध नहीं है।

¶x¶ vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr@vU; fiNMk oxl idk"B

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए दाखिले, शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों पर आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आरक्षण नीति का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी निगरानी करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिनिधित्व, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, भूतपूर्व कुलपतियों एवं उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आरक्षण और रिक्तियों के पिछले बकाया पदों की निगरानी करने के लिए स्थायी समिति और स्थायी उप-समिति समय-समय पद बैठक करती रहती है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण, शिक्षणेत्तर तथा दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) हेतु आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान-सहायता प्राप्तकर्ता संस्थानों में अपिव हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश जारी किये गये हैं। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में नियुक्तियों तथा प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी स्थायी समिति का भी गठन किया गया है।

यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के तहत विश्वविद्यालयों में बैंकलॉग रिक्तियों तथा उन्हें भरने के लिए की गई कार्यवाही के संबंध में केन्द्रीय, राज्य तथा सम विश्वविद्यालयों से जानकारी संग्रहित करता है। इन विश्वविद्यालयों से संग्रहित जानकारी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाता है।

¶2k¶ vYil[;d idk"B

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पृथक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर विचार करता है जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को समविश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया जाना, अल्पसंख्यक संस्थानों को विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता प्रदान कराना और अन्य संबंधित मुद्दे।

अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चालू योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा तथा निगरानी करती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार स्थायी समिति की वर्ष में एक अथवा दो बार बैठक आयोजित की जाती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु गठित उप-समिति की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाती है। समिति ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये उपघटक को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की।

¶3¶ lrdrk idk"B_

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय में कार्यों पर नजर रखी जा सके जिससे यहाँ कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो पाये। सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रमुख की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश पर संयुक्त सचिव अथवा उसके ऊपर के पद के एक अधिकारी द्वारा की जाती है जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया जाता है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है और जहाँ कहीं भी आवश्यक होता है उसके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी निम्नवत भी सुनिश्चित करता है :

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना।
- निम्न से संबंधित ऐसे निष्ठा विषयक आचरणों का त्वरित अनुपालन करना :- (i) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण, (ii) उपहार, (iii) निजी फर्मों में नौकरी कर रहे या निजी व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग (iv) बेनामी लेन-देन।
- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए ऐसे कार्मिकों की उचित छानबीन करना।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान आवंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए उपचारात्मक उपाय आरम्भ करना।

रिपोटाधीन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 27 vDrcj] 2014 l 01 uoEcj] 2014 तक शपथ दिलावाकर, इशतेहार तथा पोस्टर प्रदर्शित कर तथा पर्चे बांटकर lrdrk tkx:drk llrkग मनाया।

वर्ष 2014-15 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को 15% एकीकृत फंडिंग; 11% दलित; वृद्ध 29% और विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से 255% शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो के पास भेज दिया गया था। संवेदनशील स्वरूप की शिकायतों को जांच हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित सतर्कता संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखा। प्रकोष्ठ एससीवी/सतर्कता जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई आरंभ करता है।

कुछ मामलों में एससीवी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतों के मामलों में जांच समिति का गठन किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जांच समिति के निष्कर्षों तथा एससीवी की सिफारिशों के आधार पर आगामी आदेशों तक इन तीन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान रोक दिया गया।

दिनांक 31.12.2014 तक निपटारा हेतु 40 शिकायतें लंबित थीं। 40 मामलों में से 04 मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों तथा शेष विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के कर्मचारियों के विरुद्ध हैं।

पृष्ठ 10

विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1989 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय में की गई थी। विधिक प्रकोष्ठ, भारत में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, मंचों तथा आयोग आदि में विधिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है।

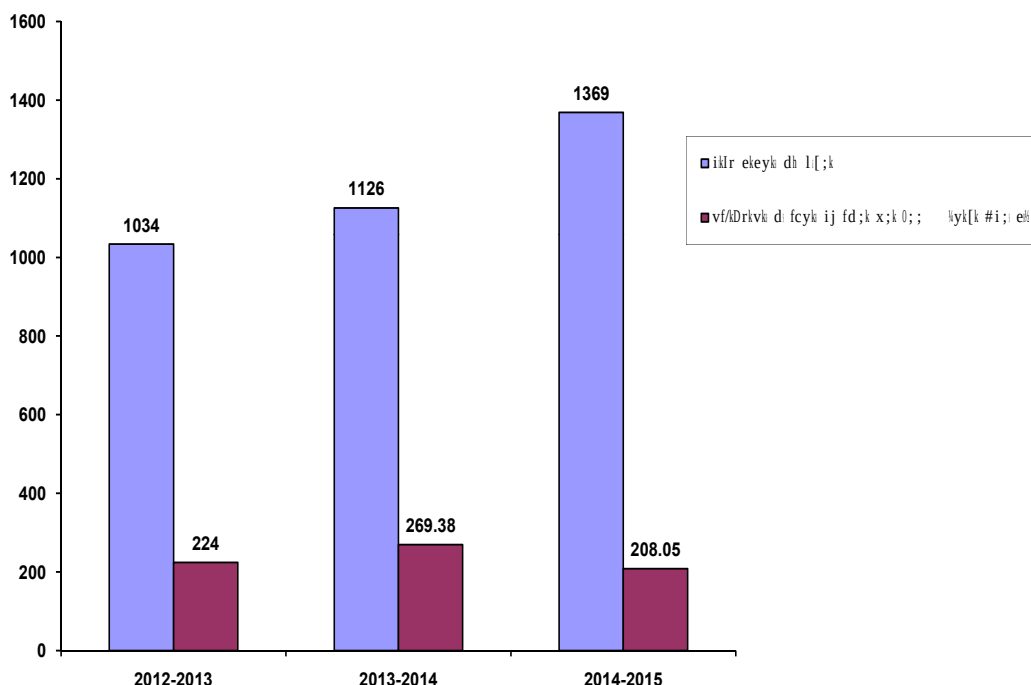
वर्तमान में, अधिकांश मामले मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों, अर्हताओं, सेवानिवृत्ति की आयु, चयन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, वि.अ.आ. नेट परीक्षा तथा विभिन्न संस्थान/जाली संस्थान की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक मामले भी होते हैं।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार किया गया है तथा उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से प्रकरणों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बचाव करने का कार्य सौंपा गया है।

विधिक प्रकरण तथा उन पर वर्षवार (2012-13 से 2014-15) किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	विविध प्रकरणों में व्यय (₹)	विधिक प्रकरणों में व्यय (₹)
2012.2013	1034	224.00
2013.2014	1126	269.38
2014.2015	1369	208.05
कुल	3529	701.43

जिसमें 14% प्रकोष्ठ एकीकृत फंडिंग; 11% दलित; वृद्ध 29% और विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से 255% शिकायतें प्राप्त हुईं।



॥N॥ MLd ॥ llnh; ekey

डेस्क॥ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसदीय डेस्क, उच्चतर शिक्षा के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2014-2015 के दौरान बजट/मानसून/शीतकालीन सत्र के दौरान निम्नलिखित संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए और जिनका उत्तर दिया गया :

o"॥	llnh; i'uk dh dy l[;k	dy i'uk e l rkjkd r i'uk dh l[;k	vk'okluk dh l[;k
2014-15	756	63	8

o"॥ 2014&15 ॥1 viiy] 2014 l 31 ekp] 2015॥

l= dh frfFk	ykd lHkk l iklr g, i'u		jKT; lHkk l iklr g, i'u		dy xkâ;@ vrkjkd r	dy rkjkd r	dy ;kx
	xkâ;@vrkjkd r	rkjkd r	xkâ;@vrkjkd r	rkjkd r			
7 जुलाई 2014 से 14 अगस्त, 2014	150	14	122	14	272	28	300
24 नवम्बर, 2014 से 23 दिसम्बर, 2014	125	14	89	8	214	22	236
23 फरवरी, 2015 से 20 मार्च, 2015	142	6	65	7	207	13	220
dy					693	63	756

॥t॥ dnkpkj jkèkh çd""B

देश भर में जाली अथवा अमान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मौजूदगी/कार्यकरण के संबंध में मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 30 मई, 1996 को कदाचार रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में उपाधियों प्रदान कर रहे हैं। यह राज्य अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम, अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित किए गए संस्थान नहीं हैं, जिन्हें विशेष रूप से उपाधियां प्रदान करने के अधिकार दिए गए हैं अतः जाली विश्वविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

1. प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य प्रिंट मीडिया एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बारे में सूचना एकत्रित करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाना तथा जनसाधारण/छात्रों/माता-पिताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जाली विश्वविद्यालयों की पहचान करना तथा इन जाली विश्वविद्यालयों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित करना है।
2. जनसाधारण/छात्रों को जागरूक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष जाली विश्वविद्यालयों की सूची साथ ही आईआईपीएम के अमान्यताप्राप्त दर्जे के संबंध में हिन्दी और अंग्रेजी के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में जनसाधारण हेतु जानकारी का प्रकाशन करता है तथा उन्हें ऐसे जाली विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त नहीं करने की चेतावनी देता है। इनकी सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/शिक्षा सचिवों/प्रधान सचिवों से ऐसे जाली विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करता है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 21 जाली विश्वविद्यालय/संस्थान हैं। 21 जाली विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

fo'ofoky; vunku vk;kx }kjk o"॥ 2014&15 d nkjku dh xb. dkjokb

21 जाली विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दो और संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इसलिए, यह दो संस्थान उपाधि प्रदत्त करने हेतु शक्ति प्राप्त नहीं है। इन दो संस्थानों के नाम निम्नवत हैं:

d- Hkkjrh; f'k{kk ifj'kn] y[kuÅ] mUkj in'k वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय शिक्षा परिषद्, का नाम जाली विश्वविद्यालयों की सूची की पाद-टिप्पणी में रखा था।

[k- bfM;u bULVh;V vkQ Iykfux ,.M euteUV ॥vkbvkbih,e॥

दिनांक 26.09.2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी(सी) संख्या 5937/2010 के बी0 महेश बनाम भारत सरकार और अन्य के प्रकरण में आईआईपीएम के विरुद्ध अंतिम निर्णय पारित किया। न्यायालय ने तुरंत प्रभाव से आईआईपीएम तथा इसके प्रबंधन को आईआईपीएम द्वारा पेशकश किये जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए एमबीए, बीबीए, प्रबंधन पाठ्यक्रम, मैनेजमेन्ट स्कूल, बिजनेस स्कूल, अथवा बी-स्कूल शब्दों

का उपयोग करने से रोक लगाई। न्यायालय ने दिनांक 31.10.2014 को आईआईपीएम के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के आधार पर प्रकरण का निपटान कर दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईआईपीएम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की।

¶>½ **dk;LFkyk ij efgyk ;ku mRihMu** dk jkdu lçèkh idk"B

संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न" प्रकोष्ठ कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रकोष्ठ को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

¶¶½ j'fx x jkèkh idk"B

सिविल अपील संख्या 887/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 तैयार किए हैं, और उन्हें 17 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को जानकारी दी है कि यह विनियम अनिवार्य स्वरूप के हैं।

आयोग ने सभी संस्थानों को अपनी विवरणिका में रैगिंग को वर्जित करने तथा इसके परिणामों के संबंध में निर्देशों को शामिल करने को अनिवार्य बनाया है। आयोग की सामान्य अथवा किसी विशेष योजना के तहत किसी संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा अनुदान सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र में संस्थान द्वारा रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किये जाने वाली विशिष्ट शर्त को शामिल किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को अकादमिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचनाओं, वेबसाइट तथा विश्वविद्यालय को पत्रों के माध्यम से रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई का अनुपालन किये जाने के संबंध में अनुस्मरण कराता है। वि०अ०आ० ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम संबंधी विनियम, 2009 के अनुपालन में विभिन्न समितियां गठित किये जाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को दिनांक 04.08.2014 का परिपत्र जारी किया तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम के लिए कुलपतियों को दिनांक 28.04.2014 तथा 04.08.2014 का एक पत्र भेजा जिसमें उनसे तख्तिरियां लगाने तथा पर्चे बांटने आदि का अनुरोध किया गया था। वि.अ.आ. ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु प्रमुख समाचारपत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की है। उपर्युक्त सभी परिपत्र तथा सार्वजनिक सूचनाओं को वि०अ०आ० की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर भी दर्शाया गया है।

कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्प्यूनीकेशन (सीईसी) द्वारा रैगिंग रोधी एक वीडियो फिल्म तैयार करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट पर अपलोड की गई है तथा सभी विश्वविद्यालय/संस्थान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनसे इसे छात्रों, कर्मचारियों तथा अन्य हितधारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में प्रचार करने को कहा गया है। भारत के राजपत्र में दिनांक 29.3.2014 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग रोधी विनियम में द्वितीय संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक शिक्षा वर्ष के आरंभ में दाखिले के समय संस्थानों में सभी छात्रों/अभिभावकों द्वारा रैगिंग से संबंधित ऑनलाइन वचनपत्र भर कर जमा कराने को अनिवार्य बनाया है।

एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 आरंभ की गई है, जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं के पीड़ित छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, असमिया, गुजराती और बंगाली) में रैगिंग के पीड़ित छात्रों की सहायता करने के साथ-साथ ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। यह हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं/रैगिंग के पीड़ितों से सीधे शिकायतें प्राप्त करती है। इस शिकायत को हेल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन (थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक) को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। रैगिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित संस्थान से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाता है। विभिन्न रैगिंग रोधी उपायों का समन्वय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ कार्य करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त कथित रैगिंग संबंधी घटनाओं की सभी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है तथा संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाती है। संस्थानों द्वारा रैगिंग की कथित घटनाओं पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में ऐसे संस्थानों के विरुद्ध विनियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। विलम्ब से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है और जब कोई की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो दण्डात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 211 रैगिंग की शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन शिकायतों को संबंधित संस्थानों के ध्यान में लाया है तथा इस संबंध में तत्काल और तुरंत कार्यवाही करने के लिये उनसे अनुस्मारकों तथा कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से तत्काल कड़ाई के साथ पत्राचार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर 2014-15 के दौरान 181 शिकायतों को निपटाया गया। शेष 30 मामलों में की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के अनुसार संगत दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की जायेगी।

o"l	o"l 2014&15 d nkjku e iklr dh gbl dy f'kd; r;	ekeyk dh l; ;k ftue; lLFkk }kj dh xb dkjokb dh d l;cèk e tkudkj nh xb	yfcr f'kd; r;	fVlif.k;k
1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015	211	181	30	यदि कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार संगत दंडात्मक कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2009 की सिविल अपील सं. 887 में दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के माध्यम से छात्रों पर रैगिंग के मानसिक प्रभाव का पता लगाने के लिये मनोचिकित्सक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदि की एक समिति का गठन किया तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सभी शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में तत्काल एवं अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य उपाय करने की सिफारिश की ताकि रैगिंग की घटनाओं से बचा जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में चुनिंदा शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग का मानसिक सामाजिक अध्ययन करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समिति का गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। 49.12 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई तथा इस प्रयोजनार्थ दिनांक 05.10.2012 और 28.03.2014 को क्रमशः 24,56,000/- तथा 10,00,000/- रुपए की राशि जारी की गई। समिति की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2015 तक प्रस्तुत की जानी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निगरानी एजेन्सी अर्थात् अमन सत्य काचरू न्यास, गुड़गांव को दिनांक 02 जनवरी, 2015 से 01 जुलाई, 2015 तक समय विस्तार दिया।

अंतर-परिषद् तथा समन्वय समूह की चौथी बैठक दिनांक 17.12.2014 को आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों/संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामककारी प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए रैगिंग रोधी विनियमों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया जाए तथा अन्य विनियामककारी निकायों में शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उपयोग करने पर भी बल दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष द्वारा निम्नवत समितियों का गठन किया गया है:

- नई रैगिंग रोधी हैल्पलाइन के चयन हेतु समिति
- निगरानी एजेन्सी के चयन हेतु समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 22.12.2014 को आयोजित अपनी बैठक में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने तथा उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में जातीय तथा नस्लीय भेदभाव के मामलों को सम्मिलित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के तीसरे मसौदा संशोधन को अनुमोदित किया है तथा डॉ० आर० के० राघवन समिति को उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु भेजा है।

1.4 प्रकाशन

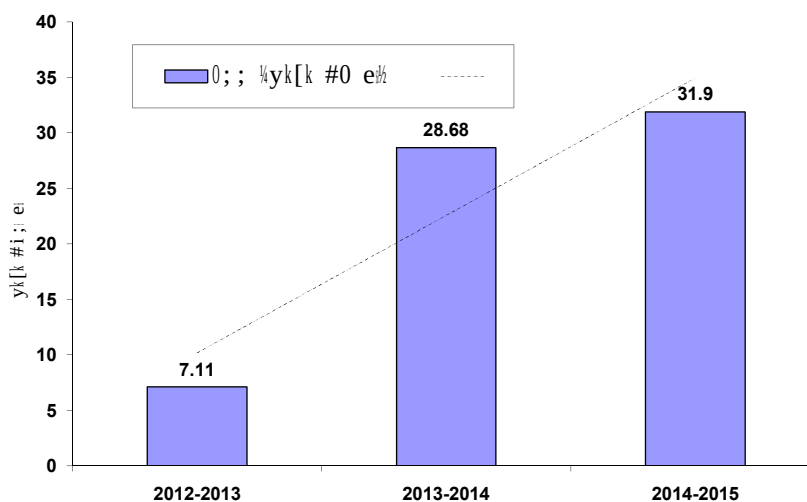
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा वि०आ०आ० की वार्षिक रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि०आ०आ० अधिनियमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सम्मेलन, पर रिपोर्टें, समितियों की रिपोर्ट, सांख्यिकी रिपोर्टों का प्रकाशन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न लेखन सामग्री का भी प्रकाशन करता है यथा विजिटिंग कार्ड, लिफाफे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टी.ए./डी.ए. प्रपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दी दिवस प्रमाणपत्रों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) प्ररूपों का भी प्रकाशन करता है। नियमित प्रकाशन कार्यों के अलावा, प्रकाशन प्रभाग ने निम्नवत दस्तावेज प्रकाशित किये हैं:

Ø- l-	efnr nLrkot
1.	नियमों तथा विनियमों सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (पुनर्मुद्रण)
2.	सक्षम-महिलाओं की सुरक्षा हेतु उपाय तथा परिसरों में लिंग के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम (पुस्तक) (पुनर्मुद्रण)
3.	भारत में विश्वविद्यालयों का विकास-विश्वविद्यालयों/स्नातकोत्तर/केन्द्रों/संघटित महाविद्यालयों में शिक्षण विभागों की निर्देशिका। वर्ष 2011-12 के लिए संकायवार
4.	'नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) 2012-17' के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देश

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रकाशनों/अन्य मदों के मुद्रणों पर वर्षवार किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये)
2012-2013	7.11
2013-2014	28.68
2014-2015	31.90

जि.क.प. = 1-4% एन.क. र.क.क. इ.क.क. कु. इ. ज. ओ.क.क. फ.ड.क. ख.क. 0.;



1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

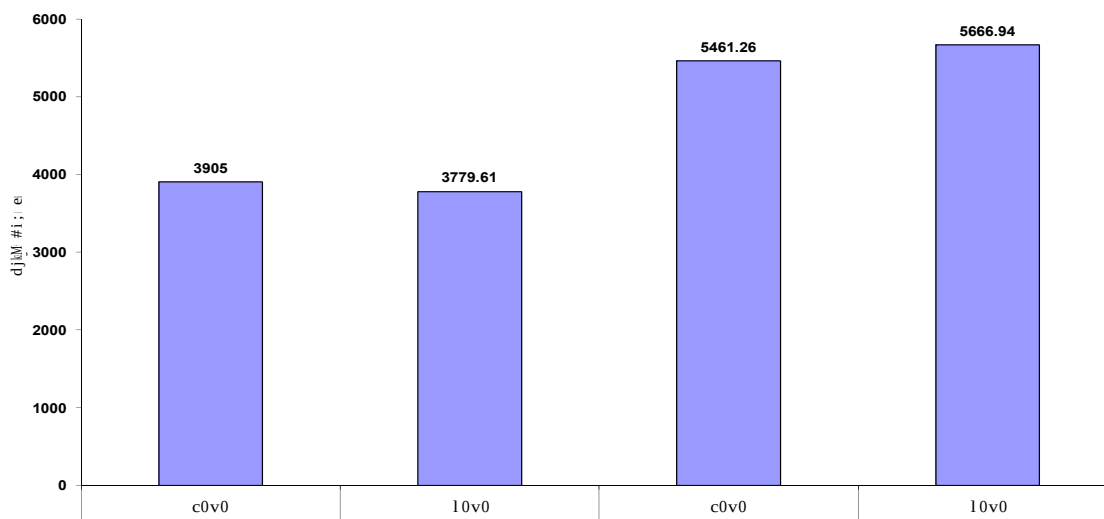
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (गैर-योजनागत) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एवं संवितरित कर सकता है ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के मानदण्डों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2014-2015 के लिए बजट विवरण तालिका 1.5(क) में दिया गया है।

र.क.क. 1-5% द. 1/2 % ओ.क. 2014-2015 द. फ.य., क.त.व.

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क.त.व. 'क.क.क.	; क.त.क.ख.र. व.क.क.व.उ.		ख.ज.क.क.त.क.ख.र. व.क.क.व.उ.	
		क-व-	ल-व-	क-व-	ल-व-
1.	सामान्य	3905.00	3779.61	5461.26	5666.94
	द.य.	3905-00	3779-61	5461-26	5666-94

जि.क.क.प. = 1-5% द. 1/2 % ओ.क. 2015-2015 द. फ.य., ल.क.क.उ.; क.त.व.

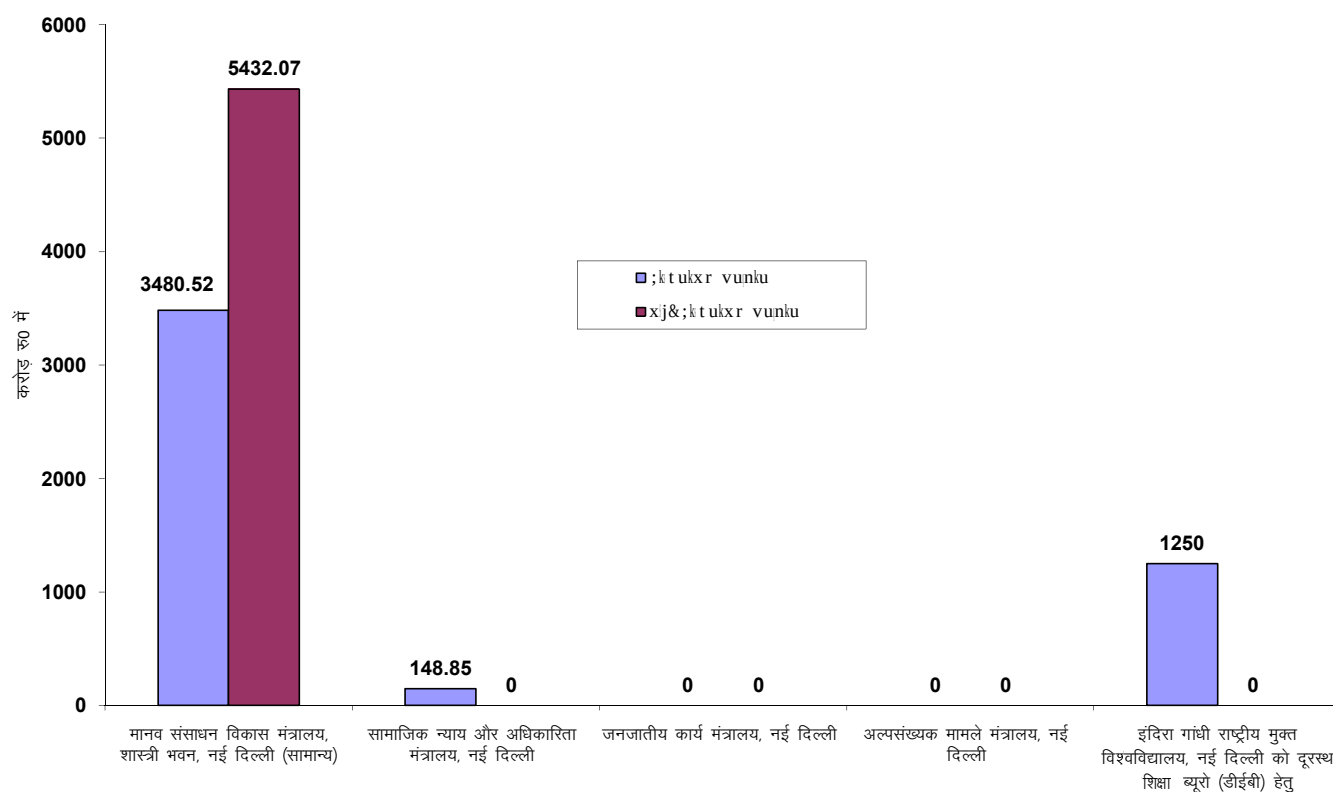


rkfydk 1-5 %o" 2014&2015 d nkjku ;ktukxr vkj xj&;ktukxr %lkekU; ctV 'kh" d rgr ikr vunku

(करोड़ रु० में)

Ø- l-	e=ky; l Ákr vunku	;ktukxr vunku	xj&;ktukxr vunku
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	3480.52	5432.07
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	148.85	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00	0.00
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) हेतु	1250.00	0.00
	dy%	4879-37	5432-07

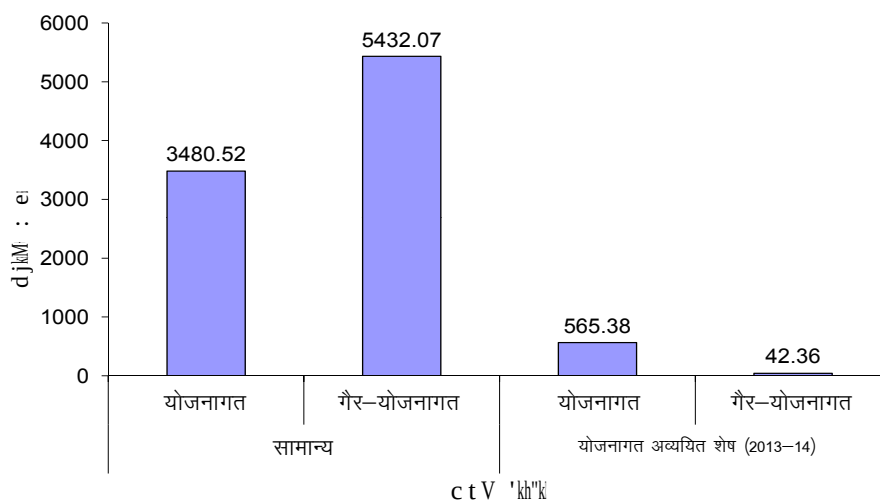
j:[kkfp= 1-5%o" 2014&2015 d nkjku ;ktukxr vkj xj&;ktukxr %lkekU; ctV 'kh" d rgr ikr vunku



rkfydk 1-5%o" 2014&15 d nkjku ikr vunku %lkekU; rFkk o" 2013&14 dk v0;f; r 'k" %

j:[kkfp= 1-5%o" 2014&15 d nkjku ikr vunku %o" 2013&14 dk lkekU; rFkk v0;f; r 'k" %

(करोड़ रु० में)			
Ø- l-	ctV 'kh"	;ktukxr ikr vunku	xj&;ktukxr ikr vunku
1	सामान्य	3480.52	5432.07
2	अव्ययित शेष (2013-14)	565.38	42.36
dy		4045-90	5474-43

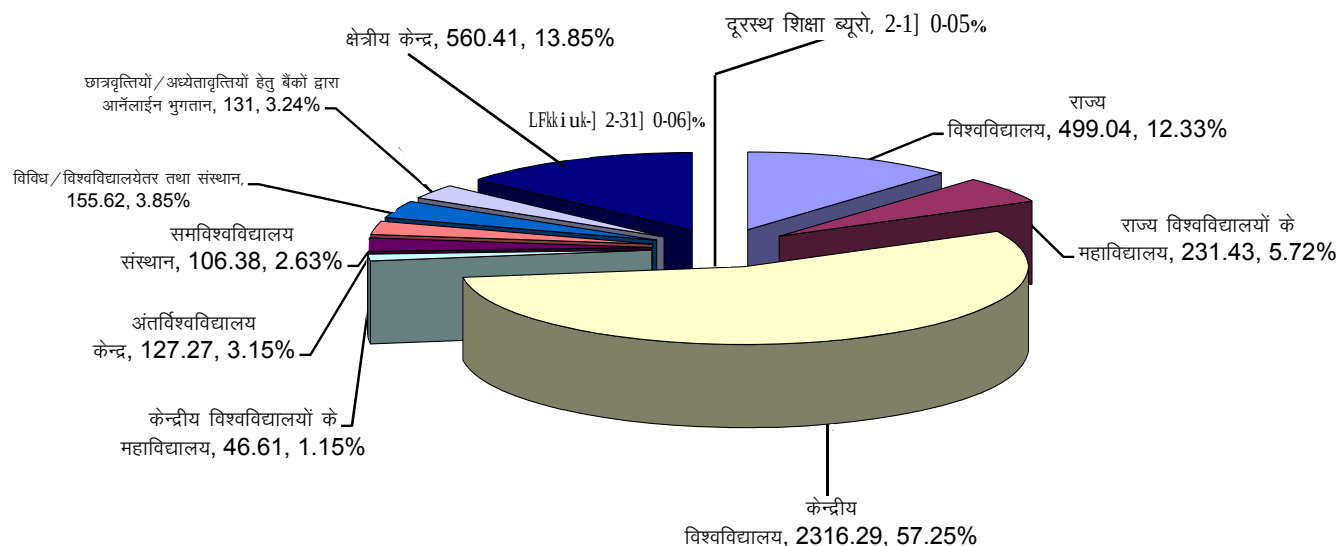


rkfy dk 1-5 %?k% o"ki 2014&2015 d nkjku lLFkkuk dk tkjh fd;k x;k ;ktukxr vunku

(करोड़ रु० में)

क्र. सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान	कुल योजनागत अनुदानों का प्रतिशत+ अव्ययित शेष
1	राज्य विश्वविद्यालय	499.04	12.33
2	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	231.43	5.72
3	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2316.29	57.25
4	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	46.61	1.15
5	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	127.27	3.15
6	समविश्वविद्यालय संस्थान	106.38	2.63
7	विविध/ विश्वविद्यालयेतर तथा संस्थान	155.62	3.85
8	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान	131.00	3.24
9	क्षेत्रीय केन्द्र	560.41	13.85
10	स्थापना	2.31	0.06
11	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो	2.10	0.05
d	dy%	4178-46	103-28

j[kkfp= 1-5%?k% o"ki 2014&2015 d nkjku lLFkkuk dk tkjh fd;k x;k ;ktukxr vunku %djkm #- e%

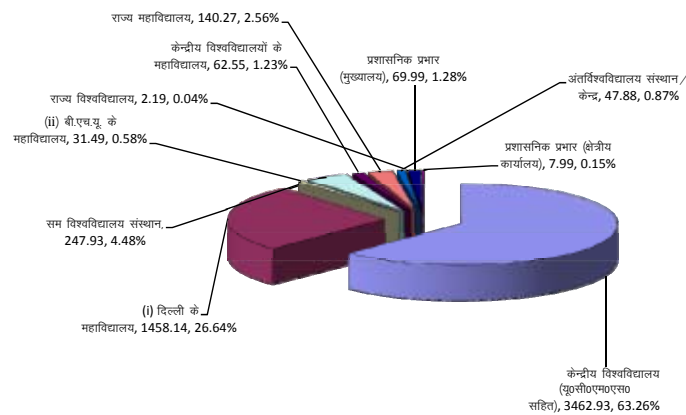


rkfy dk 1-5 %?k% o"ki 2014&2015 d nkjku lLFkkuk dk tkjh fd;k x;k xj&ktukxr vunku

(करोड़ रुपये में)

Ø-1-	lLFkkuk dk Lo:i	xj&ktukxr vunku	dy xj&ktukxr vunkuk dk ifr'kr \$ v0;f;r 'k'k
1.	निम्नलिखित को अनुक्षण अनुदान (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यू०सी०एम०एस० सहित)	3462.93	63.26
	(ख) (i) दिल्ली के महाविद्यालय	1458.14	26.64
	(ii) बी.एच.यू. के महाविद्यालय	31.49	0.58
	ग) सम विश्वविद्यालय संस्थान	247.93	4.53
	घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	67.28	1.23
2.	राज्य विश्वविद्यालय	140.27	2.56
3.	अंतर्विश्वविद्यालय संस्थान/ केन्द्र	47.88	0.87
4.	राज्य महाविद्यालय	2.19	0.04
4.	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	69.99	1.28
6.	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	7.99	0.15
	dy %	5536-09	101-14

j: [kkfp= 1-5%M% o" 2014&2015 d nkjku lLFkkuk dk tkjh fd, x, xij&;ktukxr vunku



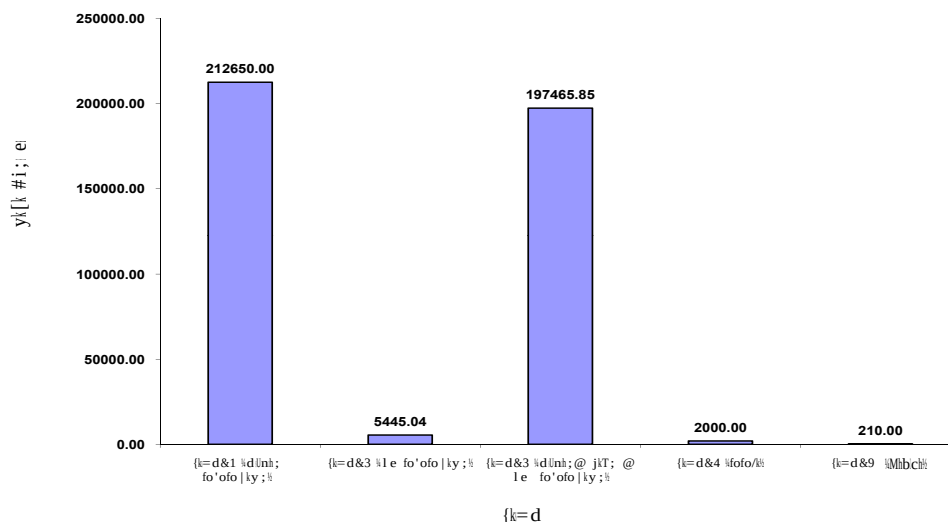
rkfydk 1-5%p% tkjh fd;k x;k ;ktukxr vunku&lkjk'k 2014&2015

(लाख रुपये में)

	{k=d&1	{k=d&2	{k=d&3	{k=d&4	{k=d&9	d,y {k=d&1 l 4 vkj 9%
fo'ofu ky ;						
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	209846-89	0-00	21782-50	0-00	0-00	231629-39
सम विश्वविद्यालय	0-00	5445-04	5158-67	0-00	0-00	10603-71
राज्य विश्वविद्यालय केन्द्र	0-00	0-00	49904-11	0-00	0-00	49904-11
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	0-00	0-00	10726.92	2000.00	0.00	12726.92
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान	0.00	0.00	15561.63	0.00	0.00	15561.63
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों के लिए बैंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान	0.00	0.00	13100.07	0.00	0.00	13100.07
दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो					210.00	210.00
d,y fo'ofu ky ;	209846.89	5445.04	116233.90	2000.00	210.00	333735.83
egkfo ky ;						
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2803.11	0.00	1857.64	0.00	0.00	4660.75
सम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	33.53	0.00	0.00	33.53
राज्य विश्वविद्यालय	0.00	0.00	23142.91	0.00	0.00	23142.91
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d,y egkfo ky ;	2803.11	0.00	25034.08	0.00	0.00	27837.19
d,y fo'ofu ky ; \$egkfo ky ;	212650.00	5445.04	141267.98	2000.00	210.00	361573.02
क्षेत्रीय केन्द्र	0.00		56041.60			56041.60
स्थापना			156.27			156.27
d,y&;kx	212650.00	5445.04	197465.85	2000.00	210.00	417770.89

क्षेत्रक-1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-2: सम विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-3: (केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालय), क्षेत्रक-4: प्रकीर्ण, क्षेत्रक-9: दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो

j: [kkfp= 1-5%p% o" 2014&2015 d nkjku {k=okj tkjh fd;k x;k ;ktukxr vunku



क्षेत्रक	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्रतिशत
क्षेत्रक-1	212650	50.90%
क्षेत्रक-2	5445.04	1.30%
क्षेत्रक-3	197465.85	47.27%
क्षेत्रक-4	2000	0.48%
क्षेत्रक-9	210	0.05%

(लाख रुपये में)

C; kji	i'kk l fud i Hkkj	b,e, evkj lh o lh-b-lh-	vrfo' ofo ky ; dUn	fof' k'V i; k t ukFk l?kfVr vunku	le fo' ofo ky ; k dk l?kfVr vunku	fnYyh d egkfo ky ; k dk l?kfVr vunku	ch-, p-; - egkfo ky ; k dk l?kfVr vunku	dUnh; fo' ofo ky ; k dk l?kfVr vunku	dy Wkkx 1 l; 9%
	1	4	5	6	7	8 (i)	8(ii)	9	10
fo' ofo ky ;									
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		275-82						346017-22	346293.04
सम विश्वविद्यालय					24792.94				24792.94
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र		401.00	4387.22						4788.22
राज्य विश्वविद्यालय		843.20		13183.97					14027.17
mi & ; kx %	0.00	1520.02	4387.22	13183.97	24792.94	0.00	0.00	346017.22	389901.37
egkfo ky ;									
दिल्ली के महाविद्यालय						145814.00			145814.00
बी.एच.यू. महाविद्यालय							3148.66		3148.66
केन्द्रीय विश्वविद्यालय								6728.18	6728.18
राज्य महाविद्यालय		218.98							218.98
mi & ; kx %	0.00	218.98	0.00	0.00	0.00	145814.00	3148.66	6728.18	155909.82
; kx	0.00	1739.00	4387.22	13183.97	24792.94	145814.00	3148.66	352745.40	545811.9
%fo' ofo ky ; \$ egkfo ky ; %									
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	6998.58								6998.58
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय केन्द्र)	799.42								799.42
div & ; kx %	7798.00	1739.00	4387.22	13183.97	24792.94	145814.00	3148.66	352745.40	553609.19

Category	Value
प्रशासनिक प्रचार	7798
ईएमएमआरसी एवं सी. ई.सी.	1739
अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र	4387.22
विशिष्ट प्रयोजनार्थ संघटित अनुदान	13183.97
सम विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	24792.94
दिल्ली के महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	145814
बी.एच.यू. महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	3148.66
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	352745.4

1-5% t ½ o"ki 2014&2015 d nkjku fo'ofok y;k;k@egkfo|ky;k@vU; dk jkT;okj tkjh fd;k x;k vunku ;ktukxr rFkk xj&;ktukxr ½leku;½½½yk[k #i; e½

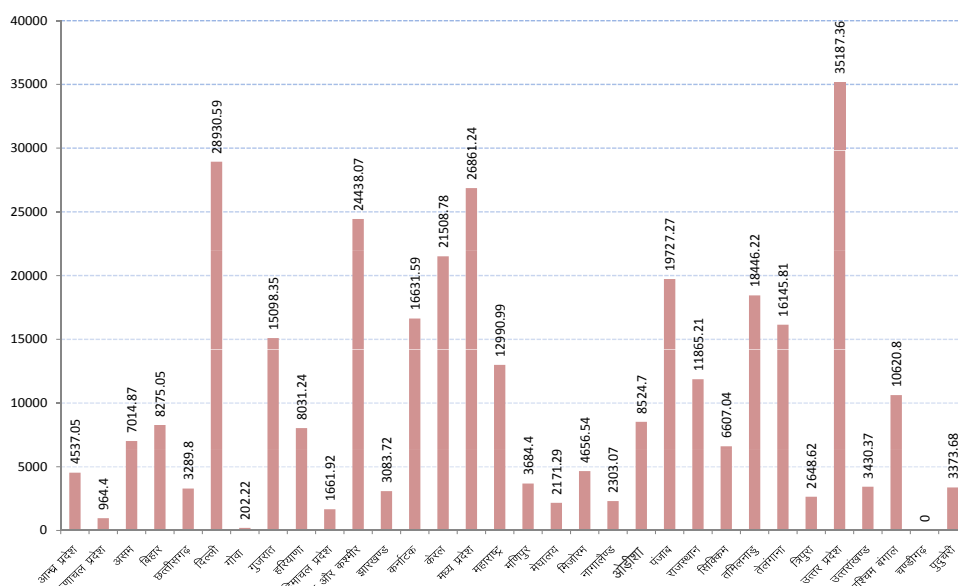
Ø- l- jkT;@l?k {k=	xj&;ktukxr#				;ktukxr##				;ktukxr \$xj&;ktukxr			
	fo'ofok y;k;	egkfo ky;	vU;	d y	fo'ofok y;k;	egkfo ky;	vU;	d y	fo'ofok y;k;	egkfo ky;	vU;	d y
1 आन्ध्र प्रदेश	1944.19			1944.19	3713.43	823.62		4537.05	5657.62	823.62	0.00	6481.24
2 अरुणाचल प्रदेश	3092.69			3092.69	948.00	16.40		964.40	4040.69	16.40	0.00	4057.09
3 असम	7872.05			7872.05	5735.45	1279.42		7014.87	13607.50	1279.42	0.00	14886.92
4 बिहार				0.00	7837.30	437.75		8275.05	7837.30	437.75	0.00	8275.05
5 छत्तीसगढ़	1716.56			1716.56	3119.83	169.97		3289.80	4836.39	169.97	0.00	5006.36
6 दिल्ली	86856.32	152542.18	2203.05	241601.55	24529.92	3579.68	820.99	28930.59	111386.24	156121.86	3024.04	270532.14
7 गोवा				0.00	179.58	22.64		202.22	179.58	22.64	0.00	202.22
8 गुजरात	3005.59		281.00	3286.59	6787.15	792.35	7518.85	15098.35	9792.74	792.35	7799.85	18384.94
9 हरियाणा				0.00	7262.27	768.97		8031.24	7262.27	768.97	0.00	8031.24
10 हिमाचल प्रदेश				0.00	1578.05	83.87		1661.92	1578.05	83.87	0.00	1661.92
11 जम्मू और कश्मीर	121.00			121.00	24426.55	11.52		24438.07	24547.55	11.52	0.00	24559.07
12 झारखण्ड				0.00	2850.09	233.63		3083.72	2850.09	233.63	0.00	3083.72
13 कर्नाटक	97.00		329.17	426.17	14866.78	1764.81		16631.59	14963.78	1764.81	329.17	17057.76
14 केरल	36.84			36.84	18985.89	2522.89		21508.78	19022.73	2522.89	0.00	21545.62
15 मध्य प्रदेश	8607.15		921.00	9528.15	23610.11	382.55	2868.58	26861.24	32217.26	382.55	3789.58	36389.39
16 महाराष्ट्र	6936.10		1054.00	7990.10	5926.41	5569.40	1495.18	12990.99	12862.51	5569.40	2549.18	20981.09
17 मणिपुर	6967.09			6967.09	3031.32	653.08		3684.40	9998.41	653.08	0.00	10651.49
18 मेघालय	14650.07			14650.07	2152.33	18.96		2171.29	16802.40	18.96	0.00	16821.36
19 मिजोरम	4506.38			4506.38	4651.93	4.61		4656.54	9158.31	4.61	0.00	9162.92
20 नागालैण्ड	6070.16			6070.16	2196.91	106.16		2303.07	8267.07	106.16	0.00	8373.23
21 ओड़ीशा				0.00	8253.07	271.63		8524.70	8253.07	271.63	0.00	8524.70
22 पंजाब				0.00	17464.40	2262.87		19727.27	17464.40	2262.87	0.00	19727.27
23 राजस्थान	67.50			67.50	11493.95	371.26		11865.21	11561.45	371.26	0.00	11932.71
24 सिक्किम				0.00	6607.04			6607.04	6607.04	0.00	0.00	6607.04
25 तमिलनाडु	7643.68			7643.68	16060.49	2385.73		18446.22	23704.17	2385.73	0.00	26089.90
26 तेलंगाना	24150.79			24150.79	15623.04	522.77		16145.81	39773.83	522.77	0.00	40296.60
27 त्रिपुरा	2819.80			2819.80	2648.62			2648.62	5468.42	0.00	0.00	5468.42
28 उत्तर प्रदेश	149105.45	3148.66		152254.11	33479.81	1707.55		35187.36	182585.26	4856.21	0.00	187441.47
29 उत्तराखण्ड	9677.43			9677.43	3430.37			3430.37	13107.80	0.00	0.00	13107.80
30 पश्चिम बंगाल	18557.49	218.98		18776.47	9591.71	1005.77	23.32	10620.80	28149.20	1224.75	23.32	29397.27
31 चण्डीगढ़	13183.97			13183.97				0.00	13183.97	0.00	0.00	13183.97
32 पुदुचेरी	7427.86			7427.86	3306.34	67.34		3373.68	10734.20	67.34	0.00	10801.54
d y	385113.16	155909.82	4788.22	545811.20	292348.14	27837.20	12726.92	332912.26	677461.30	183747.02	17515.14	878723.46

vU;* & vrf'ofok y;k; dUn

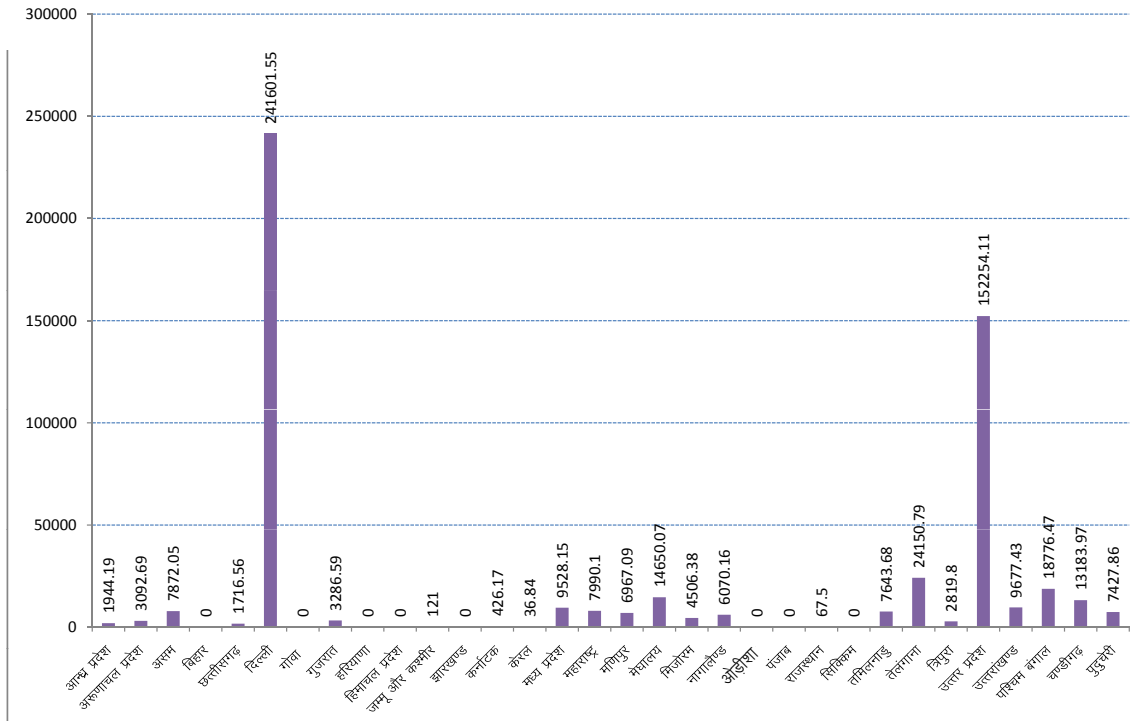
नोट# (i) गैर-योजनागत अनुदानों में प्रशासनिक प्रभार सम्मिलित नहीं हैं (मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय)

##(i) योजनागत अनुदानों में विविध/विश्वविद्यालयेतर केन्द्रों को जारी किया गया अनुदान, छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों को बैंकों के माध्यम से किया गया ऑनलाइन भुगतान, क्षेत्रीय केन्द्रों, स्थापना, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो को जारी अनुदान सम्मिलित नहीं हैं

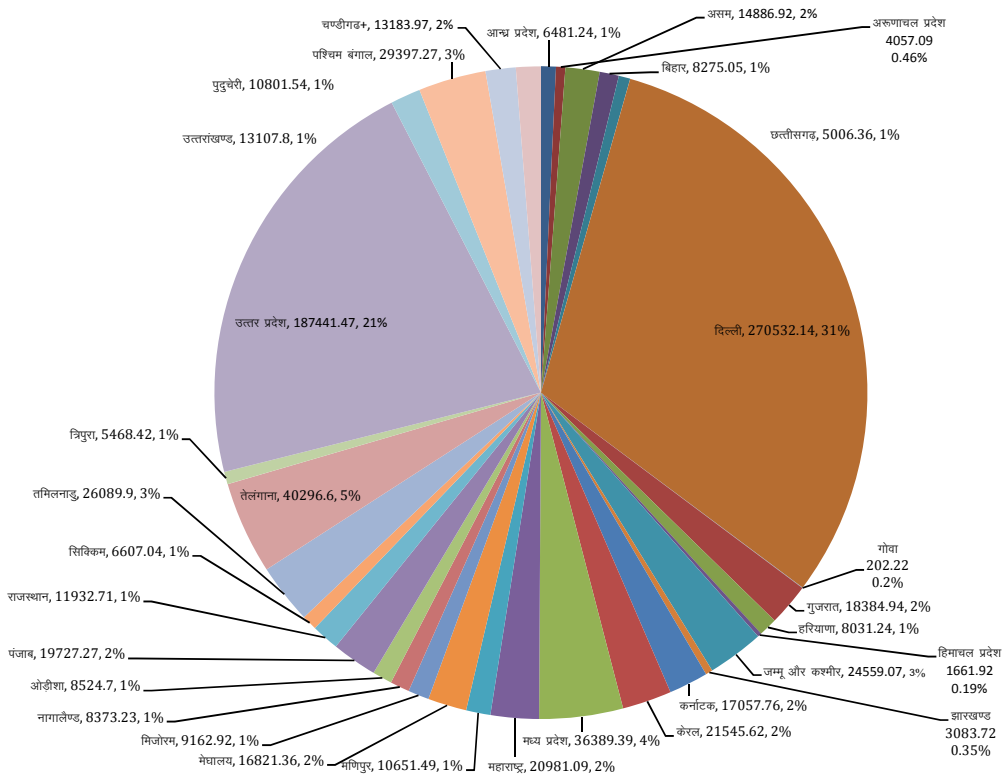
j[kkfp= 1-5% t ½ o"ki 2014&2015 d nkjku fo'ofok y;k;k@egkfo|ky;k@vU; dk jkT;okj tkjh fd;k x;k ;ktukxr vunku ½yk[k #i; e½



j:[kkfp= 1-5% t ½ % o"ki 2014&2015 d nkjku fo' ofo |ky;k@egkfo |ky;k@vU; dk jkT;okj tkjh fd;k x;k
xj&;ktukxr vunku %yk[k #i; e%



j:[kkfp= 1-5% t ½ % o"ki 2014&2015 d nkjku fo' ofo |ky;k@egkfo |ky;k@vU; dk jkT;okj tkjh fd;k x;k
;ktukxr \$ xj&;ktukxr vunku



वर्ष 2014–15 के लिए सामान्य योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदानों के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-II तथा III में दिया गया है।

1.6 केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के लिए एक समान स्टॉफ पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्देश्य एक इन संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों (क,ख और ग समूह) के लिए समान सेवा शर्तों के समग्र ढाँचे की सिफारिश करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विचार करने तथा अनुमोदित करने के पश्चात तीन चरणों में जेसीआरसी की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत की:-

1. ग्रथांलय सेवा संवर्ग पर रिपोर्ट को दिनांक 18 जनवरी, 2008 के पत्रांक संख्या एफ 23-1/2005(जेसीआरसी) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
2. 15 चिह्नित सेवाओं/संवर्ग ढांचों अर्थात् (i) प्रशासन/लिपिकवर्गीय सेवाएँ (ii) सचिवालय से जुड़ी सेवाएँ (iii) अतिथिशाला/होटल/जलपान गृह सेवाएँ (iv) परिवहन सेवाएँ (v) स्कूल अध्यापक (vi) सुरक्षा सेवाएँ (vii) स्वच्छता संबंधी सेवाएँ (viii) राजभाषा प्रकोष्ठ (ix) फोटोग्राफ/छायाप्रति संबंधी सेवाएँ (x) संगीत सेवाएँ (xi) खेलकूद/खेल सेवाएँ (xii) उद्यान/बागवानी सेवाएँ (xiii) कृषि/पशु चिकित्सा सेवाएँ (xiv) धार्मिक सेवाएँ (xv) शोध/सांख्यिकीय सेवाएँ संबंधी रिपोर्ट को दिनांक 12 जून, 2009 को पत्रांक सं. एफ. 6-7/97 (सीयू/जेसीआरसी) के माध्यम से भेज दिया गया है।
3. 08 चिह्नित सेवाओं/संवर्ग ढांचों अर्थात् (i) प्रेस एवं प्रकाशन सेवाएँ (ii) संग्रहालय एवं अभिलेखागार सेवाएँ (iii) तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाएँ (iv) अभियांत्रिकी सेवाएँ (v) कार्यशाला सेवाएँ (vi) विश्वविद्यालय विज्ञान एवं यंत्र केन्द्र (vii) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएँ (viii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सेवा के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 23.09.2010 के पत्र संख्या एफ. 6-7/97 (जे.सी.आर.सी.) के माध्यम मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी गयी है।

ekuo l1kèku fodkl e=ky; u fnukd 07-05-2014 d i= d ekè;e l t1hvkj1h dh dN f1Qkfj'kk dk vuekfnr fd;k g ftUg lHkh dUnh; fo'ofu|ky;k@fo'ofu|ky; vunku vk;kx }kjk vuiffkr le fo'ofu|ky;k dk fnukd 01-10-2014 d i= d ekè;e l lEif'kr dj fn;k x;kA nlj igy ftud lceè ei dkb f1Qkfj'k ugh dh xb mud fy, ekuo l1kèku fodkl e=ky; dh lgefr iklr dju dk i;k1 fd;k tk jgk gA

dUn }kjk foYkikf'kr lLFkvvk ei , -lh-ih-@,e-, -lh-ih- ;ktuk dk dk;kUo;u

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में ए.सी.पी. योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थायी समिति का गठन किया है। यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों द्वारा विगत में अपने शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृंदों के विचार किये गये अलग-अलग मामलों के संबंध में ए.सी.पी. योजना के संबंध में स्थायी समिति के प्रेक्षकों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर स्वयं एसीपी योजना को लागू कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली स्थित महाविद्यालयों को अपने शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृंदों को एमएसीपी प्रदान करने के लिये दिनांक 09.07.2010 के पत्र के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के संबंध में ए.सी.पी. /एम.ए.सी.पी. के कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगने वाले अनेक प्रश्नों का जेसीआरसी द्वारा दैनिक आधार पर समाधान किया जा रहा है।

NB dUnh; oru vk;kx dh f1Qkfj'kk dk dk;kUo;u

अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित सांविधिक निकायों में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 के अ.शा. पत्र संख्या 2-1/2008-यू.आई.(ए) के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 03 दिसम्बर, 2009 को पत्र संख्या एफ0 20-1/2008 (जेसीआरसी) के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा। यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। इस दौरान, जेसीआरसी अनुभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के संबंध में छठे वेतन आयोग में कार्यान्वयन से जुड़े प्रश्नों का समाधान कर रहा है तथा अनुमोदन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से मामले को उठा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों को वेतन बैंड-2 में 4800/- रुपए का ग्रेड वेतन प्रदान करने के मामले पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

1.7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने योजना के तहत प्रत्यायन समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर एनएएसी से 'ए' ग्रेड का पुनर्प्रत्यायन प्राप्त करने वाले उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)/उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीई) के तहत महाविद्यालयों को जारी रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया तथा उसकी अभिपुष्टि की।
- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से आयोग की वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी) को संसद के समक्ष रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया तथा उसकी अभिपुष्टि की।
- आयोग ने गैर-योजनागत व्यय के तहत गैर-वेतन व्यय में कमी की भरपाई हेतु वर्ष 2013-14 की आंतरिक प्राप्तियों के भाग का उपयोग करने के संबंध में 8 सम विश्वविद्यालयों के मामले को अनुमोदित किया।
- आयोग ने वर्ष 2014 के लिये अमेरिका में पोस्ट-डॉक्टोरल शोध हेतु 300 रमन अध्येतावृत्तियों को अवार्ड किये जाने पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने वर्ष 2013-14 के लिये वि०अ०आ०-यूकेआईआईआरआई (यू०के० इंडिया एजुकेशन एण्ड रिसर्च इनीशियेटिव) विषय संबंधी भागीदारी हेतु अनुदानों के अवार्ड पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद (आईएनजेडईसी) के तहत संयुक्त शोध परियोजना, 2014 के अवार्ड पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने 'परियोजना-आधारित कार्मिक आदान-प्रदान' कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण किये जाने पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने दक्षिण एशिया संस्थान हेडलबर्ग का दौरा करने के लिये वित्तपोषण किये जाने पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने "वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम" के तहत वित्तपोषण किये जाने पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत तथा नारवीयन सेंटर फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन (एसआईयू) के बीच दिनांक 14 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में शैक्षिक सहयोग हेतु हस्ताक्षर किये गये करार पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने पिछले अनेक वर्षों से लंबित लेखापरीक्षा पैरा पर ध्यान दिया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिवालय को इन लंबित पैराओं का तत्काल उत्तर भेजने का अनुदेश दिया।
- आयोग ने यह निर्णय लिया कि सम विश्वविद्यालय संस्थान जिन्हें 25 अथवा इससे अधिक समय से यह दर्जा प्रदान किया गया है तथा जिनके पास वैध एनएएसी ग्रेड-'क' प्रत्यायन है और जिन्हें टण्डन समिति द्वारा भी 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम विश्वविद्यालय संस्थान विनियम, 2010 के खण्ड 5.2 के उपबंधों में छूट प्रदान की जानी चाहिए जिसके माध्यम से ऐसे संस्थानों की प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी को प्रायोजक सोसाइटी/न्यास/कंपनी का अध्यक्ष/न्यासी/प्रोमोटर अथवा उसके निकट संबंधी को इसका कुलाधिपति भी नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति एक सुविख्यात शिक्षाविद अथवा एक जानी मानी हस्ती हो। मौजूदा विनियमों में तदनुसार संशोधन किया जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों हेतु आंतरिक प्राप्तियों के माध्यम से 'आरक्षित निधि' के सृजन तथा प्रबंधन हेतु योजना को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को मानदण्ड आधारित वित्तपोषण करने के लिये दिशानिर्देश तैयार करने तथा उन्हें आरयूएसए के तहत मानदण्ड के अनुरूप ढालने के लिये आयोग के दो सदस्यों, केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालयों से प्रतिनिधियों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक प्रतिनिधि की समिति बनाई जाए।

आयोग ने श्रेणी-'ग' के 44 सम विश्वविद्यालय संस्थानों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21 जनवरी, 2014 तथा मध्यस्थ के दिनांक 5 मई, 2014 के निर्देशों पर विचार किया तथा निम्नानुसार संकल्प लिया कि चूंकि मंत्रालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2014 है, इसलिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर श्रेणी-ग के 41 सम विश्वविद्यालय संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिये एक उप-समिति का गठन किया जाये जिसमें निम्नवत सदस्यगण होंगे:

- | | |
|--|-----------|
| 1. प्रो० देवराज, उपाध्यक्ष, वि.अ.आ. | — अध्यक्ष |
| 2. प्रो० संजय ढाण्डे, सदस्यगण, वि०अ०आ० | — सदस्य |

3. प्रो० वी०एस० चौहान, सदस्यगण, वि०अ०आ० — सदस्य
4. श्रीमती अमिता शर्मा, अपर सचिव — सदस्य
(मा०स०वि०मं० की नामिति के रूप में)

- आयोग ने यह संकल्प पारित किया कि यह सभी सम विश्वविद्यालय अपने संस्थान का एक वीडियो प्रस्तुतिकरण करने के लिए उप-समिति के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रश्नों के उत्तर देंगे। आयोग ने आगे यह संकल्प पारित किया कि प्रत्येक सम विश्वविद्यालय के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करने के पश्चात्, उप-समिति की कार्यवाहियां विधिवत् रूप से कार्यान्वयन योग्य होनी चाहिए तथा प्रत्येक सम विश्वविद्यालय के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को विधिवत् से दर्ज किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी संकल्प पारित किया कि उप-समिति की कार्यवाहियों का वीडियो तैयार किया जाना चाहिए। डॉ० एम०एम० अंसारी तथा डॉ० डी०एन० रेड्डी, आयोग के सदस्यगणों ने संकल्प पर अपनी असहमति दर्ज कराई।
- आयोग ने संस्थानों को प्रोत्साहन निधियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के अलावा रिपोर्ट के साथ-साथ शोध में सत्यनिष्ठा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में साहित्य की चोरी की रोकथाम संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि इस विषय पर वि०अ०आ० विनियम तत्काल तैयार किये जाने की आवश्यकता है। इस विषय पर एक उपर्युक्त मसौदा विनियम तैयार करने के लिए प्रो० संजय ढांडे की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- आयोग ने निर्णय लिया कि तकनीकी शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूद विनियमों को उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के आने पर आस्थगित रखा जाये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(घ) के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय को एफवाईयूपी को जारी रखने हेतु समीक्षा करने/पुनर्विचार करने हेतु परामर्श देने का संकल्प पारित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के लिए दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान (भाषाओं सहित) में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय पुनर्पोषण कार्यक्रम के तहत 300 संकाय के पदों का सृजन करने को अनुमोदन प्रदान किया तथा यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संकाय पुनर्पोषण कार्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने के लिये एक प्रस्ताव भी तैयार किया जाये।
- आयोग ने एनएएसी मुख्यालयों को सुदृढ़ करने के लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 25 पदों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) के निष्पादन की समीक्षा करने के लिये समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया तथा कार्यान्वयन निगरानी समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना को इस टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया कि माता-पिता की आय की सीमा को प्रस्तावित 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम करके 4.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाये। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि योजना को शिक्षा वर्ष 2014-15 से आरंभ किया जाये।
- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के 33 नये मामलों तथा दर्जा बढ़ाने के 12 मामलों में दिनांक 03.06.2014 को आयोजित स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थायी समिति की 7वीं बैठक की सिफारिशों को अनुमोदित किया तथा स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान करने हेतु विचार किया।
- आयोग ने महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में संस्वीकृति आदेश पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया तथा इसका उल्लेख किया कि जीएफआर में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर इसका उपयोग किया जाना चाहिये। इसके अलावा, अनुदान जारी करने से पूर्व शर्तों का भी संस्वीकृति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए ताकि जिस समय के भीतर निधियों को उपयोग किया जाना है उसका महाविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाए तथा इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय से निधियां जारी की जानी चाहिए ताकि महाविद्यालयों के पास अनुदान को जारी किये जाने के वित्तीय वर्ष के भीतर उनके उपयोग हेतु पर्याप्त समय हो।
- आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी परियोजनाओं हेतु किये गये आवंटन में से संस्थानों को अव्ययित राशि को बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परियोजनाएं पूर्ण करने हेतु उपयोग करने की अनुमति प्रदान की।

- आयोग ने इस टिप्पणी के साथ अधिसूचना को अनुमोदित किया कि स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के उपबंधों को स्नातकोत्तर कार्यक्रमों पर भी लागू किया जाये तथा इन स्तरों पर किसी भी प्रजाति से किसी भी पशु का किसी भी प्रयोजनार्थ किसी शिक्षक अथवा छात्र द्वारा विच्छेदन नहीं किया जाए।
- आयोग ने अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिये विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों (सीपीईपीए) हेतु दिशानिर्देशों में संशोधनों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये हिन्दी विभाग की स्थापना हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किये गये बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने नेट परीक्षा को आयोजित करने के कार्य को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आउटसोर्स किये जाने के मामले पर विचार कर अनुमोदित किया साथ ही नेट आयोजन पूर्व तथा आयोजन पश्चात् सभी मामलों पर सीबीएसई से समन्वय करने के लिए एक समिति का गठन करने का संकल्प पारित किया। तथापि, समिति की सिफारिशों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया जाए।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को विशेष विरासत वाले विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी योजना हेतु दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने इस टिप्पणी के साथ कि “ज्ञानवर्धन तथा क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र” (आरसीकेईसीबी) का नाम बदलकर “क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीसीबी) किये जाने के साथ “ज्ञानवर्धन तथा क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र” (आरसीकेईसीबी) तथा “मानव संसाधन विकास केन्द्र” (एचआरडीसी) हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया तथा यह संकल्प पारित किया कि पुनश्चर्या/अभिविन्यास कार्यक्रमों में भागीदारों की संख्या कम से कम 30 (तीस) होनी चाहिये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं में “ट्रांसजेन्डर” को “तीसरे लिंग” के रूप में सम्मिलित किये जाने के मामले पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने “ग” श्रेणी के 41 सम-विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कार्य आरंभ करने हेतु गठित उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया तथा संकल्प पारित किया कि उप-समिति की रिपोर्ट को वि०अ०आ० के उपाध्यक्ष द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेजा जाये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत तथा विदेशी शिक्षा संस्थानों के बीच शिक्षा संबंधी सहयोग को बढ़ावा देने तथा मानकों के रखरखाव) विनियम, 2012 में आशोधनों पर विचार किया तथा विधिवत विचार-विमर्श के पश्चात् विनियम के खण्ड 5(ग) में एक लघु आशोधन के अलावा, प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदन प्रदान करने का संकल्प पारित किया, जो निम्नवत पठित है: *“सभी दृष्टिकोण से पूर्ण आवेदन को आयोग के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जायेगा। अनुमोदित किये जाने पर, आयोग दो माह के भीतर अपने अनुमोदन की जानकारी प्रदान करेगा।”*
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 के मसौदे पर विचार कर उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के नियम 12 (ख) तथा आवेदन संरूपों में आशोधनों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने केन्द्रीय, सम विश्वविद्यालय संस्थानों तथा राज्य विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास सहायता (जीडीए) के लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्राचार में उल्लिखित विचारों/बिंदुओं के संबंध में नई योजनाओं को तैयार करने/मौजूदा योजनाओं को विस्तार देने/सुदृढ़ करने की व्यवहार्यता के संबंध में विचार किया तथा कार्यवाही आरंभ करने का संकल्प पारित किया।
- आयोग ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के तहत अनुमोदन हेतु लंबित नये प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय पहल के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान विश्वविद्यालय में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी हेतु केन्द्र स्थापित करने के संबंध में दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।

- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठों संबंधी दिशानिर्देशों के तहत गोवा विश्वविद्यालय में डास्पोरा अध्यक्षपीठ की स्थापना को सम्मिलित किये जाने के मामले पर विचार कर उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया और यह निर्णय लिया कि इसे पीएचडी कार्यक्रम जारी रखने हेतु प्रदत्त किए जाने वाली अन्य अध्येतावृत्तियों के समरूप ही माना जाये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन के मामलों की भांति ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध वैज्ञानिकों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन सीधे ही वित्त प्रभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भुगतान किये जाने हेतु विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठों के संबंध में दिशानिर्देशों में अध्यक्षपीठ के आचार्य को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक के मामले में संशोधन पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने 'भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों के विकास' तथा 'उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण' संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत' हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली का अगरतल्ला (त्रिपुरा) में ऑफ-कैम्पस केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिये गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार कर उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा स्थापित 'उच्चतर शिक्षा में नीतिगत शोध हेतु केन्द्र' के लिए अपेक्षित निधियों की जांच करने के लिये गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा विधिवत् रूप से विचार-विमर्श करने के उपरांत वार्षिक रूप से केन्द्र की प्रगति की समीक्षा करने तथा आयोग द्वारा इसे समय-समय पर भेजे जाने वाली परियोजना को प्राथमिकता पर आरंभ किये जाने की शर्त के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने उप-समिति की टिप्पणियों पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च), 12 (ख) के तहत संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने तथा अधिनियम की धारा 13 के तहत अनुपालन के संबंध में उनकी सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने विधिवत् रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को अनुमोदन प्रदान किया। इसके अलावा, आयोग ने यह संकल्प लिया कि इन दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय को अंगीकार करने/अपनाने के लिये कहे जाने से पूर्व श्री पंतजलि (पातु) जी. केशवानी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यगण की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा इनकी पुनरीक्षा की जाये।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठ हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों में श्री लक्ष्मीनाथ बेजबाराओं तथा श्री अरविन्दों के नाम पर एक अध्यक्षपीठ को सम्मिलित किये जाने पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- अधिकांश सदस्यगणों से प्राप्त सहमति के आधार पर आयोग ने 56 करोड़ (अनावर्ती) तथा 8.32 करोड़ रुपए (आवर्ती) प्रति वर्ष की बजटीय आवश्यकता के साथ वाराणसी में आईयूसी-टीई की स्थापना को अनुमति प्रदान की। सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सरकार के संगत अधिनियम जिसके क्षेत्राधिकार के तहत संस्थान अवस्थित है, में संगम ज्ञापन को भी अनुमोदित किया गया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के तृतीय संशोधन, 2014 के मसौदा संशोधन पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया साथ ही यह भी संकल्प पारित किया कि चूंकि राघवन समिति अनेक वर्षों से कार्यरत हैं, इसलिये उसे समग्रता से इस मुद्दे पर विचार करने तथा आगे का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया जाये।
- आयोग ने वेतनेतर व्यय (गैर-योजनागत) के तहत कमी को दूर करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वेतनेतर घटकों के तहत उपर्युक्त आवंटन किये जाने तक गैर-योजनागत अनुदान के तहत वेतनेतर घटक में कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास मौजूद आंतरिक प्राप्तियों को बनाये रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया तथा

यह संकल्प भी लिया कि आंतरिक प्राप्तियों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) से लेखापरीक्षा भी करवाई जाये।

- आयोग ने शिक्षा सत्र 2015-16 के लिये मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थानों की मान्यता को जारी रखने के लिये यथावत स्थिति बनाये रखने की रणनीति पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने एनएएसी प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान जारी करने के लिए 31 दिसम्बर, 2015 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने कुलपति के चयन हेतु सम विश्वविद्यालयों में चयन-सह-खोज समिति की संरचना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 की खण्ड 7.3.0 में संशोधन पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने दिनांक 17.11.2014 को "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों" (यूपीई) संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा उसे अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने "भारत के युगपरिवर्तक सामाजिक चिंतकों" योजना संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने स्वदेशी भाषाओं के विकास के लिये एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा के साथ किये गये सहयोग पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया और यह संकल्प पारित किया कि केवल एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा को ही वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
- आयोग ने कौशल तथा ज्ञान अर्जन हेतु ज्ञान उन्नयन केन्द्रों (कौशल) संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने सामुदायिक महाविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित कौशल में, पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, मूल्यांकन मानदण्ड तथा क्रेडिट प्रणाली पर विचार किया तथा दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने मुंबई विश्वविद्यालय हेतु नेनो-विज्ञान, कोलकाता विश्वविद्यालय हेतु नेनो प्रौद्योगिकी/जैव-चिकित्सा तथा मद्रास विश्वविद्यालय हेतु नेनो-प्रौद्योगिकी केन्द्रों, जिनमें से प्रत्येक को स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया, एक वर्ष का समय विस्तार देने पर विचार किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2012 के खण्ड 6.2(3) से "वरिष्ठतम डीन अथवा यदि कोई डीन न हो तो" वाक्य का लोप करने संबंधी संशोधन पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- संशोधनों को सम्मिलित किये जाने के पश्चात्, विनियम की खण्ड 6.2(3) निम्नवत पठित होगी:

"यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्यथा कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाए अथवा रुग्णता अथवा किसी अन्य कारण से उसकी अनुपस्थिति के मामले में सम-कुलपति तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम आचार्य नये कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा मौजूदा कुलपति के कार्यभार संभालने तक, जैसा भी मामला हो, कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।"

- आयोग ने दिनांक 5 जुलाई, 2014 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना में प्रथम संशोधन के रूप में अधिसूचित की जाने वाली उपाधियों की विनिर्दिष्टताओं संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन करने वाले 7 सम विश्वविद्यालय संस्थानों का वास्तविक निरीक्षण करने के लिये गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विचार किया तथा जांच की। आयोग ने समिति द्वारा निरीक्षण किये गये सम विश्वविद्यालय संस्थानों में अनेक कमियां पाईं। आयोग ने मा.स.वि.मं. के संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा) की टिप्पणियों को भी नोट किया। आयोग ने यह भी नोट किया कि अनेक वर्ष बीत जाने पर भी इन संस्थानों ने अपनी कमियों को ठीक नहीं किया है। आयोग ने विधिवत् रूप से विचार-विमर्श करने यह संकल्प पारित किया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि बड़ी कमियों का पता लगाया जा सके जिसे तत्पश्चात् मा.स.वि.मं., सात सम विश्वविद्यालय संस्थानों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को सम्प्रेषित किया जायेगा।

विस्तार से विचार-विमर्श करने क उपरांत, आयोग ने अधिकतम एक वर्ष के भीतर कमियों को दूर करने का एक अंतिम अवसर प्रदान करने तथा अनुपालन रिपोर्ट को वि.अ.आ. में जमा कराने का निर्णय लिया, ऐसा नहीं किये जाने पर सम विश्वविद्यालय दर्जे को वापस लेने के संबंध में मा.सं.वि.मं. को सिफारिश भेजी जायेगी।

- आयोग ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय और माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करने को अनुमोदित किया।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराया जाना) विनियम, 2015 पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने पर्यटन/अध्ययन दौरों के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने एनएएसी के संवर्ग भर्ती नियम पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने स्नातकोत्तर विषयों पर ई-विषयवस्तु पाठ्य सामग्री को तैयार करने के लिये गठित स्थायी समिति की सिफारिशों पर इम्प्लिबनेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र) को 20 करोड़ रुपये अंतरित करने तथा जारी करने पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने सम विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की संभाव्यता का दर्जा प्रदान संबंधी मानदण्डों तथा दिशानिर्देशों पर निर्णय लेने के लिये एक उप-समिति का गठन करने पर विचार किया, अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्णय लिया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्राओं के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उनके यौन उत्पीड़न का निवारण तथा प्रतिषेध और शिकायतों का निपटान करने) संबंधी विनियम, 2015 पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में संबद्ध संकाय को पेनलबद्ध करने संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय, राज्य तथा सम विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु अनुदान जारी करने के लिए सहायता के संशोधित पैटर्न पर विचार किया तथा प्रथम किस्त में 40 प्रतिशत तत्पश्चात् दूसरी किस्त में 40 प्रतिशत तथा अंतिम किस्त में 20 प्रतिशत राशि जारी करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने पूर्व में अनुदान जारी करने में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया तथा ईएमएमआरसी तथा एनआईएसडब्ल्यूएसएस, राष्ट्रीय समाज कार्य तथा सामाजिक विज्ञान संस्थान (एनआईएसडब्ल्यूएसएस) को स्थापित किये जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिनांक 11.03.2013 को आयोजित बैठक में लिये गये पूर्व के निर्णय को दोहराया जिसमें आयोग ने संकल्प पारित किया कि:

“कि एनआईएसडब्ल्यूएसएस को पहले ही जारी किये गये अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने को कहा जाए तथा एनआईएसडब्ल्यूएसएस को भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाए।” इसके अतिरिक्त आयोग ने दो जांच समितियों का भी संज्ञान लिया जिन्हें दो संस्थानों में अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित किया गया था, जिनमें से एक के अध्यक्ष श्री एस0 सत्यम, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, भारत सरकार, जिसका गठन वि.अ.आ. द्वारा अगस्त, 2012 में किया गया था तथा दूसरी समिति के अध्यक्ष श्री एम. गोपालकृष्णन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) थे जिसे मा.स.वि.मं. ने नवम्बर, 2013 में संस्थान द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित किया था।

उपर्युक्त के संबंध में, आयोग ने निर्णय लिया कि एनआईएसडब्ल्यूएसएस में ईएमएमआरसी को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए तथा इस प्रकार से अर्जित की गई परिसम्पत्तियों को ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए।

रिपोर्ट तथा सुझाव

- प्रो0 संजय ढाण्डे ने वि.अ.आ. अध्यक्ष से अनुरोध किया कि आयोग को उच्चतर शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों के बारे में चर्चा करनी चाहिए; आयोग के सदस्य आयोग की बैठकों के दौरान चर्चा हेतु कार्यसूची का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आयोग के सदस्य भी कार्यसूची की मदों का प्रस्ताव करते हैं तथा उनपर भी चर्चा की जाती है। चर्चा उपरांत इस बात पर सहमति बनी कि अगली बैठक में आयोग उपाय खोजने के साथ-साथ एक दीर्घकालीन कार्य योजना (501वीं बैठक) सहित महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर चर्चा करेगा।
- श्रीमती अंजली चिब दुग्गल ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक प्राप्तियों के उपयोग तथा आरक्षित निधियों के सृजन के संबंध में आशोधनों का सुझाव दिया, इनमें निम्नवत शामिल हैं:
 - (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे व्यय की मदों की सूची तैयार करेगा जिनकी पूर्ति गैर-योजनागत तथा वेतनेतर निधियों से की जायेगी।
 - (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे स्रोतों के सूची तैयार करेगा जिनसे आंतरिक प्राप्तियों का सृजन किया जा सकता है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 30 जुलाई, 2014 के आदेश के माध्यम से डॉ. हरि गौतम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समीक्षा समिति का गठन किया था। अध्यक्ष ने

जानकारी दी कि समिति की दिनांक 05 तथा 06 सितम्बर, 2014 को बैठकें आयोजित हुई थी जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने विगत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा कृत्यों और आरंभ की गई बड़ी पहल पर प्रस्तुतिकरण दिया।

- केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा राज्य शिक्षा सचिवों की 'अध्यापक शिक्षा में सुधार' के संबंध में 15 सितम्बर, 2014 को एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रातःकालीन सत्र की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति इरानी द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री महोदय को परामर्शदात्री समिति में कार्यसूची जिस पर चर्चा की गई तथा उसके निष्कर्ष के संबंध में जानकारी दी।
- मा.स.वि.मं. तथा वि.अ.आ. ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को विज्ञान भवन में संयुक्त रूप से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक का आयोजन किया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस बैठक का उद्देश्य फरवरी, 2015 में विजिटर द्वारा की जाने वाली समीक्षा बैठक की आवश्यक तैयारियां करना था। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आगामी सत्र से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली अपनाने का परामर्श दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में आरंभ की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान-अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियम शामिल हैं।

शिक्षा क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र हालात का जायजा लेने के लिये डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का एक कोर दल, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में शामिल थे, जिसमें डॉटा कैचर फॉर्मेट (डीसीएफ), कार्यशालाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सॉफ्टवेयर विकास करने में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर की सहायता करना (एनआईसी) आदि। सर्वेक्षण कार्य का समन्वय करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिये नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डाटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। वि.अ.आ. के सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014-15 से सीधे विश्वविद्यालय से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है तथा अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल <http://aishe.gov.in> के माध्यम से आंकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य किया जा रहा है इससे यह प्रक्रिया कागज़रहित हो गई है।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्चतर शिक्षा पद्धति में 2.1 लाख छात्र थे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में 40 गुना वृद्धि हुई है, उपाधियां प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या में 82 गुना वृद्धि हुई है और उच्चतर शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्रों की भर्ती 127 गुना बढ़ी है। विश्वविद्यालयों अथवा विशेष रूप से महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विकास के बिना छात्र नामांकन और पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी वृद्धि कभी सम्भव नहीं हो पाती। संस्थानों तथा नामांकन में वृद्धि यह दर्शाती है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (2017) तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के निर्धारित 30 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

2.1 संस्थान

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (31.03.2012) तक देश में 573 विश्वविद्यालय (43 केन्द्रीय, 129 राज्य, 397 सम विश्वविद्यालय तथा 4 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे) और 35,539 महाविद्यालय थे। वर्ष 2014-15 के दौरान 711 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध (46 केन्द्रीय, 128 समविश्वविद्यालय एवं 329 राज्य के प्रशासकीय विश्वविद्यालय एवं 205 राज्य निजी तथा 03 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे) (परिशिष्ट-1) और महाविद्यालयों की संख्या 40760 थी और इस प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में प्राप्त आंकड़ों की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष में विश्वविद्यालयों की संख्या में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा महाविद्यालयों की संख्या में 14.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिपोर्टधीन वर्ष 2014-2015 के दौरान, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 30 राज्य निजी विश्वविद्यालयों तथा 18 राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया और 6 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया। राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य निजी विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों तथा राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों के संबंध में जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- (i) महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2015) में सम्मिलित किया गया था।
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किये गये राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक)

Ø- l-	fu t h fo'of o ky ; dk uke	v f e k l p u k d h f r f f k	fo-v-vk- l p h e l f f e f y r f d ; t k u d h f r f f k
	v l e j k T ;		
1.	असम वीमेन्स युनिवर्सिटी, जोरहाट-785004, असम	21.08.2013	03.12.2014
	x t j k r j k T ;		
2.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़-362001, गुजरात	06.03.2004	22.05.2014
3.	कामधेनू विश्वविद्यालय, "कृषि भवन", सेक्टर- 10ए, ब्लॉक-बी, पोडियम लेवल, गांधीनगर, गुजरात	07.07.2009	30.07.2014
	g f j ; k . k k j k T ;		
4.	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी-127021, हरियाणा	06.08.2014	05.11.2014
5.	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द, हरियाणा	07.08.2014	26.09.2014
6.	स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एण्ड विजुअल आर्ट्स, इंटीग्रेटेड कैम्पस, सेक्टर-6, रोहतक, हरियाणा	05.08.2014	17.02.2015
	e e ; i n ' k j k T ;		
7.	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, एनएससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर, बेडाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	30.07.2011	05.08.2014
	j k t L F k k u j k T ;		
8.	शेखावत विश्वविद्यालय, श्रीकल्याण शासकीय महाविद्यालय की पीछे, सीकर-332001, राजस्थान	17.10.2012	23.04.2014
9.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 89, सॉयल हाऊस, खवासजीकाबाग, दुर्गापुर, टोंक रोड, जयपुर-302018, राजस्थान	17.10.2012	21.05.2014
10.	महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, एम0एस0जे0 महाविद्यालय भवन, भारतपुर-321001 (राजस्थान)(राज्य विश्वविद्यालय)	17.10.2012	20.01.2015
	r f e y u k M j k T ;		
11.	तमिलनाडु संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ0 डी0जी0एस0 दिनाकरनसलाई, चेन्नई-600028	14.11.2013	07.05.2014
	r y x k u k j k T ;		
12.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082 को राज्य विधान मंडल द्वारा स्थापित संस्थानों की सूची से हटाकर दिनांक 10.11.2014 को राज्य विश्वविद्यालयों की सूची में जोड़ दिया गया।		17.12.2014
13.	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030, तेलंगाना	03.09.2014	24.03.2015
	m ū k j i n ' k j k T ;		
14.	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273010, उत्तर प्रदेश	30.09.2013	13.08.2014
15.	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	06.10.2001	03.12.2014
	m ū k j k [k . M j k T ;		
16.	हेमवती नन्दन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा विहार, रोडवेज कार्यशाला के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड	18.02.2014	29.04.2014
17.	उत्तराखण्ड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	28.04.2011	02.06.2014
	i f ' p e c x k y j k T ;		
18.	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानन्द रोड, कूच बिहार-736101, पश्चिम बंगाल	16.08.2012	30.03.2015

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में शामिल किए गए निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक)

Ø- l-	fu t h fo'of o ky ; dk uke	v f e k l p u k d h f r f f k	fo-v-vk- l p h e l f f e f y r f d ; t k u d h f r f f k
	v : . k k p y i n ' k j k T ;		
01-	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला- पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश-791109	21.10.2014	12.11.2014
02-	नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर टेक्नीकल युनिवर्सिटी, सिबु-पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश-791001	03.09.2014	01.10.2014
	v l e j k T ;		
03	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्प्लेक्स, हालाधर भुयान पथ, कालोंगपार, नागांव-782001, असम	14.08.2013	17.12.2014
	N ū k h l x < j k T ;		
04-	एमिटी युनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसील-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	22.10.2014
05-	ओ.पी. जिन्दल युनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरोन्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़-496001, छत्तीसगढ़	21.08.2014	17.12.2014

Ø- l-	fu t h fo'of o ky ; dk uke	vfèk l puk dh frfèk	fo-v-vk- l ph e l ffefyr fd ; t ku dh frfèk
	x t jkr jkT;		
06-	टीम लीज रिकल युनिवर्सिटी, तारसाली –वडोदरा रोड, तारसाली बाईपास, वडोदरा–390009, गुजरात	22.04.2013	22.05.2014
07-	आईटीएम–वोकेशनल युनिवर्सिटी, प्लॉट नम्बर 6512, अजवानिमेता रोड, रावालतालुका, वागोडिया, वडोदरा, गुजरात	08.05.2014	29.05.2014
	gfj ; k.kk jkT;		
08-	अल–फलाह युनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	16.05.2014
09-	बीएमएल मुंजाल युनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा0रा0–8, सिधरावली, जिला– गुडगांव–123413, हरियाणा	02.05.2014	19.05.2014
10-	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली, रा0रा0क्षे0, सोनीपत, हरियाणा, (निजी विश्वविद्यालय)	02.05.2014	13.08.2014
	fgekpy in'k jkT;		
11-	अभिलाशी विश्वविद्यालय, चैलचौक (चाचहियोत) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	03.03.2015
	dukVd jkT;		
12.	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागल्ली ग्राम, हरोहल्लीहोबी, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	01.07.2014
13.	राय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, धोधाबाल्लापुर नीलमंगला रोड, एसएच–74, ऑफ हाईवे 207, धोधाबाल्लापुर तालुक, बंगलुरु–561204 (कर्नाटक)	17.09.2014	10.10.2014
	eè; in'k jkT;		
14.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा0रा0–12, होशंगाबाद रोड, जटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	30.01.2015
	egkj k"V jkT;		
15.	एमिटी युनिवर्सिटी, मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट–सोमाथने, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र–410206	25.07.2014	03.09.2014
	itkc jkT;		
16.	रयात बाहरा युनिवर्सिटी, ग्राम एवं डाकघर–साहूरान, तहसील–खरड़, जिला–मोहाली, पंजाब–140105	13.08.2014	26.09.2014
17.	जीएनए युनिवर्सिटी, ग्राम–श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला–144401, पंजाब	21.08.2014	30.01.2015
18.	संत बाबा भाग सिंह युनिवर्सिटी, ग्राम–खियाला, डाकघर–पदियाना, जिला जालंधर–144030, पंजाब (निजी विश्वविद्यालय)	12.02.2015	19.03.2015
	jk tLFkku jkT;		
19.	माधव विश्वविद्यालय, “माधव हिल्स” बनास पुल पथकर के सामने, रा0रा0–14, ग्राम–वाड़ा/भुजेला, पंचायत समिति–भारजा, तहसील–पिंडवाड़ा, आबु रोड, जिला सिरौही, राजस्थान–307026	04.03.2014	23.07.2014
20.	मौलाना आज़ाद युनिवर्सिटी, ग्राम– बुजावाड़, तहसील–लुनी, जोधपुर–342802, राजस्थान	16.09.2013	07.05.2014
21.	पेसेफिक मेडीकल युनिवर्सिटी, बिलोकाबेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	09.05.2014
22.	आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, 1, प्रभुदयालमार्ग, सांगानेर विमानाप्तन के निकट, जयपुर–302029, राजस्थान	26.02.2014	09.09.2014
	flfDde jkT;		
23.	श्री रामास्वामी मेमोरियल युनिवर्सिटी, पांचवां माईल, तदांग, रानीपूल पीओ, गंगटोक, सिक्किम–737102	16.01.2014	05.08.2014
	mùkj in'k jkT;		
24.	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधाना, कानपुर–209217, उत्तर प्रदेश	10.01.2014	07.04.2014
25.	महिर्षी युनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महिर्षी बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट धिबुरिया, लखनऊ–226020, उत्तर प्रदेश	24.09.2013	24.06.2014
26.	जेपी युनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर–203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	22.07.2014
	if'pe cxy jkT;		
27.	एडमस युनिवर्सिटी, बारासात, बाराकपोर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता–700126, पश्चिम बंगाल	11.04.2014	20.01.2015
28.	जेआईएस युनिवर्सिटी, अगरपारा, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	03.03.2015
29.	सीकॉम रिकल युनिवर्सिटी, ग्राम केन्द्राडांगा, डाकघर–सातोर, थाना–पानरुई, जिला–बीरभूम–731236, पश्चिम बंगाल	11.04.2014	06.02.2015
30.	युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट, युनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नम्बर III–बी/5, मेन आर्टिरियल रोड (पूर्व–पश्चिम), न्यू टॉरुन एक्शन एरिया–III, कोलकाता–700156, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	25.02.2015

o"k 2014&15 d nkjku fuEuor Ng fo'of o | ky ; k dk fo'of o | ky ; vunku vk ; kx vfèkfu ; e] 1956 dh èkkjk 12%[k d

रग्र दून्ह; ल्ग;रक इर द्जु ग्ग इक= ?कक"र फ्द;क ख;क फ्क

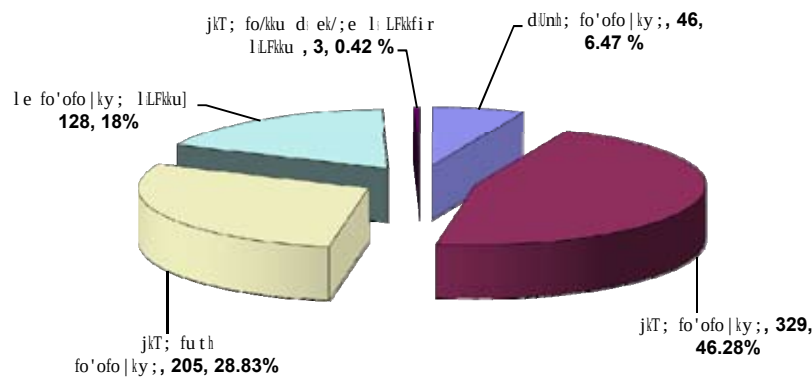
Ø- l-	jkT;@fo'ofok; dk uke	LFkkiuk dk o"k
	vkèk in'k	
1.	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूल, आंध्र प्रदेश	2008
	dukVd	
2.	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, नावनगर, हुबली, कर्नाटक	2003
3.	रानी चैनम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, भूतारामानाहट्टी, रा0 रा0-04,बेलागावी, कर्नाटक	
	jk t LFkku	
4.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान	2003
	ryxkuk	
5.	पालामारु, विश्वविद्यालय, महबूबनगर, तेलंगाना	2008
	mùkj in'k	
6.	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ0 शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2009

rkfydk 2-1 %d% fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vuklj fo'ofok;@fo'ofok; Lrj d LkLFkkuk dh Lrjokj l[;k

Ø- l-	LFkku dk Lo : i	LFkku dh l[;k 31-03-2015 dh fLFkfr d vuklj
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	46
2.	राज्य विश्वविद्यालय	329
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	205
4.	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	3
5.	सम विश्वविद्यालय संस्थान	128
	dy	711
6.	egkfo ky ;	40760*

* अनंतिम

j[kkfp= 2-1%d% fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vuklj fo'ofok; dk dh Lo : iokj l[;k



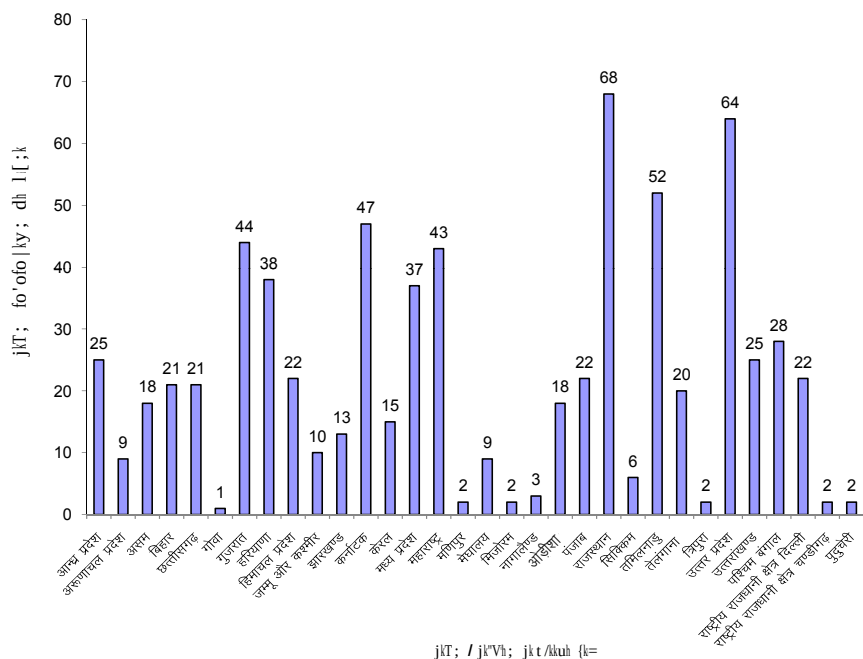
rkfydk 2-1 %[k% fo'ofok; vunku vk;kx vfèkfu;e] 1956 dh èkkjk 2%p d rgr lphc) fd; x; fo'ofok; dk dh jkT;okj l[;k 2014&15 %fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vuklj

Ø- l-	jkT;	fo'ofok; dk dh l[;k					
		dy	dUnh;	jkT;	futh	le	vU; *
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	20	05	25	20	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	09	01	-	07	01	-
3.	असम	18	02	12	04	-	-
4.	बिहार	21	03	12	-	02	01
5.	छत्तीसगढ़	21	01	12	08	-	-
6.	गोवा	01	-	01	-	-	-
7.	गुजरात	44	01	24	17	02	-
8.	हरियाणा	38	01	14	17	06	-
9.	हिमाचल प्रदेश	22	01	04	17	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	10	02	07	-	-	01
11.	झारखण्ड	13	01	07	03	02	-
12.	कर्नाटक	47	01	23	09	14	-

Ø- 1-	jT;	fo'ofokky; k dh l[; k					
		dy	dUnh;	jT;	fu th	le	vU; *
13.	केरल	15	01	12	-	02	-
14.	मध्य प्रदेश	37	02	18	14	03	-
15.	महाराष्ट्र	43	01	20	01	21	01
16.	मणिपुर	02	02	-	-	-	-
17.	मेघालय	09	01	-	08	-	-
18.	मिजोरम	02	01	-	01	-	-
19.	नागालैण्ड	03	01	-	02	-	-
20.	ओड़ीशा	18	01	12	03	02	-
21.	पंजाब	22	01	08	11	02	-
22.	राजस्थान	68	01	20	39	08	-
23.	सिक्किम	06	01	-	05	-	-
24.	तमिलनाडु	52	02	22	-	28	-
25.	तेलंगाना	20	03	15	-	02	-
26.	त्रिपुरा	02	01	-	01	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	64	05	25	23	10	01
28.	उत्तराखण्ड	25	01	10	10	04	-
29.	पश्चिम बंगाल	28	01	21	05	01	-
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22	05	06	-	11	-
31.	संघ क्षेत्र चण्डीगढ़	02	-	01	-	01	-
32.	पुदुचेरी	02	01	-	-	01	-
	dy	711	46	329	205	128	03

* अन्य में राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान हैं।

j:[kkfp= 2-1%[k% o"ki 2014&15 di nkjku fo'ofokky; vunku vk;kx 1956 dh èkkjk 2 %p½ di rgr fo'ofokky; vunku vk;kx }kjk lphc) fo'ofokky; k dh jT;&okj l[; k



jT; / jk'Vh; jT;/kuh k=

जहां तक राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का प्रश्न है राजस्थान (68) तथा उत्तर प्रदेश (64) विश्वविद्यालयों के साथ सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद तमिलनाडु (52) आदि है और साथ ही तालिका 2.1(ख) से भी यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है।

तथापि, जैसा कि तालिका 2.1(ग) में देखा जा सकता है, राज्यों में विद्यमान महाविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है। यदि परिशुद्ध आकड़ों की तुलना में देखा जाए तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई अर्थात् 2048 महाविद्यालय, तत्पश्चात् मध्य प्रदेश राज्य में (1131), महाराष्ट्र (716), कर्नाटक (750), महाविद्यालय हैं। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार महाविद्यालयों की संख्या 40760 थी।

वर्ष 2014-2015 के दौरान 1147 नये महाविद्यालयों की स्थापना हुई और इस प्रकार वर्ष 2013-2014 के 39613 महाविद्यालयों की तुलना में वर्ष 2014-2015 के दौरान महाविद्यालयों की कुल संख्या 40760 हो गई और इस प्रकार इसमें लगभग 2.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

rkfy dk 2-1½% o"ki 2014&2015 dī nkjku egkfo |ky; k** dh jkT;okj l[;k vkj o"ki 2010&11 l 2014&2015 rd egkfo |ky; k dh l[;k e gb of)

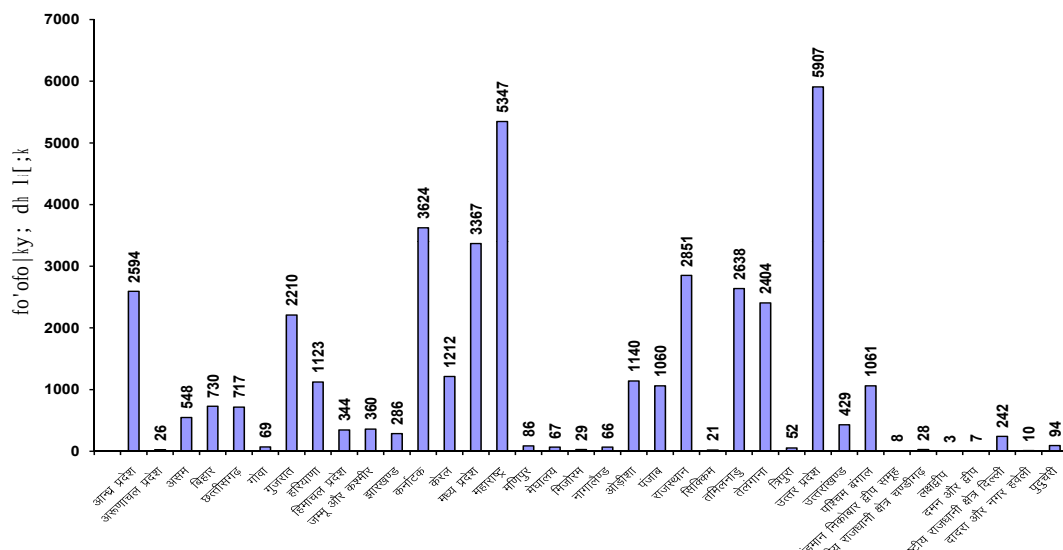
Ø-l-	jkT;@l?k 'kkfl r	2010& 2011	2011& 2012	2012& 2013	2013& 2014	2014&15*	o"ki 2010&2011 l 2014&15 dī nkjku gb of)
1.	आंध्र प्रदेश	4066	4550	4881	4907	2594	932
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	17	17	26	26	10
3.	असम	507	507	571	571	548	41
4.	बिहार	653	706	695	695	730	77
5.	छत्तीसगढ़	641	681	696	696	717	76
6.	गोवा	54	60	60	66	69	15
7.	गुजरात	1836	1849	2020	2060	2210	374
8.	हरियाणा	902	976	992	1066	1123	221
9.	हिमाचल प्रदेश	344	348	349	344	344	—
10.	जम्मू और कश्मीर	322	314	362	379	360	38
11.	झारखण्ड	231	231	239	279	286	55
12.	कर्नाटक	3078	3370	3454	3674	3624	546
13.	केरल	1063	1063	1250	1259	1212	149
14.	मध्य प्रदेश	2236	2364	2406	3294	3367	1131
15.	महाराष्ट्र	4631	4836	4862	5326	5347	716
16.	मणिपुर	76	80	85	89	86	10
17.	मेघालय	64	69	69	69	67	3
18.	मिजोरम	28	28	28	29	29	1
19.	नागालैण्ड	55	58	60	60	66	11
20.	ओड़ीशा	1100	1117	1134	1134	1140	40
21.	पंजाब	852	978	1004	1004	1060	208
22.	राजस्थान	2412	2753	2791	2791	2851	439
23.	सिक्किम	15	15	15	39	21	6
24.	तमिलनाडु	2267	2410	2605	2760	2638	371
25.	तेलंगाना					2404	
26.	त्रिपुरा	39	40	47	47	52	13
27.	उत्तर प्रदेश	3859	4440	4787	5094	5907	2048
28.	उत्तराखण्ड	360	413	413	424	429	69
29.	पश्चिम बंगाल	889	896	942	1057	1061	172
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	6	6	7	8	2
31.	चण्डीगढ़	25	27	27	27	28	3
32.	लक्षद्वीप	3	3	3	3	3	0
33.	दमन और दीव	4	4	4	4	7	3
34.	दिल्ली	240	240	240	242	242	2
35.	दादरा एवं नागर हवेली	4	4	4	4	10	6
36.	पुदुचेरी	86	86	86	87	94	8
	dīy	32964	35539	37204	39613	40760	7796

नोट: यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संयोजित वृद्धि दर्शायी गई है।

*अंतिम

**महाविद्यालयों की संख्या में सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय/संघटक महाविद्यालय/स्नातकोत्तर केन्द्र/मान्यताप्राप्त केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि शामिल हैं।

j[kkp= 2-1½% egkfo |ky; k dh jkT;okj l[;k o"ki 2014&15



jkT;@l?k 'kkfl r (k=

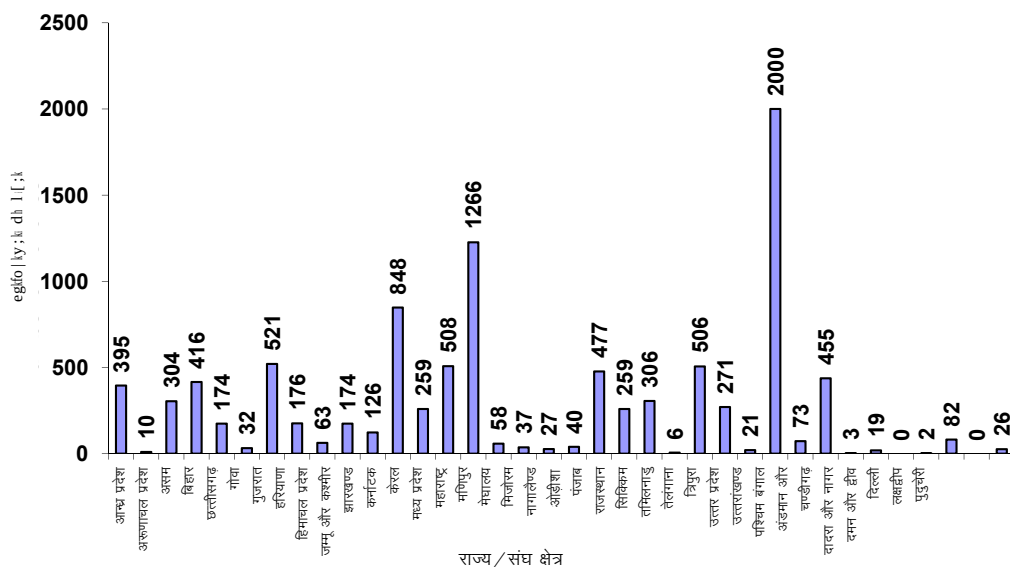
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 30 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को पूरा करने के अधिकाधिक विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को खोलने और मौजूदा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास किये गये हैं।

वित्त वर्ष 2014-2015 के अन्त तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान 9360 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की तुलना में यह संख्या 9940 थी। इन 9940 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में से 1739 महाविद्यालय ऐसे हैं जो अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

rkfy dk 2-1 %?k% fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vu|kj fo'ofok; vunku vk;kx vfekfu;e 1956 dh êkkjk 2%p% ,o êkkjk 12%[k% d vUrxr lfeefyr fd; x; egkfo|ky;k dh jkT;&okj l[;k fuEuor g %

Ø- l-	jkT;@l?k {k=	egkfo ky;k dh l[;k		dy
		2%p% vkj 12%[k%	doy êkkjk 2%p% d vUrxr lfeefyr %êkkjk 12%[k% d rgr 'kkfey ugh%	
1. आन्ध्र प्रदेश		328	67	395
2. अरुणाचल प्रदेश		9	1	10
3. असम		284	20	304
4. बिहार		397	19	416
5. छत्तीसगढ़		146	28	174
6. गोवा		29	3	32
7. गुजरात		437	84	521
8. हरियाणा		169	7	176
9. हिमाचल प्रदेश		55	8	63
10. जम्मू और कश्मीर		84	90	174
11. झारखण्ड		116	10	126
12. कर्नाटक		581	267	848
13. केरल		243	16	259
14. मध्य प्रदेश		424	84	508
15. महाराष्ट्र		1096	170	1266
16. मणिपुर		57	1	58
17. मेघालय		29	8	37
18. मिजोरम		25	2	27
19. नागालैण्ड		32	8	40
20. ओड़ीशा		441	36	477
21. पंजाब		243	16	259
22. राजस्थान		238	68	306
23. सिक्किम		0	6	6
24. तमिलनाडु		364	142	506
25. तेलंगाना		214	57	271
26. त्रिपुरा		21	0	21
27. उत्तर प्रदेश		1542	458	2000
28. उत्तराखण्ड		58	15	73
29. पश्चिम बंगाल		424	31	455
30. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		2	1	3
31. चण्डीगढ़		19	0	19
32. दादरा और नागर हवेली		0	0	0
33. दमन और द्वीव		2	0	2
34. दिल्ली		77	5	82
35. लक्षद्वीप		0	0	0
36. पुदुचेरी		15	11	26
dy		8201	1739	9940

j[|kkfp= 2-1%?k% fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vu|kj fo'ofok; vunku vk;kx vfekfu;e 1956 dh êkkjk 2%p% vkj 12%[k% d rgr lfeefyr fd; x; egkfo|ky;k dh jkT;&okj dy l[;k



2.2 छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सभी स्तरों पर पिछले वर्ष के 237.65 लाख के असंशोधित आंकड़ों की तुलना में 265.85** लाख (अनंतिम) छात्रों का नामांकन हुआ। इस प्रकार इसमें 11.87** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दो दशकों के दौरान वृहद स्तर पर छात्रों के नामांकन की जो प्रवृत्ति दृष्टिगोचर है, वह रक्यदक 2-2 1/2** में दी गयी है। (उच्चतर शिक्षा के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित अनंतिम आंकड़े)

रक्यदक 2-2 1/2** में दी गयी है। (उच्चतर शिक्षा के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित अनंतिम आंकड़े)

वर्ष	द्वितीयक	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सभी स्तरों पर	प्रतिशत वृद्धि
1984-85	3404096	96447	2.9
1985-86	3605029	200933	5.9
1986-87	3757158	152129	4.2
1987-88	4020159	263001	7.0
1988-89	4285489	265330	6.6
1989-90	4602680	317191	7.4
1990-91	4924868	322188	7.0
1991-92	5265886	341018	6.9
1992-93	5534966	532939	5.6
1993-94	5817249	282283	5.1
1994-95	6113929	296680	5.1
1995-96	6574005	460076	7.5
1996-97	6842598	268593	4.1
1997-98	7260418	417820	6.1
1998-99	7705520	445102	6.1
1999-2000	8050607	345087	4.5

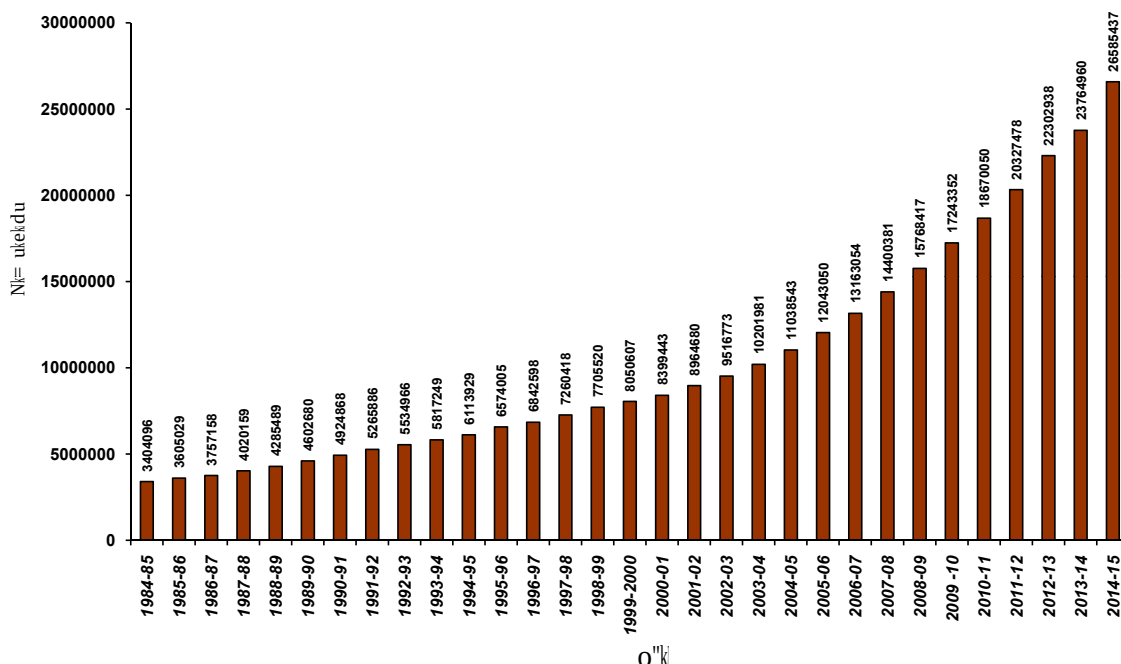
वर्ष	द्वितीयक	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सभी स्तरों पर	प्रतिशत वृद्धि
2000-01	8399443	348836	4.3
2001-02	8964680	565237	6.7
2002-03	9516773	552093	6.2
2003-04	10201981	685208	7.2
2004-05	11038543	836562	8.2
2005-06	12043050	1004507	9.1
2006-07	13163054	1120004	9.3
2007-08	14400381	1237327	9.4
2008-09	15768417	1368036	9.5
2009-10	17243352	1474935	9.4
2010-11	18670050	1426698	8.3
2011-12*	20327478	1657428*	8.9
2012-13*	22302938	1975460*	9.7
2013-14*	23764960	1462022*	6.6
2014-15**	26585437**	2820477**	11.87**

** अनंतिम आंकड़े (उच्चतर शिक्षा के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित)

* विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा पिछले वर्षों के आंकड़ों को ए.आई.एस.एच.ई. के पोर्टल पर डाले जाने के पश्चात् हुई वृद्धि को अंतिम रूप दिया जायेगा।

दोषक: छात्रों के नामांकन के आंकड़े विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों (बहुकला तथा अन्य डिप्लोमा उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान और उच्चतर शिक्षा की अनौपचारिक प्रणालियों के अलावा) में नियमित पाठ्यक्रमों के संबंध में हैं।

जिक्रक 2-2 1/2** में दी गयी है। (उच्चतर शिक्षा के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित अनंतिम आंकड़े)



265.85 लाख छात्रों में से 124.76 लाख महिलाएं हैं जो कि इस संपूर्ण संख्या का 46.93 प्रतिशत है जबकि, विभिन्न राज्यों में वर्ष 2014–2015 के दौरान पाई गई कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन के तुलनात्मक रुझान को rkfydk 2-2 4[kk में दर्शाया गया है। परिशुद्ध संख्या के संदर्भ में देखा जाए तो, महिला छात्रों का सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में (43.96 लाख), तत्पश्चात् महाराष्ट्र (28.60 लाख), तमिलनाडु (24.01 लाख) तथा पश्चिम बंगाल (15.90 लाख) आदि में रहा है।

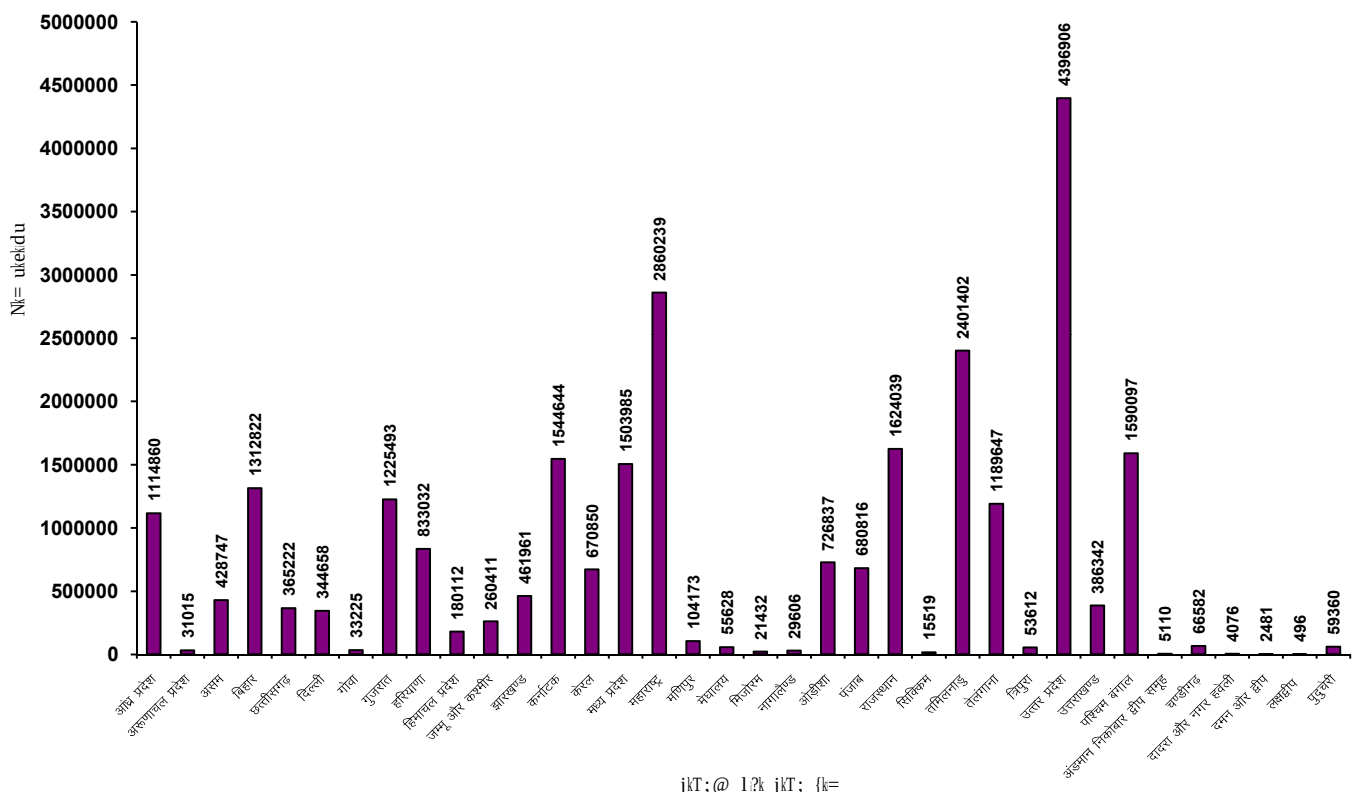
rkfydk 2-2 4[kk % o" 2014&2015 d nkjku fo'ofokj; vkj egkfo|ky; e Nk=k dk jkT;okj ukekdu*

Ø- jkT;@l?k l- 'kkflr çn'k	dy ukekdu	efgyk ukekdu	efgykvk dk çfr'kr
1. आंध्र प्रदेश	1114860	496249	44.51
2. अरुणाचल प्रदेश	31015	14796	47.71
3. असम	428747	214006	49.91
4. बिहार	1312822	552192	42.06
5. छत्तीसगढ़	365222	178906	48.99
6. दिल्ली	344658	167293	48.54
7. गोवा	33225	19955	60.06
8. गुजरात	1225493	521114	42.52
9. हरियाणा	833032	383729	46.06
10. हिमाचल प्रदेश	180112	96279	53.46
11. जम्मू और कश्मीर	260411	128643	49.40
12. झारखण्ड	461961	222882	48.25
13. कर्नाटक	1544644	736801	47.70
14. केरल	670850	397099	59.19
15. मध्य प्रदेश	1503985	651552	43.32
16. महाराष्ट्र	2860239	1301684	45.51
17. मणिपुर	104173	53197	51.07
18. मेघालय	55628	29711	53.41
19. मिजोरम	21432	10273	47.93
20. नागालैण्ड	29606	16646	56.23

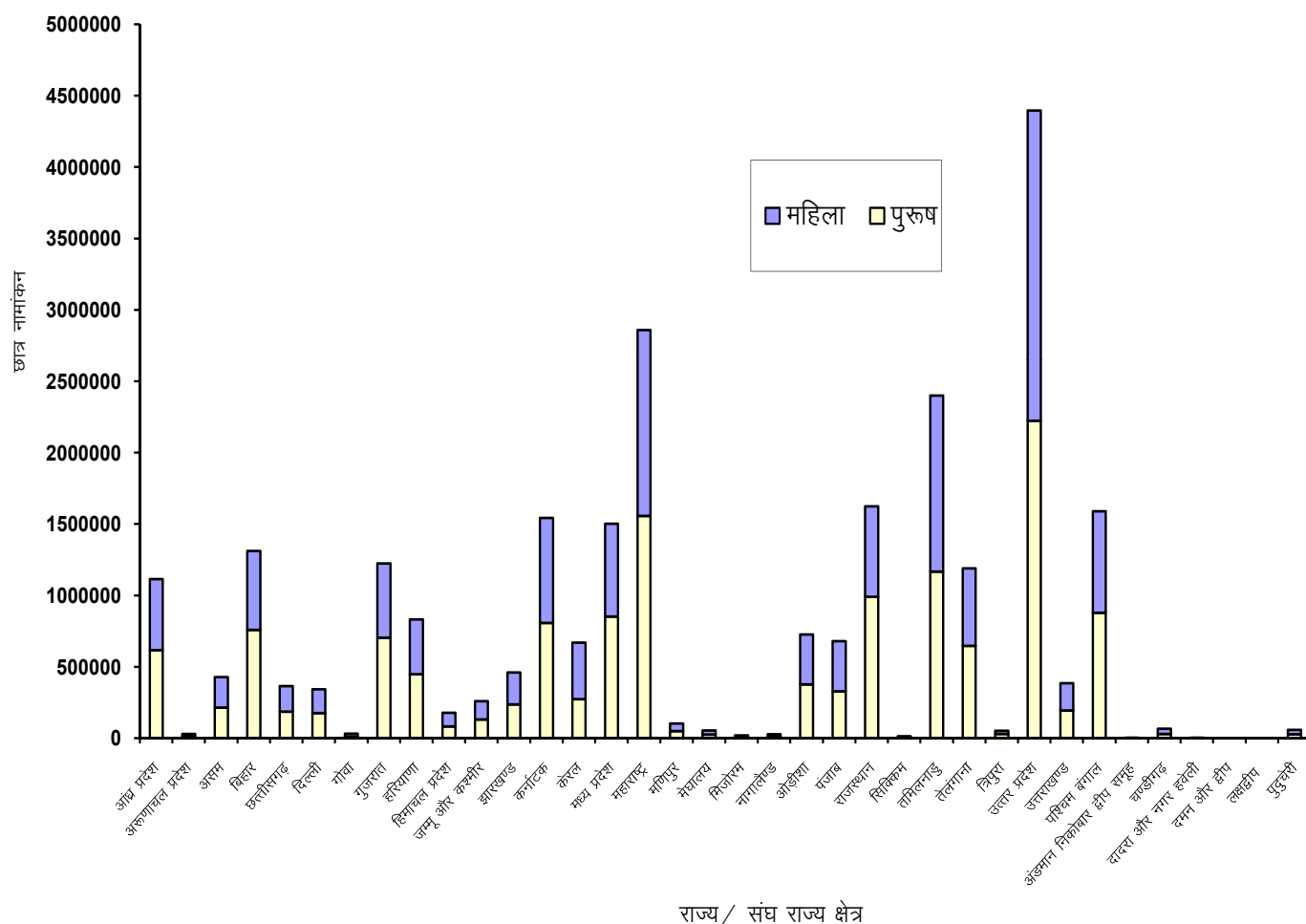
Ø- jkT;@l?k l- 'kkflr çn'k	dy ukekdu	efgyk ukekdu	efgykvk dk çfr'kr
21. ओड़ीशा	726837	348517	47.95
22. पंजाब	680816	351046	51.56
23. राजस्थान	1624039	633452	39.00
24. सिक्किम	15519	6700	43.17
25. तमिलनाडु	2401402	1232456	51.32
26. तेलंगाना	1189647	540705	45.45
27. त्रिपुरा	53612	22821	42.57
28. उत्तर प्रदेश	4396906	2173158	49.42
29. उत्तराखण्ड	386342	191026	49.44
30. पश्चिम बंगाल	1590097	710724	44.70
31. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5110	2747	53.76
32. चण्डीगढ़	66582	35716	53.64
33. दादरा और नगर हवेली	4076	1737	42.62
34. दमन और द्वीव	2481	800	32.25
35. लक्षद्वीप	496	353	71.17
36. पुदुचेरी	59360	30704	51.73
dy	26585437	12475669	46.93

*अनन्तिम आंकड़े

jk[kkfp= 2-2 4[kk fo'ofokj; rFkk egkfo|ky; e jkT;&okj Nk=k dk ukekdu % o" 2013&14*



j:[kkfp= 2-2%[k% fo'ofok y;k rFkk egkfo|ky;k ei jkT;&okj rFkk fyx&okj Nk=k dk ukekdu % o"ki 2014&15*



*अनन्तिम

2-2% x% Lrj&okj Nk= ukekdu

शिक्षा वर्ष 2014–2015 के दौरान नामांकन की स्थिति से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकपूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन होता है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों दोनों को मिलाकर, अनन्तिम रूप से इस स्तर पर 86.26 प्रतिशत छात्र नामांकन प्राप्त करते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों (पी0जी0) में नामांकन दर्ज कराया है, उनका प्रतिशत 11.09 प्रतिशत रहा जबकि शोध हेतु नामांकन करने वाले छात्रों की प्रतिशतता अत्यंत न्यून अर्थात 0.67 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों में से मात्र 1.57 प्रतिशत छात्रों ने ही नामांकन करवाया।

विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र नामांकन के संवितरण के संबंध में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन संबद्ध महाविद्यालयों में हुआ। स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 88.37 प्रतिशत और सभी स्नातकोत्तर छात्रों के लगभग 71.09 प्रतिशत छात्रों ने संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकन करवाया था। जबकि, शेष छात्र विश्वविद्यालयों एवं उनके संघटक महाविद्यालयों में थे। इसके विपरीत, कुल शोध छात्रों में से मात्र 73.56 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालयों में नामांकित थे। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्रों की कुल संख्या में से अधिकांश छात्रों ने संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकन दर्ज करवाया है जहां उच्चतर शिक्षण की नींव रखी जाती है, विशेषरूप से तर्कसंगतता, पहुंच तथा समानता, गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता आदि के संवर्धन के लिए महाविद्यालय क्षेत्रक पर अधिक ध्यान दिये जाने तथा उसका अधिक वित्तपोषण किये जाने की आवश्यकता है।

rkfydk 2-2 ¼x½ % o"ki 2014&2015 d nkjku fo'ofokj; vè;kiu foHkxk@ fo'ofokj;ki d vrxir egkfo|ky;ki ,o l c) egkfo|ky;ki e Nk=ki dk Lrjokj ukekdu*

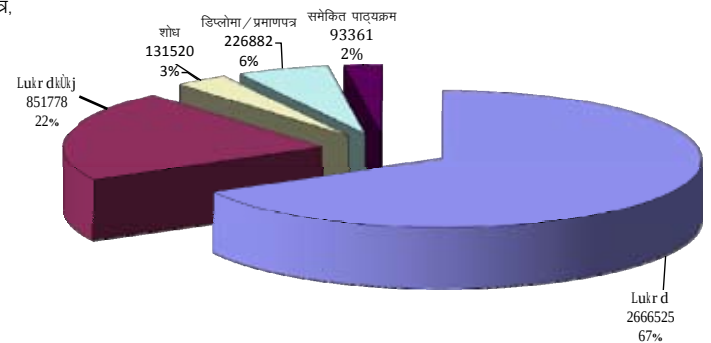
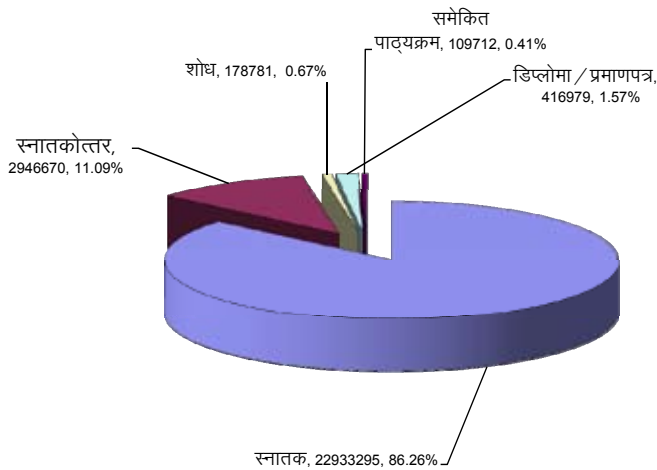
Ø l-	Lrj	fo'ofokj; foHkxk@ fo'ofokj;ki d vrxir egkfo ky;ki	lEc) egkfo ky;ki	dy ¼dy ;kx dk çfr'kr½	lEc) egkfo ky;ki e çfr'kr½
1	स्नातकपूर्व	2666525	20266770	22933295 (86-26)	88-37
2	स्नातकोत्तर	851778	2094892	2946670 (11-09)	71-09
3	शोध	131520	47261	178781 (0-67)	26-44
4	डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	226882	190097	416979 (1-57)	45-59
5	समेकित	93361	16351	109712 (0-41)	14-90
	dy ;kx	3970066	22615371	26585437 (100.0)	85-07

* अनन्तिम आंकड़े

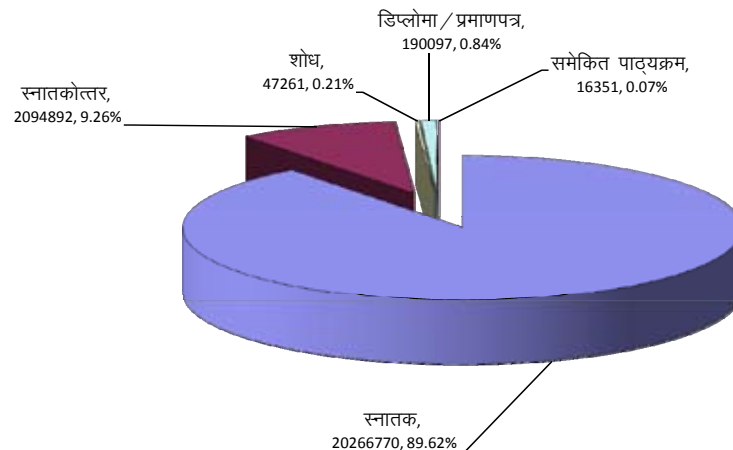
नोट : शोध में एम.फिल. और पी.एच.डी. उपाधि शामिल हैं।

j[kkfp= 2-2¼x½¼i½ % o"ki 2014&15 d nkjku fo'ofokj; v/;kiu foHkxk@ fo'ofokj;ki d vrxir egkfo|ky;ki v k j l c) egkfo|ky;ki e Nk=ki dk Lrjokj ukekdu

j[kkfp= 2-2¼x½¼i½ % o"ki 2014&15 d nkjku fo'ofokj; v/;kiu foHkxk@ fo'ofokj;ki d vrxir egkfo|ky;ki e Nk=ki dk Lrjokj ukekdu



j[kkfp= 2-2¼x½¼i½ % o"ki 2014&15 d nkjku l c) egkfo|ky;ki e Nk=ki dk Lrjokj ukekdu



2-2 शिक्षा संकाय का नामांकन

शिक्षा वर्ष 2014-15 के दौरान छात्रों का अलग-अलग संकायों में नामांकन निम्नवत था :

छात्रों के कुल नामांकन (265.85 लाख) में से 37.41 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 17.59 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में 16.39 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार, कुल नामांकन में से 71 प्रतिशत छात्र, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य/प्रबंधन के तीन संकायों में था, जबकि शेष 29 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में थे, जिनमें से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी (16.27 प्रतिशत) में प्रतिशतता सर्वाधिक थी और उसके बाद शिक्षा (अध्यापक प्रशिक्षण) (4.57 प्रतिशत) और चिकित्सा पाठ्यक्रमों (4.02 प्रतिशत) आदि में था। भारत जैसे देश में जहाँ कृषि और संबद्ध व्यवसाय ही प्रमुख पेशे हैं, वहाँ कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल 0.78 प्रतिशत और पशु-चिकित्साविज्ञान में यह नगण्य अर्थात् 0.11 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, जैसा कि संकाय-वार संवितरण से स्पष्ट है कि पेशेवर की तुलना में गैर-पेशेवर नामांकन का अनुपात लगभग 1:3 रहा। अतः एक उपर्युक्त नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है जो इसे युक्तिसंगत बनाकर विसंगतियों को कम कर सके और शिक्षा के व्यावसायिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

शिक्षा वर्ष 2014-2015 के दौरान नामांकन का वितरण

क्र.सं.	संकाय	कुल नामांकन	प्रतिशत
1	कला	9945700	37.41
2	विज्ञान	4675043	17.59
3	वाणिज्य/प्रबंधन	4357108	16.39
4	शिक्षा	1215442	4.57
5	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	4326316	16.27
6	आयुर्विज्ञान	1069911	4.02
7	कृषि	207756	0.78
8	पशु-चिकित्साविज्ञान	28017	0.11
9	विधि	444613	1.67
10	अन्य	315531	1.19
	कुल	26585437	100.00

* अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

वाणिज्य/प्रबंधन संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित हैं।

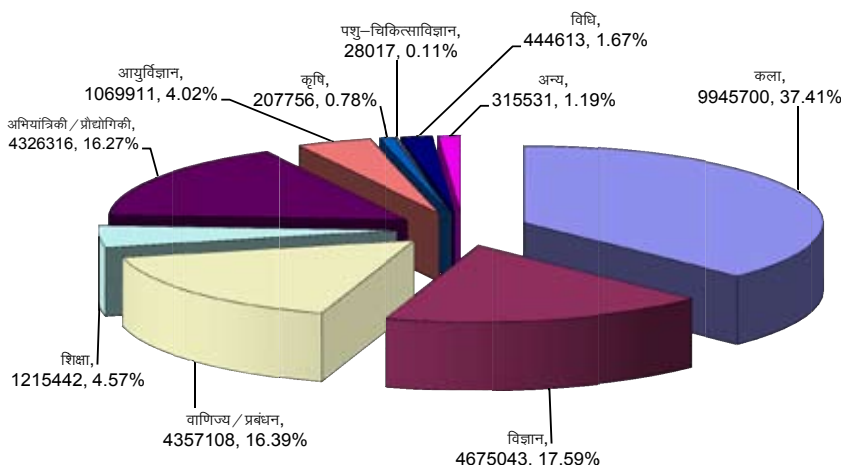
आयुर्विज्ञान संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, भेषजी, जन स्वास्थ्य/सामाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेशे से संबद्ध चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

विधि संकाय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा वर्ष 2014-2015 के दौरान नामांकन का वितरण



2.3 संकाय संख्या

शिक्षा वर्ष 2014-2015 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या है पिछले वर्ष के 10.49 लाख शिक्षकों की तुलना में 12.61 लाख थी। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगभग 39.20 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। [rkfy dk 2-3% x%] 12.61 लाख शिक्षकों में से 84.66 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे तथा शेष 15.34 प्रतिशत विश्वविद्यालयों विभागों/विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में थे। rkfy dk 2-3% [k%] तथा rkfy dk 2-3% d%।

rkfy dk 2-3% d% o%k 2014&2015 d% nkjku fo'ofok; f'k{k.k foHkxk vkj fo'ofok; d% vrxir egkfo|ky;k** e inuke d% vulkj vè;kiu l% l% de p k f j o n k d h l% ; k , o mudk lforj.k

o%k	vkpk;*	mikpk;@lg&vkpk;	0;k[;krk %p;u xM @ofj"B orueku%	lgk;d vkpk;@0;k[;krk	vuf'k{k d@funi'kd	dy
2014-15	33424 (17.27)	30962 (16.00)	3337 (1.72)	115416 (59.64)	10383 (5.37)	193522 (100.00)

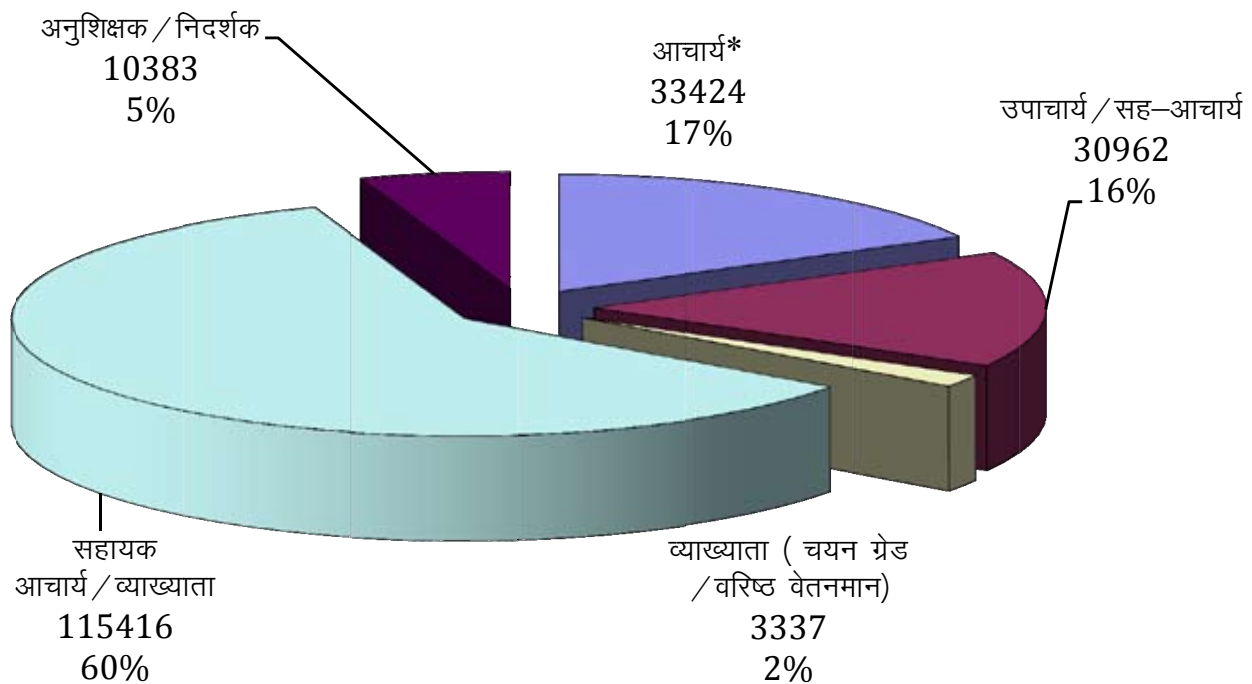
* इनमें प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक सम्मिलित हैं जोकि आचार्य के समतुल्य हैं।

** अनन्तिम आंकड़े

टिप्पणी: (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकड़ें कुल कर्मचारिवृंदों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/अभ्यगत शिक्षक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि को सहायक आचार्य/व्याख्याता के तहत सम्मिलित किया गया है।

j% [kkfp= 2-3% d% o%k 2014&2015 d% nkjku fo'ofok; f'k{k.k foHkxk@fo'ofok; k l% lcf/kr egkfo|ky;k e f'k{k.k de p k f j o n k d h Lrj&okj l% ; k



rkfy dk 2-3% [k%] o%k 2014&2015 d% nkjku lEc) egkfo|ky;k** e inuke d% vulkj 'k{kf.k d de p k f j o n k d h l% ; k vkj mudk lforj.k

o%k	vkpk;*	mikpk;@lg&vkpk;	0;k[;krk %p;u xM @ofj"B orueku%	lgk;d vkpk;@0;k[;krk	vuf'k{k d@funi'kd	dy
2014-15	82844 (7.76)	145743 (13.65)	31141 (2.92)	775393 (72.61)	32707 (3.06)	1067828 (100.00)

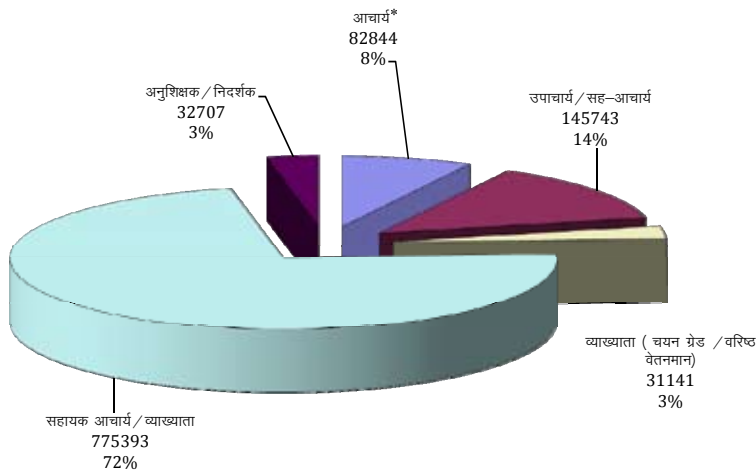
* प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक सम्मिलित हैं जोकि आचार्य के समतुल्य हैं।

** अनन्तिम आंकड़े

टिप्पणी: (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकड़ें कुल कर्मचारिवृंदों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/अभ्यगत शिक्षक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि को सहायक आचार्य/व्याख्याता के तहत सम्मिलित है।

जि.क.क.प. = 2-3% के 2014&2015 दि नकिजु लि) एगफो |ky; के ए.फ.क.क. देपफजोन्क ध लि;क



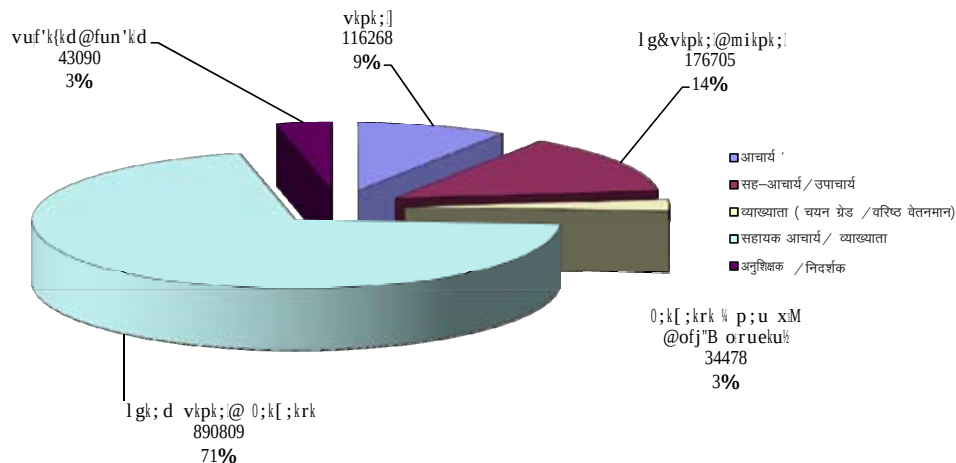
प्रतिशतता के आधार पर वर्ष 2014-2015 के दौरान, संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर केन्द्रों में शिक्षकों की श्रेणीवार स्थिति निम्नवत है:

रकफि दक 2-3% के 2014&2015 दि नकिजु फो'फो |ky; के वकि एगफो |ky; के ए. वकि लि तमि देपफजोन्क दक इनके ओज लिफरज.क

इनके	वकि लि तमि देपफजोन्क ध लि;क					
	फो'फो ky; वकि लि तमि देपफजोन्क फो'फो ky; के दि एगफो ky; के @लुकर दक उकि दुनक @ एकु; रक इकिर दुनक		लि) एगफो ky;		दिय ;कx %दिय दक इफर'कx	
	दिय	एगफि	दिय	एगफि	दिय	एगफि
आचार्य*	33424	7193	82844	21204	116268 (9-22)	28397 (5-74)
सह-आचार्य/ उपाचार्य	30962	8831	145743	50954	176705 (14-01)	59785 (12-10)
0;क[;कx %प;उ xम @ofj"B orueku%	3337	1306	31141	12641	34478 (2-73)	13947 (2-82)
सहायक आचार्य/ व्याख्याता	115416	43439	775393	325628	890809 (70-62)	369067 (74-64)
अनुशिक्षक/निर्देशक	10383	4491	32707	18755	43090 (3-42)	23246 (4-70)
दिय	193522	65260	1067828	429182	1261350 (100-0)	494442 (100-0)

* अनतिम आंकड़े

जि.क.क.प. = 2-3% के 2014&2015 दि नकिजु फो'फो |ky; वकि लि तमि देपफजोन्क फो'फो |ky; के दि एगफो |ky; के @लुकर दक उकि
दुनक @ एकु; रक इकिर दुनक वकि लि तमि देपफजोन्क दक लिफरज.क



2.4 शोध उपाधियाँ

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शोध उपाधियों (पी.एच.डी.) की संख्या वर्ष 2012-2013 की 20275 से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 22849 हो गई और इस प्रकार 12.07 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान प्रदत्त पी0एच0डी0 उपाधियों में कला संकाय संकाय में प्रदत्त उपाधियों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 7480 थी, उसके बाद विज्ञान संकाय का स्थान रहा, जिसमें 7018 उपाधियाँ प्रदान की गई। कुल प्रदत्त शोध उपाधियों में से इन दोनों संकायों में 63.45 प्रतिशत पी0एच0डी0 उपाधियाँ प्रदान की गई। वाणिज्य/प्रबंधन संकाय में 2098 उपाधियाँ प्रदान की गई। पेशेवर संकायों में, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिक संकाय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है, जिनमें कुल 2533 पी.एच.डी. उपाधियाँ प्रदान की गई और इसके बाद कृषि में 871 पी.एच.डी. उपाधियाँ तत्पश्चात् शिक्षा संकाय में 825 उपाधियाँ, आयुर्विज्ञान में 819 उपाधियाँ तथा अन्य संकायों में 737 उपाधियाँ प्रदान की गई। यह पाया गया कि वर्ष 2012-2013 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2013-2014 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई शोध उपाधियों की संख्या के संदर्भ में शिक्षण संबंधी शोध में वृद्धि का रुझान दिखाई देता है।

रक्यद 2-4 द ० 2012&2013 व 2013&2014* द नकु ङु , e-fQy-
 , o okPlfr i h, p-Mh- mikf/k; dh ldk; okj l[; k

Ø- l- ldk;	2012&2013		2013&2014*	
	, e-fQy-	i h, p-Mh-	, e-fQy-	i h, p-Mh-
01 कला	7430	6298	7859	7480
02 विज्ञान	6916	6641	6783	7018
03 वाणिज्य/प्रबंधन	2419	1585	2868	2098
04 शिक्षा	757	813	853	825
05 अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	72	2119	33	2533
06 आयुर्विज्ञान	74	756	160	819
07 कृषि	117	738	113	871
08 पशु-चिकित्साविज्ञान	37	204	32	241
09 विधि	87	282	30	227
10 अन्य	1631	839	1694	737
dy	19540	20275	20425	22849

* अनन्तिम आंकड़े

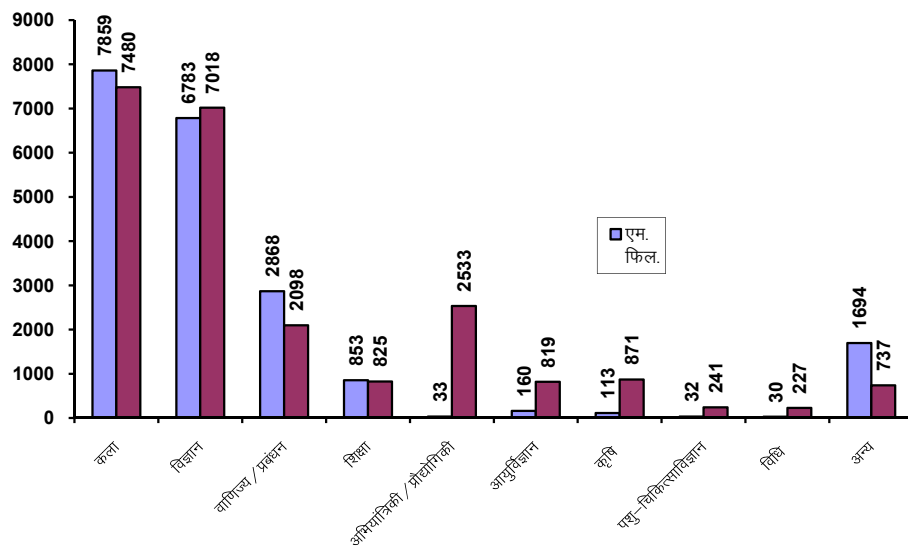
dy संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

foKku संकाय में गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग सम्मिलित हैं।

f'k{kk संकाय में विद्या वरिधि एवं वाचस्पति सम्मिलित हैं।

vk;foKku संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, भेषजी, जन स्वास्थ्य/सामाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेशे से संबद्ध चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

j[kkfp= 2-4 द ० 2013&2014 द नकु ङु dh x; h , e-fQy- , o okPlfr i h, p-Mh- mikf/k; dh ldk; okj l[; k 563 mikf/k inku dju oky fo'ofok; k@ lLFkkuk l iklr ifrfØ; k d vk/kkj ij vkDM



वर्ष 2012-13 और 2013-14 के आंकड़े क्रमशः 497 और 563 विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।

2-5 मध्यम शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि

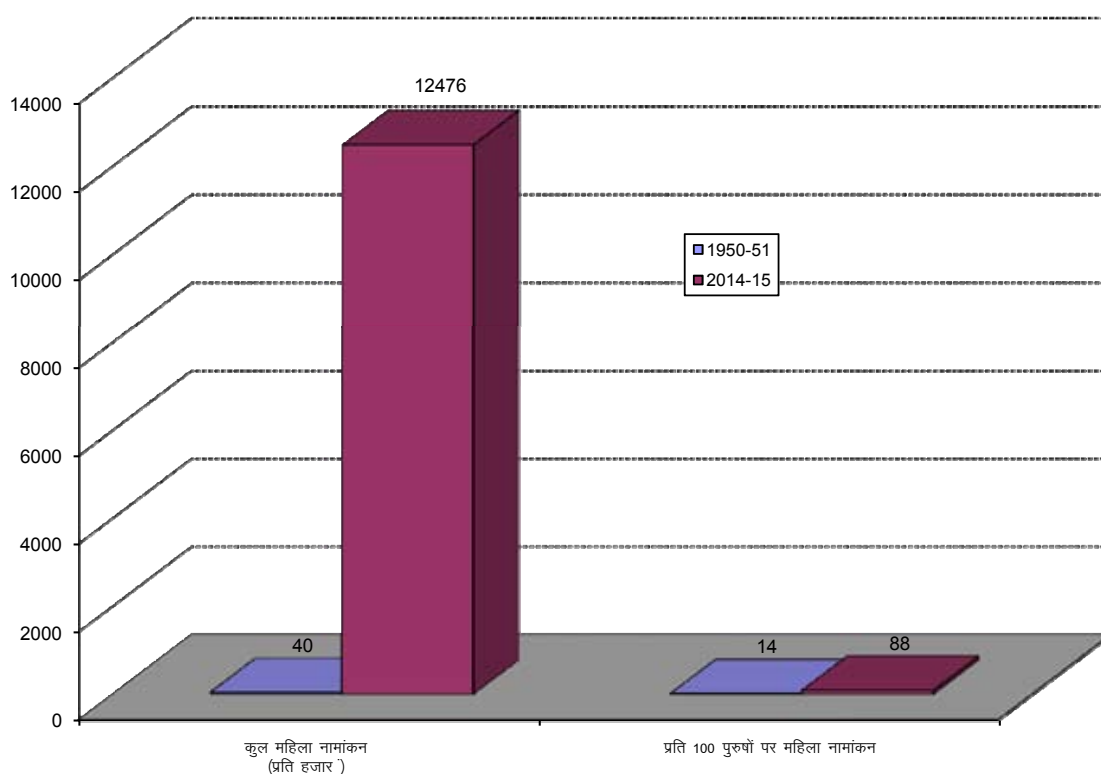
स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय महिलाओं का कुल नामांकन 10 प्रतिशत से भी कम था जिसमें शिक्षा वर्ष 2014-2015 के दौरान 46.93 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है।

पिछले 2 दशकों के दौरान विकास की दर विशेषरूप से तीव्र रही है। जैसा कि चित्र 2-5 में दिये गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है, प्रति 100 पुरुषों की तुलना में नामांकित महिलाओं की संख्या में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 05 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

चित्र 2-5 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है, प्रति 100 पुरुषों की तुलना में नामांकित महिलाओं की संख्या में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 05 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

वर्ष	कुल महिला नामांकन (प्रति हजार)	प्रति 100 पुरुषों पर महिला नामांकन
1950-51	40	14
2014-15	12476	88

चित्र 2-5 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है, प्रति 100 पुरुषों की तुलना में नामांकित महिलाओं की संख्या में वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 05 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।



2.6 राज्य और संघों के आधार पर महिला नामांकन का संवितरण

तालिका 2.6(क) वर्ष 2014-15 के दौरान राज्यों के अनुसार महिला नामांकन का संवितरण दर्शाता है कि राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में, लक्षद्वीप (71.17 प्रतिशत) में सर्वाधिक तत्पश्चात् गोवा 60.06 प्रतिशत के साथ राज्य के कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिला नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। ऐसे कुल 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें 46.93 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक नामांकन प्रतिशत रहा। शेष राज्यों में महिला नामांकन, राष्ट्रीय औसत से कम रहा जिसमें राजस्थान में सबसे कम अर्थात् 39.0 प्रतिशत महिला नामांकन दर्ज किया गया। परिशुद्ध आंकड़ों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य छात्राओं के नामांकन में शीर्ष पर रहा है (21.73 लाख) जिसके बाद महाराष्ट्र (13.01 लाख) तत्पश्चात् तमिलनाडु (12.32 लाख), आदि हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन का संकाय-वार संवितरण निम्नानुसार है

रक्यदक 2-6 दलक 2014&2015 द नककु लदक;okj* efgyk ukekdu

Ø- l-	lदक;	efgyk ukekdu*	dy ukekdu दक çfr'krk
1.	कला/पूर्वदेशीय संस्कृति का अध्ययन	5202612	41.70
2.	विज्ञान	2320894	18.60
3.	वाणिज्य/प्रबंधन	1962384	15.73
4.	शिक्षा	765028	6.13
5.	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	1232006	9.88
6.	आयुर्विज्ञान	637701	5.11
7.	कृषि	55414	0.44
8.	पशु-चिकित्साविज्ञान	9980	0.08
9.	विधि	148024	1.19
10.	अन्य	141626	1.14
	dy	12475669	100-00

* अनन्तिम

dyk संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

foKku संकाय में गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

f'k{kk संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

vfflk;kf=dh vkj ik|kfxdh संकाय में कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित हैं।

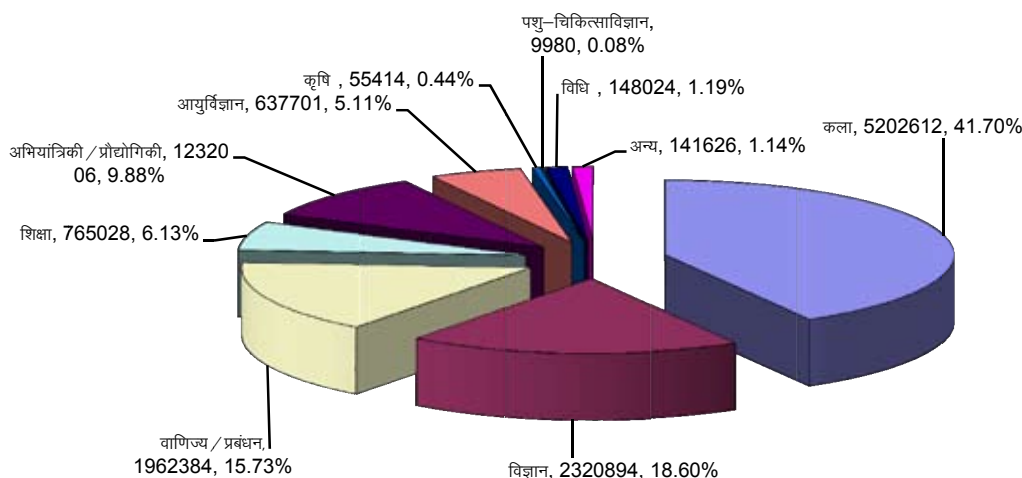
vk;foKku संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, भेषजी, जन स्वास्थ्य/सामाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेशे से संबंधित चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

Ñf"क संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

i'k&fpfdRlkfoKku संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

vU; में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

j[kkfp= 2-6dलक 2014&2015 द नककु fo'ofok|ky;k rFkk egkfo|ky;k e: lदक;&okj
efgykvk f'k{kffFk;k दक ukekdu



तालिका 2.6 (क) दर्शाती है कि कला संकाय में महिला नामांकन कुल नामांकन का 41.70 प्रतिशत रहा, जिसके बाद विज्ञान संकाय (18.60 प्रतिशत), वाणिज्य/प्रबंधन (15.73 प्रतिशत) आदि रहा जो इन तीन गैर-पेशेवर संकायों में समस्त नामांकन का 76.03 प्रतिशत है। पेशेवर संकायों में महिला नामांकन, समस्त महिला नामांकन का 23.97 प्रतिशत है।

2.7 महिला महाविद्यालय

निम्नवत तालिका 2.7 से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 4266 महिला महाविद्यालयों की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों के दौरान अब तक कुल 240 महिला महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। 31.3.2015 के अनुसार विशेषरूप से महिलाओं के लिए 4506 महाविद्यालय मौजूद थे। (दिनांक 31.03.2014 तक आंकड़े उपलब्ध हैं)

रक्यद 2-7 % ०" 1997&1998 l ०" 2014&2015 rd efgyk egkfo |ky; k dh l[;k

०"	efgyk egkfo ky; k dh l[;k
1997.1998	1260
1998.1999	1359
1999.2000	1503
2000.2001	1578
2001.2002	1756
2002.2003	1824
2003.2004	1871
2004.2005	1977
2005.2006	2071
2006.2007	2208

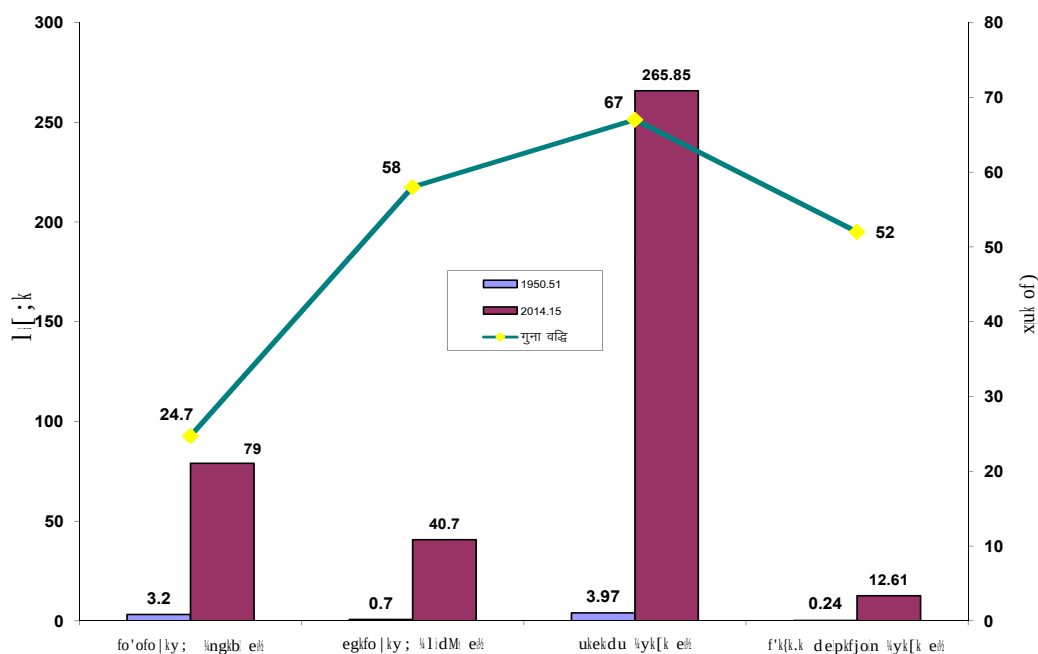
०"	efgyk egkfo ky; k dh l[;k
2007.2008	2360
2008.2009	2565
2009.2010	3612
2010.2011	3982
2011.2012 '	4266
2012.2013'	4386
2013.2014'	4506
2014.2015'	वर्ष 2014-15 के दौरान महिला महाविद्यालयों में वृद्धि के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

* अनन्तिम आंकड़े और इनमें परिचर्या महाविद्यालय सम्मिलित हैं।

2.8 उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े

वर्ष 1950-51 से लेकर वर्ष 2014-15 तक उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थानों के संबंध में 24.7 गुना वृद्धि तथा महाविद्यालयों की संख्या में 58 गुना वृद्धि और छात्र नामांकन में 67 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 52 गुना वृद्धि दर्ज की गई।

j[kfp= 2-8% ०" 1950&51 l 2014&2015 d nkjku fo'ofu |ky; k@egkfo |ky; k@Nk= ukekdu@f'k{k.k depkfjonk d lnHk e mPprj f'k{k dk fodkl



विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) और गैर-योजनागत (अनुरक्षण) दोनों अनुदान प्रदान करता रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए सहायता केवल योजनागत (विकास) स्कीम/कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को निर्धारित परिव्यय के आधार पर और विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य योजना विकास अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस संबंध में विश्वविद्यालयों को संसूचित किया जाता है। यह परिव्यय 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए चालू रहेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहुँच बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करने, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाने, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम चलाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, शोध सुविधाओं में वृद्धि करने सहित पहलुओं को सम्मिलित करते हुए सामान्य योजना विकास सहायता के अंतर्गत प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सहायता देता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, स्टॉफ, उपकरण पुस्तकों और जर्नलों, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य योजनागत विकास सहायता के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

3.1.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान योजना सहित, विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) दोनों ही प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे 46 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 6 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, और (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन युनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। इसलिए, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास अनुदान) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य विशिष्ट योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 03 नए परिवर्तित केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक चिकित्सा महाविद्यालय सहित 24 पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान मूल अधिनियम, 2009 की प्रथम अनुसूची में संशोधन को अधिसूचित कर महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक एक नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया तथा दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के साथ बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय रखा गया तथा बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के साथ 'महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय' के नाम पर बिहार में एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति के साथ ही नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय चालू हो जायेगा। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम नीचे दिये गये हैं:-

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	विश्वविद्यालय का नाम	पता/संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स, पीओ दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	791112
2.	असम	असम विश्वविद्यालय, पीओ असम, विश्वविद्यालय, सिल्चर	788001
3.		तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनीतपुर, पो 72, नाप्पम, तेजपुर, असम	784001
4.	तेलंगाना	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	500046
5.		मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबौली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	500032
6.		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, ओ0यू0 कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	500007
7.	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली	110025
8.		दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	110007
9.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली	110067

Øe 1-	jkT;	dUnh; fo'ofok y; dk uke
10.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11.		सॉउथ एशियन युनीवर्सिटी, नई दिल्ली
12.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पो0बा0न0 16, पंचटीला, उमरी ग्राम, अर्वी रोड, वर्धा, मुंबई-442001
13.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0बा0न0 910, आईजवाल, मिजोरम-796009
14.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेघालय-793022
15.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, इम्फाल, मणिपुर-795003
16.		केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर
17.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमनी, नागालैंड-797001
18.	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, आर0 वेंकटरमन नगर, कालापेट, पुदुचेरी, पुदुचेरी-605014
19.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय, छटा माईल, सामदूर, पी0ओ0 तदांग गंगटोक, सिक्किम-737102
20.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा-799130, अगरस्तला
21.	तमिलनाडु	इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय, चेन्नई
22.		तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुडी कैम्पस, कंगालनचेरी (पोस्ट), तिरुवरूर -610001
23.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202002
24.		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, राय बरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025
25.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221005
26.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
27.		राजीव गांधी नेशनल एवीयेशन युनीवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश
28.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल-731235
29.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246174
30.	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8, बंडार सिन्दरी, जिला अजमेर-305801, राजस्थान
31.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, मनसा रोड, भटिंडा-151001
32.	ओडीशा	ओडीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, लांडीगुडे, कोरापुट, ओडीशा-764020
33.	मध्य प्रदेश	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश -470003
34.		दी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल युनीवर्सिटी, माकाल सादन, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
35.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकेएम टावर, नयनमाड मूला, विद्यानगर, पी0ओ0, कासरगोड-671123
36.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कादागान्ची, अलान्द रोड, अलान्द तालुक, गुलबर्गा (जिला)-585106, कर्नाटक
37.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रातु लोहाडगे रोड, ब्राम्बे, रांची-8340205, झारखण्ड
38.	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्प, सोनवार, जी0बी0 पन्त अस्पताल के समीप, श्रीनगर-190005 (जम्मू और कश्मीर)
39.		जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाग्ला (राहया-सुचानी), जिला साम्बा, जम्मू - 181143 (जम्मू और कश्मीर)
40.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पी0ओ0 बाक्स न0 21, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176215
41.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जन्त-पाली, जिला-महेंद्रगढ़-123029, हरियाणा
42.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य कैम्पस, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495009
43.	बिहार	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पीओ-बी0वी0 महाविद्यालय, पटना-800014
44.		नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला-नालन्दा-803116, बिहार
45.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार
46.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-29, गांधीनगर -382029, गुजरात

3-1%dk ;ktukxr vunku

%lkekU; fodkl vunku

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इनसे जुड़े अस्पतालों सहित 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास हेतु योजनागत अनुदान दिया गया है। इसके अलावा, एक चिकित्सा महाविद्यालय नामतः युनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडीकल साइंसेज है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है। विकास सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना है बल्कि कतिपय अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाई जा रही है। विश्वविद्यालयों के लिए इसमें भवन निर्माण/नवीकरण (जिसमें विरासत भवन का नवीकरण शामिल है), कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें एवं जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसरचनना, वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेषी शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास, सहित छात्रों को सुविधाएं, छात्रों को गैर-एनईटी अध्येतावृत्तियों, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा कैरियर एवं परामर्शदाता प्रकोष्ठ की स्थापना, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।

निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थीं उसे अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

- समान अवसर प्रकोष्ठ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु उपचारी अनुशिक्षण।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये अनुशिक्षण।
- सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं।
- निशक्त व्यक्तियों हेतु योजना।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिलाओं के लिये छात्रावास योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

एनकोर नामक एक योजना जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था अब यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना का भाग है। इस योजना के लिए कोई पृथक वित्तपोषण उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

fo'ofok|ky; vunku vk;kx u fukEuor i;ktukFk Hkh fufèk;k miyCèk dj;k;h g&&

lPpj lfefr dh flQkfj'kk dk dk;kUo;u

न्यायमूर्ति सच्चर समिति रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में अनेक सिफारिशों की हैं। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। माननीय मानव संसाधन मंत्री ने फातमी समिति की रिपोर्ट को उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है।

फातमी समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संबंध में कतिपय विशिष्ट सिफारिशों की हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 25-00 djkM #i; राशि जारी की है।

vYi l[;dk@vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr vkj efgykvk gr vkoklh; vuf'k{k.k vdknfe;k dh vuf'k{k.k ;ktuk

विश्वविद्यालय उपचारी अनुशिक्षण और सेवाओं में प्रवेश की योजनाओं के वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना की गई थी।

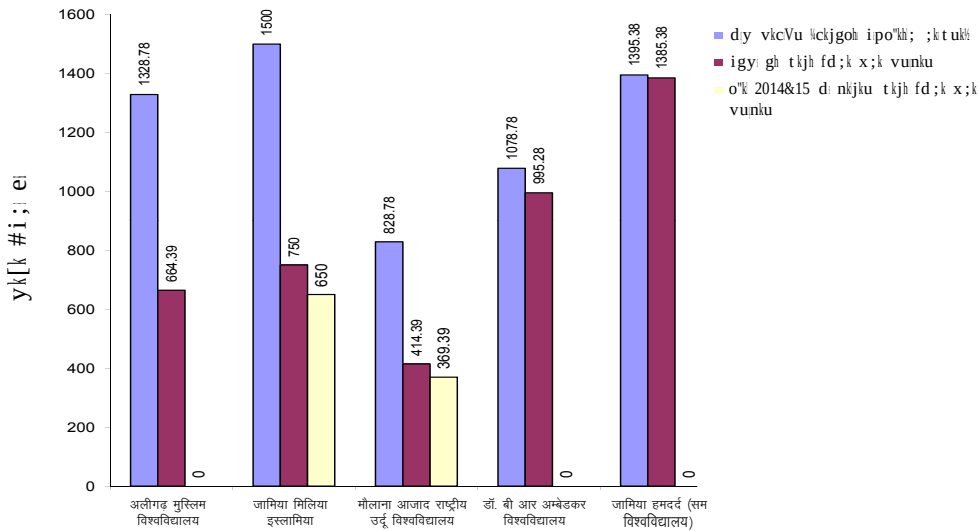
अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

इस योजना के तहत आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नवत् है:-

(लाख रुपये में)

Øe l-	fo'ofok ky; dk uke	dy vkVUk	igy gh tkjh fd;k x;k vunku	o"k 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	664.39	0.00
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	750.00	650.00
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	414.39	369.39
4.	डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	995.28	0.00
5.	जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय)	1395.38	1385.38	0.00
	dy	6131.72	4209.44	1019.39

o'k 2014&15 d nkjku vuf'k{k.k vdknfe; k dh LFkkiuk d fy, fo'okh; lgk;rk



vè;{kihB

fo'ofokky; vunku vk;kx }kjk lLohÑr dUnh; fo'ofokky; k e vè;{kihBk dh LFkkiuk dh fLFkfr

Ø- 1-	vè;{kihB dk uke	fo'ofokky; dk uke
1	2	3
1.	अम्बेडकर अध्यक्षपीठ	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
2.	विवेकानन्द अध्यक्षपीठ	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय

वर्ष 2014-15 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु 20-00 y[k[k #i; तथा अम्बेडकर अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को 25-00 y[k[k #i; की राशि प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानन्द के नाम पर अध्यक्षपीठ को अनुमोदित किया है।

X;kjgoh ipo'kh; ;ktuk d nkjku de l de pkj fofufn"V foKku fo'k; k d vè;rk f'k{kdk dk 15]000 #i, ifrekg dk fo'k'k ekun;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रतिमाह का विशेष मानदेय प्रदान करने की योजना आरंभ की है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार अकादमियों में से कम से कम दो विशयों के अध्येता हों।

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरु
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली

कोई भी शिक्षक केवल एक मानदेय प्राप्त कर सकता है और एक से अधिक मानदेय प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात् सीएसआईआर से भटनागर अवार्ड प्राप्त कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना का लाभ उठा सकता है।

योजना के तहत वर्ष 2014-15 के दौरान, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 1-80 y[k[k #i; की राशि जारी की गई।

mn i ekè; e d vè;kidk d i'koj fodkl d fy, dUn dh LFkkiuk&

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया को निधियां उपलब्ध करवा रहा है। इन विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान की स्थिति निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

fo'ofokky; dk uke	vkoVu	ckjgoh ipo'kh; ;ktuk vofek d nkjku vc rd tkjh fd;k x;k vunku
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	400.00	376.00
अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी	400.00	370.00
जामिया मिलिया इस्लामिया	400.00	200.00

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu d; le{k o"K 2014&15 d; nkjku Hkxrku fd; ; x; vunkuk dk C;kjA

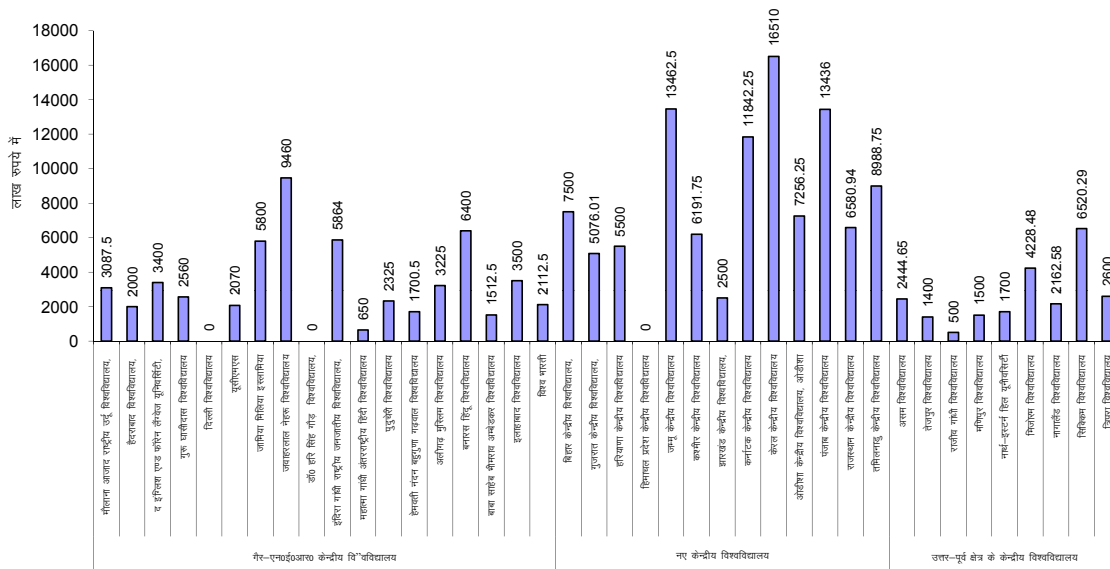
वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किये गये अनुदानों का ब्यौरा तालिका 3.1(क1) में दिया गया है:

rkfy dk 3-1% d1%

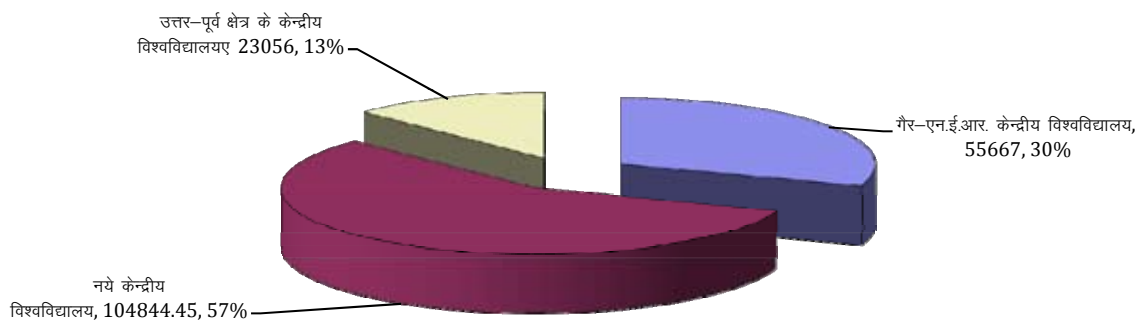
(लाख रुपये में)

Ø- l-	jkT; dk uke	fo'ofu ky; @fpfdRlk egkfo ky; dk uke	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu	o"K 2014&15 d; nkjku tkjh fd; k x; k vunku
1	2	3	4	5
	xj&, u-b-vkj- dUnh; fo'ofu ky; ;			
1	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	13400.00	3087.50
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	16600.00	2000.00
3		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	16100.00	3400.00
4	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	12900.00	2560.00
5 क	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	30000.00	0.00
5 ख		यूसीएमएस	12400.00	2070.00
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	20600.00	5800.00
7		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	20400.00	9460.00
8	मध्य प्रदेश	डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	12700.00	0.00
9		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	28000.00	5864.00
10	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	7400.00	650.00
11	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	14600.00	2325.00
12	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	17600.00	1700.50
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	16200.00	3225.00
14		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	24900.00	6400.00
15		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	5800.00	1512.50
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	13800.00	3500.00
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	6800.00	2112.50
	dy% xj&, u-b-vkj- dUnh; fo'ofu ky; ;		290200.00	55667.00
	u, dUnh; fo'ofu ky; ;			
18	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	27975.00	7500.00
19	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	23775.00	5076.01
20	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	31050.00	5500.00
21	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	27200.00	0.00
22	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	38850.00	13462.50
23		कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	38475.00	6191.75
24	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	29850.00	2500.00
25	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	28225.00	11842.25
26	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	35725.00	16510.00
27	ओडीशा	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	31900.00	7256.25
28	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	33350.00	13436.00
29	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	30775.00	6580.94
30	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	30050.00	8988.75
	dy% II %u; dUnh; fo'ofu ky; ;		407200.00	104844.45
	dy% I + II		697400.00	160511.45
	mUkj&io {k= d; dUnh; fo'ofu ky; ;			
31	असम	असम विश्वविद्यालय	2444.65	2444.65
32		तेजपुर विश्वविद्यालय	1400.00	1400.00
33	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	500.00	500.00
34	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	1500.00	1500.00
35	मेघालय	नार्थ-इस्टर्न हिल युनीवर्सिटी	1700.00	1700.00
36	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	4228.48	4228.48
37	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	2162.58	2162.58
38	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	6520.29	6520.29
39	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2600.00	2600.00
	dy% II %mUkj&io {k=		116700.00	23056.00
	dy% ;kx (I+II+III)		814100.00	183567.45

j:[kfp= 3-1% d1% ckjgoh ipo"kh; ;kt uk %2014&15% d nkjku dUnh; fo'ofok y; k d k tkjh fd; k x; k ;kt ukxr vunku



o" 2014&15 d nkjku xj&,u-b-vkj-] u,] mÜkj&io {k= d dUnh; fo'ofok y; k d k tkjh fd; k x; k ;kt ukxr vunku %yk[k #i, e%



3-1% d2% xj&;kt ukxr vunku

वर्ष 2014-15 के दौरान, 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और 'युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंसेज' के अनुरक्षण व्यय का भुगतान करने के लिए 352745-40 लाख रुपये का गैर-योजनागत अनुदान जारी किया गया था। अन्य विश्वविद्यालय नये स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं तथा वे वर्तमान में, योजनागत अनुदान से अपने आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की पूर्ति कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान गैर योजनागत अनुदान के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

rkfydk 3-1 %d 2% o" 2014&15 d nkjku %ckjgoh ipo"kh; ;kt uk% fo'ofok y; vunku vk;kx }kjk dUnh; fo'ofok y; k d k tkjh fd; ; x; ; xj&;kt ukxr vunku dk C;kjk

(लाख रुपये में)

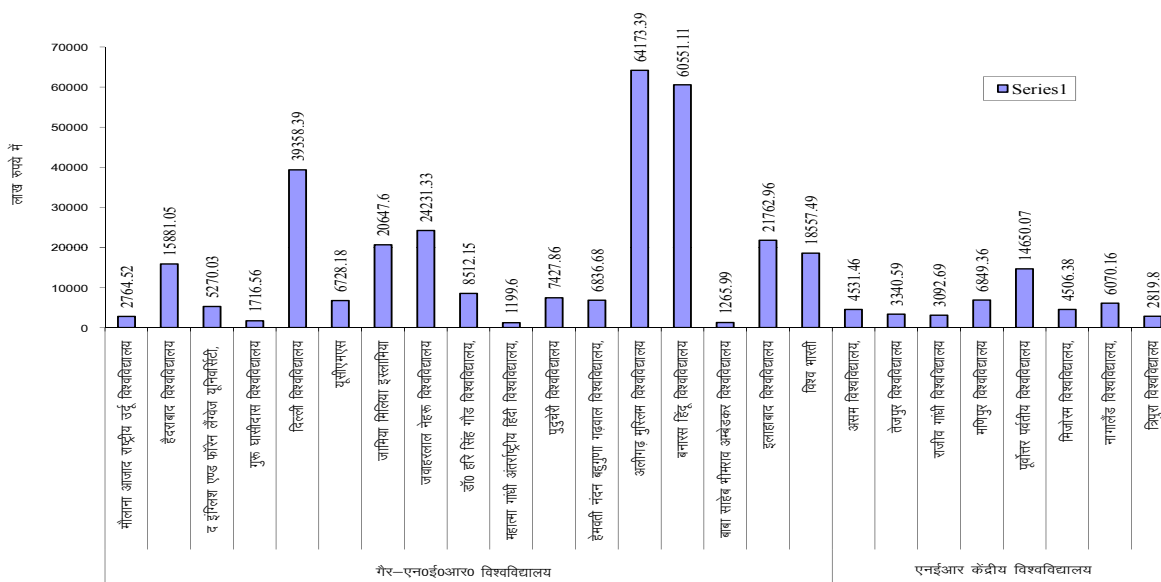
Ø- 1- fo'ofok y; k d uke	tkjh dh xbi jkf'k
1 2	3
xj&,u-b-vkj- fo'ofok y; ;	
r;yxxuk	
1 मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2764.52
2 हैदराबाद विश्वविद्यालय	15881.05
3 द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, NÜkh l x<	5270.03
4 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	1716.56

Ø- 1- fo'ofok y; k d uke	tkjh dh xbi jkf'k
1 2	3
fnYyh	
5 दिल्ली विश्वविद्यालय	39358.39
6 यूसीएमएस	6728.18
7 जामिया मिलिया इस्लामिया	20647.60
8 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	24231.33
ee; in'k	
9 डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	8512.15

Ø- 1-	fo'ofok ky; dk uke	tkjh dh xb jkf'k
1	2	3
	egkj'V'	
10	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, inppjh	1199.60
11	पुदुचेरी विश्वविद्यालय mÜkj[kM	7427.86
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, mÜkj in'k	6836.68
13	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	64173.39
14	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	60551.11
15	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1265.99
16	इलाहाबाद विश्वविद्यालय if'pe cxky	21762.96
17	विश्व भारती dy xj&,u-b-vkj- dUnh; fo'ofok ky; vle	18557.49 306884.89
18	असम विश्वविद्यालय,	4531.46

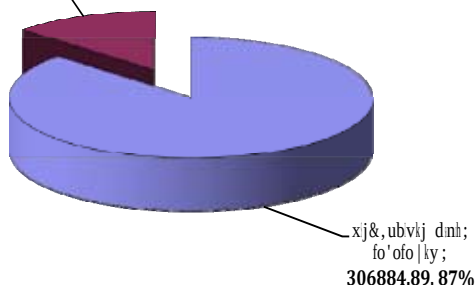
Ø- 1-	fo'ofok ky; dk uke	tkjh dh xb jkf'k
1	2	3
19	तेजपुर विश्वविद्यालय v#.kkpy in'k	3340.59
20	राजीव गांधी विश्वविद्यालय ef.kij	3092.69
21	मणिपुर विश्वविद्यालय e?kkky;	6849.36
22	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय fe tkje	14650.07
23	मिजोरम विश्वविद्यालय, ukxkyIM	4506.38
24	नागालैंड विश्वविद्यालय, f=ijk	6070.16
25	त्रिपुरा विश्वविद्यालय dy ,ubvkj dnh; fo'ofok ky; dy ;kx(xj&,ubvkj dnh; fo'ofok ky; + ,ubvkj dnh; fo'ofok ky;)	2819.80 45860.51 352745.40

3-1% d2% o'k 2014&15 d nkjku xj&,u-b-vkj- rFkk mÜkj&io {k= d dUnh; fo'ofok|ky; k
dk tkjh fd;k x;k xj&;ktukxr vunku %yk[k #i; e



j[kkfp= 3-1% d 2% o'k 2014&15 d nkjku mÜkj&io {k= rFkk xj&mÜkj&io {k= dk tkjh fd;k x;k xj&;ktukxr vunku %yk[k #i; e

,ubvkj dnh; fo'ofok|ky;
45860.51, 13%



eV_k fo' ofo | ky; l dYiuk

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मेटा विश्वविद्यालय की संकल्पना आरंभ की; मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ज्ञान अर्जन संसाधनों की सहभागिता करना है ताकि छात्र विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान अर्जन संसाधनों से लाभान्वित हो सकें। मेटा विश्वविद्यालय द्वितीय पीढ़ी के विश्वविद्यालय का द्योतक है जोकि भौतिक सीमांकन स्थितियों से मुक्त है तथा जो ऐसे क्षेत्रों में नवोन्मेष तथा उपलब्ध लचीलेपन का लाभ उठाकर आभासी स्थान में चल सके।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

ckâ; lkrk l foÜkik" k.k dh 0; oLFkk djuk

उच्चतर शिक्षा को सहायता प्रदान करने के लिए, अपनी परम्परा को पुनर्जीवित करने तथा विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "बाह्य संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन" नामक एक योजना आरंभ की थी। योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी एक विशिष्ट वर्ष में विश्वविद्यालय को प्राप्त योगदान के 25 प्रतिशत तक होगा जोकि अधिकतम 50.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा।

ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना से लाभान्वित हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा निम्नवत है:-

Øe l-	fo' ofo ky; dk uke	jkf'k %yk[k #i, e#		
		X; kjgoh ipo"kh; ; kt uk	ckjgoh ipo"kh; ; kt uk	dy
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	225.00	50.00	275.00
2.	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय	19.43	0.00	19.43
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	300.00	0.00	300.00

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

nkf[ky; e vÜ; fiNM ox dk vkj{k.k inku dju gr {kerk foLrkj

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों (सीईआई) में अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (असम्पन्न वर्ग के अलावा) हेतु अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में अनुमेय वार्षिक संख्या का 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना परिकल्पित है जिसके माध्यम से शिक्षा सत्र 2006-07 के लिए अनुमेय वार्षिक क्षमता को शिक्षा सत्र 2008-09 से आरंभ कर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के दौरान 54 प्रतिशत तक बढ़ाना अपेक्षित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ.पि.व., अ.जा. तथा अ.ज.जा. को प्रत्येक शिक्षा सत्र में उपलब्ध अनारक्षित सीटों की संख्या उस सत्र के लिए अनुमेय संख्या में वृद्धि के अनुरूप हो।

वर्ष 2014-15 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 4060-94 yk[k #i, का अनुदान (तेजपुर विश्वविद्यालय को 444.00 लाख रुपए, मणिपुर विश्वविद्यालय को 1100.00 लाख रुपये तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों को 2516.94 लाख रुपये) जारी किया गया।

dÜnh; fo' ofo | ky; k e f'k{k fo | ky; k dk LFkkfir djuk@l n< djuk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा विद्यालय के शिक्षकों एवं अध्यापकों के लिए शिक्षकों को तैयार करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बल देता आ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता को विस्तार देने के लिये साथ ही उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया था। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके भीतर एक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिये पत्र व्यवहार किया। इनमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास, अधिगम तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, निर्धारण तथा मूल्यांकन, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कार्य करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफटीई), 2009 की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए निधियां संस्वीकृत की जिसके विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु की जाने वाली पहल को भी बल प्रदान करते हुए शैक्षणिक स्टाफ कालेजों से अध्यापक शिक्षकों को पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके तथा समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सके।

उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्तमान में 36 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न सेवा-पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा उन्होंने अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

दलह; फो'फो|ky;dk,de'r vfrfjDr vunku

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत विश्वविद्यालयों को अवसरचर्यात्मक विकास हेतु 21788-50 yk[k #i; का राशि का एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया:

Ø- 1-	fo'fo ky; dk uke	yk[k #i; e	i;ktu
1.	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी	3750.00	अवसरचर्यात्मक विकास हेतु अतिरिक्त अनुदान
2	एच0एन0बी0 गढ़वाल युनिवर्सिटी	1000.00	परिसर में क्षति को ठीक-ठाक करवाने के लिए अतिरिक्त अनुदान
3.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3750.00	अवसरचर्यात्मक विकास हेतु अतिरिक्त अनुदान
4.	तेजपुर विश्वविद्यालय	150.00	केन्द्रीय विद्यालयों के वेतन व्यय हेतु अतिरिक्त अनुदान
5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	400.00	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिबद्ध दायित्व
6	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी	12652.29	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिबद्ध दायित्व
7	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	86.21	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिबद्ध दायित्व
	dy	21788.50	

Lon'kh vkj yIrik; Hkk"kkvk gr dUnk dh LFkkiuk

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना आरंभ करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना हेतु रिपोर्ट तैयार करने तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आयोग ने दिनांक 17.12.2012 को आयोजित बैठक में उक्त योजना की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत 09 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:-

1. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
2. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
3. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
4. इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश
5. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड
6. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
8. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल
9. विश्व भारती, पश्चिम बंगाल

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

दलह; फो'फो|ky;dk e vkrfjd xI.koUkk vk'oklu idk"B vkbD; , l h

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत सभी विश्वविद्यालय आईक्यूएसी की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जा सकता है:-

1.	निदेशक/समन्वयक, आईक्यूएसी को 1000x12x5 की दर से मानदेय	60,000—/रुपये की दर से मानदेय।
2.	कार्यालय उपस्कर	1,00,000 /—
3.	सचिवालयी और तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु भुगतान	1,80,000 /—
4.	आईसीटी संचार व्यय	80,000 /—
5.	आकस्मिक व्यय	80,000 /—
	दिय	5]00]00@&

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

fo'ofok|ky;k e efgyk Nk=koklk dk fuek.k

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने तथा व्यापक रूप से समाज के विकास हेतु उपलब्ध क्षमता का दोहन करने के साथ ही, लिंग समानता और महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

योजना के तहत, निम्नवत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(लाख रुपये में)

efgyk ukekdu	egkuxj d vykok vU; {k=	egkuxj@fo'k"n nt oky; jkT; *
500 तक	100.00	200.00
500 से अधिक	120.00	240.00

* विशेष दर्जे वाले राज्यों में उत्तर-पूर्वी राज्य (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

,u,,lh }kjk iR;d dUnh; fo'ofok|ky; dk vfuok;l iR;k;u

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शी तथा संसूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी पद्धतियां हैं जिससे छात्रों तथा अन्य को सामान्य संदर्भ ढांचा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा उसकी स्थापना के कतिपय वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर/विनिर्दिष्ट संख्या में बैच (दो बैच) उत्तीर्ण होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई, चाहे जिस नाम से इसे जाना जाए, ;fn og 31 fnlEcj] 2015 dk vFkok bl l io viuk fuek.k rFkk eY;kdu ugh djokrh g rk og fnukd 1 viiy] 2016 rFkk bld i'pkr fo'ofok|ky; vunku vk;kx l bldh fd l h Hkh ;ktuk d fy; foUkh; lgk;rk gr vkonu djv vFkok ikIr djv d fy; ik= ugh gkxhA

39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 13 dUnh; fo'ofok|ky;k ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। 09 dUnh; fo'ofok|ky;k ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था परंतु उनकी प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है तथा उन्होंने पुनः प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। 11 dUnh; fo'ofok|ky;k ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। 6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्यायन हेतु आवेदन किया जाना शेष है।

चण्डीगढ़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी ने दिनांक 12 से 13 सितम्बर, 2015 को चण्डीगढ़ में आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के दो दिवसीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाई।

lEeyu dh e[; fo'k"krk; fuEuor jgh

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियम में दी गई समय-सीमा के अनुसार एनएएसी प्रत्यायन अथवा पुनर्प्रत्यायन (जैसा मामला हो) को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया।

नेशनल रैंकिंग प्रणाली हेतु एक ढांचा विकसित करने के लिए द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपतियों के कार्यसमूह का गठन किया गया।

fl.dy bFM;k buhf'k;fVo

m|kx ifj"kn&mPprj f'k{kk lg;kx %lhvkb, pblh% को अनुसंधान को बढ़ावा देने, संसाधनों को जुटाने, बाजार हेतु तैयार जनशक्ति को विकसित करने तथा रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने हेतु पहल की पहचान करने के लिये आरंभ किया गया है। परिषद् छात्रों को रोजगार हेतु तैयार करने के लिये पड़ोसी उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उभरते हुए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट प्रकोष्ठों के साथ सहयोग करेगी। सीआईएचईसी बेहतर परामर्श तथा प्लेसमेंट के लिये सभी प्लेसमेंट प्रकोष्ठों में परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी मदद करेगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय को सभी विधाओं (केवल विज्ञान और पेशेवर विधाओं में ही नहीं) के लिये प्लेसमेंट प्रकोष्ठ (यदि पहले से स्थापित नहीं हो) की स्थापना करनी चाहिये। प्रत्येक प्लेसमेंट प्रकोष्ठ में परामर्शदाता होंगे जिन्हें कौशल विकास हेतु तथा रोजगार प्रदान करने में समन्वय करने के लिये संस्थान के भीतर प्रशिक्षण देना चाहिए।

एक वर्ष में कौशल विकास हेतु 'कौशल प्रदान करने में उत्कृष्टता' वाले 100 केन्द्र, जिन्हें Kku vti rFkk dk'ky;Dr ekuo l{kerkvk rFkk vkt hfodk %dk'ky% mlu;u dUn कहा जायेगा, की स्थापना की जायेगी। यह केन्द्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के समग्र कौशल विकास के प्रयासों के साथ समन्वय करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिक वित्तपोषण किया जायेगा।

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय; झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीबीएयू, त्रिपुरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा पुदुचेरी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों का एक कार्य समूह तैयार किया गया ताकि निम्नवत पर दिशानिर्देश तैयार किये जा सकें:-

- (1) सामान्य प्रवेश
- (2) सामान्य पाठ्यचर्या
- (3) छात्र अंतरण
- (4) संकाय अंतरण
- (5) राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण प्रणाली

Kku %'k{kf.kd uVodk gr of'od uVodk के तहत, विश्वविद्यालय, देश तथा विदेशों से एक माह के भीतर प्रतिष्ठित विद्वानों, शोधकर्ताओं की सूची उपलब्ध करायेगे जिन्हें वे अपने विश्वविद्यालयों में 'गेस्ट स्पीकर' / 'स्कॉलर्स-इन-रेजिडेंस' आदि के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे।

fMthVy bFM;k igy

सभी कुलपतियों (वीसी) से आईआईटी मुंबई द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से सृजित मॉस ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफॉर्म के जरिये Lo;LVMh oc vkQ ,flVo yfulx Qkj ;x ,Lik;fjx ekbMl% की डिजीटल इंडिया पहल के तहत नागरिकों को निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है।

- jk"Vh; b&xFkky; की एक ऑनलाइन पोर्टल के रूप में परिकल्पन की गई है जो सभी नागरिकों हेतु डिजीटल प्रारूप में गुणवत्तायुक्त विषयवस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित कर ज्ञान तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- dEil duDV dk;Øe को वाई-फाई सक्षमकारी उच्चतर शिक्षा संस्थान सुनिश्चित करने के लिये आरंभ किया गया है। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि उनके कैम्पस/घटक महाविद्यालय यथासंभव शीघ्र वाई-फाई सक्षम बन जाएं।
- प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों के प्रोफाइल (जीवनवृत्त), विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के कैलेंडर] शैक्षणिक कैलेंडर, सभी सांविधिक निकायों के सदस्यों के नाम तथा उनका कार्यकाल, शोध निष्कर्ष, बजट के बारे में जानकारी, रिक्तियां, कुल सचिव, वित्त अधिकारी आदि का कार्यकाल सहित सभी संगत जानकारियों को प्रदर्शित करेगा।
- भारत की 40 जानी मानी हस्तियों की पहचान की जायेगी। सभी विश्वविद्यालयों से ऐसे विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की पहचान करने का अनुरोध किया गया, जिन्हें इन महान व्यक्तित्वों को शिक्षित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा इन संस्थानों में सुविधाओं तथा अवसरचना को विकसित करने/सुधार करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी कुलपतियों से हर कीमत पर छात्रों तथा कर्मचारिवृद्धों के यौन उत्पीड़न को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निशक्त छात्रों हेतु उपर्युक्त सुविधाएं तथा अवसरचना सुनिश्चित करनी चाहिये।

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) के कुलपतियों (वीसी) का दो दिवसीय सम्मेलन दिनांक 5 फरवरी, 2015 को राष्ट्रपति भवन में समाप्त हुआ।
- कुलपतियों (वीसी) ने सम्मेलन की कार्यसूची की पांच मदों पर विस्तृत सिफारिशों के सेट को अंगीकार किया नामतः (1) शोध और नवोन्मेष हेतु परिवेश तैयार करने के लिये कदम उठाना (2) संकाय का क्षमता विकास, पूर्व छात्रों की भागीदारी तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समुदाय के साथ जुड़ाव को और सुदृढ़ करना; (4) गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना; (5) चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को अंगीकार करना। सिफारिशों में निम्नवत शामिल हैं:
- सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा वर्ष 2015-16 से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को लागू किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक समुदाय विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा जो विश्वविद्यालय द्वारा आदर्श ग्राम के रूप में अपनाने के लिए अपने इर्द-गिर्द कम से कम 05 ग्रामों की पहचान करेगा।
- एक वृहद समिश्रित मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) रणनीति को अपनाया जाना चाहिए।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय को शासी निकायों में पूर्व छात्रों को सम्मिलित किये जाने के लिये परिणियमों में संशोधन की सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को करनी चाहिये।
- विजिटर के नामितियों में से नियुक्ति के छह माह के भीतर शिक्षण कर्मचारिवृंदों के चयन का कार्य पूर्ण किया जाना चाहिये।
- एनएएसी प्रत्यायन हेतु सभी क्रियाकलाप छह माह के भीतर पूर्ण किये जाने चाहिए।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व छात्रों का डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं तथा क्रियाकलापों की पूर्ति करने के लिये एक नोडल अधिकारी नामित करना चाहिये तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के "चर्चा पृष्ठ" पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की अच्छी पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करना चाहिए।
- प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अगले 30 दिनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये।
- अगले 60 दिनों के भीतर उत्कृष्टता के केन्द्र को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भेजे जाने चाहिये।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिन्होंने नवोन्मेष क्लबों की स्थापना नहीं की है उन्हें इनकी स्थापना करनी चाहिए।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिन्होंने 'प्रेरित शिक्षक नेटवर्क' की स्थापना नहीं की है उन्हें इनकी स्थापना करनी चाहिए।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 'उद्योग इंटरफेस प्रकोष्ठों' की स्थापना का कार्य अगले छह माह के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिये।
- समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कुलपतियों को बताया कि उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता के सर्वोच्च मानकों की प्राप्ति के लिये "गुरु" तथा मार्गदर्शक, विद्वान तथा छात्र के रूप में कार्य करना चाहिये। उन्हें स्वयं को सशक्त समझना चाहिये तथा स्वयं में निहित प्रशासनिक तथा नैतिक प्राधिकार का उपयोग कर इन विश्वविद्यालयों को अपने प्रभाव के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रसार करने वाला "केन्द्र" बनाना चाहिये।
- राष्ट्रपति महोदय ने प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से एक प्रेरित शिक्षक को "आर्टिस्ट-इन-रेजीडेंस" तथा "इनोवेशन स्कॉलर इन रेजीडेंस" कार्यक्रम की तर्ज पर एक नये कार्यक्रम के अंतर्गत एक सप्ताह के लिए राष्ट्रपति भवन के समुदाय का भाग बनने तथा नया अनुभव प्राप्त करने के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को मार्च, 2015 से राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित एक सप्ताह की अवधि के "नवोन्मेष उत्सव" (एफओआईएन) में भाग लेने के लिये प्रतिनिधियों को भेजने का भी अनुरोध किया।
- राष्ट्रपति महोदय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कुलपतियों से इस सम्मेलन की सिफारिशों को समयाबद्ध तरीके से लागू करने का आह्वान किया तथा उल्लेख किया कि इन उपायों के माध्यम से प्राप्त की गई उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री जून, 2015 में एक बैठक करेंगी।
- समापन सत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती जुबिन ईरानी भी उपस्थित थी।

fo'ofok|ky; ei lkekftd mUkjnkf; Ro rFkk lkenkf; d Hkxhnhkj dh c<kok nu d fy; dUn dh LFkkiuk

देश में तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संबंधी संचालन समिति की सिफारिशों के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। जबकि अनेक संस्थान पहले ही एनएसएस जैसे कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें वृहद रूप से समुदाय की मदद करने के लिये तैयार किया गया है। सामुदायिक भागीदारी के संबंध में नई पद्धति की सिफारिश, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जा रही है जिसमें समुदायों, सिविल समाज तथा देश के उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के बीच आपसी लाभ तथा सम्मानपूर्ण भागीदारी पर बल दिया गया है।

विश्वविद्यालयी प्रणाली में पहुंच/विस्तार क्रियाकलापों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इस प्रकार अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान व्यापक रूप से समाज से कटे हुए रहते हैं। इसलिये, यह महत्वपूर्ण है कि इस बात को स्पष्ट रूप से तथा बलपूर्वक अधिदेशित किया जाये कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 'सामुदायिक भागीदारी' का मूल उद्देश्य समुदाय तथा संस्थानों दोनों के आपसी हितों की पूर्ति करना है। हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रों की स्थापना संबंधी दिशानिर्देश तैयार किये हैं। योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ (i) समुदाय को एक रूपरेखा उपलब्ध कराना/विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालय भागीदारी योजना (ii) इसमें लोगों के जीवन को शामिल करने के लिये ज्ञान को विकसित करने हेतु समुदाय/विश्वविद्यालयी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा भागीदारी पूर्ण शोध को बढ़ावा देना (iii) परियोजनाओं की आयोजना और निष्पादन हेतु सहभागिता आधारित संगठनों के साथ कार्य करना। (iv) समुदाय की ज्ञान अर्जन संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा को डिजाइन करना तथा उसका विकास करना, और (v) विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों के एक आपसी नेटवर्क का सृजन करना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के मामले में नीतिगत सुझाव तथा तकनीकी सहायता मुहैया करवाना।

ckjgoh ipo"kh; ; ktuk d rgr fo'ofok ky; k vkj egkfo ky; k dk fo'k"k fojklr dk ntk inku djuk

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को विशेष दर्जा प्रदान करने की योजना तैयार की थी और इस योजना के तहत ऐसे संस्थान जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 10.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस योजना के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

3-1 [k% jkT; fo'ofok ky;

3-1[k 1% ; ktukxr vunku

jkT; fo'ofok ky; k dk lkekU; fodkl lgk; rk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनिर्दिष्ट मानकों के ढांचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती है।

- विश्वविद्यालयों को बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संपर्क, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, यात्रा अनुदान/सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य, अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई आमेलित योजना की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजना के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई एनकोर नामक योजना अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग होगी। इस योजना के लिए अलग से कोई निधियां प्रदान नहीं की जायेंगी।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ववर्ती योजना अर्थात् मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा को भी अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। इस योजना के लिये अलग से कोई निधियां मुहैया नहीं करवाई जायेंगी।
- आगन्तुक/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना का भाग होंगी।
- विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में अध्यक्षपीठों की स्थापना के रूप में जारी रहेगी।
- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना तथा महिला छात्रावास के निर्माण की एक स्वतंत्र योजना को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा अब यह आमेलित योजना का भाग नहीं होगी और पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।
- ऐसे शिक्षकों को विशेष मानदेय की योजना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों, यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।

ckjgoh ipo^{kh}; ;ktuk vofèk d nkjku jkT; fo'ofok|ky; k gr lkekU; fodkl lgk;rk d rgr jkT; fo'ofok|ky; ¼, l; ½ C; jk }kj fuEuor ;ktuk, pykb tk jgh g&

Ø- l-	en
1.	भवनो का विनिर्माण और उनका नवीकरण
2.	कैम्पस विकास
3.	कर्मचारिवृंद
4.	पुस्तकें और जर्नल
5.	प्रयोगशाला उपस्कर और अवसंरचना
6.	वार्षिक अनुरक्षण संविदा
7.	नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप
8.	विश्वविद्यालय-उद्योग संपर्क
9.	विस्तार क्रियाकलाप
10.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
11.	आईसीटी का विकास
12.	स्वास्थ्य परिचर्या
13.	छात्रावासों सहित छात्र सुविधाएं

Ø- l-	en
14.	यात्रा अनुदान
15.	सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला
16.	प्रकाशन अनुदान
17.	अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति
18.	वृत्ति तथा परामर्श सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना
19.	दिवसीय देखभाल केन्द्र
20.	महिलाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं
21.	संकाय विकास कार्यक्रम
22.	एनकोर
23.	मानवाधिकार और कर्तव्यों के संबंध में शिक्षा
24.	अंशकालिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय
25.	छात्रों को नेट के अलावा अन्य अध्येतावृत्तियां

- यहां इस बात पर भी ध्यान दें कि निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थी, उन्हें अब इस प्रयोजनार्थ गठित एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

- समान अवसर प्रकोष्ठ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु नेट अनुशिक्षण।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।
- निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात, नोबल पुरस्कार से सम्मानित तथा अपने योगदान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर नए अध्यक्षपीठों को आरंभ किया है:

i.	मोतीलाल नेहरू (मौजूदा अध्यक्षपीठ)	xiv.	पं० मदन मोहन मालवीय
ii.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (मौजूदा अध्यक्षपीठ)	xv.	सर सैयद अहमद खान
iii.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (मौजूदा अध्यक्षपीठ)	xvi.	रविन्द्र नाथ टैगोर
iv.	लाल बहादुर शास्त्री (मौजूदा अध्यक्षपीठ)	xvii.	सी०वी० रमन
v.	बाबू जगजीवन राम (मौजूदा अध्यक्षपीठ)	xviii.	मदर टैरिसा
vi.	राजीव गांधी (मौजूदा अध्यक्षपीठ)	xix.	सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर
vii.	स्वामी विवेकानन्द	xx.	हरगोबिन्द खुराना
viii.	महात्मा गांधी	xxi.	अमर्त्य सेन
ix.	पं० जवाहर लाल नेहरू	xxii.	वेंकटराम रामकृष्णन
x.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर	xxiii.	ई० श्रीधरन
xi.	डॉ० जाकिर हुसैन	xxiv.	डॉ० होमी जहांगीर भाभा
xii.	डॉ० एस० राधाकृष्ण	xxv.	लक्ष्मीकांत बेजबाराव
xiii.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	xxvi.	श्री अरविन्दो

- वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत" नामक नई योजना आरंभ की। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय पहले से ही आबंटित सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करेंगे जो पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित किया गया है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 40,03,93,965/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- कश्मीर विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों की स्थापना हेतु कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर को 33,59,95,600/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कोलकाता विश्वविद्यालय को नेनो-विज्ञान तथा नेनो-प्रौद्योगिकी में शोध के प्रयोजनार्थ 20,00,00,000 रुपए की विशेष अनुदान राशि संस्वीकृत की गई।

- अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विशिष्ट कार्यक्रम के तहत गैर-योजनागत अनुरक्षण अनुदान के लिए अन्ना विश्वविद्यालय को 15,71,07,242/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के लिये मुंबई विश्वविद्यालय हेतु 2,00,00,000/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- गैर-योजनागत अनुदान हेतु पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को 1,31,83,97,040/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना, अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजना तथा समान अवसर प्रकोष्ठ के तहत राज्यवार/विश्वविद्यालय-वार/आवंटित और संस्वीकृत अनुदान (2012-15) का ब्यौरा नीचे तालिका 3.1(ख1) में दिया गया है।

rkfydk 3-14[k 1% ckjgoh ipo"kh; ; ktuk vofek 2012&2015% d nkjku lkekU; fodkl lgk;rk ; ktuk] v0tk0@
v0t0tk0@v0fi0o0 %vleIUu ox%@vYil[; dk gr vuf'k{k.k ; ktuk rFkk leku volj idk"B d rgr jkT;
fo'ofokky; dk vkcfVr vkj tkjh vunku dk C;kjk

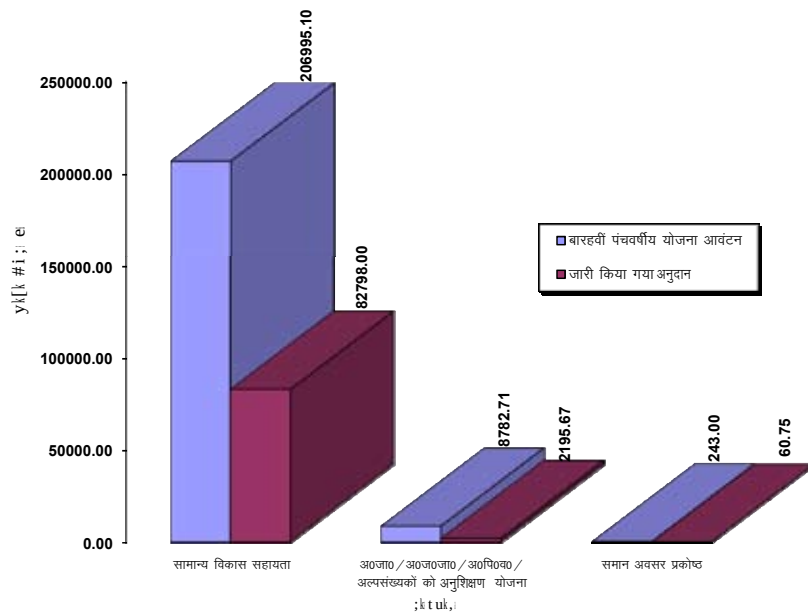
Ø- 1- jkT;@fo'ofokky; dk uke	lkekU; fodkl lgk;rk		v-tk-@v-t-tk-@v-fi-o-@ vYil[; dk dk vuf'k{k.k ; ktuk		leku volj idk"B	
	ckjgoh ipo"kh; ; ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k dy vunku	ckjgoh ipo"kh; ; ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k vunku	ckjgoh ipo"kh; ; ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k vunku
vkUek çn'k						
1 आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर,	1555.00	622.00	65.00	16.25	2.00	0.50
2 आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	1997.00	798.80	12.00	3.00	2.00	0.50
3 द्रविडयन विश्वविद्यालय, कुप्पम	997.00	398.80	15.00	3.75	2.00	0.50
4 जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल युनिवर्सिटी, हैदराबाद	1520.00	608.00	36.00	9.00	2.00	0.50
5 जेएनटी विश्वविद्यालय, काकीनाडा	1065.00	426.00	57.00	14.25	2.00	0.50
6 काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल	1479.00	591.60	15.00	3.75	2.00	0.50
7 ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3195.00	1278.00	120.00	30.00	2.00	0.50
8 पी.एस. तेलुगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1062.00	424.80	35.00	8.75	2.00	0.50
9 श्री कृष्णादेवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	1259.00	503.60	78.00	19.50		
10 श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	1373.00	549.20	120.00	30.00	2.00	0.50
11 श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति	1852.00	740.80	120.00	30.00	2.00	0.50
12 तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	800.00	320.00	-			
13 योगी वेमाना विश्वविद्यालय, कदम्पा (आंध्र प्रदेश)	800.00	320.00	36.00	9.00	2.00	0.50
14 नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	834.00	333.60	4.80	1.20	2.00	0.50
15 महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, नलगोण्डा, आंध्र प्रदेश	700.00	280.00				
16 जेएनटी विश्वविद्यालय, अनंतपुर	1010.00	404.00	57.00	14.25	2.00	0.50
vle						
17 गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	1701.00	680.40	120.00	30.00		
18 डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	1571.10	628.40	78.00	19.50	2.00	0.50
fcgkj						
19 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विष्वाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1372.00	548.80	66.00	16.50	5.00	1.25
20 भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	1164.00	465.60	55.00	13.75	2.00	0.50
21 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	1103.00	441.20	110.00	27.50	2.00	0.50
22 के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	979.00	391.60	120.00	30.00	2.00	0.50
23 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	1433.00	573.20	90.00	22.50	2.00	0.50
24 मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	1432.00	572.80	120.00	30.00	2.00	0.50
25 पटना विश्वविद्यालय, पटना	1253.00	501.20	120.00	30.00		
26 टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	1237.00	494.80	65.00	16.25	2.00	0.50
27 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	970.00	388.00	24.00	6.00	2.00	0.50
28 चाणक्य नेशनल विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)	800.00	320.00				
NÜkh lx<						
29 इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	800.00	320.00	2.00	0.50		
30 पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	1472.00	588.80	120.00	30.00	2.00	0.50
31 एच.एन. लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	922.00	368.80	8.00	2.00	5.00	1.25
finYyh						
32 जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	1128.00	451.20	40.00	10.00		
33 नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, द्वारका (नई दिल्ली)	855.00	342.00	12.00	3.00	2.00	0.50
34 भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	700.00	280.00				
35 इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	700.00	280.00				
36 दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी, नई दिल्ली	700.00	280.00				
xkok						
37 गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	1513.00	605.20	55.00	13.75	2.00	0.50
xtjkr						
38 महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	1226.00	490.40	120.00	30.00	2.00	0.50
39 गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	1716.00	686.40	120.00	30.00	2.00	0.50

Ø- 1- jkT;@fo'ofok ky; dk uke	lkekU; fodkl lgk;rk		v-tk@v-t-tk@v-fi-o-@vYil[: dk dk vuf'k{k.k ;ktuk		leku volj idk"B	
	ckjgoh ipo"ñh; ;ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k dy vunku	ckjgoh ipo"ñh; ;ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k vunku	ckjgoh ipo"ñh; ;ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k vunku
40 एम.एस. बड़ोदा विश्वविद्यालय, बड़ोदरा	2406.00	962.40	5.00	1.25	2.00	0.50
41 नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटण	1069.00	427.60	120.00	30.00	2.00	0.50
42 सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	1252.00	500.80	44.00	11.00	2.00	0.50
43 सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	1327.00	530.80	36.00	9.00	2.00	0.50
44 साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	1567.00	626.80	120.00	30.00		
45 गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, अहमदाबाद	857.00	342.80	36.00	9.00	2.00	0.50
gfj;k.kk						
46 भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	1347.00	538.80	120.00	30.00	2.00	0.50
47 चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	1158.00	463.20	120.00	30.00	2.00	0.50
48 दीनबन्धु छोटाराम युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरथल	1038.00	415.20	100.00	25.00	2.00	0.50
49 गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	1017.00	406.80	120.00	30.00	2.00	0.50
50 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	1579.00	631.60	22.00	5.50	2.00	0.50
51 महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	1530.00	612.00	120.00	30.00		
52 वाईएमसीए युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद, हरियाणा	700.00	280.00				
fgekpy çn'k						
53 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1441.00	576.40	80.00	20.00		
tEe vkj d'ehj						
54 जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	1404.00	561.60	36.00	9.00	2.00	0.50
55 कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल	1761.00	704.40	120.00	30.00	2.00	0.50
56 श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा	1004.00	401.60	36.00	9.00	2.00	0.50
57 बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी (जम्मू और कश्मीर)	800.00	320.00	3.00	0.75	2.00	0.50
58 इस्लामिक युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, फुलवामा, जम्मू और कश्मीर	700.00	280.00				
>kj[k.M						
59 राँची विश्वविद्यालय, राँची	1203.00	481.20	57.00	14.25	2.00	0.50
60 सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	1269.00	507.60	105.00	26.25	2.00	0.50
61 विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	1355.00	542.00	100.00	25.00	2.00	0.50
dukVd						
62 बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु	2125.00	850.00	50.00	12.50	2.00	0.50
63 दावनगिरी विश्वविद्यालय,	1167.00	466.80	57.00	14.25	2.00	0.50
64 गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	1333.00	533.20	20.00	5.00	2.00	0.50
65 कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	1019.00	407.60	24.00	6.00	2.00	0.50
66 कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड	2437.00	974.80	20.00	5.00	2.00	0.50
67 कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	1041.00	416.40	13.65	3.41	2.00	0.50
68 कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा	1008.00	403.20	17.21	4.30		
69 मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोरगंगोत्री	1249.00	499.60	120.00	30.00	2.00	0.50
70 मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	2605.00	1042.00	135.00	33.75		
71 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बंगलुरु (कर्नाटक)	800.00	320.00				
72 तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर	700.00	280.00				
djy						
73 कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	1452.00	580.80	36.00	9.00	2.00	0.50
74 कोचीन युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची	1860.00	744.00	20.00	5.00	2.00	0.50
75 कन्नूर विश्वविद्यालय, मंगलूपायाम्बा	1423.00	569.20	20.00	5.00	2.00	0.50
76 केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम	1576.00	630.40	99.00	24.75	2.00	0.50
77 महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	1387.00	554.80	45.00	11.25	2.00	0.50
78 श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	800.00	320.00	18.00	4.50	2.00	0.50
ee; çn'k						
79 अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	1224.00	489.60	40.00	10.00	2.00	0.50
80 बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	1421.00	568.40	21.00	5.25	2.00	0.50
81 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	1389.00	555.60	40.00	10.00	2.00	0.50
82 जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	1177.00	470.80	45.00	11.25	2.00	0.50
83 एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	1032.00	412.80	40.00	10.00	2.00	0.50
84 राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	1039.00	415.60	72.00	18.00	2.00	0.50
85 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	1609.00	643.60	120.00	30.00	2.00	0.50
86 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1553.00	621.20	45.00	11.25	2.00	0.50
87 नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)	937.00	374.80	12.00	3.00	2.00	0.50
egkj'k"V						
88 डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	1219.00	487.60	60.00	15.00	2.00	0.50
89 डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी, रायगढ़	998.00	399.20	120.00	30.00		
90 नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव	1062.00	424.80	78.00	19.50	2.00	0.50
91 आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	1759.00	703.60	120.00	30.00	2.00	0.50

Ø- 1-	jkT;@fo'ofok y; dk uke	lkekli; fodkl lgk;rk		v-tk@v-t-tk@v-fi-o-@vYil[];dk dk vuf'k[k.k ;ktuk		leku volj idk"B	
		ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu	t kjh fd;k x;k dy vunku	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu	t kjh fd;k x;k vunku	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu	t kjh fd;k x;k vunku
92	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	1892.00	756.80	25.00	6.25	2.00	0.50
93	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	1399.00	559.60	40.00	10.00	2.00	0.50
94	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	1511.00	604.40	120.00	30.00	2.00	0.50
95	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड	1225.00	490.00	90.00	22.50	2.00	0.50
96	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	3331.00	1332.40	36.00	9.00	2.00	0.50
97	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	2684.00	1073.60	99.00	24.75	2.00	0.50
98	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र	700.00	280.00				
99	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर	700.00	280.00	-			
	vkMh'kk						
100	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, मंजा बिहार	1558.00	623.20	36.00	9.00	2.00	0.50
101	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	1000.00	400.00	36.00	9.00	2.00	0.50
102	नार्थ ओडीशा विश्वविद्यालय, बारीपेडा	800.00	320.00	36.00	9.00		
103	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक	949.00	379.60	40.00	10.00	2.00	0.50
104	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति बिहार	1455.00	582.00	23.00	5.75		
105	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	848.00	339.20	40.00	10.00		
106	उत्कल विश्वविद्यालय, भवनेश्वर	1316.00	526.40	32.00	8.00	2.00	0.50
107	वीएसएस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुर्ला, ओडीशा	700.00	280.00				
108	नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, कटक, ओडीशा	700.00	280.00	-	-		
	i t kc@pMhx<						
109	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	2631.00	1052.40	102.00	25.50		
110	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	1574.00	629.60	36.00	9.00	2.00	0.50
111	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	1571.00	628.40	99.00	24.75	2.00	0.50
112	राजीव गांधी नेशनल लॉ विश्वविद्यालय पटियाला	800.00	320.00	-	-	2.00	0.50
	jk t LFkku						
113	जे. एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	1720.00	688.00	120.00	30.00	2.00	0.50
114	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	1161.00	464.40	120.00	30.00		
115	एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1193.00	477.20	40.00	10.00	2.00	0.50
116	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2611.00	1044.40	36.00	9.00	2.00	0.50
117	नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)	800.00	320.00	12.00	3.00		
118	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान	800.00	320.00				
	rfeyukM						
119	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	1340.00	536.00	36.00	9.00	2.00	0.50
120	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	2597.00	1038.80	115.00	28.75	2.00	0.50
121	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर	1940.00	776.00			2.00	0.50
122	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	1494.00	597.60	120.00	30.00	2.00	0.50
123	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली	1337.00	534.80	36.00	9.00	2.00	0.50
124	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	2722.00	1088.80	40.00	10.00	2.00	0.50
125	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई	2302.00	920.80	30.00	7.50	2.00	0.50
126	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली	1322.00	528.80	120.00	30.00	2.00	0.50
127	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल	1007.00	402.80	12.00	3.00	2.00	0.50
128	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम	1267.00	506.80	120.00	30.00	2.00	0.50
129	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर	812.00	324.80	62.40	15.60	2.00	0.50
130	दि तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी, चेन्नई (तमिलनाडु)	862.00	344.80	2.40	0.60	2.00	0.50
	mÜkj ċn'k						
131	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	1101.00	440.40	99.00	24.75	2.00	0.50
132	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	1389.00	555.60	120.00	30.00	2.00	0.50
133	सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर	800.00	320.00	120.00	30.00		
134	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1341.00	536.40	120.00	30.00	2.00	0.50
135	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	1232.00	492.80	120.00	30.00	2.00	0.50
136	डा. आरएमएल अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	1168.00	467.20	120.00	30.00	2.00	0.50
137	जेआरएच विश्वविद्यालय, चित्रकूट	961.00	384.40	36.00	9.00	2.00	0.50
138	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1577.00	630.80	14.00	3.50	7.00	1.75
139	एमजी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	1022.00	408.80	81.25	20.31		
140	एमजेपी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	932.00	372.80	50.00	12.50	2.00	0.50
141	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	853.00	341.20	120.00	30.00		
142	वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	1103.00	441.20	120.00	30.00	2.00	0.50
143	डा. आरएमएल नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, लखनऊ (उ.प्र.)	800.00	320.00				
	mÜkj[k.k.M						
144	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	1448.00	579.20	120.00	30.00	2.00	0.50
145	दून विश्वविद्यालय, देरादून, उत्तराखण्ड	800.00	320.00	6.00	1.50	2.00	0.50
	if'pe cxky						
146	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस विश्वविद्यालय, शिवपुर,	1478.00	591.20	30.00	7.50	2.00	0.50

Ø- 1- jkT;@fo'ofok y; dk uke	lkekU; fodkl lgk;rk		v-tk@v-t-tk@v-fi-o-@vYil[:dk dk vuf'k{k.k ;ktuk		leku volj i.dk"B	
	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k dy vunku	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k vunku	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vkoVu	tkjh fd;k x;k vunku
147 बुद्धवान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान	1248.00	499.20	36.00	9.00		
148 कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	3126.00	1250.40	30.00	7.50	2.00	0.50
149 जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	3454.00	1381.60	36.00	9.00	2.00	0.50
150 कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	1372.00	548.80	20.00	5.00	2.00	0.50
151 नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	1476.00	590.40	78.00	19.50	2.00	0.50
152 रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	1200.00	480.00	10.00	2.50	2.00	0.50
153 विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	1353.00	541.20	120.00	30.00	2.00	0.50
154 वेस्ट बंगाल युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालाजी, कोलकाता	1038.00	415.20	36.00	9.00		
155 प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता	800.00	320.00	-	-		
156 द वेस्ट बंगाल नेशनल ज्युडिशियल युनिवर्सिटी (पश्चिम बंगाल)	862.00	344.80	5.00	1.25		
dy ;kx	206995.10	82798.00	8782.71	2195.67	243.00	60.75

j[kkfp= 3-1¼[k 1½% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku jkT; fo'ofok y; dk dk fn, x, ;ktukxr vunku dk vkoVu rFkk lforj.k



3.1 (ग) सम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विकास (योजनागत) तथा अनुसंधान (गैर-योजनागत) सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत/गैर-योजनागत/निर्धारित अनुसंधान/विशेष अनुदान प्राप्त करने वाले 21 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं। चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों का नाम नीचे दिया गया है:

;ktukxr vkj xij&;ktukxr vunku ¼'kr ifr'kr vuj{k.k vunku½ ikr dju oky le fo'ofok y;

- 1 अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर, -641043 (तमिलनाडु)
- 2 दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005, (उ0प्र0)
- 3 गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल-624302, (तमिलनाडु)
- 4 गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014, (गुजरात)
- 5 *गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249404, (उत्तराखण्ड)
- 6 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507, (अ0प्र0)
- 7 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महारौली रोड, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016

- 8 टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई-400088 (महाराष्ट्र)
;ktukxr vkj fuekkfjr vuj{k.k vunku iklr dju oky le fo'ofokjy;
- 9 जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062 (प्रत्येक वर्ष 8.00 करोड़ रुपये का योजनागत और निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है)
fuekkfjr vuj{k.k vunku iklr dju oky le fo'ofokjy;
- 10 श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, इनाथुर, कांचीपुरम-631552 (तमिलनाडु) (प्रत्येक वर्ष 7.00 करोड़ रुपये का निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है)
doy ;ktukxr vunku iklr dju oky le fo'ofokjy;
- 11 वनस्थली विद्यापीठ, पी0ओ0 वनस्थली, विद्यापीठ-304022, (राजस्थान)
- 12 सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221007, (उ0प्र0)
- 13 डेक्कन कॉलेज पी0 जी0 एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे,-411006 (महाराष्ट्र)
- 14 गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, शिवाजीनगर डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे,-411006, (महाराष्ट्र)
- 15 इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नथालाल पारेख मार्ग, मटूंगा, मुंबई-400019, (महाराष्ट्र)
- 16 जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट लॉन्डनू-341306 (राजस्थान)
- 17 श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशांतनिलयम-515134, जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)
- 18 चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, एच-1 सिपकॉट आईटी पार्क पादुर पोस्ट, सिरुसेरी-603103 (तमिलनाडु) (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
- 19 इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001 (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
20. रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711202 (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
fo'k'k vunku iklr dju oky le fo'ofokjy;
21. नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016
- * आयोग ने दिनांक 22.12.2011 तथा 13.02.2012 को आयोजित बैठक में मा0सं0वि0मं0 समीक्षा समिति की "ग" श्रेणी के तहत आने वाले सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया।

3-1 %x1% ;ktukxr vunku

1- lkekU; fodkl vunku

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 18 चिह्नित सम विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार तथा समेकन करना बल्कि कतिपय चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में सामान्य विकास सहायता प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर-नेट अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य /अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई आमेलित योजना की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजना के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थी, उसे अब स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक विशेष रूप से तैयार किये गये प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन योजनाओं के तहत पृथक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

(i) समान अवसर प्रकोष्ठ।

- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु नेट अनुशिक्षण।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।
- (v) निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिला छात्रावासों का निर्माण योजना को सभी चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

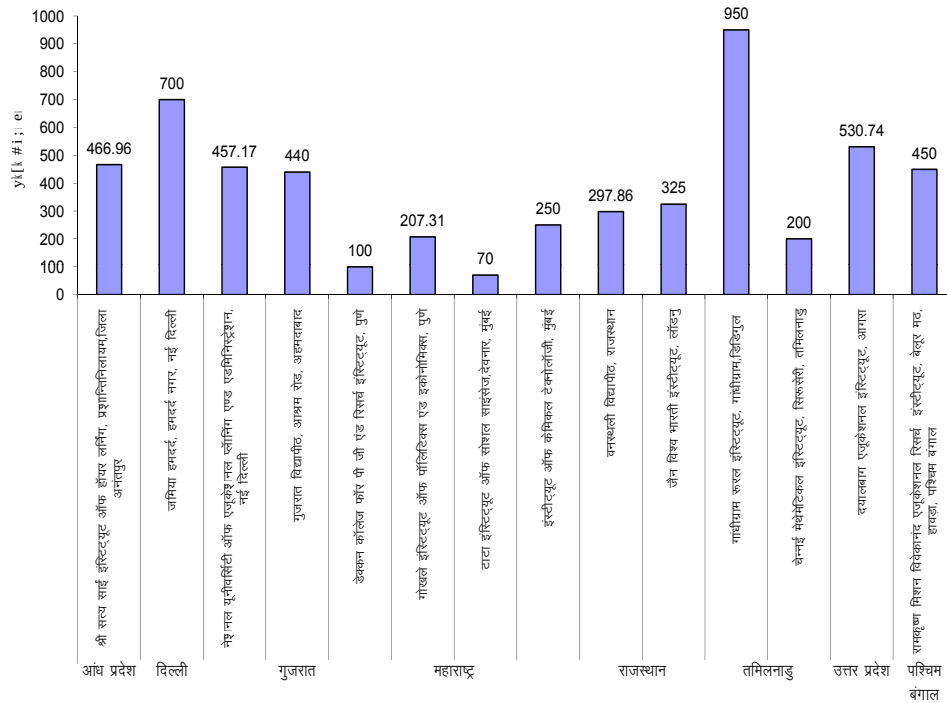
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई एनकोर योजना अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग होगी। इस योजना के लिए अलग से कोई निधियां प्रदान नहीं की जायेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता के तहत 14 चिह्नित संस्थानों को 5445.04 लाख रुपये की राशि जारी की है। वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों को संस्वीकृत किये जाने का ब्यौरा तालिका 3.1 (ग 1) में दिया गया है।

rkfy dk 3-1% x 1% o" 2014&15 d nkjku fpfàr le fo'ofok; ; LFkkuk dk tkjh fd;k x;k ; ktukxr vunku %fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vu|kj%

Ø- l-	fo'ofok; ;@jT; dk uke	ckjgoh ipo"kh; ; ktuk vkcVu	ckjgoh ipo"kh; ; ktuk lkekU; fodkl lgk;rk	X;ckjgoh ipo"kh; ; ktuk d le{k ; ktukxr vkcVu	vU;	dy
1	2	3	4	6	8	9
vkèk in'k						
1	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशान्तिनालायम, जिला अनंतपुर	1202.5	450	16.96		466.96
2	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1422.39				
fnYyh						
3	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली	2210.12	700			700
4	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1472.27				
5	इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	600				
6	नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली	शून्य			457.17	457.17
गुजरात						
7	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	1177.45	440			440
egkj"V						
8	डेक्कन कॉलेज फॉर पी जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे	602.5	100			100
9	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटेक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे	1096.25	140	32.31, 35.00		207.31
10	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, देवनार, मुंबई	2532.78		70 (छात्रावास)		70
11	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	1288.75	250			250
jkt LFkkU						
12	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	1645.62	212	45.17, 40.69		297.86
13	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लॉडनु	836.25	325			325
rfeyukM						
14	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन, कोयम्बतूर	1692.38				
15	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल	1900	950			950
16	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, एथानूर, कांचीपुरम	अनाबंदि नहीं				
17	चेन्नई मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, सिरुसेरी, तमिलनाडु	1000	200			200
mUkj in'k						
18	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी	709.37				
19	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	1111.37	500	6.00, 24.74		530.74
mUkjk kM						
20	*गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	आबंदि नहीं				
if'pe cxky						
21	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	2000	400	50 (2009-10)		450
dy		24500	4667	320.87	457.17	5445.04

j:[kkfp= 3-1x 1% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku le fo'ofok y;k dk tkjh fd;k x;k vunku %yk[k #i; e



3-1x2% xj&;ktukxr %vuj{k.k vunku%

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 चिह्नित सम विश्वविद्यालयों को गैर-योजनागत अनुदान प्रदान कर रहा है। इन चिह्नित 10 सम विश्वविद्यालयों में से 8 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत-प्रतिशत गैर-योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वेतनेत्तर मदों में : उपभोज्य वस्तुएं, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। 8 चिह्नित किये गये सम विश्वविद्यालयों के बजट अनुमानों/संशोधित बजट अनुमानों को इन विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों तथा वित्त अधिकारियों के साथ चर्चा उपरांत निर्धारित किया जाता है।

शेष दो चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान अर्थात् जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम प्रति वर्ष क्रमशः 800.00 लाख रुपये और 7.00 लाख रुपये की निर्धारित अनुरक्षण अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजनागत अनुदान के तहत 24792.94 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। अनुदान का ब्यौरा नीचे तालिका 3.1(ग 2) में दिया गया है।

rkfydk 3-1x2% o" 2014&2015 d nkjku fpfàr le fo'ofok y; 1LFkkuk dk tkjh fd;k x; xj&;ktukxr vunku %vuj{k.k vunku% dk C;kjk n'kku okyk fooj.k

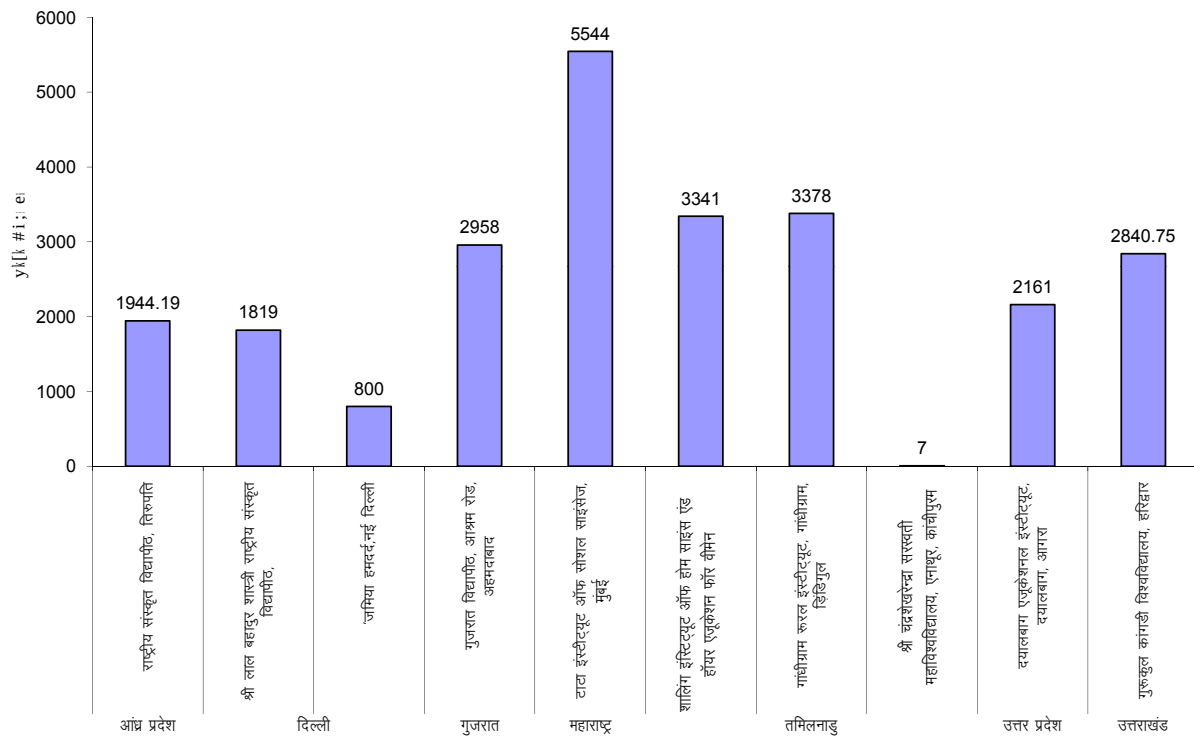
(लाख रुपये में)

Øe 1-	fo'ofok y; dk uke	o" 2014&2015 d nkjku tkjh fd;k x; k d y vunku
1	2	3
	vkèk im'k	
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1944.19
	ub fnYyh	
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली	1819.00
3	*जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	800.00
	xt jkr	
4.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	2958.00
	egkj"V	
5.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	5544.00

Øe l-	fo'ofokky; dk uke	o" 2014&2015 d nkjku tkjh fd;k x;k d y vunku
1	2	3
	rfeyukM	
6.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर	3341.00
7.	गांधीग्राम रुरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल	3378.00
8	*श्री चंद्रशेखरेन्द्रा सरस्वती विश्वविद्यालय, एनाथूर, कांचीपुरम	7.00
	mÜkj in'k	
9.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा	2161.00
	mÜkj[kM	
10.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2840.75
	d y	24792.94

* निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

3-1¼x 2¼% o" 2014&2015 d nkjku le fo'ofokky; dk tkjh fd;k x;k xij&ktukxr vunku yk[k #i; e



महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

4.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न, पहुंच, से जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना भारतीय उच्चतर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्नातकपूर्व और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अन्य बातों के साथ-साथ, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने पर बल दिया गया है। इसके लिए महाविद्यालयों को गुणवत्ता नियंत्रण तथा समेकन को नजरअदाज न करते हुए नामांकन में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 40,760 महाविद्यालय थे, जिनमें से केवल 9,940 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। मान्यताप्राप्त 9,940 महाविद्यालयों में से केवल 8,201 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेंद्रीकरण किया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी/कार्यान्वित किया जा सके। बाद में, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को "उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो" में परिवर्तित कर गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में दिनांक 25.09.2001 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, अवस्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों के कवरेज का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ)	स्थान	स्थापना की तिथि	कवरेज
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.04.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओड़ीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलुरु	25.4.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	गाजियाबाद नई दिल्ली	03.12.1994 25.9.2001	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड

o" 2014&15 ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku egkfo|ky; k d fy, dk;fUor dh xbi ;ktuk,

दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नवत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को अनुदानों का सवितरण कर रहे हैं:

- 1) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता
- 2) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण
- 3) स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों का जारी किया जाता है)
- 4) महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं (महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं—मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान)
- 5) महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन
- 6) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए महाविद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना)।
- 7) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ।
- 8) महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास।
- 9) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

vgrk ekun.M

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपर्युक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। 12(ख) का दर्जा प्राप्त स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र केन्द्रीत योजनाओं हेतु पात्र हैं।

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किये गये अनुदानों की योजनावार स्थिति

4-4 d ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku egkfo|ky; k dk lkekU; fodkl lgk;rk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत, महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपकरणों, कैम्पस विकास, उपर्युक्त शिक्षण हेतु अनिवार्य शिक्षण उपकरण, मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार क्रियाकलापों, महिलाओं के लिए सुविधाओं, आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत (01.04.2012 से 31.03.2015) वर्ष 2014-15 के दौरान, सामान्य विकास सहायता के तहत महाविद्यालयों को जारी अनुदानों का राज्य-वार और क्षेत्रीय कार्यालय-वार (आरओ) ब्यौरा निम्नवत है:-

rkfydk&4-4 d 1% lkekU; fodkl lgk;rk d fy, vunkuk dk jkT;&okj C;kjk

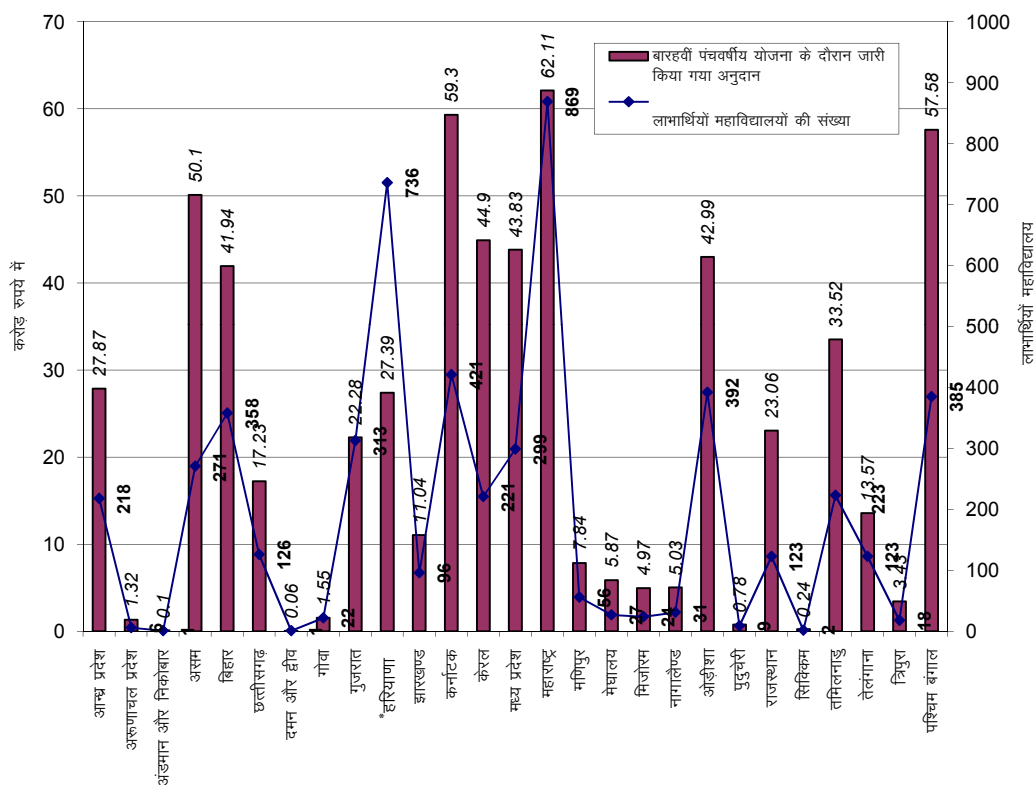
(करोड़ रुपये में)

Ø- l-	jkT;@l?k {k= dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku		ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku 01-04-2012 l 31-03-2015		
		ykHkkfFk;k dh l[;k	tkjh fd;k x;k vunku	ykHkkfFk;k dh l[;k	vkoVu	tkjh fd;k x;k vunku
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	1.17	218	62.85	27.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	6	3.24	1.32
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.10	1	-	0.10
4.	असम	60	7.60	271	106.71	50.10
5.	बिहार	80	7.07	358	83.44	41.94
6.	छत्तीसगढ़	25	3.00	126	40.32	17.23
7.	दमन और दीव	-	-	1	0.23	0.06
8.	दादरा और नागर हवेली	-	-	-	-	-
9.	गोवा	8	0.32	22	7.65	1.55
10.	गुजरात	146	5.35	313	113.86	22.28
11.	हरियाणा	3	0.01	736*	-	27.39*
12.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
13.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-
14.	झारखण्ड	20	2.00	96	22.55	11.04

क्र.सं.	राज्य/प्रदेश	वर्ष 2014-15 की तुलना में वृद्धि		वर्ष 2012-13 की तुलना में वृद्धि	
		अनुदान (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या	अनुदान (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
15.	कर्नाटक	154	13.20	421	59.30
16.	केरल	89	8.45	221	44.90
17.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	55	6.09	299	43.83
19.	महाराष्ट्र	537	17.78	869	62.11
20.	मणिपुर	10	0.81	56	7.84
21.	मेघालय	2	0.13	27	5.87
22.	मिजोरम	1	0.10	24	4.97
23.	नागालैण्ड	12	1.20	31	5.03
24.	ओड़ीशा	103	9.00	392	42.99
25.	पुदुचेरी	1	0.06	9	0.78
26.	पंजाब / चण्डीगढ़	4	0.09	-	-
27.	राजस्थान	32	4.29	123	23.06
28.	सिक्किम	-	-	2	0.24
29.	तमिलनाडु	9	1.36	223	33.52
30.	तेलंगाना	13	1.30	123	13.57
31.	त्रिपुरा	2	0.20	18	3.43
32.	उत्तर प्रदेश	8	0.62	-	-
33.	उत्तराखण्ड	-	-	-	-
34.	पश्चिम बंगाल	36	5.77	385	57.58
	योग	1419	97.07	5371	609.90

* राज्यों में हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब/चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड शामिल हैं।

जि.के.पी. = 44% की तुलना में वृद्धि; ; कृषि की तुलना में वृद्धि
रफ्तार से बढ़ रहा है; ; 2014-15 में 1.32 करोड़ रुपये



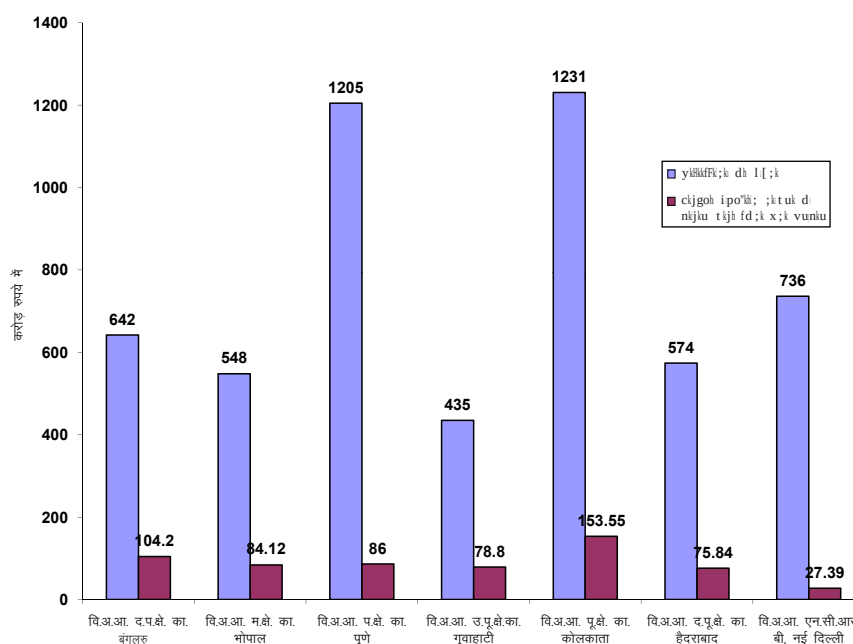
* राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब/चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड शामिल हैं।

रक्यदक4-4%द 2% लेकु; फोदकल लक;रक द फ्य, वुनकु गरी {k=h; dk;ky;&okj C;kjk

(करोड़ रुपये में)

Ø- 1-	{k=h; dk;ky; dk uke	tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2014 l 31.03.2015)				ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkju tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012 l 31.03.2015)		
		o" 2014&15 d nkju ykHkkFFk; dh l[;k %egfo ky; %	leku; vunku lg;rk & 31	itxrk ifj lEifÜk; & 35	dy	ykHkkFFk; dh l[;k	vkVu	tkjh fd;k x;k vunku
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का., बंगलुरु	243	1.34	20.31	21.65	642	204.33	104.20
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का., भोपाल	112	2.68	10.70	13.38	548	193.53	84.12
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का., पुणे	691	5.67	17.78	23.45	1205	395.90	86.00
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का., गुवाहाटी	87	-	10.04	10.04	435	172.05	78.80
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का., कोलकाता	239	3.72	20.12	23.84	1231	303.25	153.55
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	32	0.61	3.38	3.99	574	168.00	75.84
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	15	-	0.72	0.72	736*	-	*27.39
	dy	1419	14.02	83.05	97.07	5371	1437.06	609.9

j[kkfp= 4-4%द2% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkju {k=h; dk;ky; okj tkjh fd;k x;k ;ktukxr vunku %djkm #i; e# rFkk ykHkkFFk; dh l[;k %2014&15%



4-4%[k% egfo|ky; gr efgyk Nk=oklk dk fuek.k

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र महाविद्यालय, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु अर्हक हैं। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत अधिकतम सीमा के अधधीन शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

efgyk ukekdu	egkuxjk d vykok vÜ; {k=k d lcèk e jkf'k %yk[k #i; e#	egkuxjk tEe vkj d'ehj mÜkj&iol d {k=k rFkk fLkFDde d lcèk e jkf'k %yk[k #i; e#
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251-500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

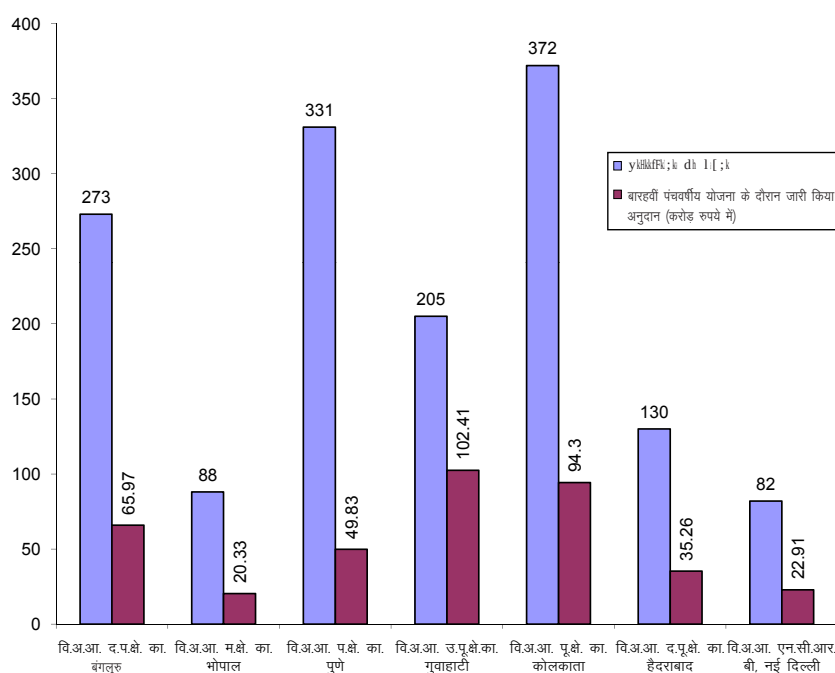
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये आवंटन/अधिकतम राशि से किए गए अधिक व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूरा करना होगा जिसका संबंधित संस्था स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगी और आश्वासन देगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आवंटित/अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाता है।

वर्ष 2014-2015 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना के तहत प्रदत्त अनुदानों की स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड रुपये में)

Ø- 1-	{k=h; dk;ky; dk uke	o"K 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku			ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012 l 31.03.2015 rd)	
		o"K 2014&15 d nkjku ykHkkkFFK; ku dh l[:k egfo ky;½	i thxr ifj lEifUk;k&35	d y	ykHkkkFFK; ku dh l[:k	tkjh fd;k x;k vunku
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	106	23.42	23.42	273	65.97
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	25	6.02	6.02	88	20.33
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	33	5.79	5.79	331	49.83
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	95	29.60	29.60	205	102.41
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	118	27.15	27.15	372	94.30
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	51	12.12	12.12	130	35.26
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	2	0.12	0.12	82	22.91
	d y	430	104.22	104.22	1481	391.01

j[^{kk}fp= 4-4[^{k/2} ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku efgyk Nk=koklk d fuek.k dh ;ktuk d rgr {k=h; dk;k;y;k }kjk tkjh
fd;k x;k vunku rFkk ykHkkfFk;k dh l f ; k %2014&15½



4-4¼x½ Lok; Ùk egkfo | ky;

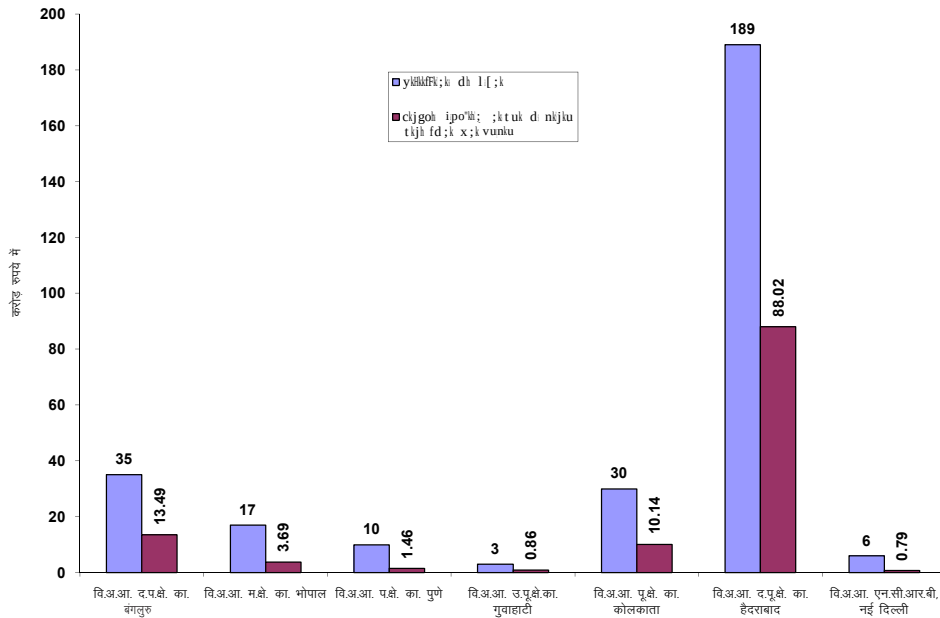
स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्ध संरचना से असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत संकायों की संख्या के आधार पर 9.00 लाख रु० से 20.00 लाख रुपये तक की धनराशि उपलब्ध करवायी जाती है। शिक्षा वर्ष 2013-14 से क्रेडिट प्वाइंट के साथ चयनित विषय के रूप में एनसीसी को आरंभ करने के लिए 1.00 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। वर्ष 2014-2015 के दौरान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदान की स्थिति निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

Ø-1-	Ø(k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku				ckjgoñ ipo"ñ; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012-31.03.2015)	
		o" 2014&15 d nkjku ykñkñkñk; k lkekñ; vunku dh l[;k ñegkfo ky;ñ	l gk; rk & 31	i thxr ifj l Eiññk; k & 35	dy	ykñkñkñk; k dh l[;k tkjh fd;k x;k vunku	
1.	वि.अ.आ. द.प.क्ष. का. बंगलुरु	35	2.61	3.10	5.71	35	13.49
2.	वि.अ.आ. म.क्ष. का. भोपाल	03	0.44	0.00	0.44	17	3.69
3.	वि.अ.आ. प.क्ष. का. पुणे	-	-	-	-	10	1.46
4.	वि.अ.आ. त.प.क्ष. का. गवाहाटी	3	-	0.41	0.41	3	0.86

Ø- l-	{k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku				ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012-31.03.2015)	
		o" 2014&15 d nkjku ykHkkfFk; dh l[;k egkfo ky; %		lkekU; vunku lg;rk & 31 ifj lEifÜk; & 35		ykHkkfFk; dh l[;k tkjh fd;k x;k vunku	dy
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	23	4.50	1.85	6.35	30	10.14
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	107	20.11	-	20.11	189	88.02
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	-	-	-	-	6	0.79
	dy	171	27.66	5.36	33.02	290	118.45

j[kfp= 44% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku Lok; Ük egkfo |ky; % ykHkkfFk; dh tkjh fd;k x;k vunku % djM #i; e 2014&15



4-4 % egkfo |ky; d f'k{kd gr y?k 'kkèk ifj;ktuk,

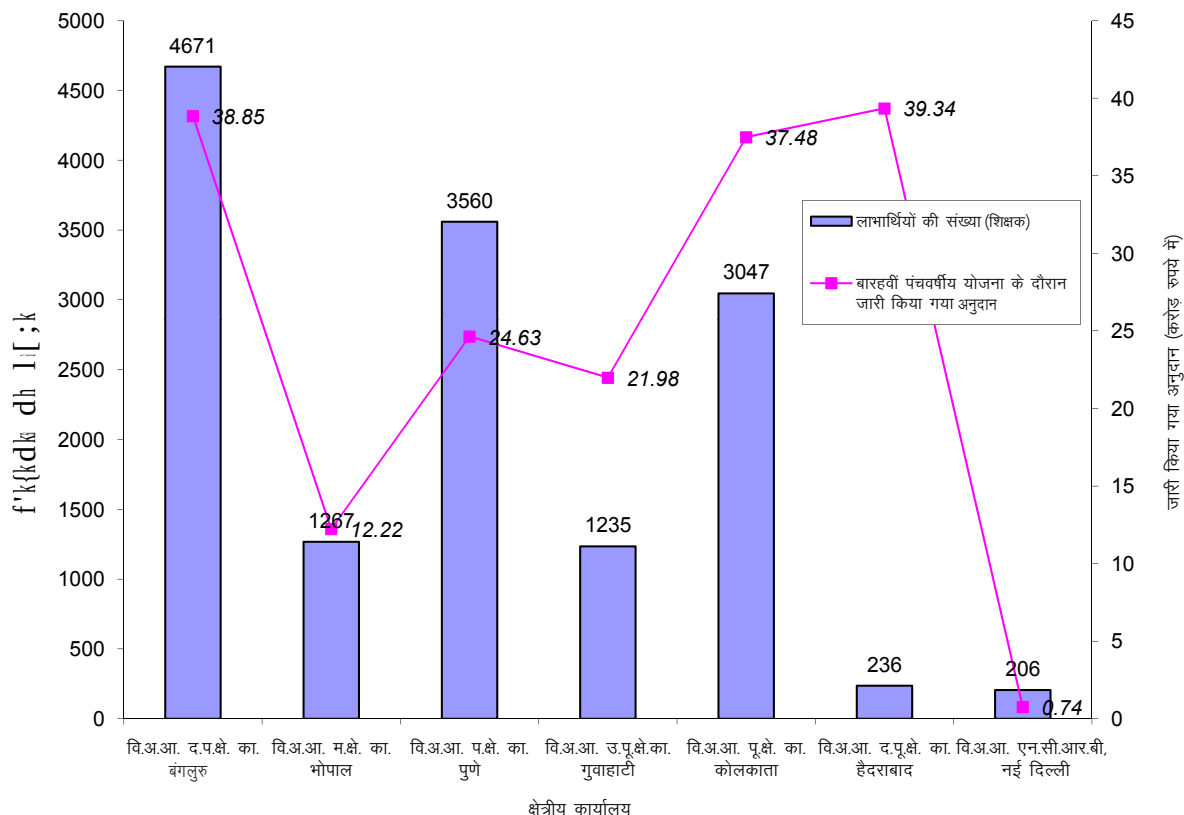
योजना का उद्देश्य विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्द्धन करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पात्र शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु 3.00 लाख रुपये तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी, कृषि आदि में 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2014-2015 के दौरान एनआरसीबी सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा लघु शोध परियोजनाओं (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान) के लिए अनुमोदित तथा भुगतान किये गये अनुदान की स्थिति निम्नवत है :-

(करोड़ रुपये में)

Ø- l-	{k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku								ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012-31.03.2015)	
		o" 2014&15 d nkjku ykHkkfFk; % f'k{kd dh l[;k		lkekU; vunku lg;rk & 31		i thxr ifj lEifÜk; & 35		dy		ykHkkfFk; dh l[;k	tkjh fd;k x;k vunku
		foKku	ekufoDh	foKku	ekufoDh	foKku	ekufoDh	foKku	ekufoDh		
1.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. बंगलुरु	550	701	2.84	2.29	5.47	2.53	8.31	4.82	4671	38.85
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	285	415	1.78	1.86	2.49	1.91	4.27	3.77	1267	12.22
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	278	413	3.46	3.16	-	-	3.46	3.16	3560	24.63
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	204	207	2.62	2.99	4.24	4.10	6.86	7.09	1235	21.98
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	512	704	3.19	3.33	5.83	4.64	9.02	7.97	3047	37.48
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	543	340	3.95	1.98	8.41	2.20	12.36	4.18	236	39.34
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	3	5	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	206	0.74
	dy	2375	2785	17.85	15.62	26.44	15.38	44.29	31	14222	175.24

j[kfp= 4-4%?k% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku egfo|ky;k d f'k{kd d fy, y?k 'kk/k ifj;ktuk ;ktuk d rgr {k=h; dk;ky;k }kjk tkjh fd;k x;k vunku



4-4%³ egkfo|ky;k gr| lxkf"B;k@ifj lokn@lEeyu

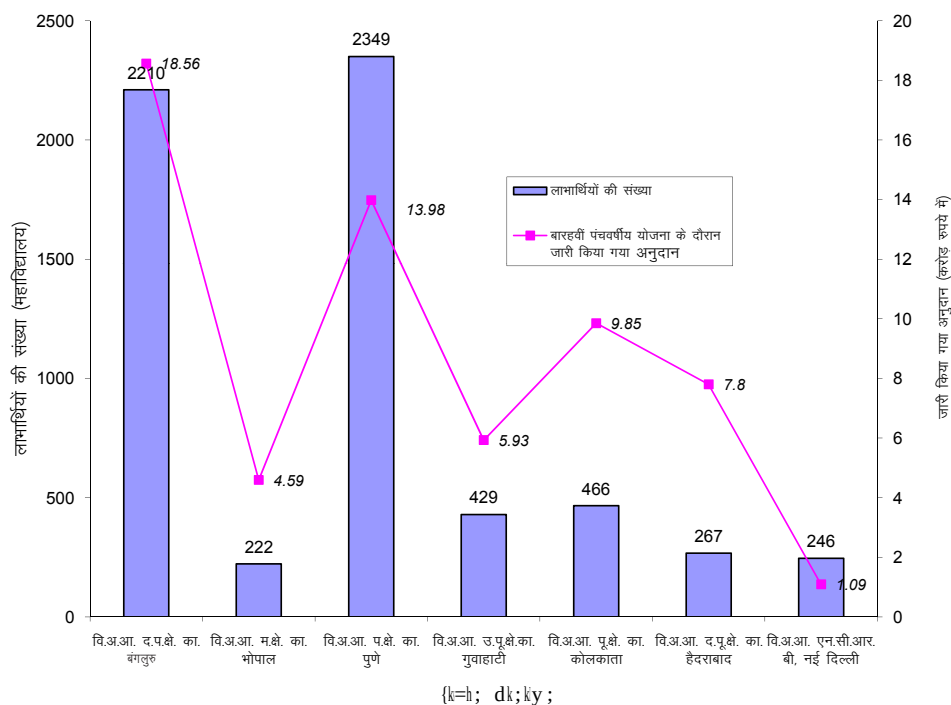
इस योजना के तहत संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवाद तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को बाँटने के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्द्धन करना है। योजना के तहत सभी महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1.00 लाख रुपये से 2.00 रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2014-2015 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों और सम्मेलनों की योजना के तहत महाविद्यालयों के अनुमोदित प्रस्तावों तथा भुगतान किये गये अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

Ø- l-	{k=h; dk;ky;k dk uke	o"k 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku			ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012-31.03.2015)	
		o"k 2014&15 d nkjku ykHkkfFk;k egkfo ky;k dh l[:k	lkekU; vunku lgk;rk & 31	dy	ykHkkfFk;k dh l[:k	tkjh fd;k x;k vunku
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरु	1150	6.98	6.98	2210	18.56
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	143	2.31	2.31	222	4.59
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	501	3.45	3.45	2349	13.98
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	142	1.97	1.97	429	5.93
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	234	3.51	3.51	466	9.85
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	215	2.76	2.76	267	7.80
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	70	0.6	0.6	246	1.09
	dy	2455	21.58	21.58	6189	61.8

j[k k f p = 4-4% 3 1/2 % c k j g o h i p o " k h ; ; k t u k d i n k j k u e g f o | k y ; k g r | l x k f " B ; k @ i f j l o k n @ l E e y u d h ; k t u k d i r g r t k j h f d ; k x ; k v u n k u



4-4% p 1/2 % e g f o | k y ; k g r | l d k ; m u u ; u d k ; Ø e

इस कार्यक्रम का लक्ष्य संस्थानों में संकाय सदस्यों को शोध करने के लिए संस्थानों में शैक्षणिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता अवसर उपलब्ध करवाना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्यगण अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षणिक कौशल बढ़ाने में सक्षम होंगे।

संकाय उन्नयन कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नवत है:-

- (1) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को उनके शिक्षा/शोध क्रियाकलापों को जारी रखने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे एम.फिल. तथा पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर सकें।
- (2) शिक्षकों को शैक्षणिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करना है।
- (3) युवा संकाय सदस्यों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने के लिए उनकी पसंद के संस्थान में अल्पावधि व्यतीत करने (कम से कम दो सप्ताह तथा अधिकतम दो माह) का अवसर प्रदान करना।

वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस योजना के तहत प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

Ø- l-	{k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d i n k j k u t k j h f d ; k x ; k v u n k u			c k j g o h i p o " k h ; ; k t u k d i n k j k u t k j h f d ; k x ; k v u n k u (01.04.2012-31.03.2015)	
		o" 2014&15 d i n k j k u y k h k k f f k ; k % f ' k (k d k k d h l i ; k	l k e l l ; v u n k u l g k ; r k & 31	d y	y k h k k f f k ; k d h l i ; k	t k j h f d ; k x ; k v u n k u
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरु	764	15.65	15.65	2487	41.20
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	125	1.96	1.96	339	4.32
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	150	5.97	5.97	882	18.32
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	192	5.79	5.79	454	11.23
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	164	3.45	3.45	384	8.48
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	53	1.19	1.19	53	8.52
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	25	0.3	0.3	146	1.64
	d y	1473	34.31	34.31	4745	93.71

जिला	लामार्थियों की संख्या (शिक्षक)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरु	2487	41.2
वि.अ.आ. म.क्षे. का. सोमपाल	339	4.32
वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	882	18.32
वि.अ.आ. उ.प.क्षे. का. गुवाहाटी	454	11.23
वि.अ.आ. प.क्षे. का. कोलकाता	384	8.48
वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. हैदराबाद	53	8.52
वि.अ.आ. एन.सी.आर. बी. नई दिल्ली	146	1.64

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में मानदण्डों की निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की है। ऐसी संस्थागत गुणवत्ता प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के हेतु निदेश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए व्यय हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए सभी महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय के दो बैच के उत्तीर्ण होने अथवा छह वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन ऐजन्सी से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

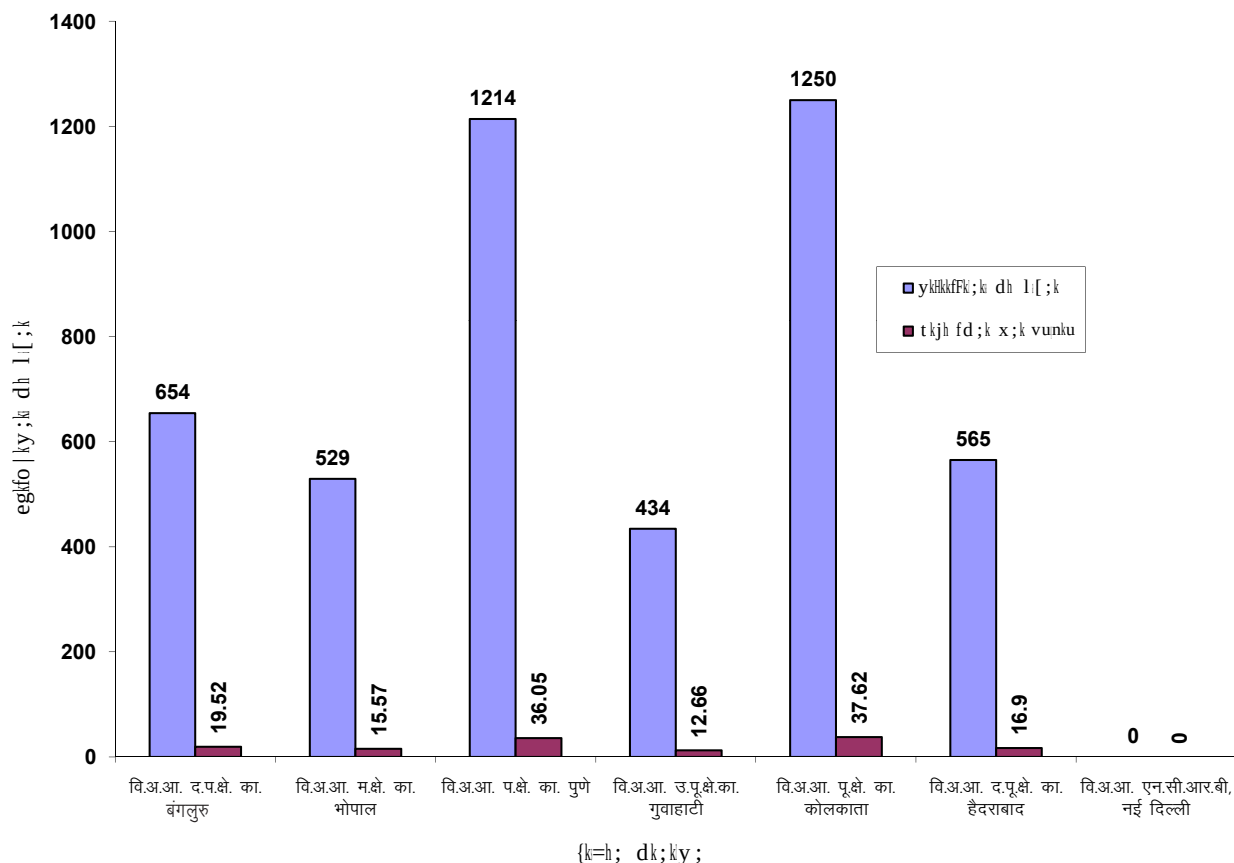
1[;k	vunku dk mnn';	jkf'k
1.	आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक को 1000x12x5 रुपये की दर से मानदेय	60,000
2.	कार्यालय उपस्कर	60,000
3.	सचिवालयी और तकनीकी सेवाओं हेतु सेवाओं प्राप्त करना	60,000
4.	आईसीटीएस सूचना व्यय मानदेय	70,000
5.	आकस्मिताएं	50,000
	dy	3,00,000

(करोड़ रुपये में)

Ø- l-	{k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku					
		o" 2014&15 d nkjku ykhhkfk;k egkfo ky; dh l[;k	lkeU; vunku lg;rk & 31	i thxr ifj lEifUk;k &35	diy	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012 l 31.03.2015)	
						ykhhkfk;k dh l[;k	tkjh fd;k x;k vunku
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरु	33	0.71	0.18	0.89	654	19.52
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	101	2.18	0.55	2.73	529	15.57
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	123	6.64	2.65	3.32	1214	36.05

Ø. l-	{k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku					
		o" 2014&15 d nkjku ykHkkfFk;k	lkekU; vunku lg;rk & 31	itthxr ifj lEifÜk;k & 35	dy	ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012 l 31.03.2015)	
		egkfo ky;kh dh l[:k				ykHkkfFk;k dh l[:k	tkjh fd;k x;k vunku
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	15	0.45	-	0.45	434	12.66
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	43	1.03	0.26	1.29	1250	37.62
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	6	0.098	0.036	0.134	565	16.90
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-
dy		321	11.108	3.676	8.814	4646	138.32

j[kkfp= 4-4%N% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku egkfo |ky;kh dk vkrfjd x.koÜkk vk'oklu idk"B dh ;ktuk d rgr {k=h; dk;ky;kh }kj tkjh fd;k x;k vunku %djkm #i; e



4-4%t % egkfo |ky;kh e [kydn voljpuk vkj midj.kk dk fodkl

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में आपसी सहयोग से उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों के मद्देनजर रखते हुए योजना को निम्नवत हेतु तैयार किया गया है:

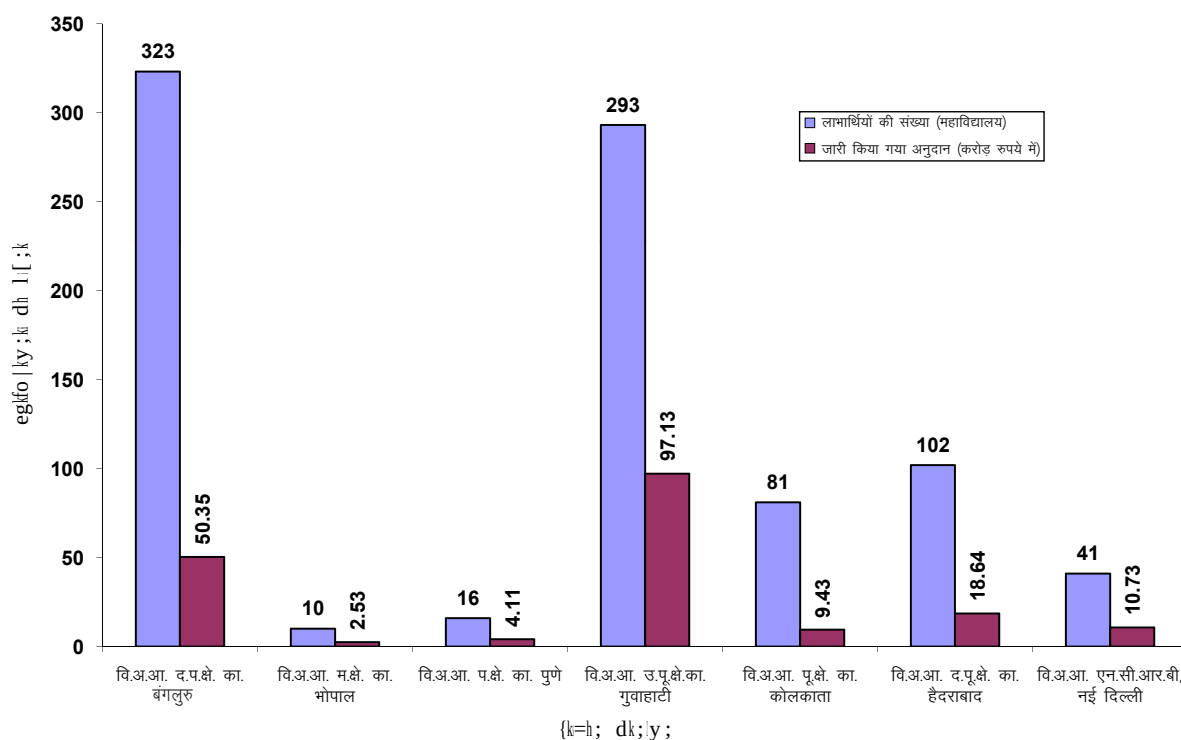
- नई और मौजूदा ऑऊटडोर अथवा इंडोर अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि छात्रों की खेलों में और अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जबकि, छात्रों को ऐसी खेलकूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का विशिष्ट उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई पीढ़ी के युवकों को अवसर प्रदान करना है।
- किसी विशिष्ट खेल में छात्रों को उनकी 'उत्कृष्टता प्राप्ति' के स्तर के आधार पर बेहतर उपस्कर और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से समान अथवा खेल के संबद्ध क्षेत्र में अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
- जहाँ पहले से ही अवसंरचना उपलब्ध है, उसका सुधार/सुदृढ़ किया जाना है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ऐसी मानक अवसंरचनात्मक तथा अविस्तारणीय उपकरण सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने छात्रों हेतु ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन कर सकें।

वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान की राशि निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

Ø- l-	{k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku			ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012 l 31.03.2015)	
		o" 2014&15 d nkjku ykHkkfFk;k egfjfo ky; ;k dh l[;k	i thxr ifj lEi fUk;k & 35	dy	ykHkkfFk;k dh l[;k	tkjh fd;k x;k vunku
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरु	113	21.99	21.99	323	50.35
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	10	2.53	2.53	10	2.53
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	16	4.11	4.11	16	4.11
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	74	13.71	13.71	293	97.13
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	34	3.45	3.45	81	9.43
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	102	18.64	18.64	102	18.64
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	3	1.06	1.06	41	10.73
	dy	352	65.49	65.49	866	192.92

j[kkp= 4-4 %> ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku [ky voljpu vkj miLdj fodkl ;ktuk d rgr {k=h; dk;kYk;k }kj tkjh vunku %dj kM #i; e



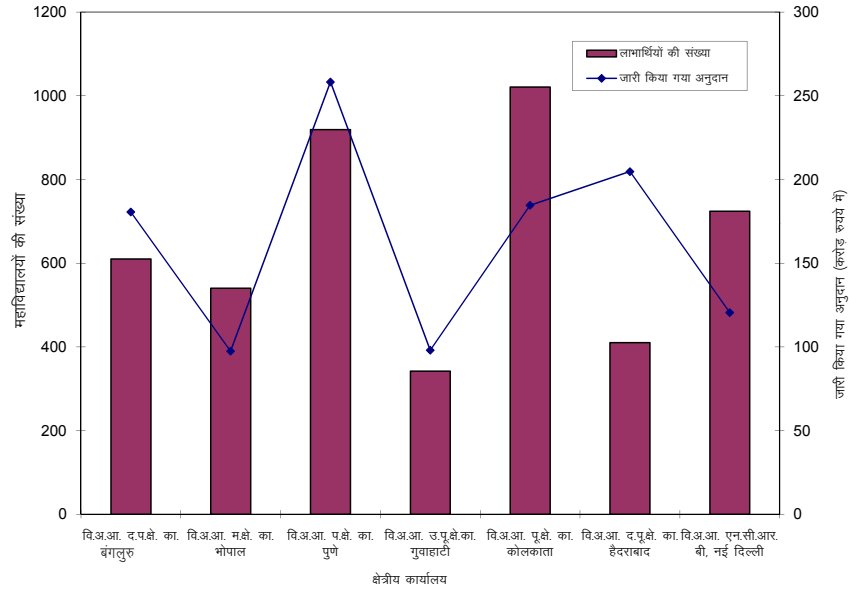
4-4 % ifrc) n;rk, %fo'ofj |ky; vunku vk;kx dh ijkuh ;ktuk,

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद की गई योजनाएं जैसे एकमुश्त कैच-अप अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाएं आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

Ø- l-	{k=h; dk;ky; dk uke	o" 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku				ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vunku (01.04.2012 l 31.03.2015)	
		o" 2014&15 d nkjku ykHkkfFk;k egfjfo ky; ;k dh l[;k	lkekU; vunku lgk;rk & 31	i thxr ifj lEi fUk;k & 35	dy	ykHkkfFk;k dh l[;k	tkjh fd;k x;k vunku
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरु	237	0	18.65	18.65	610	180.60
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	135	0.04	10.94	10.98	540	97.41
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	479	-	36.78	36.78	919	258.29
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे. का. गुवाहाटी	52	2.97	1.94	4.91	342	97.95
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	234	-	16.36	16.36	1021	184.58
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	204	1.34	34.42	35.76	410	204.74
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	63	-	3.12	3.12	724	120.48
	dy	1404	4.35	122.21	126.56	4566	1144.05

j:[kkfp= 4-4% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku ifrc) n;rkvk %ijkuh fo'ofok|ky; vunku ;ktuk,dk d rgr egkfo|ky;dk tkjh vunku %djkm #i; e



4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालयों) को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों को भी अनुदान उपलब्ध करवाए गए हैं।

4-5% d% xj&;ktukxr vunku

4-5 %d1% fnYyh d egkfo|ky;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 53 महाविद्यालयों में से 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यकालीन महाविद्यालय + 09 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। इन 36 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय, दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान के 5 प्रतिशत भाग को प्राप्त करते हैं और 20 महाविद्यालय संबंधित न्यासों/सोसायटियों से अनुदान प्राप्त करते हैं।

दिल्ली के यह 53 महाविद्यालय, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और वेतनेतर, दोनों व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकों की जाती हैं।

fo'ofok|ky; vunku vk;kx l vuj{k.k vunku iklr dju oky fnYyh d egkfo|ky; rFkk fnYyh d egkfo|ky;dk d Nk=koklk # dh J.kh okj lph fuEuor g%

rkfydk 4-5 %d1%

Ø- 1-	J.kh- 1- fnYyh fo'ofok ky; }kjk vujf{kr egkfo ky; %fo'ofok ky; vunku vk;kx }kjk 'kr&çfr'kr vuj{k.k vunku inku fd;k tkrk g%
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज
2	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)*
3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)
4	किरोड़ी मल कॉलेज#
5	मिरान्डा हॉउस#
6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)
7	रामानुजन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
8	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
9	आर्यभट्ट महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)

Ø- 1-	J.kh- 2- lkè;dkyhu egkfo ky; %fo'ofok ky; vunku vk;kx }kjk 'kr&çfr'kr vuj{k.k vunku inku fd;k tkrk g%
10	दयाल सिंह महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
11	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
12	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (न्यास)
13	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
14	श्याम लाल महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
15	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
16	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
17	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय-(न्यास)#

Ø- 1-	Ji.kh-3- fnYyh Ç'kklu di vèkku egkfo ky; %95 Çfr'kr vuj{k.k vunku fo'ofok ky; vunku vk;kx vkj 5 Çfr'kr fnYyh Ç'kklu }kjk Çnku fd;k tkrk gA%
18	भारती महाविद्यालय
19	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स
20	विवेकानन्द महाविद्यालय
21	गार्गी महाविद्यालय*
22	कालिन्दी महाविद्यालय*
23	कमला नेहरू महाविद्यालय*
24	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय*
25	मैत्रेयी महाविद्यालय*
26	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*
27	राजधानी महाविद्यालय*
28	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*
29	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय*(दिवसीय)
30	शिवाजी महाविद्यालय*
31	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*
32	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय) *
33	स्वामी श्रद्धानन्द महाविद्यालय*

Ø- 1-	Ji.kh-4- U;k }kjk ÇçfÙèk egkfo ky; %95 Çfr'kr vuj{k.k vunku fo'ofok ky; vunku vk;kx vkj 5 Çfr'kr vunku U;k }kjk Çnku fd;k tkrk gA%
34	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
35	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स
36	लेडी इरविन महाविद्यालय#
37	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स#
38	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय#
39	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय*
40	दौलतराम महाविद्यालय#
41	हंसराज महाविद्यालय#
42	हिन्दू महाविद्यालय#
43	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय#
44	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय*
45	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय*
46	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय#
47	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
48	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय(दिवसीय)*
49	रामजस महाविद्यालय#
50	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय)*
51	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)*
52	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
53	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*

* ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जो 1000 से अधिक छात्रों पर शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावास

4-5 %d2% cukj l fgUn fo'ofok|ky; di egkfo|ky;

गैर-योजनागत अनुदान के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

rkfy dk 4-5%d2%

Ø- 1-	egkfo ky; dk uke
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2.	डी.ए.वी. डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय, कामाक्षा, वाराणसी
4.	वसंत महिला महाविद्यालय, किला राजगढ़, वाराणसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर-योजनागत अनुदान के अंतर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्मिलित 4 महाविद्यालयों को निम्नानुसार अनुरक्षण अनुदान भी मुहैया करवाता है :

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत अनुदान का वित्तपोषण।
- महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान।

वर्ष 2014-2015 के दौरान दिल्ली और बीएचयू के महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

C;kjk	vkçVu	tkjh fd;k x;k vunku
दिल्ली के महाविद्यालय	145882.79	145882.79
बीएचयू के चार महाविद्यालय	3148.66	3148.66

वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजनागत अनुरक्षण अनुदान के तहत अनुरक्षण हेतु दिल्ली के महाविद्यालयों को तालिका 4.5[क1(i)] तथा 4.5[क1(ii)] और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को तालिका 4.5(क2) के तहत जारी किये गये गैर-योजनागत अनुदान का महाविद्यालय-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

rkfy dk 4-5;d1%À% fnYyh di egkfo|ky; k dk tkjh xj&;kt ukxr vunku %2014&15%

(लाख रुपये में)

Ø- 1-	egkfo ky; dk uke	oru	ii'ku	oruÙk	mi&;kx
1	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय	2493.00	707.33	33.41	3233.74
2	भारती महाविद्यालय	1533.38	313.59	35.88	1882.85
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	1962.62	347.60	40.13	2350.35
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	3629.24	575.16	65.4	4269.80
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1078.43	244.45	22.95	1345.83
6	दौलतराम महाविद्यालय	2522.52	838.96	43.66	3405.14
7	देशबंघु महाविद्यालय (दिवसीय)	3173.57	604.17	54.61	3832.35

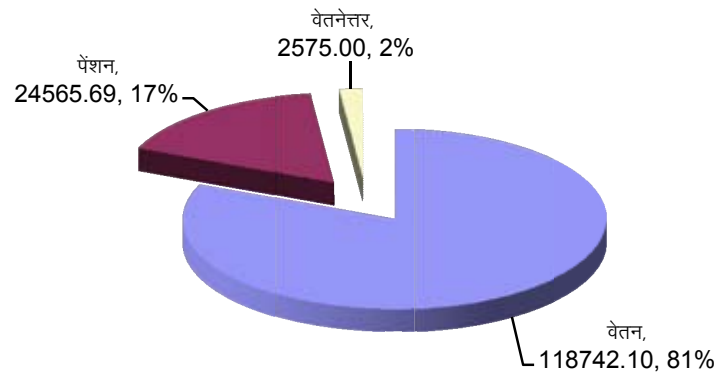
Ø- l-	egkfo ky ; dk uke	oru	i'ku	oruÙkj	mi&;kx
8	रामानुजन महाविद्यालय	1540.76	276.73	26.38	1843.87
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	1662.19	436.80	31.16	2130.15
10	श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	1162.64	36.66	56.63	1255.93
11	गार्गी महाविद्यालय	3439.32	645.87	52.51	4137.70
12	हंसराज महाविद्यालय	3748.28	887.71	56.95	4692.94
13	हिन्दू महाविद्यालय	2490.89	468.70	91.7	3051.29
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	1928.44	470.00	62.73	2461.17
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनामिक्स	1555.46	313.34	44.89	1913.69
16	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज	2100.57	539.00	34.52	2674.09
17	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज	1975.09	327.00	42.72	2344.81
18	कालिन्दी महाविद्यालय	1919.72	526.35	40.2	2486.27
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	1877.16	464.84	58.84	2400.84
20	किरोड़ी मल कॉलेज	3397.14	609.04	89.96	4096.14
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	2003.52	602.74	71.18	2677.44
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	2267.56	567.97	42.37	2877.90
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	2371.85	537.93	77.26	2987.04
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	2635.19	470.18	67.16	3172.53
25	मिरान्डा हॉउस	3256.76	787.94	75.63	4120.33
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	3780.86	682.20	56.65	4519.71
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	2785.74	492.12	50.11	3327.97
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1438.17	336.62	21.93	1796.72
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय(दिवसीय)	2268.77	359.02	57.88	2685.67
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1086.63	324.63	27.19	1438.45
31	रामजस महाविद्यालय	3182.21	889.50	75.65	4147.36
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	1521.63	179.60	27.52	1728.75
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	1357.16	144.35	15.23	1516.74
34	राजधानी महाविद्यालय	2457.45	661.49	45.32	3164.26
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	2081.79	441.61	23.37	2546.77
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1494.72	127.80	16.57	1639.09
37	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय	1292.96	342.57	43.78	1679.31
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स	1593.73	409.35	61.62	2064.70
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	3201.65	674.48	91.31	3967.44
40	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज	1396.48	249.39	60.21	1706.08
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	3176.92	403.39	103.42	3683.73
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	1880.50	450.00	24.05	2354.55
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1202.84	242.55	16.32	1461.71
44	स्वामी श्रद्धानन्द महाविद्यालय	3195.64	531.66	34.86	3762.16
45	एस0पी0एम महिला महाविद्यालय	3212.60	410.44	67.59	3690.63
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	2429.76	580.80	51.49	3062.05
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1585.92	383.00	44.08	2013.00
48	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	2412.34	275.10	27.19	2714.63
49	श्री अरविन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1051.38	81.85	12.48	1145.71
50	शिवाजी महाविद्यालय	3203.18	585.00	44.08	3832.26
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	1876.79	387.00	53.82	2317.61
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	3063.75	769.54	76.77	3910.06
53	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1160.99	280.30	25.68	1466.97
	dy 45;d1iA	118117.86	24295.42	2575.00	144988.28

4-5;d1iA fnYyh d egkfo | ky ; dk Nk=kokl dk t kjh fd ; x ; vunku dk C;kjk

	Nk=kokl	oru	i'ku	oruÙkj	mi&;kx
1	दौलतराम महाविद्यालय	38.94	14.49	0	53.43
2	हंसराज महाविद्यालय	46.53	13.95	0	60.48
3	हिन्दू महाविद्यालय	30.9	17.58	0	48.48
4	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	105.75	34.2	0	139.95
5	किरोड़ी मल महाविद्यालय	46.41	16.77	0	63.18
6	लेडी इरविन महाविद्यालय	69.3	19.77	0	89.07
7	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	75.93	29.1	0	105.03
8	मिरान्डा हॉउस	41.76	49.02	0	90.78

	Nk=kok l	oru	i'ku	oru0kj	mi&;kx
9	रामजस महाविद्यालय	42.12	26.7	0	68.82
10	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय	72.48	20.01	0	92.49
11	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स	41.58	26.16	0	67.74
12	जाकिर हुसैन महाविद्यालय	12.54	2.52	0	15.06
	diy 4-5 d11i1A	624.24	270.27	0	894.51
	diy&;kx xj&;ktukxr vunku	118742.10	24565.69	2575	145882.79

j[kkfp= 4-5% d1% o" 2014&15 d nkjku fnYyh d egkfo|ky; k dk tkjh fd;k x;k xj&;ktukxr
%vuj{k.k% vunku %yk[k #i; e

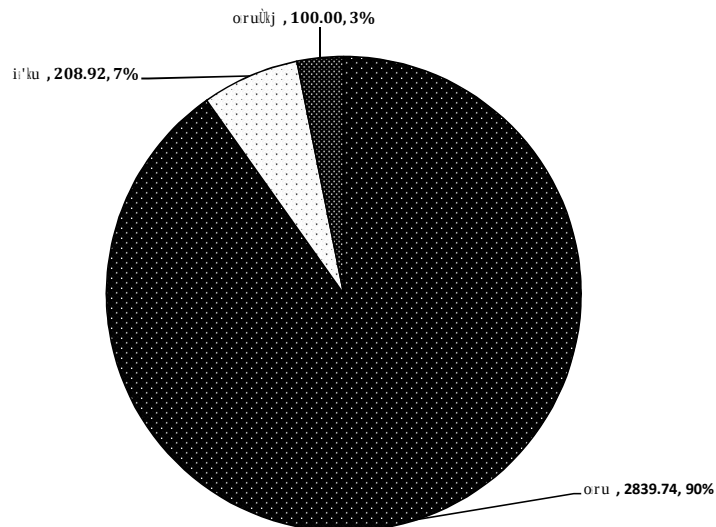


rkfydk 4-5% d2% o" 2014&15 d fy, xj&;ktukxr vunku d rgr pkj ch,p; egkfo|ky; k dk
tkjh fd;k x; vunku dk egkfo|ky;&okj C;kjk

(लाख रुपये में)

Ø- l-	egkfo ky; dk uke	oru	i'ku	oru0kj	mi&;kx
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय	700.14	40.77	28.35	769.26
2.	डी.ए.वी. डिग्री महाविद्यालय	755.33	83.88	33.83	873.04
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय	645.32	42.15	16.74	704.21
4.	वसंत महिला महाविद्यालय	738.95	42.12	21.08	802.15
	diy&;kx	2839.74	208.92	100.00	3148.66

j[kkfp= 4-5% d 2% o" 2014&15 d nkjku cukjl fgUn fo'ofokj; d egkfo|ky; k dk tkjh fd;k x;k
xj&;ktukxr %vuj{k.k% vunku %yk[k #i; e



4.5 [क] ; ktukxr vunku

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्य विकास, महिला छात्रावासों तथा भवन हेतु दिल्ली के 64 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराता है। दिल्ली महाविद्यालय अनुभाग ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली में स्थापित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को अनुदान भी जारी किया है।

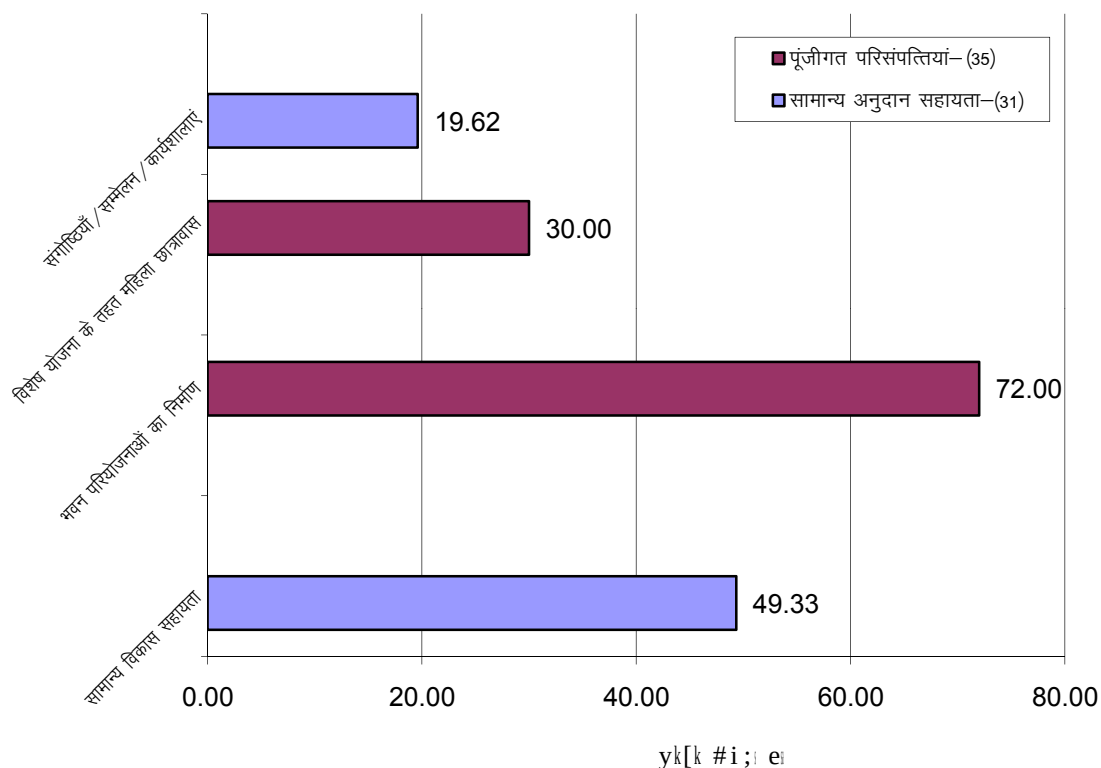
तालिका 4.5(क1) में दिए गए 53 महाविद्यालयों के अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालयों से संबंध निम्नवत 11 महाविद्यालय योजनागत स्कीमों के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं:

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke	Ø- l-	egkfo ky ; dk uke
1	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय	7	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय
2	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	8	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस
3	अदिति महाविद्यालय	9	केशव महाविद्यालय
4	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस	10	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय
5	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	11	दुर्गाबाई देशमुख महाविद्यालय
6	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज		

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय को अनुदान जारी किया:-

				(लाख रुपये में)
Ø- l-	fo"k;	tkjh fd ;k x;k vunku		dy
		lkekU; vunku lgk;rk&31	itjhr ifjlfRr;k&35	
1	महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता	49.33	-	49.33
2	भवन परियोजनाओं का निर्माण	-	72.00	72.00
3	विशेष योजना के तहत महिला छात्रावास	-	30.00	30.00
4	संगोष्ठियां / सम्मेलन / कार्यशालाएं	19.62	-	19.62

j[kkfp= 4.5% [k] o" 2014&15 d nkjku fnYyh d egkfo |ky ; dk tkjh ; ktukxr vunku yk[k #i ; e



तालिका 4.5(ख)(i): वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य विकास सहायता हेतु दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किये गये योजनागत अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke	lkekU; fodkl lgk;rk gr vkcVu %ckjgoh ipo"kh; ; ktukh %i; e	tkjh fd;k x;k vunku %i; e	dy %i; e
1	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	4785000	1914000	1914000
2	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस	7091000	2289600	2289600
3	दुर्गाबाई देशमुख महाविद्यालय	4134000	730000	730000
	dy	430746000	4933600	4933600

तालिका 4.5(ख)(ii) वर्ष 2014-15 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु जारी किये गये अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये में)

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke	i;ktu	vkVU	tkjh fd;k x;k vunku	dy
1	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज	प्रेक्षागृह	4000000	4000000	4000000
		साइंस ब्लॉक का निर्माण	20000000	2000000	2000000
2	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	शोध केन्द्र का निर्माण	30000000	3000000	3000000
3	एस.पी.एम महिला महाविद्यालय	कक्षाओं का निर्माण	4500000	1800000	1800000
		dy&;kx	58500000	7200000	7200000

तालिका 4.5(ख)(iii): वर्ष 2014-15 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु जारी किये गये अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये में)

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke	vkVU	tkjh fd;k x;k vunku	dy
1.	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज	10000000	10000000	10000000
2.	मिरान्डा हाउस	20000000	20000000	20000000
	dy&;kx	30000000	30000000	30000000

तालिका 4.5(ख)(iv): वर्ष 2014-15 के दौरान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों/आयुर्विज्ञान संस्थानों को जारी किये गये अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke	tkjh dh xbl jkf'k
1	मौलाना आज़ाद मेडीकल कॉलेज	50000
2	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	112500
3	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	112500
4	मिरान्डा हाउस	75000
5	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	112500
6	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	75000
7	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	75000
8	दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड रिसर्च	200000
9	रामजस महाविद्यालय	75000
10	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स साइंस	160000
11	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	149600
12	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	100000
13	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स साइंस	40000
14	मिरान्डा हाउस	25000
15	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	12000
16	देशबंधु महाविद्यालय	12000
17	रामजस महाविद्यालय	12000
18	रामानुजन महाविद्यालय	12000
19	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय	12000
	dy	1962100

गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवा रहा है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जा सके तथा देश में mR—"Vrk dh lHkk0;rk oky fo'ofok|ky; ¼;ihb½ mR—"Vrk dh lHkk0;rk oky egkfo|ky; ¼lhib½ rFkk fdlh fof'k"V {k= e mR—"Vrk dh lHkk0;rk oky dUn ¼lhib½, की भांति अन्य संस्थानों के लिये बैचमार्क के रूप में कार्य करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को आरंभ किया था जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी हैं। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य निम्नवत है:

- शिक्षण, शोध और पढ़ाई कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक और वास्तविक अवसरचना को सुदृढ़ करना;
- सुशासन की लचीली और प्रभावी शैली को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर लचीली क्रेडिट आधारित माड्यूलर प्रणाली और विश्वभर में स्वीकार्य अनेक नवोन्मेषी पद्धतियों के साथ ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;
- देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं हेतु संगत शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की इंटरफेसिंग के माध्यम से महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व शिक्षा में सुधार करना;
- देश में अन्य केन्द्रों, विभागों और प्रयोगशालाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने को प्रोत्साहन देना;
- वैश्वकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को आरंभ किया था। यह पहल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी चालू है ताकि कुछ और ऐसे विश्वविद्यालयों की पहचान की जा सके जिनमें न केवल शिक्षण और शोध बल्कि सभी संबंधित क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्ति की संभाव्यता है जिससे विश्वविद्यालय के समग्र विकास में योगदान दिया जा सके।

यूपीई योजना के तहत अब तक 15 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10 और विश्वविद्यालयों का चयन किया जाना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंशा कुछ मौजूदा यूपीई में से कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करना है जिन्होंने पहले पर्याप्त सीमा तक शिक्षण तथा शोध में उत्कृष्टता तथा नवोन्मेष प्राप्त किया है तथा योजना के तहत प्रथम/द्वितीय चरण पूर्ण किया तथा उन्हें उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई) का नाम दिया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे तीन विश्वविद्यालय, जिन्होंने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय के प्रथम/द्वितीय चरण को पूर्ण कर लिया है, उनके उत्कृष्ट निष्पादन/उपलब्धियों हेतु उत्कृष्टता के विश्वविद्यालय (यूओई) का दर्जा प्रदान करने के लिए उन्नयन किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पात्रता की शर्तें, सहायता की प्रमात्रा, यूपीई/यूओई का दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के चयन के संबंध में दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/1952943_XII-Plan-Guidelines-For-UPE-and-UoE-Revised.pdf पर उपलब्ध हैं।

;ihb| ;ktuk dh fuxjkuh%

योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता द्वारा एक मध्यावधि निगरानी समिति का गठन किया गया है ताकि विश्वविद्यालय की प्रगति का आंकलन किया जा सके। यूपीई/यूओई का दर्जा प्रदान किये जाने के दो वर्षों के पश्चात् विश्वविद्यालय को वि.अ.आ. के मुख्यालय में समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। समिति, प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सभी विश्वविद्यालयों की रिपोर्टों को एक स्थायी समिति के समक्ष रखा जायेगा तथा तत्पश्चात् दर्जा बढ़ाने/बंद करने, जैसा भी मामला हो, की सिफारिश करते हुए आयोग के समक्ष रखा जायेगा।

यूपीई/यूओई का दर्जा प्रदान करने के अंतिम वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता द्वारा गठित एक अंतिम समीक्षा समिति योजना के उद्देश्यों के आलोक में विश्वविद्यालय के निष्पादन तथा उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय का दौरा करेगी। यह समिति, योजना के तहत स्थायी समिति के विचारार्थ विश्वविद्यालय के लिए यूपीई/यूओई के अगले चरण की सिफारिश भी करेगी। तथापि, किसी भी विश्वविद्यालय को योजना के तहत अधिकतम तीन वर्षों के लिए यूपीई/यूओई का दर्जा प्राप्त होगा।

तालिका 5.1: 15 (पन्द्रह) यूपीई विश्वविद्यालय तथा उन्हें अब तक प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

;k t uk vofek	Ø- l-	fo'ofok ky; dk uke	cy fn; k t ku oky k {k=	vuekfnr vunku jkf'k %djkm : Ik; e#		tkjh fd; k x; k vunku %djkm : Ik; e#	
				pj.k&1	pj.k&2	pj.k&1	pj.k&2
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2. संज्ञान संबंधी विज्ञान	30.00	25.00	30.00	22.00
	2.	पुणे विश्वविद्यालय	जैव प्रौद्योगिकी तथा नवीन पदार्थ और नैनो प्रणालियां	30.00	25.00	30.00	10.00
	3.	मद्रास विश्वविद्यालय	शाकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	30.00	25.00	30.00	15.20
	4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	शिक्षण तथा शोध में इंटरफेस अध्ययन	30.00	25.00 को संशोधित कर 50.00 कर दिया गया है	30.00	10.00
	5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. भौतिकी तथा नैनोविज्ञान तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक तथा पर्यावरणीय उत्पत्ति के पदार्थों में जीनोमिक्स तथा प्राटोमिक्स का अध्ययन 2. वैश्वीकरण, राष्ट्रीय विकास तथा ज्ञान प्रणालियां: एक दूसरे से संबंध अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज तथा संस्कृति	30.00	60.00	30.00	30.00
दसवीं पंचवर्षीय योजना	6.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	प्राणि विज्ञान में नैनो विज्ञान	28.65	--	28.65	--
	7.	नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी (एनईएचयू)	जीव विज्ञान और क्षेत्र अध्ययन	30.00	--	25.00	--
	8.	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक प्राणि विज्ञान	30.00	60.00 (15-20)	30.00	--
	9.	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	31.3.2015 तक बढ़ाकर 30.00	--	20.85	--
ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना	10.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	द्रव्य अनुसंधान— सामाजिक प्रासंगिकता	50.00	--	30.00	--
	11.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील द्रव्यमान (उर्जा द्रव्यमान, मल्टीफेरानिक्स, अत्याधुनिक पालीमर) 2) जीनोमिकी और प्रोटियोमिक्स	50.00	--	30.00	--
	12.	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभिसरणात्मक विज्ञान: नैनो—पदार्थ, नैनो—कंपोजिट तथा बहुपरतीय पदार्थ	50.00	--	30.00	--
	13.	मैसूर विश्वविद्यालय	अत्याधुनिक क्रियाशील पदार्थों को संसाधित करना, लक्षण वर्णन तथा उनका अनुप्रयोग मीडिया और सामाजिक विकास —कर्नाटक का एक अध्ययन मामला	50.00	--	30.00	--
	14.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	टयूमर—रोधी क्रियाकलाप — एक समेकित पद्धति	50.00	--	30.00	--
	15.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	50.00	--	30.00	--

वर्ष 2014—15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पात्र विश्वविद्यालयों से उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय योजना के तहत नये प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में कुल 35 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें से निम्नवत 7 राज्य विश्वविद्यालयों को लघुसूचीबद्ध किया गया तथा उन्हें स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने को कहा गया है:—

- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)
- मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर (कर्नाटक)
- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (मध्य प्रदेश)
- भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

- (v) अल्गाप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी, अल्गाप्पा. (तमिलनाडु)
 (vi) भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली. (तमिलनाडु)
 (vii) अन्ना विश्वविद्यालय, चिन्नेई. (तमिलनाडु)

उपर्युक्त सात विश्वविद्यालयों में से केवल एक विश्वविद्यालय नामतः अन्ना विश्वविद्यालय को यूपीई दर्जे हेतु अपने संशोधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

आयोग ने दिनांक 03 फरवरी, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में यपीई/सीपीईपीए दर्जा प्रदान करने के लिए सम विश्वविद्यालयों /राज्य निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में नाम के साथ पृथक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निधियों के अभाव के कारण “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) योजना” के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया जबकि तीन विश्वविद्यालयों की मध्यावधि समीक्षा की जा चुकी थी, जोकि आगे अनुदान जारी करने के लिए अनिवार्य है।

5.2 किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान “किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय” (सीपीईपीए) योजना को आरंभ किया था ताकि शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता तथा अंतर्विषय पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। योजना का व्यापक उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालयों में चुनिंदा विभागों को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना है ताकि वे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरते हुए नवीन अथवा अत्याधुनिक क्षेत्रों में विभाग और/अथवा विधाओं की सीमाओं से इतर अपने कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों में संकाय सदस्यों को जोड़कर उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। इस योजना का एक उद्देश्य यूपीई दर्जा प्रदान करने के लिए शनैः शनैः विश्वविद्यालयों को तैयार करना है।

इन केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन मध्यावधि निगरानी समिति तथा अंतिम समीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 21 केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

rkfy dk 5-2

jkT;	Ø- l-	fo'ofok ky; dk uke	fof'k"Vrk dk {k=	lhhbih, d : i ei igpku inku fd ; tku okyk ikjffkd o"k	ek'tnk pj.k	dk;dky	ek'tnk pj.k ei vkoVu %yk[k #i; e#
आंध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति	पारम्परिक शास्त्र	मार्च, 2002	चरण-II	2008 से 2013	300.00
	2.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	“स्वास्थ्य परिचर्या हेतु कतिपय महत्वपूर्ण चिकित्सा पादपों की बायो-प्रोस्पेक्टिंग”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	280.00
अरुणाचल प्रदेश	3.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	मार्च, 2002	चरण-II	2012 से 2017	700.00
चण्डीगढ़	4.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सा विज्ञान	मार्च, 2002	चरण-I	2002 से 2011	500.00
	5.	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब और हरियाणा में लिंग संबंधी लेखापरीक्षा “कल्चरल फिक्सेशन ऑन ऑनर”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	185.00
	6.	पंजाब विश्वविद्यालय	“नैनो पदार्थों, नैनो-कणों तथा नैनो संघटकों का अनुप्रयोग”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	355.00
गुजरात	7.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पॉलीमर	मार्च, 2002	चरण-I	2002 से 2008	500.00
हिमाचल प्रदेश	8.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	मार्च, 2002	चरण-II	2012 से 2017	700.00

jkT;	Ø-l-	fo'ofok ky ; dk uke	fof'k"Vrk dk {k=	lhhbih, d : i e igpku inku fd ; tku okyk ikjffkd o"k	ektnk pj.k	dk;dky	ektnk pj.k e vkoVu kyk[k #i; e
कर्नाटक	9.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	“चिकित्सीय निदान, उद्योगों तथा कृषि अनुप्रयोगों हेतु उन्नत पदार्थ”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	685.00
	10.	बंगलुरु विश्वविद्यालय	“रोग प्रबंधन में लक्षित औषधि तथा कोशिकाओं में उसके प्रभाव का पता लगाने हेतु आणविक तथा नैनो उपकरणों का अनुप्रयोग”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	575.00
	11.	मैसूर विश्वविद्यालय	“केरेक्ट्राईजेशन एण्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस फक्शनल नैनो मैटीरियल”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	430.00
मध्य प्रदेश	12.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई-प्रबंधन अध्ययन	मार्च, 2002	चरण-I	2002 से 2011	300.00
पंजाब	13.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	खेल विज्ञान	मार्च, 2002	चरण-I	2002 से 2015	500.00
	14.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	“पंजाब में कैंसर तथा मधुमेह के द्वितीय प्रकार का आनुवांशिक आधार”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	615.00
राजस्थान	15.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	“एप्लीकेशन ऑफ सिंथेसिस फॉर केरेक्ट्राईजेशन एण्ड रिस्क एसेसमेंट ऑफ नैनो पार्टिकल ऑन द इकोसिस्टम ऑफ थॉर डेजर्ट”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	535.00
तमिलनाडु	16.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	मार्च, 2002	चरण-I I	2009 से 2014	500.00
	17.	मद्रास विश्वविद्यालय	“मानव कल्याण हेतु चिकित्सीय पादपों से औषधियों का विकास”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	325.00
	18.	मद्रास विश्वविद्यालय	जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में मैनग्रोव पारिस्थितिकीय पर इसका प्रभाव	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	230.00
	19.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	“समुद्र विज्ञान संकाय में समुद्री जीव विज्ञान पर उच्च अध्ययन”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से 2016	385.00
उत्तर प्रदेश	20.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉग्नेटिव साइंस	मार्च, 2002	चरण-II	2011 से 2016	700.00
पश्चिम बंगाल	21.	कोलकाता विश्वविद्यालय	“इलेक्ट्रो फिजीयोलॉजीकल एण्ड न्यूरो इमेंजिंग स्टडीज इन्क्लूडिंग मैथेमेटिकल माडलिंग”	दिसम्बर, 2011	चरण-I	2011 से दिसम्बर, 2016	

वर्ष 2014-15 के दौरान वि.अ.आ. ने पात्र विश्वविद्यालयों से सीपीईपीए योजना के तहत नये प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। कुल 118 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उन्हें स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। स्थायी समिति ने आगे विचार करने के लिए प्रस्तावों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है।

सीपीईपीए योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक विश्वविद्यालयों के लिए पात्रता मानदण्ड वि.अ.आ. की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/2758219_guideline-CPEPA.pdf पर उपलब्ध हैं।

5.3 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नलोह ipo"kh; ;ktuk के दौरान सी.पी.ई योजना को आरंभ किया था। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेष को अपनाने के लिए तथा उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला

महाविद्यालय अपने समस्त कार्यक्षेत्र में विद्यमान अन्य सभी महाविद्यालयों के लिए एक आदर्श भूमिका अदा करता है। इस योजना का उद्देश्य चयनित महाविद्यालयों, विशेष रूप से शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा एक शोध संस्कृति आरंभ करने में, सहायता प्रदान करना है। आयोग ने इस योजना के द्वितीय तथा तृतीय चरण में उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) के अतिरिक्त घटक के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d; nkjku foUkh; lgk;rk dh vfèkdre lhek fuEuor g&

- 1- योजना के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक महाविद्यालय को 150.00 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। विशेषज्ञ समिति आवर्ती तथा अनावर्ती श्रेणी के तहत मदवार अनुदान की प्रमात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।
- 2 सीपीई के द्वितीय चरण तथा उसके बाद के चरण हेतु चयनित महाविद्यालय अधिकतम 150.00 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
3. सीई दर्जे के लिए चयनित महाविद्यालय अधिकतम 200.00 लाख रुपये के अनुदान के लिए पात्र होंगे।
4. योजना के तहत विभागों का उन्नयन तथा अद्यतन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी जिससे वे उत्कृष्टता हेतु आगे विकास कर सकें तथा इसे भवन निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
5. 50 प्रतिशत अनुदान को सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले विभागों के विकास पर व्यय किया जा सकता है चूंकि उन्होंने उत्कृष्टता हेतु अपनी सभाव्यता को सिद्ध कर दिया है। शेष 50 प्रतिशत राशि को अन्य विभागों के सामान्य विकास अथवा महाविद्यालय की सामान्य सुविधाओं के विकास पर व्यय किया जा सकता है।

केवल सहायता प्राप्त विभागों पर ही वित्तीय सहायता का व्यय किया जायेगा।

fo'ofok|ky; vunku vk;kx }kjk vunku dk tkjh fd;k tkuk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आरंभ में ही कुल आबंटन का शतप्रतिशत अनावर्ती तथा 20 प्रतिशत आवर्ती अनुदान जारी करेगा। तत्पश्चात्, आवर्ती अनुदान की पिछली किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर वार्षिक आधार पर 20 प्रतिशत आवर्ती अनुदान जारी किया जायेगा। तथापि, अनुदान जारी किये जाने के अठारह माह के भीतर अनावर्ती अनुदान का उपयोग कर लेना चाहिए तथा उसका उपयोग प्रमाणपत्र जमा किया जाना चाहिये।

वि.अ.आ. द्वारा एक बार अंतिम रूप से अनुदान का आबंटन किये जाने पर वि.अ.आ. को सूचना देकर महाविद्यालय स्तर पर उपर्युक्त रूप से औचित्य सिद्ध करते हुए कुल आबंटन के 20 प्रतिशत भाग के पुनर्विनियोजन की ही अनुमति है। किसी भी स्थिति में कुल आबंटन के 5 प्रतिशत से अधिक राशि का पुनर्विनियोजन नहीं किया जायेगा।

ik=rk@io|'kr|

योजना के तहत निम्नवत मानदण्ड पर खरे उतरने वाले महाविद्यालय विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे:

1. महाविद्यालय कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिये।
2. महाविद्यालय, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त होना चाहिए।
3. सीपीए के प्रथम दर्जे हेतु आवेदन करने के समय महाविद्यालय एनएएसी द्वारा कम से कम 'बी' ग्रेड के साथ प्रत्यायित होना चाहिये।
4. प्रत्यायित महाविद्यालयों में प्राथमिकता स्वायत्त महाविद्यालय को दी जायेगी।
5. यदि महाविद्यालय एक समाविष्ट महाविद्यालय है तो उसे महाविद्यालय से +2 पाठ्यक्रम बंद करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिये। विशेषज्ञ समिति के साथ साक्षात् बैठक करने से पूर्व लिखित में यह पुष्टि करनी होगी कि यदि उसे सीपीई दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो वह को अगले शिक्षा वर्ष से +2 को अलग कर देगा। योजना के तहत अनुदान की प्रथम किस्त को +2 को अलग किये जाने के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।
6. यह वांछनीय होगा कि सीपीई/सीई के तहत योजना के कार्यान्वयन के दौरान चयनित महाविद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाये ताकि योजना के कार्यान्वयन में निरंतरता को बनाये रखा जा सके।
7. ऐसे महाविद्यालयों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जहाँ अन्य बातों के समान रहते हुए, प्राचार्य नियमित रूप से नियुक्त हों तथा उनका एक लंबा कार्यकाल हो।

इस योजना के तहत कृषि, चिकित्सा, दंत चिकित्सा तथा भेषजी महाविद्यालय विचार किये जाने हेतु पात्र नहीं हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान वि.अ.आ. कार्यालय में विशेषज्ञ (निगरानी) समिति द्वारा 137 महाविद्यालयों की समीक्षा की गई है तथा दिनांक 21 जनवरी, 2015 को वि.अ.आ. की वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस देकर नये प्रस्ताव भी आमंत्रित किये गये हैं तथा वि.अ.आ. के सार्वजनिक नोटिस के प्रत्युत्तर में वि.अ.आ. को विभिन्न विश्वविद्यालयों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें स्थायी समिति के समक्ष रखा जायेगा।

वर्तमान में, आज की तिथि के अनुसार 172 महाविद्यालयों को सीपीई का दर्जा प्राप्त है तथा 14 महाविद्यालयों को सीई का दर्जा प्राप्त है।

योजना का विस्तृत ब्यौरा वि.अ.आ. की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/8626399_CPE-Guidelines.pdf पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के तहत महाविद्यालयों को 51[93]50]000@& रुपये की राशि जारी की गई।

5.4 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना

उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली से गुणवत्तायुक्त उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष, 2001 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर-विषयक क्षेत्रों संबंधी अध्ययन और अनुसंधान में “उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना” नामक नई योजना आरंभ की थी।

वर्ष 2001-2002 तथा 2009-2010 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयी प्रणाली में केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नवत केन्द्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया था।

Ø- 1-	fo'ofc ky; dk uke	dUn@lLFkku
1.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	मानव जीनोम का अध्ययन और शोध हेतु केन्द्र की स्थापना
2.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	बायोमेडिकल मेगनेटिक रेजोनेंस की स्थापना
3.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय में ओरियेन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट में विज्ञान के इतिहास हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना
4.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	जीव विज्ञान विद्यालय का उन्नयन कर अनुप्रयुक्त मानव आनुवांशिकी केन्द्र की स्थापना
5.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	अंतराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना
6.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	श्री गुरु ग्रंथ साहिब हेतु राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र

समीक्षा समिति की मदद से इन केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा की गई है ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उन्हें जारी रखने अथवा बंद करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

वर्तमान में केवल एक केन्द्र अर्थात् गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब हेतु राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र ही कार्य कर रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्र को 4.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना को बंद कर दिया गया है।

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)

एसएपी कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुकर बनाने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतराष्ट्रीय मानदंडों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता की खोज को प्रोत्साहित करना है। सर्वप्रथम, ऐसे कार्यक्रम को ‘उच्च अध्ययन केन्द्र’ (सीएसएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था। ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय प्राप्त हुई है। “विशेष सहायता विभाग” (डीएसए) और “विभागीय शोध सहायता” (डीआरएस) कार्यक्रमों को क्रमशः वर्ष 1972 और 1977 में सीएसएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग का सृजन करने के लिए आरंभ किया गया था।

fo'k"l lgk;rk dk;Øe ¼li½ Lrj

1. शोध सहायता विभाग (डीआरएस)
2. विशेष सहायता विभाग (डीएसए)
3. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएसएस)

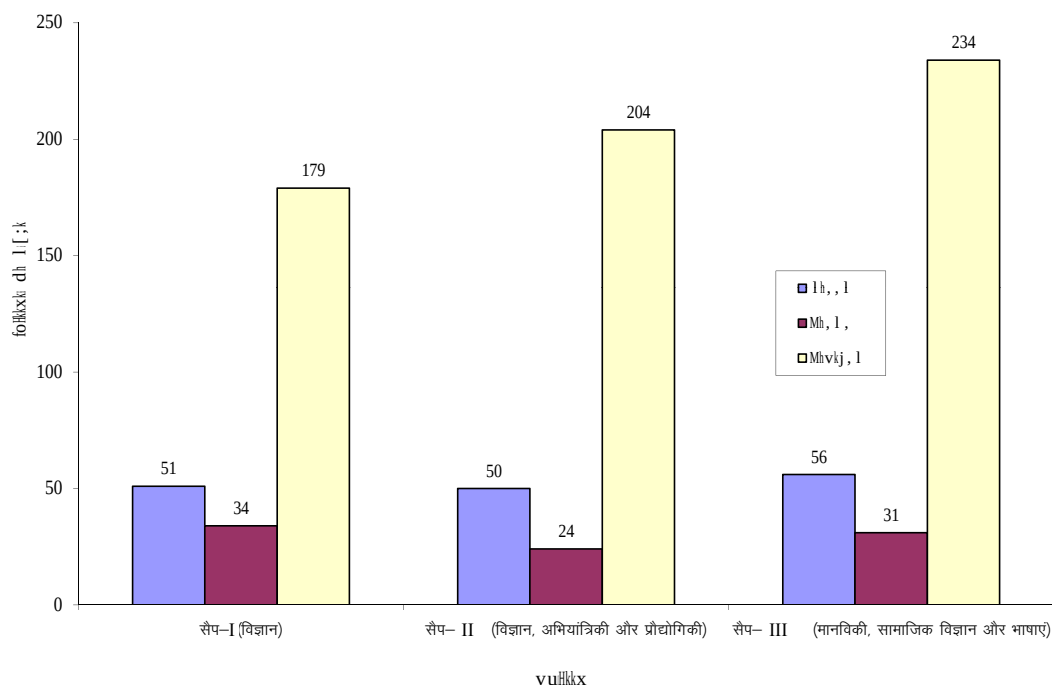
li foHkkxk dh fuxjkuh@eY;kdu

एसएपी के तहत सहायता प्राप्त विभागों की प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों की समीक्षा निगरानी/मूल्यांकन और समीक्षा, सलाहकार और अंतिम समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

ली फोह्क्खक धोरेकु फ्लफ्र
रक्यद 5-5 फुनक 31-03-2015 ध फ्लफ्र द वुल्कज फोह्क्खक ध लःक

ली@ह्क्ख	ली&I फोक्कु	ली&II फोक्कु वफ्क;क=ध वक्ज िक कफध	ली&III फोक्कु लक्फत द फोक्कु वक्ज ह्क्क,ह	दय
सीएस	51	50	56	157
डीएस	34	24	31	89
डीआरएस	179	204	234	617
दय	264	278	321	863

ज[कफ= 5-5 फुनक 31-03-2015 ध फ्लफ्र द वुल्कज , ल,ह&फोह्क्खक ध लःक



- विभाग, जिनकी वर्ष 2014-15 के दौरान समीक्षा की गई : 358
- विभाग, जिन्हें वर्ष 2014-15 के दौरान बंद कर दिया गया (डीआरएस-35, डीएसए-2, सीएसए-7) : 44
- वर्ष 2014-15 के दौरान समान स्तर पर कार्य कर रहे विभाग (डीआरएस-208, डीएसए-21, सीएसए-55) : 284
- वर्ष 2014-15 के दौरान उन्नयन किये गये विभाग (डीआरएस से डीएसए-19) (डीएसए से सीएसए-11) : 30
- वर्ष 2014-15 के दौरान आरंभ किये गये नये विभाग : 'कु;
- **लकुV& मानव संसाधन विभाग के निदेशों की अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बंद किये गये स्व-वित्तपोषित विभागों की संख्या** : 12
- वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया व्यय : 31-26 djkM #i;

विश्वविद्यालयों हेतु विशेष सहायता कार्यक्रम योजना के संबंध में अर्हता, कार्यक्रम की अवधि, सहायता के स्वरूप, चयन प्रक्रिया, अनुदान को जारी किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्यय-पत्र http://www.ugc.ac.in/pdfnews/5202160_SAPguidelines.pdf पर उपलब्ध हैं।

5.6 स्वायत्ता महाविद्यालय

वर्ष 1964-66 के शिक्षा आयोग, ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परमावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश मौजूद नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूंकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में सह-भागीदार हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि उन्हें वृहद उत्तरदायित्व का वहन करने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964-66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी। संक्षेप में, महाविद्यालयों की स्वायत्तता ही शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक माध्यम है।

Lok;Ük egkfo |ky; k dk foÜkh; l gk; rkk&

1. योजना के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

Ø- l-	egkfo ky; k dk Lo: i	Lok;Ük vunku gr vgrk %i; e
क	केवल Lukrdio पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले : (1) कला/विज्ञान/वाणिज्य-ek= ,dy ldk; (ख) कला/विज्ञान/वाणिज्य-, d l vfk d ldk;	9,00,000/- 15,00,000/-
ख	Lukrdio] LukrdkÜkj दोनों स्तरों पर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले: (क) ,dy संकाय (ख) cg संकाय	10,00,000/- 20,00,000/-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 2013 के दौरान चुनिंदा शैक्षिक संस्थानों (स्वायत्तशासी महाविद्यालय) में शिक्षा वर्ष 2013-14 से क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिये एक कार्यशाला आयोजित की।

ऐसे स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया जो एनसीसी को क्रेडिट प्वाइंट के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करेंगे।

शिक्षा वर्ष 2013-14 से क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने हेतु स्वायत्त महाविद्यालय की वित्तीय सहायता में वृद्धि।

Ø- l-	egkfo ky; k dk Lo: i	vunku dh jkf'k %yk[k #i; e	ØfMV lokbV d l kFk ,ulhlh dk odFYid fo"i; d : i e vkjHk djw gr Lok;Ük egkfo ky; gr dy vunku %yk[k #i; e	,ulhlh dk odFYid fo"i; d : i e vkjHk djw gr Lok;Ük egkfo ky; gr dy vunku %yk[k #i; e
क	केवल स्नातकपूर्व स्तर : (1) कला/विज्ञान/वाणिज्य-मात्र एकल संकाय (ख) कला/विज्ञान/वाणिज्य-एक से अधिक संकाय	9.00 15.00	1.00 1.00	10.00 16.00
ख	स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर दोनों स्तरों के लिए: (क) एकल संकाय (ख) बहु संकाय	10.00 20.00	1.00 2.00	11.00 22.00

स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय को उनकी स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, उन्हें बिना कोई स्वायत्तशासी अनुदान प्रदान किये स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जायेगा। उन्हें अन्य महाविद्यालयों पर लागू समान प्रक्रिया से गुजरना होगा।

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 24 राज्यों में 92 विश्वविद्यालयों के 487 स्वायत्तशासी महाविद्यालय थे।

rkfy dk 5-6% fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vu l kj 487 Lok;Ük'kk l h egkfo |ky; k dk vofLFkfr l ph

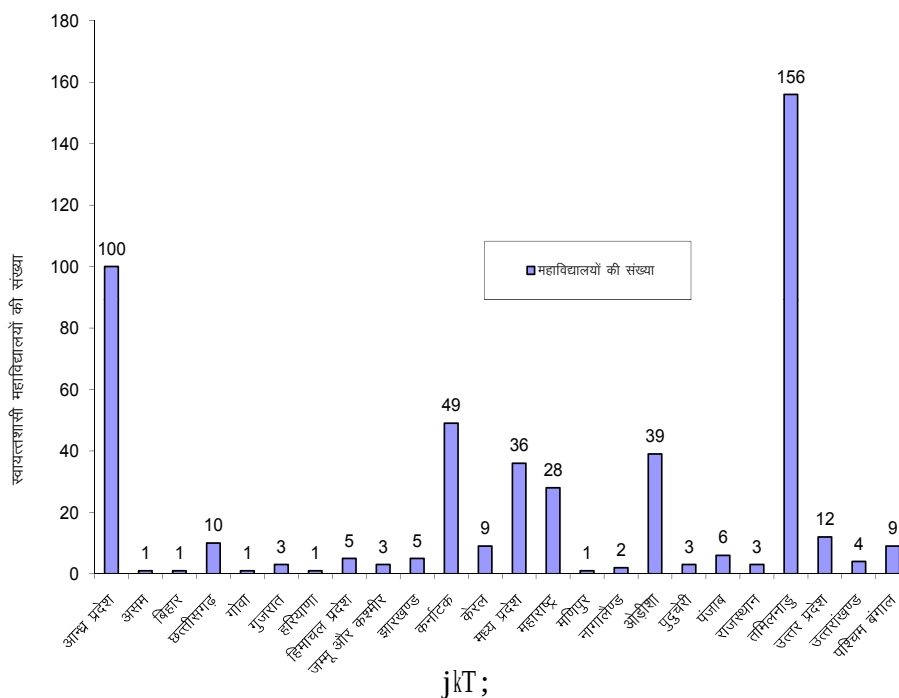
Ø- l-	jkT; dk uke	Ø- l-	fo'ofu ky; k dk uke	Lok;Ük egkfo ky; k dk l ; k	mi& kx
1	आन्ध्र प्रदेश	1.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	13	100
		2	आदिकवि नन्नया विश्वविद्यालय, राजमुन्दरी	01	
		3.	अन्धा विश्वविद्यालय	14	
		4.	जवाहरलाल नेहरू टैक्नालॉजिकल युनिवर्सिटी, काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश	11	
		5	जवाहरलाल नेहरू टैक्नालॉजिकल युनिवर्सिटी, अनन्तपुर	11	
		6.	जवाहरलाल नेहरू टैक्नालॉजिकल युनिवर्सिटी, कुकाटपल्ली, हैदराबाद	17	
		7.	काकतीया विश्वविद्यालय	03	
		8.	कृष्णा विश्वविद्यालय, मछलीपट्टनम	03	
		9.	ओस्मानिया युनिवर्सिटी, हैदराबाद	20	
		10.	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कुरनूल	03	
		11	श्री कृष्णादेवराय विश्वविद्यालय	01	
		12.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति	03	
2.	असम	1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम	01	01
3.	बिहार	1.	बी.एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	01	01
4	छत्तीसगढ़	1	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	04	10
		2	पं. रविशंकर विश्वविद्यालय	06	
5.	गोवा	1	गोवा विश्वविद्यालय	01	01
6	गुजरात	1	भावनगर विश्वविद्यालय	01	03
		2	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	01	
		3	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	01	

Ø- l:-	jkT; dk uke	Ø-l:-	fo'ofok ky; dk uke	Lok; Ûk egkfo ky; k dh l; k	mi&; kx
7.	हरियाणा	1	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	01	01
8	हिमाचल प्रदेश	1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	05	05
9.	जम्मू और कश्मीर	1.	जम्मू विश्वविद्यालय	02	03
		2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	01	
10	झारखण्ड	1	राँची विश्वविद्यालय	05	05
11	कर्नाटक	1	बंगलुरु विश्वविद्यालय	11	49
		2	दावानगरे विश्वविद्यालय	01	
		3	कर्नाटक विश्वविद्यालय,	02	
		4	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	02	
		5	मैंगलोर विश्वविद्यालय	07	
		6	मैसूर विश्वविद्यालय	07	
		7	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, बेलगाम	02	
		8	विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय	17	
12.	केरल	1	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	05	09
		2	कालीकट विश्वविद्यालय	02	
		3	केरल विश्वविद्यालय	02	
13.	मध्य प्रदेश	1	ए.पी.सिंह विश्वविद्यालय	04	36
		2	बकंतुल्ला विश्वविद्यालय	07	
		3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	08	
		4	डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	03	
		5	जीवाजी विश्वविद्यालय	03	
		6	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	02	
		7	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	07	
		8	विक्रम विश्वविद्यालय	02	
14	महाराष्ट्र	1	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय	02	28
		2	नार्थ महाराष्ट्र युनिवर्सिटी,	01	
		3	पुणे विश्वविद्यालय	05	
		4	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय	03	
		5	एस0एन0डी0टी0 महिला विश्वविद्यालय	01	
		6	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	03	
		7	शिवाजी विश्वविद्यालय	03	
		8	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	02	
		9	मुम्बई विश्वविद्यालय	08	
15	मणिपुर	1	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	01	01
16	नागालैण्ड		नागालैण्ड विश्वविद्यालय	02	02
17	ओड़ीशा	1	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	07	38
		2	बीजू पटनायक युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी	02	
		3	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	02	
		4	नार्थ ओड़ीशा विश्वविद्यालय	03	
		5	सम्भलपुर विश्वविद्यालय	08	
		6	उत्कल विश्वविद्यालय	17	
18	पुदुचेरी	1	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	03	03
19	पंजाब	1	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	01	06
		2	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	01	
		3	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर	03	
		4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	01	
20	राजस्थान	1	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय(जोधपुर)	01	03
		2	राजस्थान विश्वविद्यालय	02	
21	तमिलनाडु	1	अल्गप्पा विश्वविद्यालय	01	156
		2	अन्ना विश्वविद्यालय	29	
		3	भारथीदासन विश्वविद्यालय	22	
		4	भरथियार विश्वविद्यालय	22	
		5	मद्रास विश्वविद्यालय	22	
		6	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	25	
		7	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	07	
		8	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	02	
		9	पेरियार विश्वविद्यालय	05	
		10	तमिलनाडु स्टेट फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी	02	
		11	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन युनिवर्सिटी, चेन्नई	10	
		12	थिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय	09	

Ø- l-	jkT; dk uke	Ø-1-	fo'ofok ky; dk uke	Lok; Ûk egkfo ky; k dh l; ; k	mi&; kx
22	उत्तर प्रदेश	1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	01	12
		2	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	01	
		3	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	01	
		4	गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ	05	
		5	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	02	
		6	उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ	01	
		7	लखनऊ विश्वविद्यालय	01	
23	उत्तराखण्ड	1	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	01	04
		2	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड	03	
15	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता विश्वविद्यालय	04	09
		2	विद्यासागर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	01	
		3	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता	04	
			dy		487

राज्यों की संख्या : 24
विश्वविद्यालयों की संख्या : 92
महाविद्यालयों की संख्या : 487

j;[kkfp= 5-6% o" 2014&15 d nkjku Lok; Ûk'kk lh egkfo | ky; k dh jkT;okj l ph



vupku tkjh fd; k tkuk

स्वायत्त महाविद्यालयों को यथा ग्राह्य स्वायत्त अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु तथा दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने 171 लाभार्थी महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालय योजना के तहत 33.02 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।

योजना का प्रभावी तथा निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रतिप्राप्ति के आधार पर समय-समय पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है तथा उनमें संशोधन करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नये स्वायत्त महाविद्यालय के दर्जे हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/0722837_guidelines-autonomous-colleges.pdf पर उपलब्ध है।

आयोग ने दिनांक 27 फरवरी, 2014 से स्वायत्त महाविद्यालयों के स्वायत्त दर्जे को बढ़ाने के लिये दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया, जो निम्नवत पठित हैं:-

ऐसे स्वायत्त महाविद्यालय जिनकी पिछले तीन बार (18 वर्षों) से सफलतापूर्वक समीक्षा की जा रही है तथा जिन्होंने लगातार कम से कम 'बी' ग्रेड (2.5 सीजीपी के साथ) का एनएएसी प्राप्तांक बनाये रखा है, उन्हें स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिये समिति के अनिवार्य दौरे से छूट प्राप्त होगी। एक बार उपर्युक्त मानदण्ड पूर्ण करने पर यह महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के दर्जे को बढ़ाने हेतु संगत जानकारी (प्ररूप के अनुसार) उपलब्ध करायेगा तथा आयोग द्वारा स्वतः ही दर्जा बढ़ा दिया जायेगा।

सभी स्वायत्त महाविद्यालयों को उनमें पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम, संकाय, अवसंरचना की उपलब्धता, दाखिले के ब्यौरे आदि के संबंध में जानकारी को अपनी वेबसाईट पर अपलोड करना अपेक्षित होगा।

वर्ष 2014-15 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नये स्वायत्त दर्जा प्रदान करने/स्वायत्त दर्जे को बढ़ाने हेतु देशभर के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से 63 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष द्वारा इन महाविद्यालयों को नया स्वायत्त दर्जा प्रदान करने/स्वायत्त दर्जा बढ़ाने हेतु इन महाविद्यालयों का दौरा करने के लिये विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान 33 महाविद्यालयों को नया स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था जबकि 19 महाविद्यालयों के स्वायत्त दर्जे को बढ़ाया गया था।

5.7 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी) (पूर्व में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (एससी) के नाम से जाना जाता था)

अब अकादमिक स्टॉफ कॉलेज का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी) कर दिया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण के उच्च स्तरों को बनाए रखना है।

- वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदत्त अनुदान : 46,87,23,848/- रुपये।
- दिनांक 31.03.2015 तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप अनुदान उपलब्ध कराने पर विचार किया गया।
- वर्ष 2015-16 के लिए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम अनुसूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एचआरडीसी के निदेशक तथा एक समन्वयक की आमुख बैठक के माध्यम से आबंटित किया गया है।
- अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देश तैयार कर दिये गये हैं तथा दिनांक 01.02.2015 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
- योजना के तहत अधिक अनुदानों/निधियों के साथ कुछ एचआरडीसी को आरसीसीबी के रूप में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव है।

		vkj lhlhch	,pvkjMhlh
I	वेतन	वास्तविक आधार पर	वास्तविक आधार पर
II	ग्रंथालय व्यय	10.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष	3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष
III	उपकरण	15.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष	5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष
IV	कार्यात्मक व्यय	ई-विषयवस्तु के सृजन सहित प्रतिवर्ष एकमुश्त 10.00 लाख रुपये	प्रति वर्ष एकमुश्त 7.50 लाख रुपये

ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d fn'kkfun'kku dh vU; fo'k"krk,%

- ओपी/आरसी/एसटीसी हेतु भागीदारों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 30 कर दी गई है।
- एचआरडीसी-अतिथि गृह हेतु आवंटन बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- निदेशक-एचआरडीसी के अतिरिक्त प्रभार को बढ़ाकर 10,000/-रुपये तथा उप निदेशक के प्रभार को बढ़ाकर 5,000/- रुपये कर दिया गया है।
- भागीदार पंजीकरण शुल्क को 500/- से बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दिया गया है (अप्रतिदाय योग्य)
- पाठ्यक्रम के समन्वयक को 6,000/- रुपये का मानदेय।
- संसाधक/अभ्यागत संकाय हेतु 6000 रुपये प्रति पाठ्यक्रम की अधिकतम सीमा के अधधीन 90 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1500/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य शर्तें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-वार यथावत रहेंगी।

5.8 राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन

राजभाषा अधिनियम के अनुसार वर्ष 1963 में केन्द्र सरकार ने हिन्दी को आधिकारिक रूप से संघ की कामकाज की भाषा घोषित किया तथा सभी विभागों को हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिये "राजभाषा प्रकोष्ठ" स्थापित करने का निदेश दिया था। राजभाषा अधिनियम के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रारंभ में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1992 में पूर्णतः राजभाषा अनुभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में यथासंभव अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 (खण्ड-3) के तहत जारी किये जा रहे सभी दस्तावेजों (सामान्य आदेश, ज्ञापन, निर्णयों, अधिसूचना, नियम, परिपत्र, करार, संविदा, निविदा, नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि) को द्विभाषी रूप में जारी किया जारी करने के आदेश हैं।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 बैठकें, क्रमशः 29 सितम्बर, 2014, 30 दिसम्बर, 2014 और 24 मार्च, 2015 को आयोजित हुई। एक कर्मचारी को हिन्दी आशुलिपिक तथा हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया।

हिन्दी के संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में क्रमशः दिनांक 24.04.2014, 11.09.2014, 12.11.2014 और 27.02.2015 को चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सामग्री यथा वार्षिक रिपोर्ट 2013-14, वार्षिक लेखा 2013-14, प्रशासनिक निविदा की जानकारी, उपाधियों की विनिर्दिष्टता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन, दिशानिर्देश, सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी, विश्वविद्यालयों में खेल संबंधी अवसंरचना के विकास संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देश, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानांतरण, सेवानिवृत्तियां, कार्यालय अनुशासन बनाए रखने से संबंधित आदेश, अर्धशासकीय पत्र तथा विज्ञापन, परिपत्र और बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों का हिन्दी में रूपांतरण किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं जैसे निबंध लेखन, वाद-विवाद, हिन्दी टंकण और टिप्पण लेखन, कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का आयोजन किया गया। इन प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिस्पर्धियों को क्रमशः 2500, 2000 तथा 1500 रुपये का पुरस्कार तथा अन्य विजेताओं को सात्वना राशि के रूप में 1000 रुपये का राशि प्रदान की गई।

01 से 14 सितम्बर, 2014 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया तथा 12 सितम्बर, 2014 को हिन्दी दिवस आयोजित किया गया। हिन्दी दिवस तथा पुरस्कार वितरण हेतु कुल 2,76,872/- रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 2014-15 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली केन्द्र) की प्रथम बैठक दिनांक 21.08.2014 तथा 19.03.2015 को आयोजित की गई जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने भाग लिया।

वर्ष 2014-15 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5,100/- रुपये का अंशदान दिया।

आयोग ने हिन्दी विभागों की स्थापना और उन्नयन हेतु अनुमोदित और अनुदान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/2836102_Final-guidelines-for-Hindi-Department.pdf पर देखा जा सकता है। आयोग ने 26 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना करने और उन्नयन किये जाने को अनुमोदित किया। इन दिशानिर्देशों के तहत भवन के निर्माण, उपकरण के क्रय, भवन के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु अनुदान के भुगतान का भी उपबंध किया गया है। हिन्दी में किये जा रहे कार्य तथा राजभाषा के कार्यान्वयन का आंकलन करने तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना तथा उनके उन्नयन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में किये जा रहे कार्य का आंकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक निरीक्षण समिति का गठन किया है।

5.9 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न सहयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, नारवे और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है तथा आयोग ने अमेरिका में पोस्ट डाक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्ति, परियोजना आधारित कार्मिक विनिमय कार्यक्रम तथा जर्मनी के साथ वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रमों जैसे अध्येतावृत्ति तथा शोध कार्यक्रमों के माध्यम से विद्वानों को शोध क्षमता प्राप्त करने में मदद की है।

वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्नवत व्यय किया गया:

सीईपी	15,64,96,247/-
भारत-अमेरिका ज्ञान पहल	1,14,10,000/-
रमन अध्येतावृत्ति	29,40,22,545/-
कुल	46,19,28,792/-

Number of Children	Percentage
jeu v/;rkofük,	64%
1bbih, 156496247,	34%
Hkkjr&vefjdk Kku igy,	2%

5-9₄d₁1₂1₂1₂1₂ l₁;Dr jkT; vefidk e₁ ikLV MkDV_kjy 'kkèk d₁ fy, jèu vè;rkofùk; k₁

5-9¼d^{1/2}¼ii^{1/2}¼ jk"VeiMy vk;foKku vè;rkoFRr;k

5-9¼ d ½¼ iii ½¼ LVkblifM;e gxjhde dk;Øe

5-9¼ d 1¼ iv 1% t euh d l kFk oKkfudk d k vknku&inku d k; Øe%

5-9¼d^{1⁄24}v^{1⁄80} ifj;ktuk vkèkffjr 0;fDr d vknku&inku dk;Øe ¼ihihih^{1⁄80}

5-9¼d^{1½/4}vi^{1½/20} nf{k.k ,f'k;kb! lLFkku ghMyx! vè;rkofÜk%

गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

5-9% d'vii lkr lkexh l'xg ;ktuk d' v'rxir fon'kk dh ;k=k dju d' fy, f'k{kdk dk ;k=k vunku

आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को अनुसंधान कार्य हेतु स्रोत सामग्री एकत्रित करने के लिए शतप्रतिशत आधार पर यात्रा अनुदान प्रदान करता है। यह सहायता ऐसे शोध छात्रों को दी जाती है जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो माह की अवधि के लिए भरण-पोषण करने का आश्वासन मिला हो। वर्ष 2014 के दौरान, 1 भारतीय शोध छात्र को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

5.9(ख): संयुक्त शोध प्रस्ताव

5-9% [k%ii% fo-v-vk-&;d'v'kbb'v'kjbi fo'k;xr Hkkxh'nfj;k

'ब्रिटेन इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव' (यूकेआईआईआरआई) को दोनों देशों के बीच शैक्षिक संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2006 में आरंभ किया गया था।

इस पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को वर्ष 2016 तक बढ़ा दिया गया था।

भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की ओर से तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता से fo'ofok|ky; vunku vk;kx %fo-v-vk-% और नई दिल्ली में स्थित यूकेआईआईआरआई सचिवालय के माध्यम से fcfV'k dkmfly %chlhl% कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

ब्रिटेन और भारत की सिद्ध शोध क्षमता वाले संस्थान-आधारित शोध दलों के लिए वि.अ.आ.-यूकेआईआईआरआई विषयगत भागीदारियाँ हैं। विषयगत भागीदारियों के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 10 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

%[k%ii% Hkkjr&vefj'dk 21oh lnh Kku igy

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्धित भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी का निर्माण करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी। इसके कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, वि0अ0आ0 ने भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल के अंतर्गत एक खुली प्रतियोगिता की घोषणा की है और वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में l;Dr 'kkèk हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

- ऊर्जा अध्ययन
- सतत विकास
- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरणीय अध्ययन
- शिक्षा और शैक्षणिक सुधार,
- सामुदायिक विकास और नवोन्मेष

वर्ष 2014 में वि.अ.आ. को संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4 प्रस्तावों को भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह द्वारा अनुशंसित किया गया है।

5-9% [k%ii% Hkkjr&U;thyM l;Dr 'kkèk ifj;ktuk,;

भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में भारत और शिक्षा न्यूजीलैंड ने संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण प्राप्त करने के इच्छुक भारत और न्यूजीलैंड के शिक्षाविदों से आवेदन आमंत्रित किये। ये परियोजनाएं किसी भी विधा पर केन्द्रीत हो सकती हैं लेकिन निम्नवत एक अथवा अधिक विषयों पर बल दिया जाना चाहिए।

- खाद्य सुरक्षा (कृषि सहित), इतिहास, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन।
- सामुदायिक विकास और नवोन्मेष
- रचनात्मक और संस्कृति उद्योग, पर्यटन और न्यू लैयर-इकोनामी
- स्वास्थ्य
- पर्यावरण और धारणीयता (जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा अध्ययन सहित)
- दक्षिण प्रशांत और एंटीपोड्स में बसे भारतीय मूल के व्यक्ति
- भारत-न्यूजीलैंड व्यापार संबंध और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की विदेश नीति

- जानकारी की सुरक्षा
- शहरी आयोजना और विकास, शहरी-ग्रामीण भूमि का उपयोग और संबंधित मुद्दे।

वर्ष 2014 में कार्यक्रम के अंतर्गत 7 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया।

5-9% [k%iv% Hkkjr&bt;jkby l;Dr 'kkèk dk;Øe

संयुक्त शोध कार्यक्रम का उद्देश्य इज़राइल और भारत के वैज्ञानिकों के बीच अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) और इज़राइल विज्ञान फाउंडेशन (आईएसएफ) के बीच हुए एक सहयोग समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भारतीय और इज़राइल सरकार, दो वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित विनियमों के अनुरूप अपने वैज्ञानिकों को वित्तपोषित करती है, द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम सभी विधाओं के लिए खुला है। वि.अ.आ., भारत और इजरायल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ), इज़राइल ने संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और वर्ष 2014 में 21 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

5-9% [k%v% Hkkjr&uko l g;kx dk;Øe %vkb,ulhih%

उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा संपर्क को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम 14 फरवरी, 2014 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित उच्चतर शिक्षा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नार्वे केंद्र (एसआईयू) के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी करार पर आधारित है।

आईएनसीपी का वित्तपोषण संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत और नार्वे के विदेश मंत्रालय द्वारा समान अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वि.अ.आ., भारत और एसआईयू, नार्वे इस कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

आईएनसीपी में 01 जनवरी, 2015 से 12 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि हेतु भारत और नार्वे के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से नई परियोजनाओं के एक पोर्टफोलियो की स्थापना और उसका प्रशासन शामिल है।

ik=r% वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत विकास अनुदान पाने हेतु पात्र, मान्यता प्राप्त सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

0;kid fo"k;xr {k=% किसी भी शैक्षणिक विधा में सहयोग किया जा सकता है परंतु वह निम्नवत प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबद्ध होनी चाहिए:

- ऊर्जा, विशेषरूप से स्वच्छ ऊर्जा
- समुद्री तथा आर्कटिक/ध्रुवीय शोध सहित जलवायु परिवर्तन
- स्वास्थ्य विशेषरूप से जन स्वास्थ्य
- सूचना प्रौद्योगिकी विशेषरूप से जानकारी की सुरक्षा
- शहरी आयोजना तथा विकास
- पर्यावरण
- जैव प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान
- वैश्विक विकास
- विकास अर्थशास्त्र
- समुद्री विज्ञान
- प्रबंधन अध्ययन विशेषरूप से नवोन्मेश के संबंध में
- सामाजिक विज्ञान, मानविकी और कला
- भौगोलिक खतरे
- अध्यापक शिक्षा

आईएनसीपी के अंतर्गत, वि.अ.आ., भारत और एसआईयू, नार्वे ने संयुक्त शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं और वर्ष 2014 में 13 परियोजनाओं का चयन किया गया है।

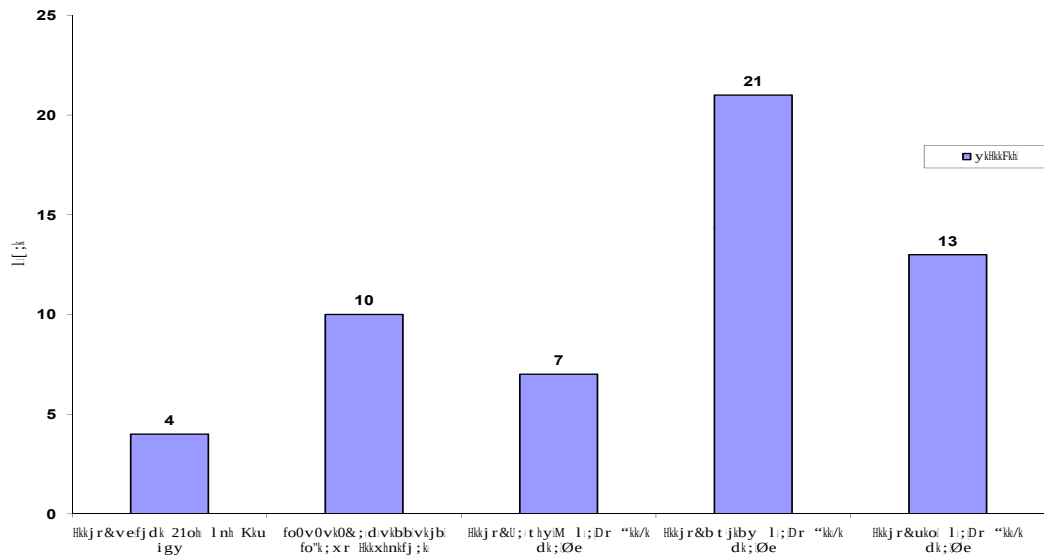
5-9% [k%vi% vkLVfy;k&Hkkjr 'kf{kd ifj"kn% ,vkbblh%]

आस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद् की स्थापना चार आयामों अर्थात् उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान, कौशल, गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता तथा छात्र गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2011 में की गई थी। एआईसी के तहत Nk= LFkkukrj.k पर ,d ifj;k t uk जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली को प्रदान की गई है।

➤ l;Dr 'kkèk ifj;k t ukvka dh lefdr lph] %2014%

Ø- l-	n'k	;k t uk	y kHkkFkh
1.	अमेरिका	भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल	04
2.	ब्रिटेन	वि.अ.आ.-यूकेआईआईआरई विषयगत भागीदारियां	10
3.	न्यूजीलैंड	भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त शोध कार्यक्रम	07
4.	इजराइल	भारत-इजराइल संयुक्त शोध कार्यक्रम	21
5.	नार्वे	भारत-नार्वे संयुक्त शोध कार्यक्रम	13

j:[kkfp= 5-9 % [k% l;Dr 'kkèk ifj;k t uk&2014 d l cèk e y kHkkFkh



5.10 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा : शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं एवं कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लैक्चरारशिप एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के माह में दो बार देशभर में फैले 89 समन्वय संस्थानों और 79 विषयों (परीक्षा-एक के अलावा) में परीक्षा आयोजित की जाती है। इस शिक्षा वर्ष के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चार नये समन्वयक संस्थानों की भी सेवाएं प्राप्त की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध के क्षेत्र में उच्च समतुलनीयता के साथ-साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 में नेट का आयोजन करना आरंभ किया था जिसे विशेष रूप से वि.अ.आ.-नेट परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात्, वर्ष 1986 में अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों हेतु मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्ष 1989 से इस परीक्षा को भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए पात्र उम्मीदवार घोषित करने के एक साधन के रूप में भी उपयोग किया गया था। इससे पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानविकी और भाषाओं सहित सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ विज्ञान विषयों में इस परीक्षा को आयोजित कराता था। वहीं, सीएसआईआर भी मुख्य विज्ञान विषयों में एक परीक्षा आयोजित कराता था। विज्ञान विषयों में प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए वि.अ.आ. ने हस्तक्षेप किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए भी अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए सीएसआईआर के साथ एक समझौता किया। उस समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में वि.अ.आ.-नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है जबकि सीएसआईआर भी

संयुक्त सीएसआईआर- वि.अ.आ.-नेट परीक्षा के तहत प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में 5 मुख्य विज्ञान विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान; जीवन विज्ञान; गणित विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विषयों में परीक्षा का आयोजन कर रहा है।

ऐसे प्रत्याशी जो शोध करना और वि.अ.आ. से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे वि.अ.आ.-नेट के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी जिनकी योग्यता अधिक है तथा वि.अ.आ.-नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफल जाते हैं, वे वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं, वि.अ.आ. द्वारा प्रत्येक वि.अ.आ.-नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी.एस.आर.आई.-वि.अ.आ. संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से लगभग 1200 अभ्यर्थियों के समग्र निष्पादन के अध्याधीन) कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए अध्येतावृत्ति उपलब्ध हैं।

uV ijh{kk ei fu"iknu

5-10% d½ fo0 v0 vk0&uV

जून, 2014 में आयोजित वि.अ.आ.-नेट परीक्षा में 4795 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया, जबकि दिसम्बर, 2014 में आयोजित वि.अ.आ.-नेट परीक्षा, जिसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आउटसोर्स किया गया था, में 3702 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया।

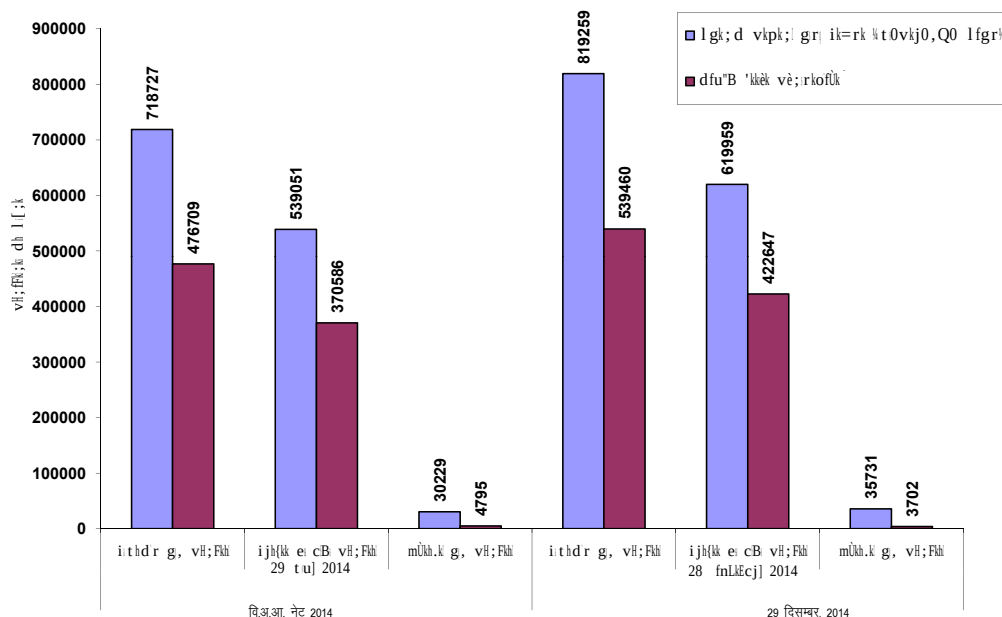
वि.अ.आ.-नेट परीक्षा के तहत पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले, सहायक व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नवत तालिका-5.10(क) में प्रस्तुत किया गया है।

rkfydk&5-10% d½ o"ki 2014&15 di nkjku ijh{kk gr i thdj.k djoku oky] ijh{kk ei cBu oky rFkk dfu"B 'kkèk vè;rkofRRk ei mrh.k gr vH;fFk;k dk C;kjk

fo-v-vk&uV		i thÑr	ijh{kk ei cB vH;Fkh		ijh{kk ei lQy g, vH;Fkh	
			Lk[;k	i thÑr dk ifr'kr%	Lk[;k	i thÑr dk ifr'kr%
29 जून, 2014	सहायक—आचार्य (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	718727	539051	75.00	30229	5.61
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	476709	370586	77.74	4795	1.29
28 दिसम्बर, 2014	सहायक—आचार्य (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	819259	619959	75.67	35731*	5.76
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	539460	422647	78.35	3702*	0.88

नोट: *अभ्यर्थियों के प्रश्नों के उत्तर के संबंध में शिकायतों के समाधान होने पर इन आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है।

ji[kkfp= 5-10% d½ fo-v-vk&uV ijh{kk ei vH;fFk;k dk fu"iknu %2014%
ijh{kk ei i thdr g,] cB rFkk mÙkh.k g, vH;fFk;k dh l[;k



जिन विषयों में वि०अ०आ०-नेट परीक्षा आयोजित की जाती है उन्हें नीचे तालिका 5.11 (क)(i) में दिया गया है:

तालिका 5-11 वि०अ०आ०-नेट परीक्षा के लिए स्वीकृत विषय

क्र.सं.	विषय
01	अर्थशास्त्र
02	राजनीति विज्ञान
03	दर्शनशास्त्र
04	मनोविज्ञान
05	समाज विज्ञान
06	इतिहास
07	मानव-विज्ञान
08	वाणिज्य
09	शिक्षा-शास्त्र
10	सामाजिक कार्य
11	रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन
12	गृह विज्ञान
14	लोक प्रशासन
15	जनसंख्या अध्ययन
16	संगीत
17	प्रबंधन
18	मैथिली भाषा
19	बांग्ला भाषा
20	हिन्दी भाषा
21	कन्नड़ भाषा
22	मलयालम भाषा
23	उड़िया भाषा
24	पंजाबी भाषा
25	संस्कृत भाषा
26	तमिल भाषा
27	तेलुगू भाषा
28	उर्दू भाषा
29	अरबी भाषा
30	अंग्रेजी भाषा
31	भाषा विज्ञान
32	चीनी भाषा
33	डोगरी भाषा
34	नेपाली भाषा
35	मणिपुरी भाषा
36	असमिया भाषा
37	गुजराती भाषा
38	मराठी भाषा
39	फ्रेंच भाषा
40	स्पेनिश भाषा
41	रशियन भाषा
42	फारसी भाषा
43	राजस्थानी भाषा

क्र.सं.	विषय
44	जर्मन भाषा
45	जापानी भाषा
46	प्रौढ़ शिक्षा/अनुवर्ती शिक्षा/एण्ड्रोगॉगी/अनौपचारिक शिक्षा
47	शारीरिक शिक्षा
49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
50	भारतीय संस्कृति
55	श्रमिक कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रमिक तथा समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन
58	विधि शास्त्र
59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
60	बौद्ध, जैन, गाँधी तथा शांति अध्ययन
62	धर्म का तुलनात्मक अध्ययन
63	जन संचार तथा पत्रकारिता
65	प्रदर्शित की जाने वाली कलाएं – नृत्य/नाटक/मंचन
66	संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण
67	पुरातत्त्व-विज्ञान
68	अपराध विज्ञान
70	जनजातीय तथा प्रादेशिक भाषा/साहित्य
71	लोक साहित्य
72	तुलनात्मक साहित्य
73	संस्कृत परंपरागत विषय (ज्योतिष/सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/मध्व वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराण इतिहास/अगम/अद्वैत वेदांत)
74	महिला अध्ययन
75	दृश्य कला (चित्रकला और चित्रांकन/मूर्तिकला/ग्राफिक्स/अनुप्रयुक्त कला/कला का इतिहास सहित)
80	भूगोल
81	सामाजिक-आयुर्विज्ञान तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
82	न्यायालयिक विज्ञान
83	पालि भाषा
84	कश्मीरी भाषा
85	कोंकणी भाषा
87	कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
88	इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान
89	पर्यावरण विज्ञान
90	अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
91	प्राकृत भाषा
92	मानवाधिकार तथा कर्तव्य
93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन
94	बोडो भाषा
95	संथाली भाषा

तालिका 5-10 वि०अ०आ०-नेट परीक्षा के लिए स्वीकृत विषय

क्र.सं.	विषय
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202 002
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211 002
3	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम-530 003
4	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर-791 112
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005

क्र.सं.	विषय
6	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलूरु-560 056
7	एम.पी.भोज मुक्त विश्वविद्यालय, गोविन्दपुरा, भोपाल-462 016
8	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर-760 007
9	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641 046
10	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली-620 024

dUn: dk dkM	dUn: dk uke
11	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान-713 104
12	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700 073
13	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड-673 635
14	चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ-250 005
15	छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर-208 024
16	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्ची-682 022
17	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110017
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर-452 001
19	डॉ० बी.एस.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद-431 004
20	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी-781 014
21	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा-403 203
22	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 009
23	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद-380 009
24	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा-585 106
25	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर-143 005
26	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-171 005
27	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (तवी)-180 006
28	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-342 001
29	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474 011
30	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़-580 003
31	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-190 006
32	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 034
33	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-132 119
34	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007
35	एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा-390 002
36	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई-600 005
37	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई-625 021
38	मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर-574 199
39	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल-795 003
40	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313 001
41	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई-400 032
42	नार्गाजुन विश्वविद्यालय, गुंटूर-522 510
43	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर-440 001
44	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग-734 430
45	नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग-793 022
46	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500 007
47	पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर-492 010
48	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़-160 014
49	पटना विश्वविद्यालय, पटना-800 005
50	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411 007
51	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302 004
52	रांची विश्वविद्यालय, राँची-834 008
53	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 001

dUn: dk dkM	dUn: dk uke
54	एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर-246 174
55	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर-768 019
56	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट-360 005
57	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति-517 502
58	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर-812 007
59	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला-799 004
60	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751 004
61	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282 004
62	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर-305 009
63	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम, पो. बाक्स नं० 190, आइजॉल-796 012
64	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, पो० बाक्स नं० 341, लुमानी, कोहिमा-797 001
65	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744104
66	अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा-486 003
67	असम विश्वविद्यालय, सिलचर-788 001 (असम)
68	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़-786 004
69	सिक्किम विश्वविद्यालय, छटा मॉडल, सामदुर, पी.ओ. तदांग-737 102 (गंगटोक, सिक्किम)
70	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर-784 028
71	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
72	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक-124 001
73	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला-147 002
74	मैसूर विश्वविद्यालय, कॉफोर्ड हॉल, मैसूर-570 005
75	दून विश्वविद्यालय, मोथारावाला रोड, केदारपुर, पो०आ० अजाबपुर कलान, देहरादून
76	कुमांउ विश्वविद्यालय, नैनीताल-263001
77	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी-605014
78	गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार - 125001
79	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद-121006 (हरियाणा)
80	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर-495009
81	नार्थ महाराष्ट्र युनीवर्सिटी, पोस्ट बाक्स नम्बर 80, उमावीनगर, जलगांव-425001
82	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती-444602
83	शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोहलापुर-416004
84	कोटा विश्वविद्यालय, एमबीएस मार्ग, कोटा-324005
85	दीन बंधु छोटु राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुखल, सोनीपत-131039
86	हेमचंद्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन-384265
87	केन्द्रीय हिमाचल विश्वविद्यालय, धर्मशाला-176215
88	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर-413255
89	एम.जे.पी. रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली-243006

नोट: क्र. सं. 85 और 86 पर उल्लिखित समन्वयक संस्थानों को जून, 2014 से आयोजित वि०अ०आ०-नेट परीक्षा तथा क्र०सं० 87 से 89 पर उल्लिखित समन्वयक संस्थानों को दिसम्बर, 2014 से आयोजित वि०अ०आ०-नेट परीक्षा तथा उसके बाद की परीक्षाओं के लिए सम्मिलित किया गया है।

5-10% [k% l;Dr 1h0,10vkb0vkj0&fo0v0vk0 ijh{kk

तालिका-5.10(ख)(i) उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर-विआ-नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका-5.10(ख)(ii) जे0आर0एफ0 के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा संयुक्त सीआईएसआर-वि0अ0आ0 नेट के माध्यम से लेक्चरशिप हेतु पात्रता को दर्शाता है।

rkfy dk&5-10% [k% l;Dr 1h-,l-vkb-vkj-&uV d
rgr 'kkfey foKku d fo" k; k dh lph

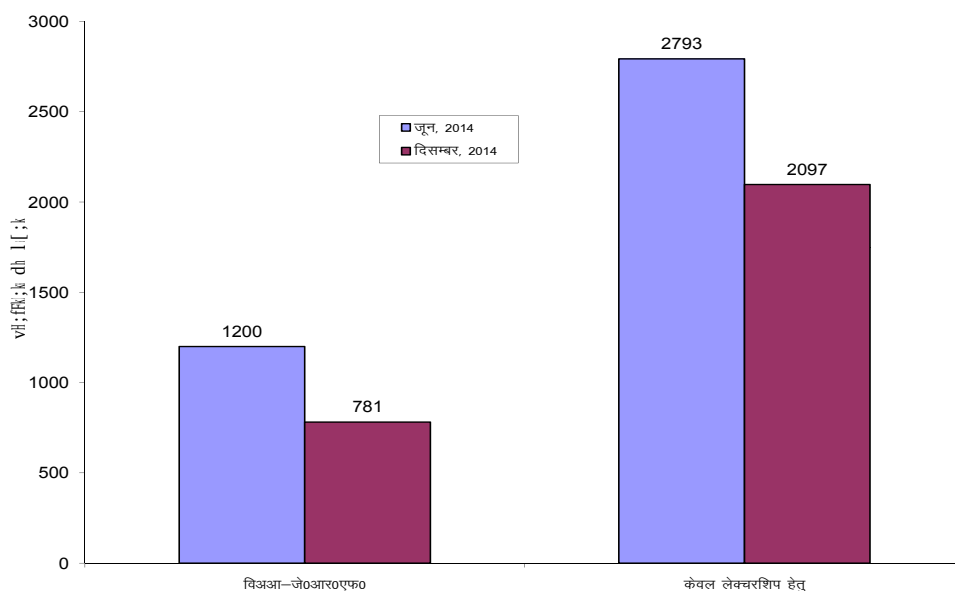
Ø-1-	fo" k;
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	शरीर विज्ञान

rkfy dk&5-10% [k% l;Dr 1h-,l-vkb-vkj-&fo-v-vk-&uV l;Dr
ijh{kk ei vH;fFk;k dk fu"iknu

1h,lvkbvkj&fovvk&uV l;Dr ijh{kk	ijh{kk ei lQy g, vH;fFk;k dh l[;k fovvk&t-vkj-,Q gr	doy yDpjf'ki gr
जून, 2014	1200	2793
दिसम्बर, 2014	781	2097

स्रोत: सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् csirhrdg.res.in

j.[kkfp= 5-10% [k% mUkh.k g, vH;fFk;k dk fu"iknu 1h-,l-vkb-vkj-&fo-v-vk-&uV %2014%



वर्ष 2014-2015 के दौरान वि.आ.आ.-नेट और नेट ब्यूरो के अन्य सभी अनुषंगी क्रियाकलापों के संचालन पर 16,25,49,504/- रुपये का व्यय हुआ। इसमें नेट ब्यूरो में तैनात वि.आ.आ. के नियमित कर्मचारियों को वेतन हेतु भुगतान पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

5-10 %x% ofpr Jf.k;k dk miyCek djkb xb NV@fj;k;r

'kYd ei miyCek djkb xb NV@fj;k;r

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के सभी कमजोर वर्गों को वि.आ.आ.-नेट के लिए आवेदन करने हेतु शुल्क में काफी रियायत देता आ रहा है। जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 450/- रुपये है, वहीं भारत सरकार की नीति के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न उम्मीदवारों के लिए यह केवल 225/- रुपये है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 110/- रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

vk;| ei %Tk-vkj-,Q- d fy, % miyCek djkb xb NV@fj;k;r

सामान्य श्रेणी के लिए जे.आर.एफ. परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। अ.ज./अ.ज.जा./अपिव (असंपन्न)/शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

uV gr ik=rk dh 'krki ei miyCek djkb xb NV@fj;k;r

1	सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 55% अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न)/शारीरिक रूप से निशक्त/अ.ज./अ.ज.जा. अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 50% अंक (बिना पूर्णांकित किए)

iv% uV gr| vgd ekun.M ei miyCèk djkb| xb| NV@fj;k;r

अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र-I, II और III में अलग-अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि तालिका-5.10(ग)(i) में दर्शाया गया है।

rkfydk 5-10% x% ifj.kke r|kj dju gr| fopkj fd;| tku d fy, vif{kr
U;ure ikrkdk dk J.kh&okj C;kjA

J.kh	vif{kr U;ure v d %ifr'kr e%		
	i'u i=&I	i'u i=&II	i'u i=&III
सामान्य	40 (40%)	40 (40%)	75 (50 %)
अ.पि.व. (असंपन्न) / शारीरिक रूप से निशक्त / अ.जा./अ.ज.जा.	35 (35%)	35 (35%)	60 (40 %)

जैसा की यहां स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिये अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। यहां तक कि कनिष्ठ शोध अध्ययतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु परिणामों का संकलन करते हुए इस सिद्धांत को विचाराधीन रखा गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि वंचित वर्गों के लिये विषयवार अंतिम न्यूनतम पात्रता अंक सामान्य श्रेणी से कम हों।

5-10%?k% ikjnf'krk dk c<kok nu d fy;| dh xbi igy

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अपने सतत् प्रयासों के तहत परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिकाधिक परस्पर प्रभावशील एवं निष्पक्ष बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन प्रयासों का निम्नवत पैराओं में खाका खींचा गया है।

- (क) दिसम्बर, 2011 तक परीक्षा पत्र-III, विवरणात्मक था। जून 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से इसे वस्तुनिष्ठ बना दिया गया। इससे मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित होती है तथा परीक्षा पत्र का मूल्यांकन करने में पक्षपात की संभावना नहीं रहती है।
- (ख) दिसम्बर, 2011 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा तक अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं थी। खुलेपन की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की।
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी ओएमआर शीट को संशोधित किया ताकि शीट के साथ इसकी कार्बन रहित कॉपी भी रखी जा सकें। अभ्यर्थी जून, 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से ओएमआर की कार्बन रहित प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं।
- (घ) जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर जनसाधारण की पहुंच में है चूंकि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तर, प्रश्न पत्र एवं उनके ओएमआर शीट की कार्बनरहित प्रतियां हैं, वे अपने उत्तर पत्र की जांच कर सकते हैं। प्रश्नों में विसंगतियों अथवा किन्हीं गलत उत्तर के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रश्नों के उत्तर तथा प्रश्नपत्र को अपलोड करने के एक सप्ताह से भी अधिक समय तक ऑनलाइन फीडबैक आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रश्न की पुनः जांच की जाती है तथा तदनुसार उत्तर को अद्यतन किया जाता है। अद्यतन किये गये उत्तर के आधार पर परिणाम तैयार किये जाते हैं।
- (ङ) प्रथम पहल के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट के परिणाम घोषित होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को उत्तर के संबंध में कोई शिकायतें हैं, उन्हें अपनी लिखित शिकायत अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट ब्यूरो, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली-110021 को अपने पक्ष के समर्थन में मानक पुस्तकों/साहित्य के साथ सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पक्ष में 5000 रुपए के डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ, परिणाम घोषित होने की तिथि के एक माह के भीतर भेजना होगा। यह अनोखी पद्धति जून, 2013 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से आरंभ की गई थी। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट परीक्षा से परीक्षा पत्र-III के ढांचे (विवरणात्मक से वस्तुनिष्ठ) में आशोधन कर दिया है, जून, 2012 तथा दिसम्बर, 2012 की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी जिन्हें इस प्रकार की शिकायतें थी, उन्हें अपनी शिकायतें दायर करने का यह अवसर प्रदान किया गया है।

इस प्रकार प्राप्त अनुरोधों को शिकायत की जांच के लिये विशेषज्ञ समिति(यों) के समक्ष रखा गया। संबंधित विषय की संबंधित समितियों ने अभ्यर्थी की शिकायतों की जांच की तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ उत्तर को अद्यतन किया। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परिवर्तित उत्तर के आलोक में आंकड़ों को संसाधित किया तथा संबंधित विषयों में पूर्व-अनुमोदित न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर जेआरएफ और/अथवा सहायक-आचार्य के पद के लिये पात्रता हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अर्हक घोषित किया। जेआरएफ और/अथवा सहायक आचार्य के लिये पूर्व में अर्हक अभ्यर्थियों के परिणाम अपरिवर्तित रहे। उपरोक्त उल्लिखित तीन वि.अ.आ.-नेट हेतु जे.आर.एफ. के लिए पूर्व

अनुमोदित अर्हता-परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये विषय-वार तथा श्रेणी-वार न्यूनतम अंक तथा सहायक आचार्य के पद के लिये अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

यह प्रक्रिया जून, 2014 को आयोजित वि.अ.आ.-नेट परीक्षा में भी जारी रही तथा के.मा.शि.बो. को इनका पालन करने का अनुरोध किया गया है।

5-10 ५३५ lko'tfud {k= e: fo-v-vk&uV vgrk iklr vH;fFk;k dk ekU;rk

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वि.अ.आ.-नेट ने प्रतिभा के प्रामाणिक भण्डार के रूप में पहचान बनाई है; जिसे भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने औपचारिक रूप से कुछ उत्कृष्ट सरकारी निकायों से संपर्क किया जिनमें निम्नवत शामिल हैं:

- इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
- तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी); और
- हिन्दुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड (एचएएल) ताकि वे कुछ विधाओं में अपने अधिकारियों की भर्ती हेतु वि.अ.आ.-नेट प्राप्तियों के आंकड़ों का उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही इस संबंध में डाटा को बांटने हेतु अपनी सहमति के संबंध में जानकारी प्रदान की है।

5-10 ५p% jkT; ik=rk ijh{kk ५1V%

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को jkT; ik=rk ijh{kk ५1V%, जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/राज्य के समूहों के नेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में वि.अ.आ. उनके प्रस्तावों की जांच करने के बाद ही व्याख्याता हेतु सेट परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यायित करता है। एस.ई.टी. अभिकरणों के निष्पादन की वि.अ.आ. द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और निर्धारित अवधि के लिए उनके प्रत्यायन का नवीकरण किया जाता है। वि.अ.आ.-नेट ब्यूरो के प्रमुख, सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका गठन परीक्षाओं को आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के लिए समग्र पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाता है।

जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्याता हेतु 01 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है। t u] 2002 e ;k mld ckn vk;kftr gku okyh lV ijh{kk e mUkh.k gku oky; vH;Fkh lcfèkr jkT; d doy mUgh fo'ofok@egkfo|ky;k e 0;k[;krk@lgk;d vkpk;l d in d fy, vkonu dju d ik= gkx tgl mUghku viuh lV ijh{kk mUkh.k dh gA तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के लिए पात्र भी होंगे।

अब तक निम्नवत राज्यों/राज्यों के समूहों ने सेट का संचालन किया है:

i	आन्ध्र प्रदेश (पूर्व में स्वतंत्र रूप से परंतु पिछले शिक्षा वर्ष से तेलंगाना राज्य के साथ संयुक्त रूप से परीक्षा आयोजित की है)
ii	बिहार
iii	छत्तीसगढ़
iv	गुजरात
v	हरियाणा
vi	हिमाचल प्रदेश
vii	जम्मू और कश्मीर
viii	झारखण्ड
ix	कर्नाटक
x	मध्य प्रदेश
xi	महाराष्ट्र और गोवा
xii	उत्तर-पूर्व राज्य (भागीदारी करने वाले राज्य: असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
xiii	राजस्थान
xiv	तमिलनाडु
xv	उत्तराखण्ड
xvi	उत्तर प्रदेश
xvii	पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में से जिन राज्यों/राज्यों के समूहों ने वर्ष 2014-15 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन किया उनका ब्यौरा निम्नवत है:

I.	तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश (संयुक्त रूप से)
II.	गुजरात
III.	कर्नाटक
IV.	उत्तर-पूर्वी राज्य (भागीदारी करने वाले राज्य: असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
V.	राजस्थान
VI.	उत्तराखण्ड
VII.	पश्चिम बंगाल

इसके अतिरिक्त, निम्नवत राज्यों को भविष्य में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रत्यायन प्राप्त हुआ है:

- I. महाराष्ट्र और गोवा
- II. जम्मू और कश्मीर

हिमाचल प्रदेश को राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रत्यायन प्राप्त था, ने इस वर्ष परीक्षा आयोजित नहीं की।

सेट की परीक्षा आयोजित करने पर होने वाले व्यय को सम्बंधित सेट एजेन्सियों द्वारा वहन किया जाता है।

5.11 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करना तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधधीन उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर के अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षकों/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त होने चाहिये।

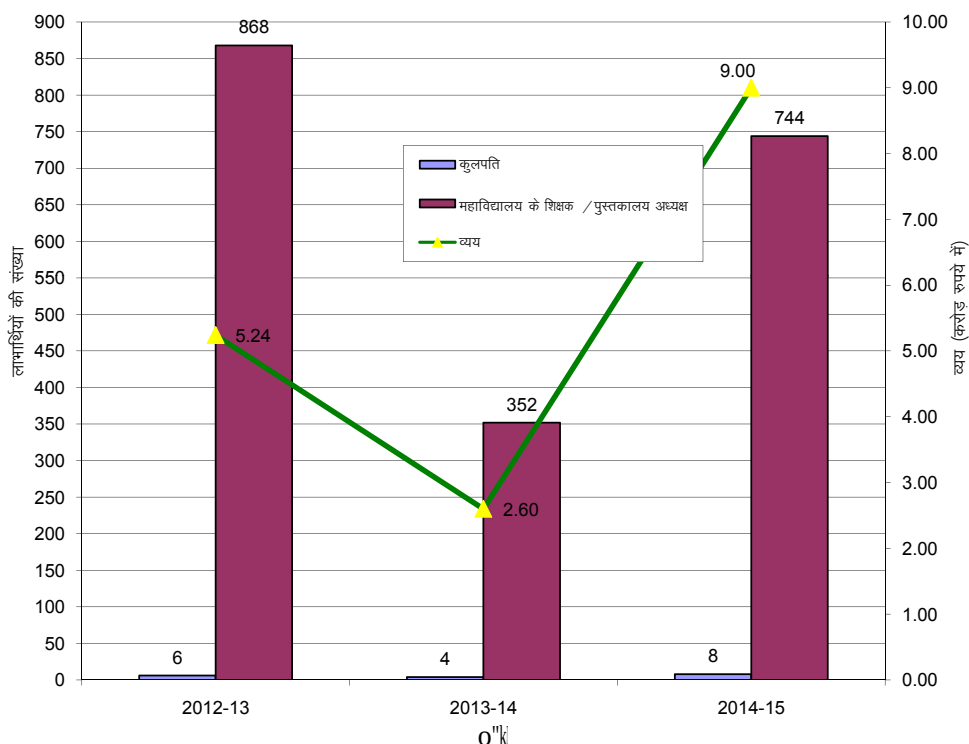
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों के स्थायी अध्यापकों/पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, दैनिक भत्ता तथा वीजा शुल्क आदि हेतु 3 वर्ष में एक बार शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वि.अ.आ. के सदस्यों, वि.अ.आ. अधिकारियों एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) के शिक्षकों को दो वर्ष में एक बार शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत यात्रा अनुदान हेतु सहायता के लिये आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व, प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र तथा सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वीकृति पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।

उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या			वर्ष के दौरान व्यय (ला.रु.)
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
2012-2013	06	868	-	5.24
2013-2014	04	352	-	2.60
2014-2015	08	744	-	9.00

j[kkfp= 5-11% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk dī nkjku ;k=k vupku ;ktuk dī rgr
ykHkkfFk; k dh l[;k rFkk fd;k x;k 0;; %djkm #i; e#



;uLdk dk;Øe: यूनेस्को द्वारा विश्व में विभिन्न सदस्य देशों में चलाये जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्राप्त होते हैं और इन्हें वि.अ.आ. द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में परिचालित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय से संबंधित यूनेस्को के कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वि.अ.आ. के विचार/टिप्पणी आमंत्रित करता है, जिन्हें वि.अ.आ. द्वारा भली-भांति विचार करने/दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद किया जाता है। योजना का ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4996878_TGGuidelines.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

5.12 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) की स्थापना करता रहा है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो सामान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। अब तक, इसने मुख्यतः विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे आठ केन्द्र स्थापित किए हैं। अंतर्विश्वविद्यालय एक्सीलेटर केन्द्र (आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में नाभिकीय विज्ञान केन्द्र के नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक उत्कृष्ट पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्प्यूनीकेशन (सी.ई.सी.), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में दूरदर्शन से 15 अगस्त, 1984 को प्रथम देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यू.सी.आर.) कार्यक्रम का प्रसारण हुआ।

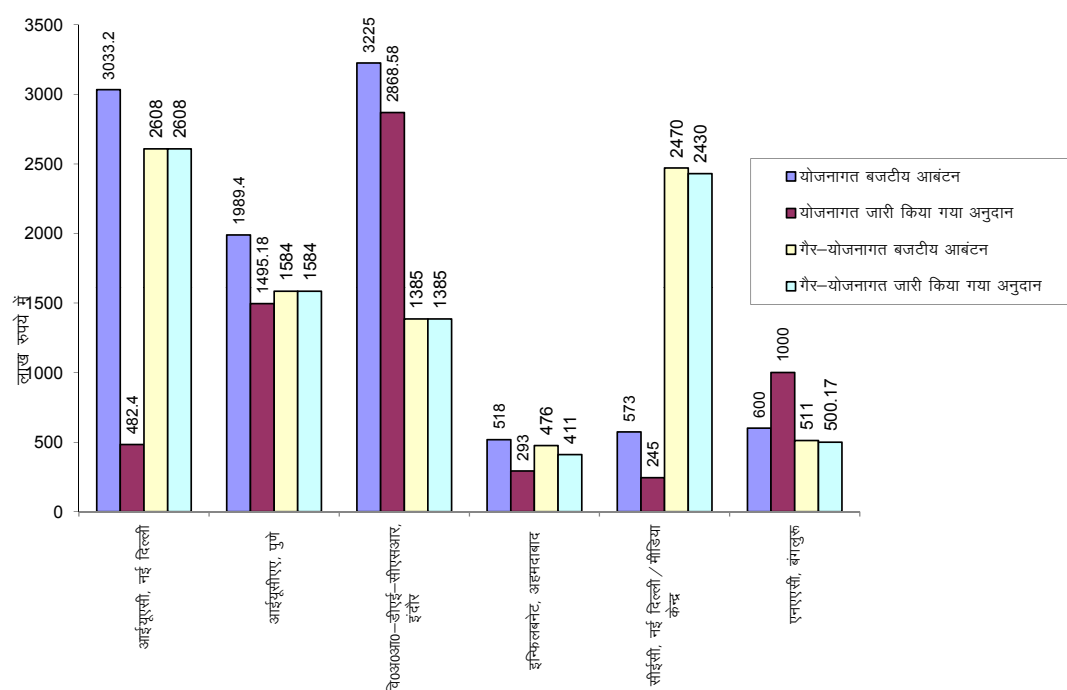
rkfy dk 5-12% varfo'ofok; dUnk dh lph rFkk mud fof'kV m';

Ø-1-	uke	LFkkiuk dk o'k	mnn';
1.	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर परक अनुसंधान
2.	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे-411007	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3.	वि०अ०आ०-डीआई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर-452001(वि० अ० आ०-डीआई सीएसआर)	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फिलबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
5.	शैक्षिक संचार का कंसोर्टियम, अरुण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067(सीईसी)	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक मीडिया अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं।
6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) बंगलुरु-560010 (एनएएसी)	1994	उच्चतर ज्ञान अर्जन के निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना।
7.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, काकीनाडा	2013	साधारण रूप से शिक्षा में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए
8.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र-अध्यापक शिक्षा, वाराणसी	2014	ज्ञान का सृजन कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।

rkfy dk 5-12% ; ktukxr rFkk xj&; ktukxr vunku d rgr o'k 2014&15 d nkjku ctVh; vkoVu rFkk vunkuk dk tkjh dju dk C;kj %yk[k #i; e

Ø-1-	dUn dk uke	; ktukxr		xj&; ktukxr	
		ctVh; vkcVu	tkjh fd;k x;k vunku	ctVh; vkcVu	tkjh fd;k x;k vunku
1.	आईयूएसी, नई दिल्ली	3033.20	482.40	2608.00	2608.00
2.	आईयूसीएए, पुणे	1989.40	1495.18	1584.00	1584.00
3.	वि०अ०आ०-डीआई-सीएसआर, इंदौर	3225.00	2868.58	1385.00	1385.00
4.	इन्फिलबनेट, अहमदाबाद	518.00	293.00	476.00	411.00
5.	सीईसी, नई दिल्ली/मीडिया केन्द्र	573.00	245.00	2470.00	2430.00
6.	एनएएसी, बंगलुरु	600.00	1000.00	511.00	500.17
	dj	9938-60	6384-16	9034-00	8918-17

j[kkf= 5-12% varfo'ofok; dUnk ctVh; vkcVu tkjh fd;k x;k vunku; ktukxr rFkk xj&; ktukxr %yk[k #i; e



विभिन्न अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं

5-12% varfo'ofokly; ,DlyjVj dUn&ubl fnYyh

केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में एक्सलेटर भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, आणविक भौतिकी, विकिरण जीवविज्ञान तथा संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना शामिल है।

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र के क्रियाकलापों में बहु-आयामी विस्तार हुआ, वर्तमान में उपयोगकर्ताओं में 69 विश्वविद्यालय, 41 महाविद्यालय तथा 44 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से संकाय तथा छात्र हैं। पेल्ट्रान एक्सलेटर, प्रयोग के दौरान 96 प्रतिशत समय ठीक रहा तथा इसके 53.10 प्रतिशत समय का उपयोग किया गया।

लक्ष्य समूह में देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पी.एच.डी. के छात्र तथा संकाय हैं। वर्तमान में, आईयूसी, नई दिल्ली की सुविधाओं को 83 विश्वविद्यालयों, 54 महाविद्यालयों तथा 63 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ-साथ केन्द्र द्वारा 100 पीएचडी प्रदान की गई तथा अंतराष्ट्रीय जर्नलों में अनेक उच्च गुणवत्तायुक्त 'शोध पत्र' प्रकाशित किये गये।

बजट

योजनागत आबंटन	: 3033.20 लाख रुपये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	: 482.40 लाख रुपये
गैर-योजनागत	: 2608.00 लाख रुपये	गैर-योजनागत	: 2608.00 लाख रुपये

5-12%ii% vkbj;lh,,] i.k

इसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1988 में उत्कृष्टता के एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी ताकि विश्वविद्यालय क्षेत्र के खगोल तथा खगोल भौतिकी के क्षेत्र में शिक्षण, शोध तथा विकास क्रियाकलापों को पोषित तथा उनका विकास करने में मदद की जा सके।

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य हैं (1) आधारभूत शोध (2) उन्नत, शोध कार्यशाला तथा विद्यालय (3) आगन्तुक तथा संबंध कार्यक्रम (4) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा विज्ञान निष्णात तथा पीएचडी कार्यक्रम (5) विश्वविद्यालय में ए एण्ड ए हेतु केन्द्र के रूप में मदद करना (6) जीएमआरटी के साथ वार्ता (7) आगन्तुक प्रेक्षक कार्यक्रम (8) विज्ञान को लोकप्रिय बनाना।

वर्ष 2010-11 के दौरान विदेशियों सहित देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से शिक्षकों तथा छात्रों ने आईयूसीए, पुणे की सुविधाओं का उपयोग किया। इसके अलावा, 50 भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के 76 अभ्यागत एसोसिएट्स भी एसोसियेटशिप कार्यक्रम के तहत केन्द्र का लाभ उठा रहे हैं।

बजट

योजनागत आबंटन	: 1984.40 लाख रुपये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	: 1495.18 लाख रुपये
गैर-योजनागत	: 1584.00 लाख रुपये	गैर-योजनागत	: 1584.00 लाख रुपये

5-13%iiii% fo0v0vk0&Mh0,0b0 dUlkfV;e Qkj lkbFvfQd fjlp] bnkj

आईयूसी-डीई का मुख्य उद्देश्य (i) विश्वविद्यालय तथा ज्ञान अर्जन के संस्थानों से छात्रों तथा शिक्षकों को सभी संभव सहायता मुहैया कराना ताकि नाभिकीय ऊर्जा विभाग की मुख्य शोध सुविधाओं का उपयोग किया जा सके (ii) विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं तथा डीई वैज्ञानिकों के बीच 'सेलीब्रेटिव रिसर्च' कार्यक्रम आरंभ करना (iii) पदार्थ विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी, संपीड़ित पदार्थ भौतिकी तथा अन्य संबंध क्षेत्रों में मूलभूत शोध हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षक तथा पीएचडी छात्र, लघुकालिक तथा दीर्घकालीन (3 वर्ष) सहयोगात्मक शोध योजना के लिए डीई सुविधाओं तथा संस्थान के भीतर मौजूद सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में, देश भर के 300 विश्वविद्यालय/संस्थान, डीई सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।

बजट

योजनागत आबंटन	: 3225.00 लाख रुपये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	: 2868.58 लाख रुपये
गैर-योजनागत	: 1358.00 लाख रुपये	गैर-योजनागत	: 1385.00 लाख रुपये

5-12%iv% bfjycuV dUn: xkèkh uxj

इस केन्द्र की स्थापना देश में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विभिन्न ग्रंथालयों की नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिये की गई थी। इसका प्रयोजन संप्रेषण सुविधाएं स्थापित करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच सूचना के अंतरण में सुधार करना था। केन्द्र को स्थापित करने के पीछे मूलभूत विचार यह था कि यह केन्द्र देश के किसी एक विशेष ग्रंथालय में उपलब्ध

पुस्तकों तथा जर्नलों तक दूसरे उपयोगकर्ता को अबाधित रूप से पहुंच उपलब्ध करायेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि दिनों-दिन जर्नलों तथा पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के लिये प्रशिक्षण करवा पाना तथा पुस्तकों को क्रय करना संभव नहीं था। निसंदेह, इसने उपयोगकर्ता को इस तथ्य के प्रति सचेत किया है कि उन्हें शैक्षिक क्रियाकलाप करने के लिए ऐसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र द्वारा अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करना शेष है जिन्हें उसे स्थापित करते हुए निर्धारित किया गया था।

बजट

योजनागत आबंटन	:	518.00 लाख रुपये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	:	293.00 लाख रुपये
गैर-योजनागत	:	476.00 लाख रुपये	गैर-योजनागत	:	411.00 लाख रुपये

उपर्युक्त के साथ-साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत योजनाओं हेतु इंप्लिबनेट, गांधीनगर को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है:

fo'ofokky;krfkk egkfo|ky;ke fMthVy Hk.Mkjxg %fMthVy fjikftVjhh

वर्ष 2003 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-इन्फोनेट कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के तुरंत पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम का भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने दिसम्बर, 2003 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था। कन्सोर्टियम उन विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों के बीच एक अत्यंत प्रसिद्ध कदम सिद्ध हुआ जो 'सीरियल क्राइसिस' के कारण स्कालर्ली जर्नलों के सब्सक्रिप्शन को बंद कर रहे थे जिसका मूल कारण स्कालर्ली जर्नलों की सब्सक्रिप्शन लागत में बेतहाशा तथा लगातार हो रही वृद्धि थी। यह संकट मुद्रास्फीति की तुलना में जर्नलों की लागत कहीं तेजी से हो रही वृद्धि तथा जर्नलों की संख्या में वृद्धि तथा ग्रंथालयों के पास उपलब्ध निधियों की कमी के कारण पैदा हुआ।

ई-संसाधनों के सब्सक्रिप्शन का लाभ उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा स्वायत्त महाविद्यालय से आरंभ कर सभी महाविद्यालयों को प्रदान किया जा सकता है। कन्सोर्टियम की 'एसोशियेट मेम्बरशिप कार्यक्रम' को आरंभ करने की भी योजना है, जिसमें निजी विश्वविद्यालय तथा अन्य शोध संगठनों को चयनित ई-संसाधनों हेतु कन्सोर्टियम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया जायेगा।

बजट

योजनागत आबंटन	:	5194.56 लाख रुपये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	:	5194.56 लाख रुपये
---------------	---	-------------------	------------------------------	---	-------------------

bMdV

- यह केन्द्र भारत में बड़े विश्वविद्यालय में उपलब्ध पुस्तकों, शोध प्रबंध तथा जर्नलों को एकीकृत प्रसूची उपलब्ध कराता है।

,lvk; ,y lk¶Vo; j

- यह केन्द्र अत्याधुनिक एकीकृत ग्रंथालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित करता है।

,u&fyLV

- यह केन्द्र पात्र महाविद्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों तथा इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों तक पहुंच उपलब्ध कराता है।

'kkèkx:xk

- एक मुक्त पहुंच वाले डिजिटल भण्डार में शोध विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाचस्पति शोध प्रबंध तथा शोध निबंध का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण संभव हो पाया है।

5-12%v% lhb1h@ehfM;k dUn

संपूर्ण देश में 'कन्द्रीवाईड क्लासरूम' (सीडब्ल्यूसीआर) हेतु देश के भीतर ही सतत आधार पर गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में मीडिया केन्द्र स्थापित किये हैं। आरंभ में 6 मीडिया केन्द्रों से भारतीय टेलीविजन नेटवर्क पर अपने ज्ञान को बांटने के लिये विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षाविदों तथा प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता था। अब इन मीडिया केन्द्रों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कार्यक्रम को तैयार करने की सुविधा देश के विभिन्न भागों में अवस्थित शैक्षिक मीडिया शोध केन्द्रों (ईएमआरसी) के रूप में मौजूद हैं।

'कन्द्रीवाईड क्लासरूम' (सीडब्ल्यूसीआर) के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों को आरंभ करने तथा उच्चतर शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत 26 मई, 1993 को कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्प्यूनिकेशन (सीईसी) की स्थापना की गई। अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में सीईसी का उत्तरदायित्व कार्यक्रम तैयार करना, शोध, प्रसारण की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मीडिया केन्द्रों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दूरदर्शन के साथ अन्य संबद्ध मामलों में

समन्वय करना है साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण का समग्र प्रबंधन करना है।

मीडिया केन्द्रों की सूची निम्नवत है:

- | | |
|---|---|
| 1. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
गुजरात विश्वविद्यालय
गुरु नानक भवन, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380009 | 9. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अन्ना विश्वविद्यालय
चिन्नेई-600025 |
| 2. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
सेन्ट जेवियर कालेज,
50, सर्कस एवन्यू
कोलकाता-700017 | 10. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मैसूर विश्वविद्यालय
मैसूर-570006 |
| 3. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
द इंग्लिश एण्ड फारेन लैंग्वेज युनीवर्सिटी
हैदराबाद-500017 | 11. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर
इंफाल-7950003 |
| 4. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
अभियांत्रिकी संकाय परिसर
जोधपुर-342001 | 12. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
पंजाब विश्वविद्यालय,
पटियाला-147002 |
| 5. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
मदुरई कामराज विश्वविद्यालय,
पालकालाई नगर, मदुरई-625021 | 13. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
आईआईटी रुणकी,
रुणकी-247667 (उ.प्र.) |
| 6. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
पुणे विश्वविद्यालय
गणेशखिन्ड
पुणे-411007 | 14. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर-190006 (जम्मू और कश्मीर) |
| 7. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
द्वितीय तल, ओस्मानिया विश्वविद्यालय ग्रंथालय भवन,
ओस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500007 | 15. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
जनसंचार विभाग
कालीकट विश्वविद्यालय
कालीकट-675635 |
| 8. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
ए.बी. रोड, भंवर कुंआ,
इंदौर-452001 | 16. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
डॉ० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,
सागर-470003 (मध्य प्रदेश) |

वर्ष 2010-11 के दौरान देश के विभिन्न भागों में छह (6) नये मीडिया केन्द्रों को लघुसूचीबद्ध किया गया, तथापि, जिनकी सूची नीचे दी गई है:-

- | | |
|---|---|
| 1. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
डिब्रूगढ़, असम-786004 | 4. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड,
लखनऊ-226005 (उ० प्र०) |
| 2. मगध विश्वविद्यालय
बोधगया, बिहार-824234 | 5. एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्रीनगर-246174, उत्तराखण्ड |
| 3. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर
ओड़ीशा | 6. कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर-190006 (जम्मू और कश्मीर) |

बजट

योजनागत आबंटन	:	573.00 लाख रुपये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	:	245.00 लाख रुपये
गैर-योजनागत	:	2470.00 लाख रुपये	गैर-योजनागत	:	2430.00 लाख रुपये

5-12% jk"Vh; eY;kdu vkj iR;k;u ifj"kn %u,,lh%

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, बंगलुरु की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रत्यायन तथा मूल्यांकन हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएएसी द्वारा प्रत्यायन तथा मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अब तक, एनएएसी ने 853 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (806 महाविद्यालयों तथा 47 विश्वविद्यालयों) का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन किया है। इस प्रकार, एनएएसी द्वारा कुल 5947 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रत्यायित किया गया है।

विजन

स्वतः तथा बाह्य गुणवत्ता, मूल्यांकन, संवर्धन तथा पोषक संबंधी पहल के संयोजन के माध्यम से गुणवत्ता को देश में उच्चतर शिक्षा का मूलभूत तत्व बनाना है।

मिशन

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों अथवा तत्संबंधी इकाईयों अथवा विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन की व्यवस्था करना।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा शोध की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु शैक्षिक परिवेश को बढ़ावा देना।
- उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्व-मूल्यांकन, उत्तरदायित्व, स्वायत्तता तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता संबद्ध शोध अध्ययनों, परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरंभ करना; और
- उच्चतर शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ गुणवत्ता मूल्यांकन उन्नयन तथा पोषण हेतु सहयोग करना।

बजट

योजनागत आबंटन	: 600.00 लाख रुपये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	: 1000.00 लाख रुपये
गैर-योजनागत	: 511.00 लाख रुपये	गैर-योजनागत	: 500.17 लाख रुपये

5.13 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

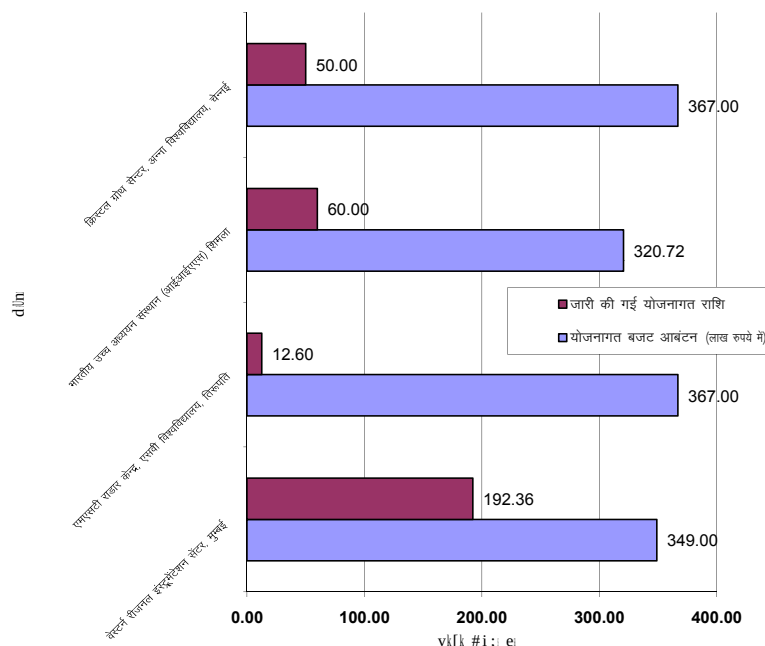
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किये हैं, जो निम्नवत हैं

- वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई
- एमएसटी राडार सेन्टर, एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएस), शिमला
- क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर

rkfydk 5-13% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku jk"Vh; lfoèkk dUnk dk ctV] ctV vkcVu] tkjh dh xb jkf'k

j[kkfp= 5-13 % ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku jk"Vh; lfoèkk dUn dk ctV] ctV vkcVu] tkjh dh xb jkf'k

jk"Vh; lfoèkk dUn	;ktukxr ctV vkcVu yk[k #i; e%	tkjh dh xb ;ktukxr jkf'k yk[k #i; e%
वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, मुंबई	349.00	192.36
एमएसटी राडार केन्द्र, एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति	367.00	12.60
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस) शिमला	320.72	60.00
क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर	367.00	50.00
dy	1403.72	314.96



राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की विशेषताएँ

5-13 % oLVul jhtuy bLV'eV'ku lVj %MCY;-vkj-vkb-lh-%] eEcbl

इस केन्द्र को मुंबई विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1977 में यू.एस.आई.सी. कर्मचारिवृंद तथा

छात्रों को उपकरणों के उपर्युक्त उपयोग तथा रखरखाव करने, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा उद्योग आदि के शिक्षकों, शोध कार्य करने वालों को उन्नत अध्ययन कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। केन्द्र को योजना दर योजना के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है।

बजट

योजनागत आबंटन : 349.00 लाख रुपये जारी किया गया योजनागत अनुदान : 192.36 लाख रुपये

5-13 (ii) , e, lVh jkMkj dUnj fr : ifr

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एमएसटी राडार एप्लीकेशन सेन्टर की स्थापना मध्य वायुमण्डलीय गतिकी में उन्नत शोध हेतु राडार सुविधा की क्षमता के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिये की गई थी ताकि मेधावी युवा शोधकर्ता तथा शोध विद्वान एमएसटी राडार सुविधा का उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-एसवीयू राडार अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति के भौतिकी विभाग, में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-एसवीयू केन्द्र भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली हेतु केन्द्र में वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से, एमएसटी राडार संबंधित अध्ययनों के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में वायुमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं के लिये खुला है।

बजट

योजनागत आबंटन : 367.00 लाख रुपये जारी किया गया योजनागत अनुदान : 12.60 लाख रुपये

5-13 (iii) Hkkjrh; mPp vè; ;u lLFkku %vkb'vkb', , l%] f'keyk

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, (1860 के इक्कीसवें) के तहत पंजीकृत "भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी" (आई.आई.ए.) एस. द्वारा स्थापित किया गया संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य गूढ़ मानवीय मनोभाव को व्यक्त करने वाले चितवन में सृजनात्मक विचारों को बढ़ावा देना है तथा यह मानविकी और सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक शोध हेतु उपर्युक्त परिवेश उपलब्ध कराता है।

विनिर्धारित अवधि के लिये शिक्षकों तथा अन्य विद्वानों हेतु उच्च अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता सहित सुविधाएं मुहैया करवाना संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है। अन्य उद्देश्य बैठकें, व्याख्यान, परिसंवाद तथा सम्मेलन आयोजित करना है।

मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में वर्ष 1991 से कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान आपस में सहमत हैं कि दोनों के बीच सहयोग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान हेतु शैक्षणिक अन्योन्यक्रिया तथा विकास के संबंधी हेतु अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।

बजट

योजनागत आबंटन : 320.72 लाख रुपये जारी किया गया योजनागत अनुदान : 60.00 लाख रुपये

5-13 (iv) fØLVy xkFk lUVj] vUuk fo'ofok |ky;] pUub

क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:-

1. प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास एवं केरेक्ट्राइजेशन हेतु सुविधाओं को विकसित करना;
2. जरूरतमंद उद्योगों तथा शोध प्रयोगशालाओं के बीच की खाई को पाटना;
3. शोध हेतु विशेष क्रिस्टल की आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

बजट

योजनागत आबंटन : 367.00 लाख रुपये जारी किया गया योजनागत अनुदान : 50.00 लाख रुपये

अनुसंधान को प्रोत्साहन

6.1 शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं : वृहद एवं लघु

सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके चुने हुए क्षेत्र(ों) में अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है।

f'k{kdk di fy, ogn vu|lèkku ifj;kt uk,;

अनुसंधान जिज्ञासु मन को जीवंत और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखता है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षक को तीन बुनियादी कर्तव्यों का पालन करना होता है—शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार। इस प्रकार, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शोधकर्त्ताओं के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्थल हैं। विगत सत्तर के दशक की शुरुआत से ही वि.अ.आ. उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्थाई, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों के शोध प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जो वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत अधिसूचित हैं। प्रमुख अनुसंधान परियोजना कार्यक्रम उन्हें उनकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और सूक्ष्मता से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। अनुसंधान परियोजना पर किसी एक शिक्षक अथवा शिक्षकों के समूह अथवा किसी विभाग द्वारा समग्र रूप से कार्य किया जा सकता है। इसे किसी 70 वर्ष तक की आयु वाले सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है, बशर्ते कि, आवेदन के समय उसकी आयु 67 वर्ष से अधिक न हो। अंतर्विधा अनुसंधान और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है।

ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, एक विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उनकी जांच और मूल्यांकन किया जाता है तथा संबंधित शिक्षक के साथ आमुख चर्चा के माध्यम से प्रस्तावों के गुणावगुणा और व्यवहार्यता का पता लगाया जाता है। इसमें ऐसे क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जो स्वास्थ्य, जरा विज्ञान, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, विश्व व्यापार संगठन और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, विज्ञान का इतिहास, एशियाई दर्शन, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन जैसे विषयों से संबद्ध हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों, बीमा और बैंकिंग तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे बहुत से क्षेत्र शामिल हैं।

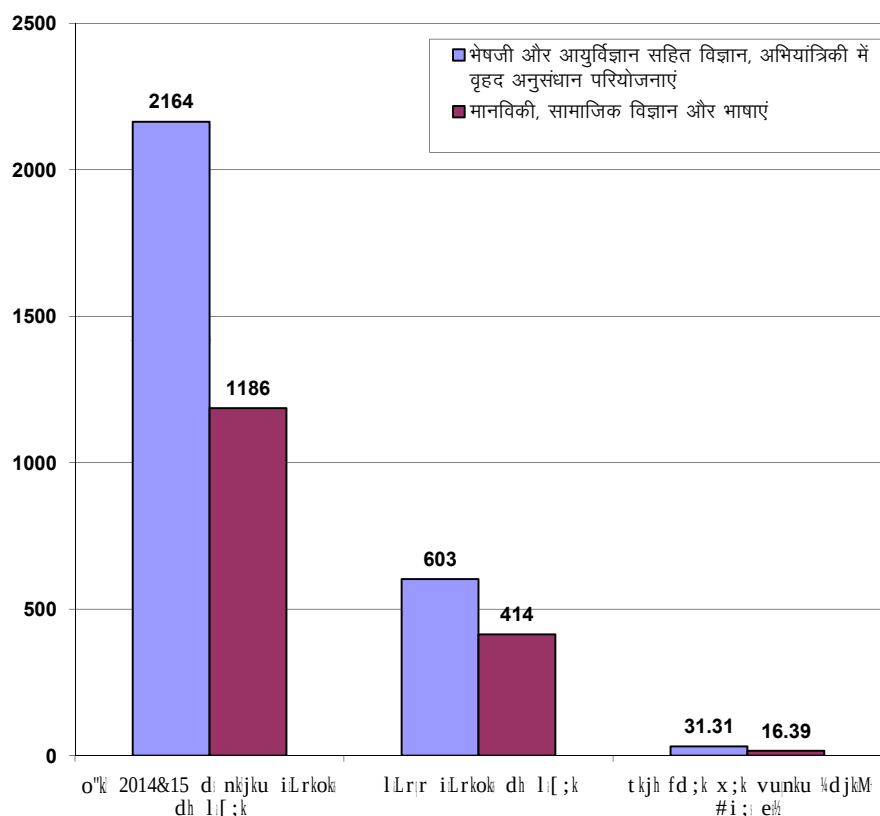
मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में वृहद अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता 15.00 लाख रुपए तक सीमित है तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी और कृषि सहित विज्ञान में वृहद अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता 20.00 लाख रुपए है।

किसी वृहद अनुसंधान परियोजना हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता में उपकरण, पुस्तकों और पत्रिकाओं, रसायन, आकस्मिक व्यय, यात्रा और फील्ड कार्य, तकनीकी सेवाएं किराए पर लेना, शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति और परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदें शामिल हैं।

किसी वृहद अनुसंधान परियोजना की अवधि तीन वर्ष है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, 1017 नई परियोजनाओं की सिफारिश की गई थी और 2013 की चल रही 1437 परियोजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन भी किया गया था जिनमें से 44 परियोजनाओं की प्रगति को संतोषजनक नहीं पाया गया।

Ø- l-	l:dk;	o"k 2014&15 di nkjku iLrkok dh l[:k	lLrr iLrkok dh l[:k	tkjh fd;k x;k vunku %djkm #i; e
1.	भेषजी और आयुर्विज्ञान सहित विज्ञान, अभियांत्रिकी में वृहद अनुसंधान परियोजनाएं	2164	603	31.31 रुपये
2.	मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं	1186	414	16.39 रुपये
	dy	3350	1017	47.70 #i;:

j:[kkfp= 6-1 % o" 2014&15 d nkjku f'k{kdk gr ogn vulèkku ifj;ktuk,



6.2 शोध अवार्ड/अनुसंधान वैज्ञानिक

6-2 %i% 'kkèk vokM

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत डाक्टोरल उपाधि धारक स्थायी शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में कोई शोध मार्गदर्शन प्राप्त किये बिना दो वर्ष की अवधि तक अनुसंधान कार्य हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे अपवाद स्वरूप किन्हीं मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ऐसे व्याख्याताओं, वरिष्ठ व्याख्याताओं, चयन ग्रेड के व्याख्याताओं तथा आचार्य जिनकी आवेदन प्रस्तुत करते समय आयु 45 से कम हो, केवल उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। महिला शिक्षक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त शिक्षकों के मामले में आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। कोई भी शिक्षक केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉट के लिए चयन किया जाता है।

उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है :

- अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि के अलावा अवार्डधारी को ग्राह्य भत्तों के साथ पूर्ण वेतन प्रदान किया जायेगा।
- समग्र अवधि के दौरान पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, रसायनों एवं उपकरणों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु अनुसंधान अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

मानविकी एवं समाज विज्ञान	—	2.00 लाख रु.
विज्ञान/अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	—	3.00 लाख रु.

प्रत्येक दूसरे वर्ष ऑनलाइन पद्धति से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की छानबीन समिति द्वारा संवीक्षा की जाती है। तत्पश्चात्, लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अवार्ड हेतु चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जायेगा। योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/0747283_research-award.pdf पर उपलब्ध है।

fjikVkekh u o" 2014&15 d nkjku 15-48 djkm #i; dk 0;; gvkA

6-2%ii% 'kkèk oKkfud

शोध वैज्ञानिक योजना को मूल रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था तथा इसका लक्ष्य विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान के तीन स्तरों पर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था:

1. शोध वैज्ञानिक 'क' (व्याख्याता)
2. शोध वैज्ञानिक 'ख' (उपाचार्य)
3. शोध वैज्ञानिक 'ग' (आचार्य)

वर्तमान में योजना के तहत विभिन्न संस्थानों में 67 शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं, जबकि इस योजना को बंद कर दिया गया है। आयोग ने अपनी 503वीं बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन के मामलों की भांति ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध वैज्ञानिकों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन सीधे ही वित्त प्रभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भुगतान किये जाने हेतु विचार किया तथा निर्णय लिया। fjikVkekh u o" 2014&15 d nkjku 10-10 djkm #i; dk 0;; gvkA

6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

6-3%ii% vulfpr tkfr@ vulfpr tutkfr d vH;fFk;k d fy, ikLV&MkDVkjy vè;rkofÜk;k

योजना का उद्देश्य डाक्टरल (वाचस्पति) उपाधि धारक तथा शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध कर सकें। इस प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:

Ø- l-	en	vè;rkofÜk dh l'kkfèkr nj	
		vè;rkofÜk dh nj	vè;rkofÜk dh vofèk
1.	अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 38,800/- रु. प्रतिमाह की दर से तथा तीसरे वर्ष के पश्चात् 46,500/- रु. प्रतिमाह की दर से	5 वर्ष
2.	आकस्मिक राशि	पांच वर्षों के लिए 50,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से	
3.	विभागीय सहायता	—	
4.	सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/-रु. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से	
5.	मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	

rkfydk 6-3%ii% foÜk; o" 2014&15 d nkjku vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr d vH;fFk;k d fy, ikLV&MkDVkjy vè;rkofÜk ;ktuk d rgr vc rd jkT;okj fyxokj] rFkk J.khokj p;fur vH;fFk

Ø- l- jkT;	vulfpr tkfr			vulfpr tutkfr			dy ;kx
	efgyk	i: "k	dy	efgyk	i: "k	dy	
1 आन्ध्र प्रदेश	2	9	11	2	2	4	15
2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह							0
3 अरुणाचल प्रदेश							0
4 असम					1	1	1
5 बिहार		1	1				1
6 चण्डीगढ़							0
7 छत्तीसगढ़							0
8 दादरा और नागर हवेली							0
9 दमन और द्वीव							0
10 दिल्ली				1		1	1
11 गोवा							0
12 गुजरात							0
13 हरियाणा	1		1				1
14 हिमाचल प्रदेश	1	1	2				2
15 जम्मू और कश्मीर							0
16 झारखण्ड				2		2	2
17 कर्नाटक	2	9	11	1	7	8	19
18 केरल							0

संगत विषय में डॉक्टोरेट (वाचस्पति) उपाधि धारक अभ्यर्थी तथा सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त) अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हैं। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तथा अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा 60 वर्ष है।

इस योजना की अवधि पांच वर्ष है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति को दिनांक 01.12.2014 से संशोधित किया गया है। वित्तीय सहायता का पैटर्न नीचे 6.3(i) के अनुरूप ही है।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात्, लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को वि.अ.आ. द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवार्ड हेतु चयन, वि.अ.आ. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/7347918_PDFW.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

रिपोर्टधीन वर्ष, 2014-15 के दौरान 20.67 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6-3 **iii** Hkk"kkvk l fgr ekufodh rFkk lkekft d foKku e Mk- , l- jkèkkN".ku ikLV&MkDVkjy vè;rkofÜk;k

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं।

संगत विषय में वाचस्पति उपाधि धारक अभ्यर्थी तथा सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक हों तथा आरक्षित श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त) अभ्यर्थी, जिनके स्नातकपूर्व स्तर पर 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हैं वे इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हैं। यह अध्येतावृत्ति 35 वर्ष से कम आयु (अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त/महिला अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष की छूट है) के शोधकर्ताओं के लिए पूर्णकालिक शोध हेतु खुली है।

इस योजना के तहत अवार्ड की अवधि तीन वर्ष है जिसे बढ़ाया नहीं जायेगा। वित्तीय सहायता का पैटर्न नीचे 6.3(i) के अनुरूप ही है।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन पद्धति से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात्, लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को वि.अ.आ. द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवार्ड हेतु चयन वि.अ.आ. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/9246425_XII-Plan-guidelines-Radhakrishnan.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

वर्ष 2004-15 के दौरान 180 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में भुगतान करने के लिये केनरा बैंक को 12.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जैसा कि केनरा बैंक द्वारा जानकारी दी गई है, मई, 2015 तक 2.17 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है।

6-3 **iv** Mk- Mh-, l- dkBkjh ikLV&MkDVkjy vè;rkofÜk;k

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टोरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चयन प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए एक विनिर्दिष्ट वेबसाइट ugcdskpdf.unipune.ac.in है। प्रत्येक आवेदन के प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध जमा कर दिये हैं वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं। **vkt rd] 1588 vH;fFk;k dk vè;rkofÜk inku dh xbi g rFkk 875 ihMh,Q dk;jr gA tuo]h] 2013 l vè;rkofÜk iR;{k ykHk vrfj.k ;ktuk MhchVh; ;ktuk di ekè;e l vè;rkofÜk dk lforj.k fd;k tkrk g t gk vè;rkofÜk lhèk gh ykHkFkh di cid [kkre vrfjr dh tkrh g**

foÜk; l gk;rk

	iFke o"k	f}rh; o"k	r}rh; o"k
ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 34,100 रुपये	प्रतिमाह 34,100 रुपये	प्रतिमाह 34,100 रुपये
पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 43,400 रुपये	प्रतिमाह 45,000 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये
उच्चतर पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 46,500 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये

वर्ष 2014-15 के दौरान 26.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्ति की आयु के समीप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान में शोध कार्य जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति” नामक एक योजना आरंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति की आयु के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक सार्थक शोध कार्य जारी रखने तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

foUkh; lgk; rk

- अध्येतावृत्ति के अंतर्गत 46,500/- रुपये प्रतिमाह (दिनांक 01.12.2014 से) की अध्येतावृत्ति राशि प्रदान की जाएगी, जो पेंशन और/अथवा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है।
- आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष 3.00 लाख रुपये है जिसमें से शोधकर्ताओं द्वारा 50,000 रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।
- अवार्ड प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शपथपत्र देना होगा तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा द्विवर्षीय प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।

59 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 3.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6-3%vi% ,efjVl vè;rkofUk;k

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है।

लक्षित समूह में मान्यताप्राप्त संस्थानों के ऐसे उच्च अर्हता वाले अनुभवी शिक्षक हैं जिनकी आगामी छह माह की भीतर अवकाश प्राप्त की संभावना है। संबंधित शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल के दौरान किए गए शोध या प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता ही इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता मानदण्ड है। अवार्ड प्राप्तकर्ता एक सुपरिभाषित समयाबद्ध कार्ययोजना के तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष, (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है) इसमें से जो भी अवधि पहले पूर्ण हो, कार्य कर सकता है। किसी एक समय के दौरान इस योजना के तहत 200 स्लॉट उपलब्ध हैं (100 स्लॉट विज्ञान विधा के लिए तथा 100 मानविकी विधा के लिए उपलब्ध हैं)। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति राशि को दिनांक 01.12.2014 से बढ़ा दिया गया है। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:

मानदेय	दो वर्ष तक के लिये 31,000/- प्रतिमाह (आगे नहीं बढ़ाया जा सकता) की दर से
आकस्मिक अनुदान (अव्यपगत)	50,000/- रु. प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान का उपयोग, सचिव सहायता, देश के भीतर यात्रा तथा जो कि शोध परियोजना के संबंध में हो, लेखन सामग्री, डाक सामग्री, उपभोग्य, पुस्तक तथा पत्रिकाएँ एवं उपस्कर के लिए किया जा सकता है। अवार्ड प्राप्तकर्ता के अनुमोदित अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित जहाँ परियोजना कार्य किया जा रहा है, उस संस्थान की पूर्व अनापत्ति अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। इसके संबंध में वि.अ.आ. का कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। एमेरिटस अध्येताओं को आवास व्यवस्था के अलावा ऐसी समस्त सुविधाएँ, जिनमें चिकित्सा सुविधाएँ भी सम्मिलित हैं, उपलब्ध होंगी जो कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों को उपलब्ध हैं।

एमेरिटस अध्येताओं के लिए आवेदन ऑनलाइन पद्धति से आमंत्रित किये जाते हैं तथा आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। चयन हेतु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असम्पन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त तथा अल्पसंख्यक व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/1424045_Emeritus-Fellowship.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2014-15 के दौरान 4.67 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ।

6.4 अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी हेतु)

6-4%vi% Hkkjrh; ukxfjdk d fy, dfu"B vulèkku vè;rkofUk;k

foKku] ekufodh ,o lekt foKku e dfu"B vulèkku vè;rkofr;k %tivkj,Q%

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्वानों को उच्च शोध एवं अध्ययन करने के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियाँ प्राप्त कर सकें। वि.अ.आ. एवं वि.अ.आ.-सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे.आर.एफ. प्रदान की जाती है। इस अध्येतावृत्ति

की कुल अवधि 5 वर्ष है। दिनांक 01.12.2014 से जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्ति की दर को क्रमशः 16,000/- रुपये से बढ़ाकर 25,000/- रुपये तथा 18,000/- रुपये से बढ़ाकर 28,000/- रुपये कर दिया गया। अन्य निबंधन और शर्तें, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इस अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है :-

अध्येतावृत्ति	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 25,000/-रु. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 28,000/-रु. प्रतिमाह की दर से	जे आर एफ, (2 वर्ष) एस आर एफ.(3 वर्ष)
आकस्मिक-क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/-रु. प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक-ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	मेजबान संस्था को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 3,000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से	
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/-रु. प्रतिमाह की दर से	
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार	

दिनांक 01.04.2012 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) से भुगतान किये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:-

Ø-1-	o"K	tkjh dh xbi jkf'k %djkM #i; e#	miyCèk LykVks dh l[:k	ykhkffk;k dh l[:k
1.	2012-2013	257.00	8,800	22,000
2.	2013-2014	171.00	8,800	28,000
3.	2014-2015	433.00	8,800	23,000

6-4ii' fon'kh ukxfjdk d fy, dfu"B vulèkku vè;rkof'k %t-vkj-,Q-% rFkk vulèkku ,lkf'k,Vf'ki %vkj-,-%

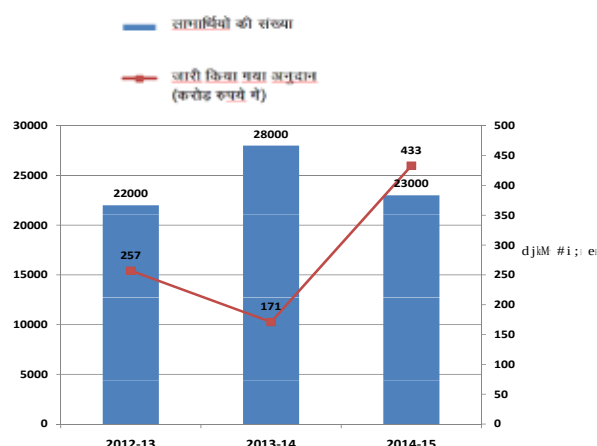
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विदेशी नागरिक जैसे एशिया/अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के छात्र तथा शिक्षक जो भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के इच्छुक हैं, उनमें से 20 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए चयन करता है। अध्येतावृत्ति की अवधि चार वर्ष है (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है)। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:-

विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति

अध्येतावृत्ति	18,600/-रु. प्रतिमाह की दर से 21,700/-रु. प्रतिमाह की दर से	प्रथम दो वर्षों के लिए शेष अवधि के लिए
आकस्मिकता अनुदान	10,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से 12,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से 25,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से 20,500/-रु. प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए
विभागीय	3,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से	प्रति जे.आर.एफ. सहायता
निशक्तता/सहायक भत्ता	2,000/-रु. प्रतिमाह की दर से	प्रति जे.आर.एफ.
मकान किराया भत्ता	संबद्ध संस्थान के निर्धारित नियमानुसार	

इस अध्येतावृत्ति हेतु व्यय को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ की योजना में सम्मिलित किया गया है।

j[kkfp= 6-4 %i% vkj %ii% ykhkffk;k dh l[:k rFkk tkjh fd;k x;k vunku



वर्ष 2014-15 के दौरान, विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में जे.आर.एफ. पर 433-00 djkM #i; की राशि व्यय की गई। (6.4(i) और 6.4(ii) जेआरएफ के लिए प्रतिवर्ष 8800 स्लॉट हैं। orleku e] t'vkj,Q d rgr 23000 %yxHkx% fo}ku ,efQy@ih,pMh vè;;u dj jg gA ;ktuk d foLr'r fn'kkfuni'kk d fo'fo|ky; vunku vk;kx dh ocLkbV http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4804685_JRF---NET.pdf l iklr fd;k tk l drk gA

fon'kh ukxfjdk d fy, vul'èkkku , l'kl , Vf'ki%

वि.अ.आ. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान की किसी भी विधा में पोस्ट-डाक्टोरल शोध करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर से अनुसंधान एसोसिएटशिप हेतु सात अभ्यर्थियों (निर्धारित अध्येतावृत्तियों) का चयन किया जाता है। अध्येतावृत्ति चार वर्ष के लिए प्रदान की जाती है (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है)।

अध्येतावृत्ति	25,000/- रु. प्रतिमाह की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
आकस्मिक	30,000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
विभागीय सहायता	मेज़बान संस्थान को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएटशिप के 10 प्रतिशत (निर्धारित) की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
मकान किराया भत्ता	संबंधित संस्थान के नियमानुसार	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)

एसए-1 अनुभाग ने वर्ष 2013-14 और 2014-2015 के लिए विदेशी नागरिकों हेतु जेआरएफ और अनुसंधान एसोसिएटशिप के संबंध में आवेदन आमंत्रित किये हैं, जिन्हें अंतिम सिफारिशों के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जा रहा है। or'eku e bl ;ktuk d rgr 60 %yxHkx% fo}ku ih,pMh@ikLV MkDVkjy vè;;u dj jg g A ;ktuk d foLr'r fn'kkfuni'kk d k fo'ofok|ky; vunku vk;kx dh oclkbV http://www.ugc.ac.in/pdf/news/6161505_JRFForeign-national.pdf l iklr fd;k tk l drk gA

6-4%iii% vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr d vH;fFk;k d fy, jktho xkèkh jk"Vh; vè;rkofr;k

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 2667 स्लॉट अर्थात् अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 2000 तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 667 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों को कार्यान्वित करने का कार्य वि.अ.आ. को सौंपा है और इसे वित्तपोषित किया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1333 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक विषमताओं को न्यून करना है। केन्द्र सरकार, वि.अ.आ. के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए भाषाओं एवं अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में उच्च शोध एवं अध्ययन को सुविधा प्रदान करती है जिससे अभ्यर्थी एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें, केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ 2667 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां उपलब्ध कराती है। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

दिनांक 01.12.2014 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना हेतु वित्तीय सहायता का पैटर्न समान है जिसे नीचे 6.4(i) में दिया गया है।

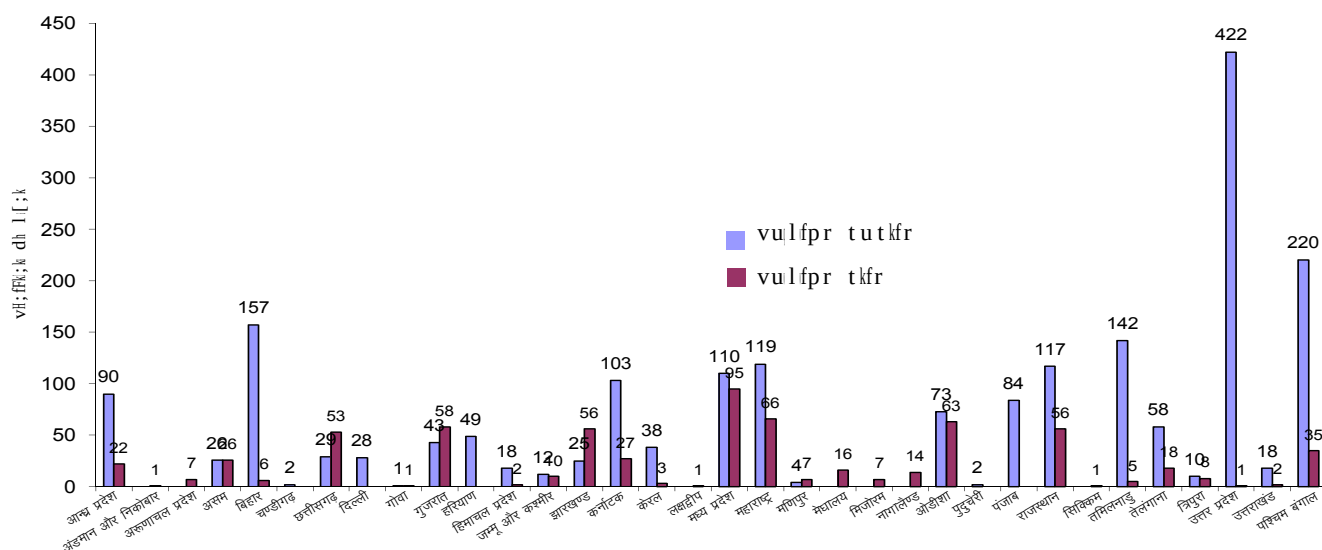
rkfydk 6-4%iii% vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr d vH;fFk;k gr jktho xkèkh jk"Vh; vè;rkofr ;ktuk d rgr p;fur vH;fFk;k dh jkT;okj rFkk Ji.khokj l[;k %2014&15%

Ø- l-	jkT;@l?k {k= dk uke	LYkkV% dk lforj.k		o"K 2014&15 d nkjku vokM dh xb' vè;rkofl;k; dh l[;k	
		vulfpr tutkfr fnukd 01-04-2010 l	vulfpr tkfr fnukd 01-04-2015 l	vulfpr tutkfr	vulfpr tkfr
1	आन्ध्र प्रदेश	148	40	90	22
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1		1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	6		7
4	असम	22	26	26	26
5	बिहार	157	6	157	6
6	चण्डीगढ़	2	0	2	
7	छत्तीसगढ़	29	53	29	53
8	दादरा और नागर हवेली	0	1		
9	दमन और द्वीव	0	1		
10	दिल्ली	28	0	28	
11	गोवा	1	1	1	1
12	गुजरात	43	58	43	58
13	हरियाणा	49	0	49	
14	हिमाचल प्रदेश	18	2	18	2
15	जम्मू और कश्मीर	9	9	12	10
16	झारखण्ड	38	56	25	56
17	कर्नाटक	103	27	103	27
18	केरल	38	3	38	3

Ø- l-	jkT;@l?k {k= dk uke	LYkkV k dk lforj.k		o" 2014&15 d nkjku vokM dh xb vè;rkofÜk; k dh l[;k	
		vulfpr tutkfr	vulfpr tkfr	vulfpr tutkfr	vulfpr tkfr
		f nukd 01-04-2010 l	f nukd 01-04-2015 l		
19	लक्षद्वीप	0	1		1
20	मध्य प्रदेश	110	95	110	95
21	महाराष्ट्र	119	66	119	66
22	मणिपुर	1	7	4	7
23	मेघालय	0	16		16
24	मिजोरम	0	7		7
25	नागालैण्ड	0	14		14
26	ओड़ीशा	73	63	73	63
27	पुदुचेरी	2	0	2	
28	पंजाब	84	0	84	
29	राजस्थान	117	56	117	56
30	सिक्किम	0	1		1
31	तमिलनाडु	142	5	142	5
32	तेलंगाना			58	18
33	त्रिपुरा	7	8	10	8
34	उत्तर प्रदेश	422	1	422	1
35	उत्तराखण्ड	18	2	18	2
36	पश्चिम बंगाल	220	35	220	35
	dy	2000	667	2000	667

वर्ष 2014–15 के दौरान, उपर्युक्त योजनागत स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु 149,58,00,000 / – रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 46,61,00,000 / – रुपये की राशि व्यय की गई। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4309928_rgnfdisbrevised-guidelines.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

j[kkfp= 6-4%iii% o" 2014&15 d nkjku vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr d vH; fFk; k
dk jkT; okj inku dh xb jktho xkèkh jk"Vh; vè;rkofr; k dh l[; k



6-4%iv% vYil[; d Nk= k di fy, ekykuk vktkn jk"Vh; vè;rkofÜk

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (एमओएमए) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वर्ष 2009–10 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

इस योजना का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर अध्ययन जैसे एम.फिल. एवं पी.एच.डी. जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में समेकित पाँच वर्ष की अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और धारा 3 के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत अध्येतावृत्ति

धारकों को एमओएमए शोध अध्येताओं के नाम से जाना जायेगा। इस अध्येतावृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष 756 स्लॉट उपलब्ध हैं। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4084285_manf-guidlines.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

यह अध्येतावृत्तियां, पी.एच.डी. और एम.फिल. कार्यक्रम हेतु समेकित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हैं अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के अनुसार प्रवेश प्वाइंट को आधार माना जायेगा। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नवत होगी :-

ikB;Øe dk uke	vfkldre le;kofek	t-vkj-,Q- ,o , l-vkj-,Q- dh xk°;rk	
		t-vkj-,Q-	, l-vkj-,Q-
पी.एच.डी.	5 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
एम.फिल.+पी.एच.डी	2+3 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न नीचे 6.4(i) (केवल जेआरएफ के लिए) के अनुरूप है।

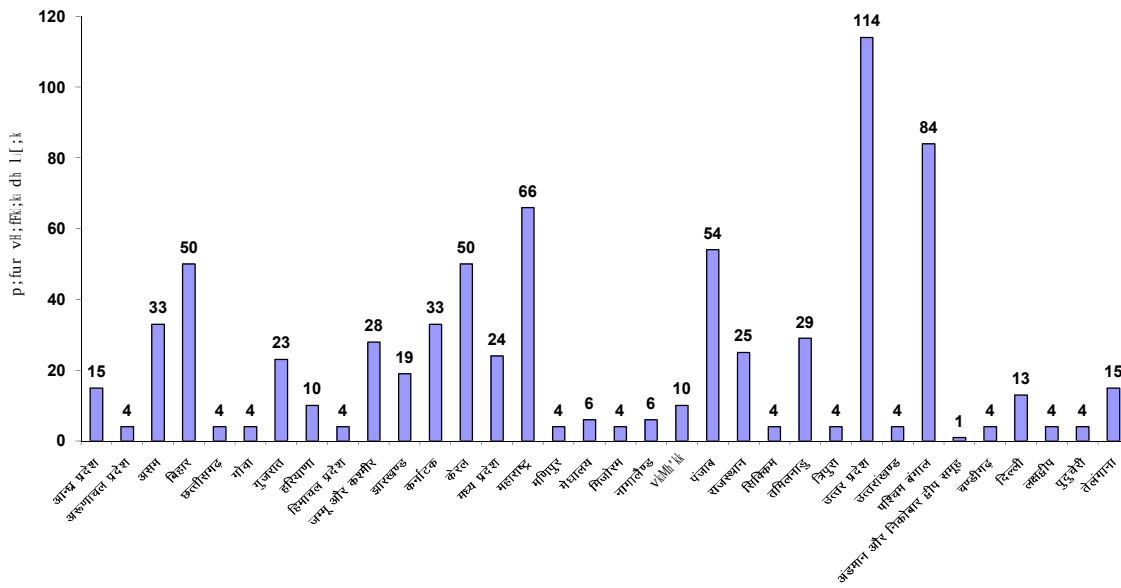
rkfydk 6-4iv% o" 2014&15 d nkjku vYil[:d Nk=k gr ekykuk vktkn jk"Vh; vè;rkofÜk ;ktuk d rgr vc rd p;fur vH;fFk;k dh jkT;&okj vkj lenk;&okj l[:k

Ø- l-	jkT;@l?k jkT; {k=	Hkkjr ljdkj d vulkj&LykV dk vkcVu							p;u fd; tku dk o" rFkk foÜh; o" 2014&15						
		eflye	blkb	fLD[k	c)	tiu	ikj lh	dy	eflye	blkb	fLD[k	c)	tiu	ikj lh	dy
1	आन्ध्र प्रदेश	25	5	X	X	X	X	30	10	5	X	x	X	X	15
2	अरुणाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	4	X	3	X	1	X	X	4
3	असम	30	3	X	X	X	X	33	29	4	X	X	X	X	33
4	बिहार	50	X	X	X	X	X	50	50	X	X	X	X	X	50
5	छत्तीसगढ़	X	X	X	X	X	X	4	2	X	1	X	1	X	4
6	गोवा	X	X	X	X	X	X	4	X	4	X	X	X	X	4
7	गुजरात	18	2	X	X	2	1	23	19	2	X	X	2	X	23
8	हरियाणा	5	X	5	X	X	X	10	5	X	5	x	X	X	10
9	हिमाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	4	2	X	1	1	X	X	4
10	जम्मू और कश्मीर	27	X	1	X	X	X	28	27	X	1	X	X	X	28
11	झारखण्ड	15	4	X	X	X	X	19	15	4	X	X	X	X	19
12	कर्नाटक	25	4	X	2	2	X	33	26	4	X	1	2	X	33
13	केरल	27	23	X	X	X	X	50	27	23	X	X	X	X	50
14	मध्य प्रदेश	16	2	1	1	4	X	24	16	2	1	1	4	X	24
15	महाराष्ट्र	33	4	1	19	4	1	62	38	4	1	19	3	1	66
16	मणिपुर	X	X	X	X	X	X	4	1	1	1	1	X	X	4
17	मेघालय	X	6	X	X	X	X	6	X	6	X	X	X	X	6
18	मिजोरम	X	X	X	X	X	X	4	X	4	X	X	X	X	4
19	नागालैण्ड	X	6	X	X	X	X	6	X	6	X	X	X	X	6
20	ओड़ीशा	5	5	X	X	X	X	10	5	5	X	X	X	X	10
21	पंजाब	3	2	49	X	X	X	54	2	X	52	X	X	X	54
22	राजस्थान	19	X	3	X	3	X	25	20	X	3	X	2	X	25
23	सिक्किम	X	X	X	X	X	X	4	X	2	X	2	X	X	4
24	तमिलनाडु	14	15	X	X	X	X	29	14	15	X	X	X	X	29
25	त्रिपुरा	X	X	X	X	X	X	4	1	2	X	1	X	X	4
26	उत्तर प्रदेश	102	2	3	1	3	X	111	103	3	3	2	3	X	114
27	उत्तराखण्ड	X	X	X	X	X	X	4	4	X	x	X	X	X	4
28	पश्चिम बंगाल	72	5	X	2	1	x	80	72	6	X	4	2	X	84
29	अंडमान और निकोबार	X	X	X	X	x	X	4	1	X	X	X	X	X	1
30	चण्डीगढ़	X	X	X	X	X	X	4	X	X	4	X	X	X	4
31	दादरा और नगर हवेली	X	X	X	X	x	X	4	X	X	X	X	X	X	X
32	दमन और दीव	X	X	X	X	X	X	4	X	X	X	X	X	X	X
33	दिल्ली	8	2	2	X	1	X	13	8	2	2	X	1	X	13
34	लक्षद्वीप	X	X	X	X	X	X	4	4	x	X	X	X	X	4
35	पुदुचेरी	X	X	X	X	X	X	4	2	2	X	X	x	X	4
36	तेलंगाना								14	X	X	1	X	X	15
dy ;kx		494	90	65	25	20	2	756	517	109	75	34	20	1	756

X= राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चार अध्येतावृत्तियों में कोई भी समुदाय-वार विभाजन नहीं होगा। सभी आवेदनों को एक साथ पूल करके निर्णय लिया जाएगा।

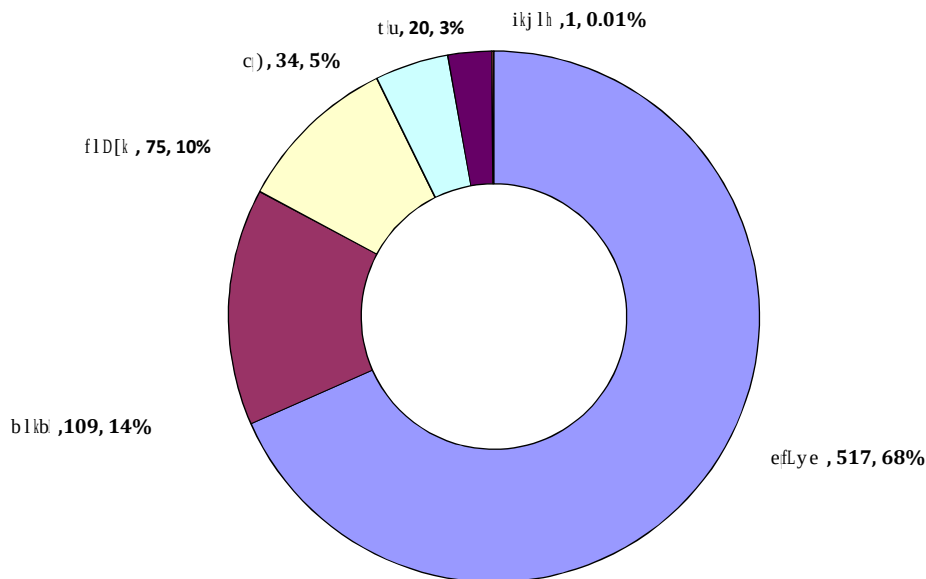
रिपोर्टाधीन वर्ष, 2014-15 के दौरान 65,21,00,000/- रुपए का व्यय हुआ।

जि [kkfp= 6-4%iv% vYil l; d Nk=k d fy, ekykuk vktkn jk"Vh; vè;rkofÜk ;ktuk d rgr
p;fur vH;fFk;k dh jkT; okj l l; k %2014&15%



jkT;@l% (k=

जि [kkfp= 6-4%iv% vYil l; d Nk=k d fy, ekykuk vktkn jk"Vh; vè;rkofÜk ;ktuk d rgr
p;fur vH;fFk;k dh J.l.khokj %vYil l; d l l; k %2014&15%



6-4%iv% fu'kDr Nk=k gr jktho xkèkh jk"Vh; vè;rkofÜk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2012 से निशक्त छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निशक्तता कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने राजीव गांधी निशक्त छात्र हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा है, जिससे वे एम.फिल. और पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। यह योजना 1 अप्रैल, 2012 से लागू होगी। यह योजना, देश में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में शोध उपाधि प्राप्त करने हेतु निशक्त छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सभी विषयों हेतु प्रत्येक वर्ष 200 स्लॉट हैं जिसमें राजीव गांधी निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत अध्येतावृत्ति अवार्ड करने के लिये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण का उपबंध है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4309928_rgnfdisbrevised-guidelines.pdf पर उपलब्ध हैं।

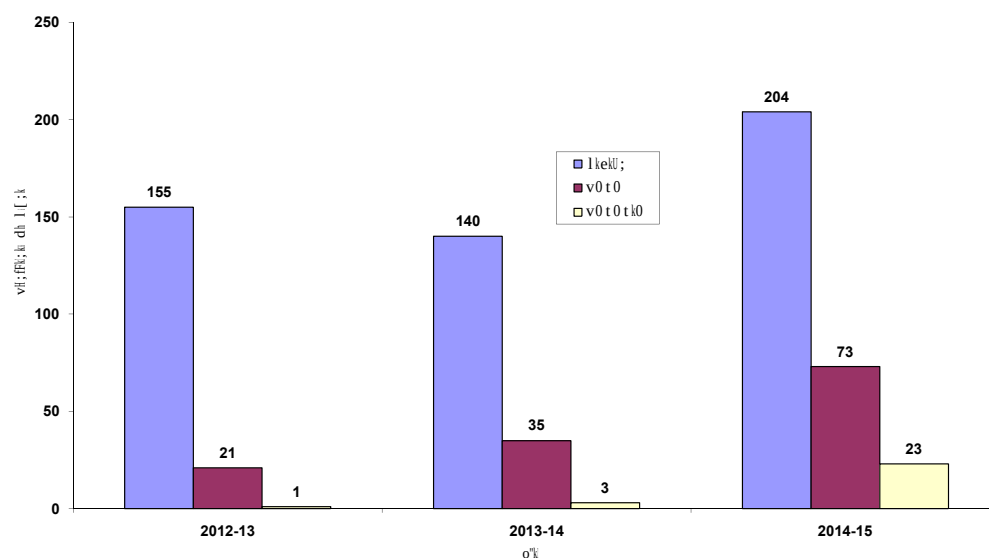
दिनांक 01.04.2012 से वित्तीय सहायता का स्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के पैटर्न के अनुरूप है।

Ø- l-	en	vè;rkofÜk
1.	अध्येतावृत्ति (सभी विषयों हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 16,000/- ₹ प्रतिमाह की दर से (जे.आर.एफ.) शेष कालावधि के लिए 18,000/- ₹ प्रतिमाह की दर (एस.आर.एफ.)
2.	आकस्मिक राशि की दर (मानविकी, समाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 10,000/- ₹ प्रतिवर्ष की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 25,500/- ₹ प्रतिवर्ष की दर से
3.	आकस्मिक राशि की दर (विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 12,000/- ₹ प्रतिवर्ष की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 25,000/- ₹ प्रतिवर्ष की दर से
4.	विभागीय सहायता (आरजीएनएफ-अ0ज0/अ0ज0ज0 तथा एमएएनएफ के लिए ई-भुगतान के पैटर्न के अनुरूप बंद कर दी गई है)	मेजबान संस्थान को अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु 3,000/- ₹ प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से
5.	सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/- ₹ प्रतिमाह की दर से
6.	मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियम के अनुसार

निशक्त छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अब तक की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:

p;u fd; tku dk o"k	vkuykbu iLrfrdj.k d; ekè;e l; ikIr vkonuk dh l; ;k	Nkuchu fd; x, rFkk ik= vkonuk dh l; ;k	Hkkjr ljdkj d; vuLkj LykVk d; vkCVu dh l; ;k	dy p;u fd; x, vH;Fkh				vxy o"k y; tk; x; fjDr LykVk dh l; ;k	fVlif.k;k
				lkekÜ;	v-t-	v-t-tk-	dy		
2012-13	203	177	200	155	21	1	177	23	चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में अनुदान का भुगतान निशक्तता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
2013-14	271	178	200	140	35	3	178	22	
2014-15	724	584	200	204	73	23	300	(45 समायोजित तथा 55 अधिशेष अवार्ड की गई अध्येतावृत्तियाँ)	
dy	1198	939	600	499	129	27	655		

j;[kkfp= 6-4% ckjgoh ipo"kh; ; ktuk d; nkjku fu'kDr Nk=k gr; jktho xkèkh jk"Vh; vè;rkofÜk ; ktuk d; rgr o"k&okj p;fur vH;fFk;k dh l; ;k



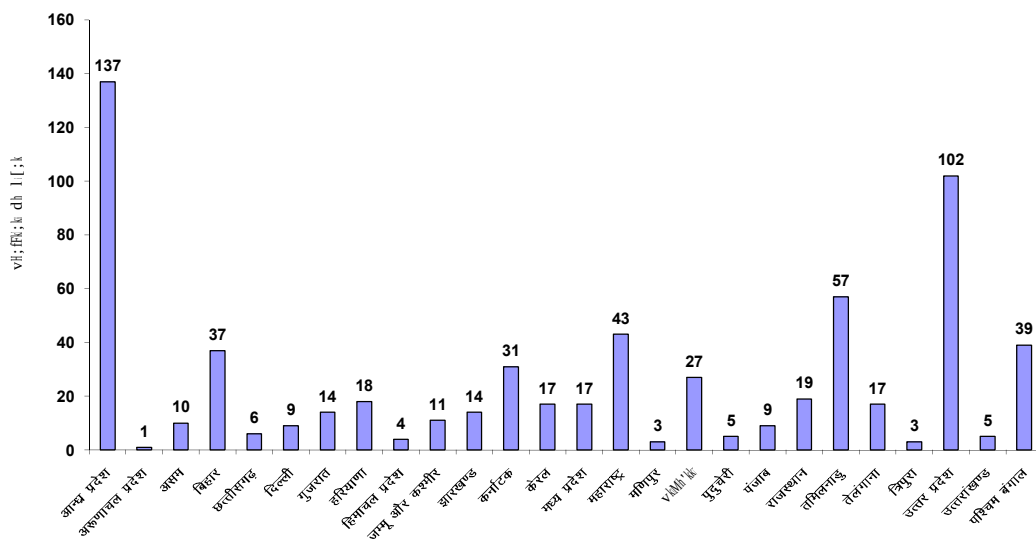
rkfydk 6-4% निशक्त छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत अब तक निशक्त श्रेणी के चयनित छात्रों की राज्यवार, वर्षवार तथा लिंगवार संख्या

Ø- l-	jkT;@l?k {k= dk uke	Hkkjr ljdkj d; vuLkj LykVk d; vkCVu*	2012-13			2013-14			2014-15			dy ;kx		
			efgyk	i; "k	dy	efgyk	i; "k	dy	efgyk	i; "k	dy	efgyk	i; "k	dy
1	आन्ध्र प्रदेश	11	7	29	36	9	36	45	14	42	56	30	107	137
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1										0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1								1	1	0	1	1

Ø- l-	jkT;@l?k {k= dk uke	Hkkjr ljdkj d vulkj LykVuk dk vkcu*	2012-13			2013-14			2014-15			dy ;kx		
			efgyk	i : %	dy	efgyk	i : %	dy	efgyk	i : %	dy	efgyk	i : %	dy
4	असम	5	1	2	3	1	0	1	1	5	6	3	7	10
5	बिहार	15		14	14	0	5	5	4	14	18	4	33	37
6	चण्डीगढ़	1										0	0	0
7	छत्तीसगढ़	4		3	3	0	1	1	1	1	2	1	5	6
8	दादरा और नागर हवेली	1										0	0	0
9	दमन और दीव	1										0	0	0
10	दिल्ली	2	1	2	3	2	1	3	1	2	3	4	5	9
11	गोवा	1										0	0	0
12	गुजरात	9		1	1	3	3	6	1	6	7	4	10	14
13	हरियाणा	4		7	6	3	3	6	2	3	5	5	13	18
14	हिमाचल प्रदेश	2		2	2					2	2	0	4	4
15	जम्मू और कश्मीर	3		3	3	0	3	3		5	5	0	11	11
16	झारखण्ड	4	2	4	6	1	1	2	1	5	6	4	10	14
17	कर्नाटक	8		10	10	0	7	7	1	13	14	1	30	31
18	केरल	7		1	1	2	4	6	3	7	10	5	12	17
19	लक्षद्वीप	1										0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12	2		2	1	4	5	1	9	10	4	13	17
21	महाराष्ट्र	13	4	7	10	2	10	12	8	12	20	14	29	43
22	मणिपुर	1		1	1	0	1	1		1	1	0	3	3
23	मेघालय	1										0	0	0
24	मिजोरम	1										0	0	0
25	नागालैण्ड	2										0	0	0
26	ओडीशा	8	2	9	11	1	5	6	2	8	10	5	22	27
27	पुदुचेरी	1	0	2	2	1	1	2		1	1	1	4	5
28	पंजाब	4		1	1	0	2	2	3	3	6	3	6	9
29	राजस्थान	12		3	3	1	1	2	5	9	14	6	13	19
30	सिक्किम	2										0	0	0
31	तमिलनाडु	14	1	10	11	6	17	23	4	19	23	11	46	57
32	तेलंगाना								2	15	17	2	15	17
33	त्रिपुरा	1	0	1	1	0	1	1		1	1	0	3	3
34	उत्तर प्रदेश	30	7	28	35	6	22	28	10	29	39	23	79	102
35	उत्तराखण्ड	2	1	0	1	1	0	1	1	2	3	3	2	5
36	पश्चिम बंगाल	15	0	9	9	2	8	10	5	15	20	7	32	39
dy		200	28	149	177	42	136	178	70	230	300	140	515	655

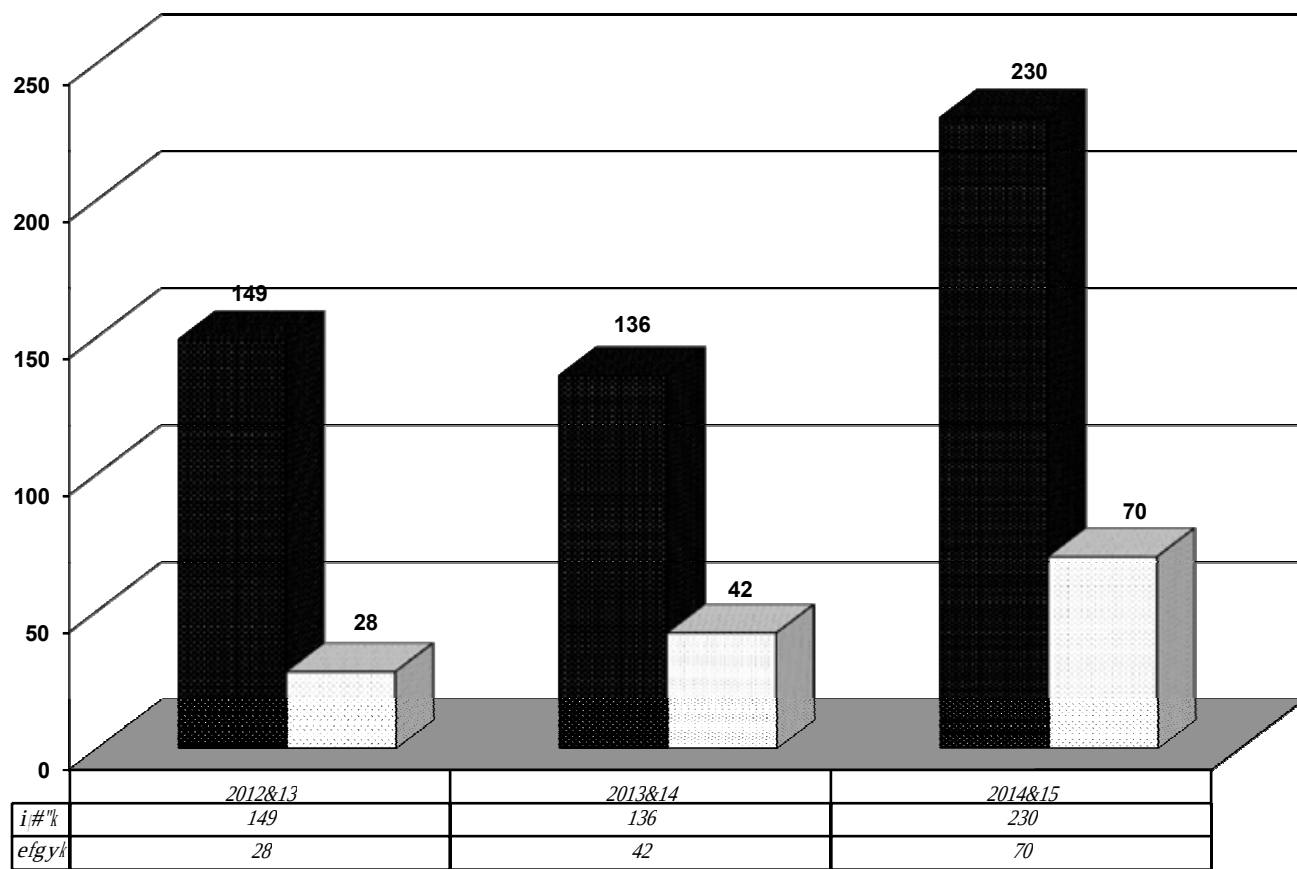
*वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार

j[kkfp= 6-4% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku fu'kDr Nk=k gr jktho xkèkh jk"Vh; vè;rkofÙk ;ktuk
d rgr jkT;okj p;fur vH;fFk;k dh l[;k



jkT;@l?k {k=

j:[kkfp= 6-4% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku fu'kDr Nk=k gr jk tho xkèkh jk"Vh; vè;rkofÜk ;ktuk d rgr p;fur vH;fFk;k dh o"kokj rFkk fyxokj l;[;k



6-4%vi% vU; fiNM oxk %vfio d Nk=k gr jk"Vh; vè;rkofÜk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वयन हेतु सौंपी गई योजना नामतः अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (रा.अ.) योजना को वर्ष 2014 से कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए है जो विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक तथा नियमित एमफिल तथा पीएचडी उपाधि आदि उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। अध्येतावृत्ति अवार्ड करने के लिये प्रत्येक वर्ष सभी विषयों में 300 स्लॉट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के शोध विद्वानों से ऑनलाइन पद्धति से आवेदन प्राप्त किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निशक्त श्रेणी से शोध विद्वानों को अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु 03 प्रतिशत स्लॉटों के आरक्षण का उपबंध है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/6078732_OBCguidelines.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:

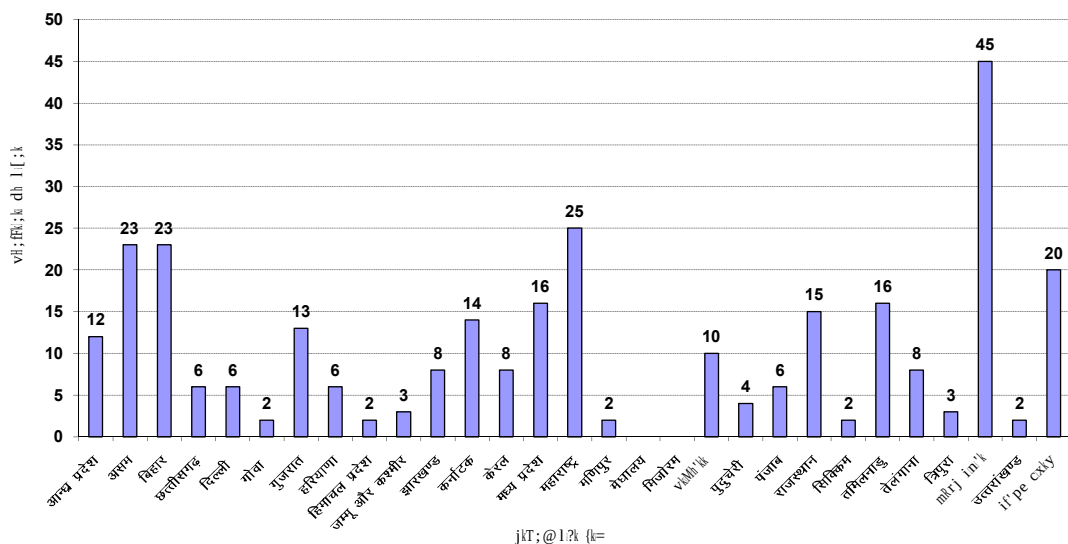
अध्येतावृत्ति	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 25,000/- ₹प्रतिमाह की दर से (जे.आर.एफ) शेष कालावधि के लिए 28,000/- ₹प्रतिमाह की दर (एस.आर.एफ.)
मानविकी, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के लिए आकस्मिक दर	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 10,000/-रु0 प्रतिवर्ष की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 20,500/- प्रतिवर्ष की दर से
विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक दर	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 12,000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से शेष तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 25,000/- रु0 की दर से
सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से
मकान किराया भत्ता (एचआरए)	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियम के अनुसार

rkfy dk 6-4%vU; fiNM oxk %vfio% d Nk=k gr jk"Vh; vè;rkofÜk ;ktuk* d rgr o"n 2014&15 d fy, vU; fiNM oxk d J.kh d p;fur Nk=k dh jkT;okj@fyxokj@fo"n;okj l[;k dk n'kkü okyk fooj.k

Ø- l-	jkT;@l?k {k= dk uke	efgyk					dy efgyk,i	i: "k					dy i: "k	dy ;kx
		vffk; kf=dh vkj	ik kfx dh	ekufo dh	foKku	llef t d foKku		vffk; kf=dh vkj	ik kfx dh	ekufo dh	foKku	llef t d foKku		
1	आन्ध्र प्रदेश	1		1	3	1	6	1		1	2	2	6	12
2	असम	3		3	3	3	12	3		2	3	3	11	23
3	बिहार	3		2	3	3	11	3		2	3	4	12	23
4	छत्तीसगढ़				2	1	3			1	1	1	3	6
5	दिल्ली	1			1	1	3	1			1	1	3	6
6	गोवा				1	1	2							2
7	गुजरात			2	2	2	6	1		2	2	2	7	13
8	हरियाणा	1			1	1	3	1		1	1		3	6
9	हिमाचल प्रदेश				1		1				1		1	2
10	जम्मू और कश्मीर				1		1				2		2	3
11	झारखण्ड			1	2	1	4	1		1	1	1	4	8
12	कर्नाटक	2		1	2	2	7	2		1	2	2	7	14
13	केरल	1		1	1	1	4	1		1	1	1	4	8
14	मध्य प्रदेश	2		2	2	2	8	1		3	2	2	8	16
15	महाराष्ट्र	3		4	3	3	13	3		3	3	3	12	25
16	मणिपुर	1					1					1	1	2
17	मेघालय													
18	मिजोरम													
19	ओड़ीशा	1		1	1	2	5	1		1	2	1	5	10
20	पुदुचेरी	1				1	2			1	1		2	4
21	पंजाब			1	1	1	3	1		1	1		3	6
22	राजस्थान	1		2	2	2	7	1		2	3	2	8	15
23	सिक्किम					1	1				1		1	2
24	तमिलनाडु	3		1	2	2	8	2		2	2	2	8	16
25	तेलंगाना	1		1	1	1	4	1		1	1	1	4	8
26	त्रिपुरा				2		2				1		1	3
27	उत्तर प्रदेश	5		5	6	6	22	6		5	7	5	23	45
28	उत्तराखण्ड				1		1				1		1	2
29	पश्चिम बंगाल	2		3	3	2	10	2		2	4	2	10	20
	dy ;kx	32		31	47	40	150	32		33	49	36	150	300

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच किए गए करार (समझौता ज्ञापन) के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों भुगतान किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

j[kkfp= 6-4%vU; fiNM oxk %vfio% d J.kh d Nk=k gr ^vU; fiNM oxk %vfio% d Nk=k d fy, jk"Vh; vè;rkofÜk ;ktuk* d rgr p;fur vH;ffk; dk dh jkT;okj l[;k dk n'kkü okyk fooj.k%2014&15%



6-4%vii% lkekft d foKku e: 'kkëk gr Lokeh foodkuUn , dy ckfydk vè;rkofÜk

महिला शिक्षा के प्रति स्वामी विवेकानंद के विचारों तथा बालिका शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 से विशेषकर ऐसी बालिकाओं की उच्चतर शिक्षा की लागत की प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की है जो कि अपने परिवार की एकमात्र बालिका हैं।

40 वर्ष की आयु तक की छात्राएं जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में सामाजिक विज्ञान में नियमित, पूर्णकालिक, पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा वे अपने परिवार की एकमात्र संतान भी हैं, वे इस अध्येतावृत्ति के लिये आवेदन कर सकती हैं। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/1555717_guidelines-SWAMI-Vivekananda.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

विज्ञापन के समक्ष इस अध्येतावृत्ति के लिए प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या 300 है। आयोग की प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन किया जाता है।

योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता निम्नवत है:

- प्रथम दो वर्षों के लिए 12,400/- रुपये प्रतिमाह की दर से
- तीसरे और चौथे वर्ष के लिए 15,500 रुपये प्रतिमाह की दर से (विशिष्ट परिस्थितियों में पांचवें वर्ष के लिए भी बढ़ाई जा सकती है)

वर्ष 2014-15 के दौरान 65 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को भुगतान करने के लिए केनरा बैंक को 1.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केनरा बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई, 2015 तक 4.46 लाख रुपये का संवितरण किया गया है।

6-4%viii% ch-, l-vkj- vè;rkofÜk; k %vkj, Q, l, e, l%

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति, "बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना" (आरएफएसएमएस) ऐसे अभ्यर्थियों के लिये है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु चयनित हैं। बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र/उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशेष सहायता विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से नियमित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करवाने हेतु अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है। प्रवेश के उपरांत पीएचडी हेतु पंजीकरण किया जायेगा। आज तक, सैप/गैर-सैप विभागों को 9300 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई हैं तथा 8145 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत हैं। दिसम्बर, 2013 से अध्येतावृत्ति सीधे ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जा रही है (जिसमें अध्येतावृत्ति की राशि का सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरण किया जाता है)

foÜkh; l gk; rkh

xV vgrk l ofpr vH;ffk;k gr	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्ष के लिए 21,700/-रु. प्रतिमाह की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 24,800/-रु. प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01.12.2014 से)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 25,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से (दिनांक 01.04.2010 से)
मकान किराया भत्ता	सभी किस्तों के लिए विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार
uV@xV vgrk iklr vH;ffk;k gr	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्ष के लिए 24,800/-रु. प्रतिमाह की दर से, और अगले तीन वर्षों के लिए 27,900/-रु. प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01.12.2014 से)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 25,000/-रु. प्रतिवर्ष की दर से (दिनांक 01.04.2010 से)
मकान किराया भत्ता	सभी किस्तों के लिए विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार

वर्ष 2014-2015 के दौरान 75.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6-5%ix% i'koj ikB;Øek e: vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr;k d Nk=k gr LukrdkÜkj Nk=ofÜk;k

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि 2/3 वर्ष की है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1000 प्रतिवर्ष है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/6606183_PGSPCscst.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

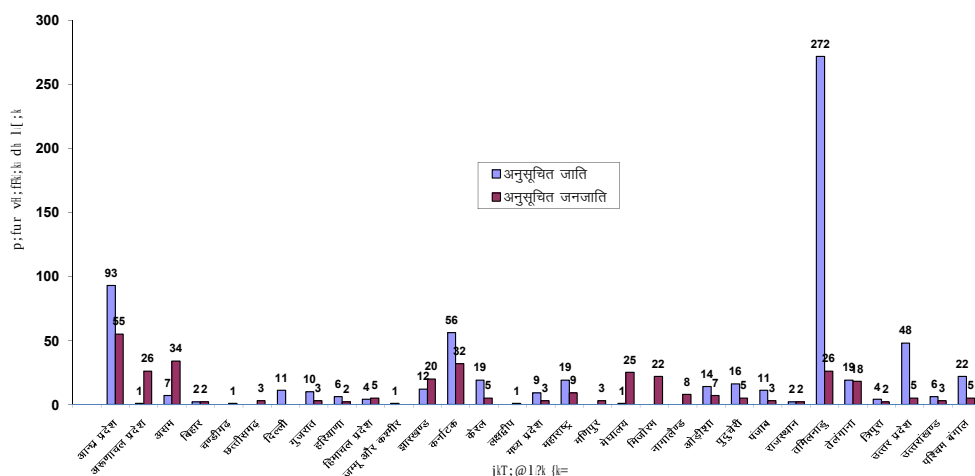
दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत:

एम.टेक. छात्रों हेतु	7,800 /— रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	15,000 /— रुपये प्रतिवर्ष की दर से
अन्य पाठ्यक्रम	4,700 /— रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	10,000 /— रुपये प्रतिवर्ष की दर से

rkfydk 6-5% *i'koj ikB;Øek e vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr d Nk=k gr LukrdkÜkj Nk=ofÜk ;ktuk* d rgr p;fur vH;fFk;k dh jkT;okj@J.khokj l[;k dk n'kkü okyk fooj.k

Ø- l- jkT;@l?k {k= dk uke	vulfpr tkfr		dy	vulfpr tutkfr		dy	dy ;kx
	efgyk	i: "k		efgyk	i: "k		
1 आन्ध्र प्रदेश	41	52	93	13	42	55	148
2 अरुणाचल प्रदेश		1	1	16	10	26	27
3 असम	3	4	7	16	18	34	41
4 बिहार		2	2		2	2	4
5 चण्डीगढ़					1	1	1
6 छत्तीसगढ़				2	1	3	3
7 दिल्ली	7	4	11				11
8 गुजरात	2	8	10	2	1	3	13
9 हरियाणा	3	3	6	1	1	2	8
10 हिमाचल प्रदेश	1	3	4	1	4	5	9
11 जम्मू और कश्मीर	1		1				1
12 झारखण्ड	2	10	12	6	14	20	32
13 कर्नाटक	23	33	56	12	20	32	88
14 केरल	11	8	19	1	4	5	24
15 लक्षद्वीप					1	1	1
16 मध्य प्रदेश	3	6	9	2	1	3	12
17 महाराष्ट्र	9	10	19	2	7	9	28
18 मणिपुर				1	2	3	3
19 मेघालय	1		1	12	13	25	26
20 मिजोरम				11	11	22	22
21 नागालैण्ड				5	3	8	8
22 ओड़ीशा	6	8	14	2	5	7	21
23 पुदुचेरी	6	10	16	3	2	5	21
24 पंजाब	7	4	11	2	1	3	14
25 राजस्थान		2	2	1	1	2	4
26 तमिलनाडु	162	110	272	11	15	26	298
27 तेलंगाना	7	12	19	2	16	18	37
28 त्रिपुरा	2	2	4	2		2	6
29 उत्तर प्रदेश	18	30	48	1	4	5	53
30 उत्तराखण्ड	3	3	6	1	2	3	9
31 पश्चिम बंगाल	9	13	22	4	1	5	27
dy ;kx	327	338	665	132	203	335	1000

j[kkfp= 6-5 % o'k 2014&2015 d nkjku i'koj ikB;Øek e LukrdkÜkj Nk=ofÜk;k d rgr p;fur vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr d Nk=k dh jkT;okj l[;k



वर्ष 2014-15 के दौरान योजनागत स्कीम के तहत 4,78,00,000 /— रुपये का व्यय हुआ।

6-5%ii% ,dy ckfydk gr| bfnjk xkèkh Lukr dkÜkj Nk=ofÜk ;k t uk

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए योजनाओं/कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा मूलभूत शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करना है जो विशेषकर अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं।

इस योजना का उद्देश्य गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु सहायता तथा छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना है।

यह योजना स्नातकोत्तर शिक्षा सत्र 2005-07 से आरंभ की गयी थी। अपने माता-पिता की एकल बालिका संतान जिसने नियमित पूर्णकालिक, निष्णांत पाठ्यक्रम (गैर-पेशेवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है वे छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं। यह छात्रवृत्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की छात्राएं पात्र हैं। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं है।

वि.अ.आ. अधिनियम के धारा 2(च) एवं 12(ख) के अन्तर्गत सम्मिलित संस्थानों में छात्राओं द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों में प्राप्त किये गये दाखिले के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/6456190_SGC20132015GuidelinesAmendedEnglish.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

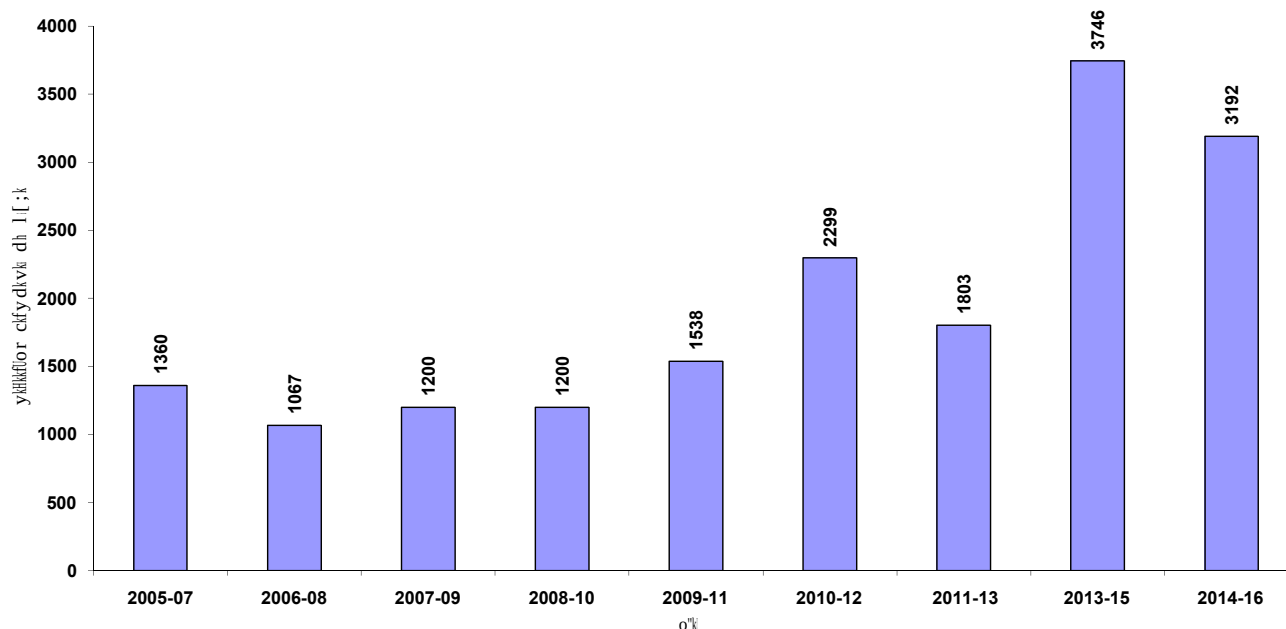
दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत् है:

C;kjk	Nk=ofÜk dh nj	Nk=ofÜk dh vofèk
छात्रवृत्ति	3,100/-रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए

स्नातकोत्तर शैक्षणिक सत्रवार, लाभान्वित छात्राओं की संख्या निम्नवत् है:

2005-07	1360
2006-08	1067
2007-09	1200
2008-10	1200
2009-11	1538
2010-12	2299
2011-13	1803
2013-15	3746
2014-16	3192

j[kfkp= 6-5%ii% ,dy ckfydk gr| bfnjk xkèkh Lukr dkÜkj Nk=ofÜk ;k t uk l; ykHkkfUor ckfydkvk; dh Lukr dkÜkj f'k{kk l=okj l; ;k



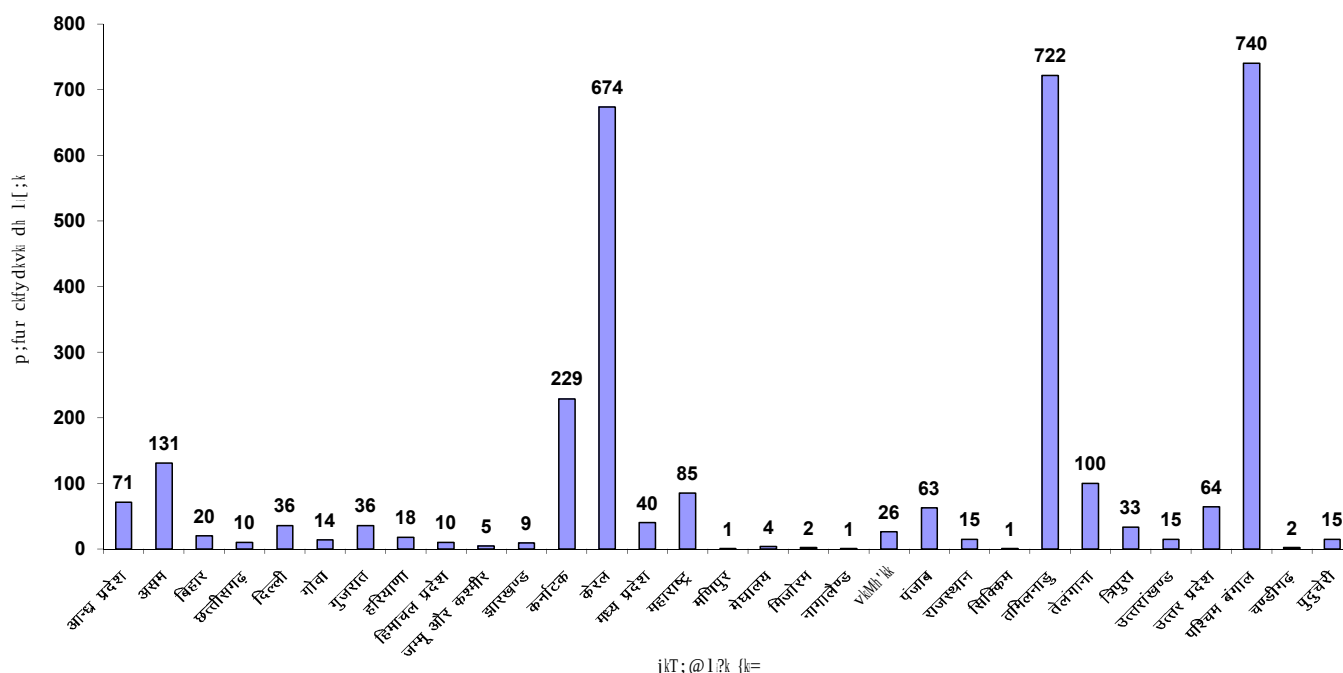
रक्यदक 6-5% f'k{kk l= 2014&16 d fy, ,dy ckfydk gr bfnjk xkèkh LukrdkÜkj Nk=ofÜk ;ktuk d rgr p;fur ckfydkvk dh jkT;okj l[;k

Ø- l-	jkT;@l?k {k=	2014&16 d fy, p;fur vH;fFk;k dh l[;k
1	आन्ध्र प्रदेश	71
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	131
4	बिहार	20
5	छत्तीसगढ़	10
6	दिल्ली	36
7	गोवा	14
8	गुजरात	36
9	हरियाणा	18
10	हिमाचल प्रदेश	10
11	जम्मू और कश्मीर	5
12	झारखण्ड	9
13	कर्नाटक	229
14	केरल	674
15	मध्य प्रदेश	40
16	महाराष्ट्र	85
17	मणिपुर	1
18	मेघालय	4
19	मिजोरम	2

Ø- l-	jkT;@l?k {k=	2014&16 d fy, p;fur vH;fFk;k dh l[;k
20	नागालैण्ड	1
21	ओड़ीशा	26
22	पंजाब	63
23	राजस्थान	15
24	सिक्किम	1
25	तमिलनाडु	722
26	तेलंगाना	100
27	त्रिपुरा	33
28	उत्तराखण्ड	15
29	उत्तर प्रदेश	64
30	पश्चिम बंगाल	740
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
32	चण्डीगढ़	2
33	दादरा और नागर हवेली	0
34	दमन और द्वीव	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	15
dy%		3192

रिपोर्टधीन वर्ष 2014–15 के दौरान 8,46,00,000 /— रुपये का व्यय हुआ।

jkT;@l?k {k= 6-5% ,dy ckfydk gr bfnjk xkèkh LukrdkÜkj Nk=ofÜk ;ktuk d rgr p;fur vH;fFk;k dh jkT;okj l[;k 2014&16%



6-5 % xV vgrk iklr ,e-b@,e-Vd-@,e-Qkek Nk=k d fy, LukrdkÜkj Nk=ofÜk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एमई/एम.टेक/एम. फॉर्मा पाठ्यक्रमों और समेकित दोहरी उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक उपाधि धारक युवा छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है।

योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक तकनीकी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 1200 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिये दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:

C;kjk	Nk=ofÜk dh nj	Nk=ofÜk dh vofèk
गेट/जीपीएटी में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति	12,000/— रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो/तीन वर्ष
आकस्मिक राशि	5,000/— रुपये प्रतिवर्ष की दर से	
गेट/जीपीएटी में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति	10,000/— रुपये प्रतिमाह की दर से	
आकस्मिक राशि	5,000/— रुपये प्रतिवर्ष की दर से	

रिपोर्टाधीन वर्ष, 2014-15 के दौरान 17,42,50,694/— रुपये का व्यय हुआ।

6-5%iv% Lukrdio Lrj ij fo'ofokky; ei jid èkkj d d fy, LukrdkÜkj efjV Nk=ofÜk

देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाकर स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आकर्षित किया जाये। इसलिए, वि०अ०आ० ने देशभर में सभी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षिक उत्कृष्टता का सृजन करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति को आरंभ किया है तथा कार्यान्वित किया है।

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम या द्वितीय शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र जिन्हें किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

प्रथम शिक्षा वर्ष के दौरान छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 3000 है। छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष की ही है। किसी भी स्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षों से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/3457230_URH-Guidelines.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक धारकों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र/और सम विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/गैर-संबद्ध महाविद्यालयों में कम से कम 25 छात्र स्नातकपूर्व स्तर की परीक्षा में बैठे हों।

दिनांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत 6.5(ii) के अनुरूप है।

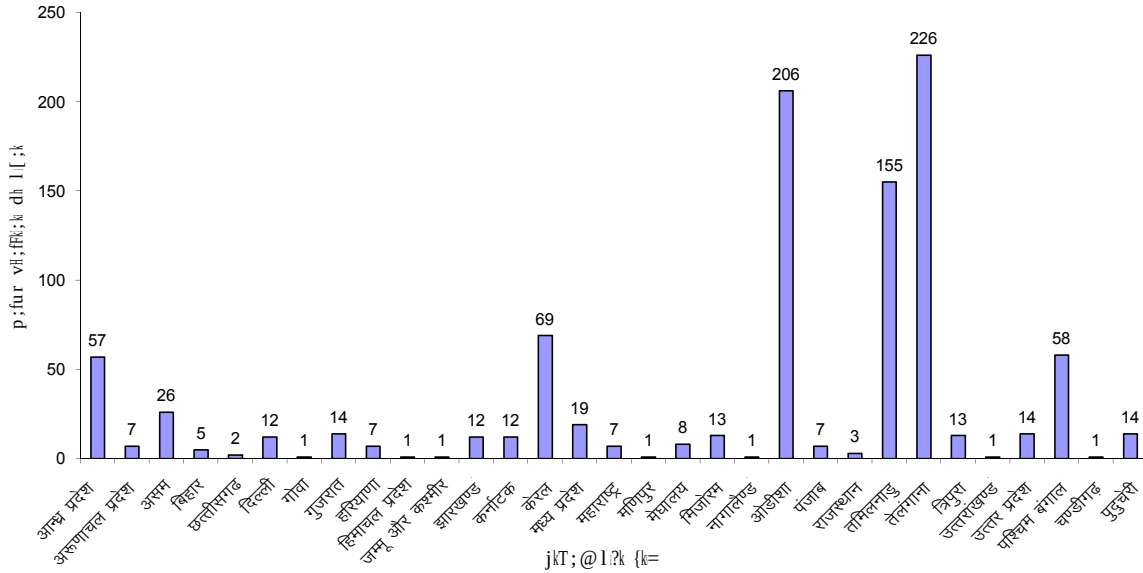
rkfydk 6-5%iv% f'k{kk l= 2014&16 d fy, *Lukrdio Lrj ij fo'ofokky; ei jid èkkj d d fy, LukrdkÜkj efjV Nk=ofÜk ;ktuk* d rgr p;fur vH;fFk;k dh jkT;&okj l[;k

Ø- l-	jkT;@lèk {k=	o" 2014&2016 d fy, p;fur vH;fFk;k dh l[;k
1	आन्ध्र प्रदेश	57
2	अरुणाचल प्रदेश	7
3	असम	26
4	बिहार	5
5	छत्तीसगढ़	2
6	दिल्ली	12
7	गोवा	1
8	गुजरात	14
9	हरियाणा	7
10	हिमाचल प्रदेश	1
11	जम्मू और कश्मीर	1
12	झारखण्ड	12
13	कर्नाटक	12
14	केरल	69
15	मध्य प्रदेश	19
16	महाराष्ट्र	7
17	मणिपुर	1
18	मेघालय	8
19	मिजोरम	13
20	नागालैण्ड	1

Ø- l-	jkT;@lèk {k=	o" 2014&2016 d fy, p;fur vH;fFk;k dh l[;k
21	ओड़ीशा	206
22	पंजाब	7
23	राजस्थान	3
24	सिक्किम	0
25	तमिलनाडु	155
26	तेलंगाना	226
27	त्रिपुरा	13
28	उत्तराखण्ड	1
29	उत्तर प्रदेश	14
30	पश्चिम बंगाल	58
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
32	चण्डीगढ़	1
33	दादरा और नगर हवेली	0
34	दमन और दीव	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	14
dy%		976

रिपोर्टाधीन वर्ष, 2014-15 के दौरान 2,87,00,000/— रुपये का व्यय हुआ।

j: [kkf p= 6-5% f'k {kk l= 2014&16 d fy, M Lukrdio Lrj ij fo'ofok ky; e jid ekjd d fy, LukrdkUk efjV Nk=ofUk ;ktuk** d rgr p;fur vH;fFk;k dh jkT;&okj l: ;k



6-6 Lukrdio Nk=ofUk;k

6-6 %i% mUkj&io {k= d fy, M'b'kku mn;** uked fo'k'k Nk=ofUk ;ktuk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष रुचि दिखाई है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014-15 से उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना "ईशान उदय" को आरंभ करने का निर्णय लिया है। योजना आरंभ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर-पूर्व परिषद्, शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/9424599_revised-ISHAN-UDAY.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:-

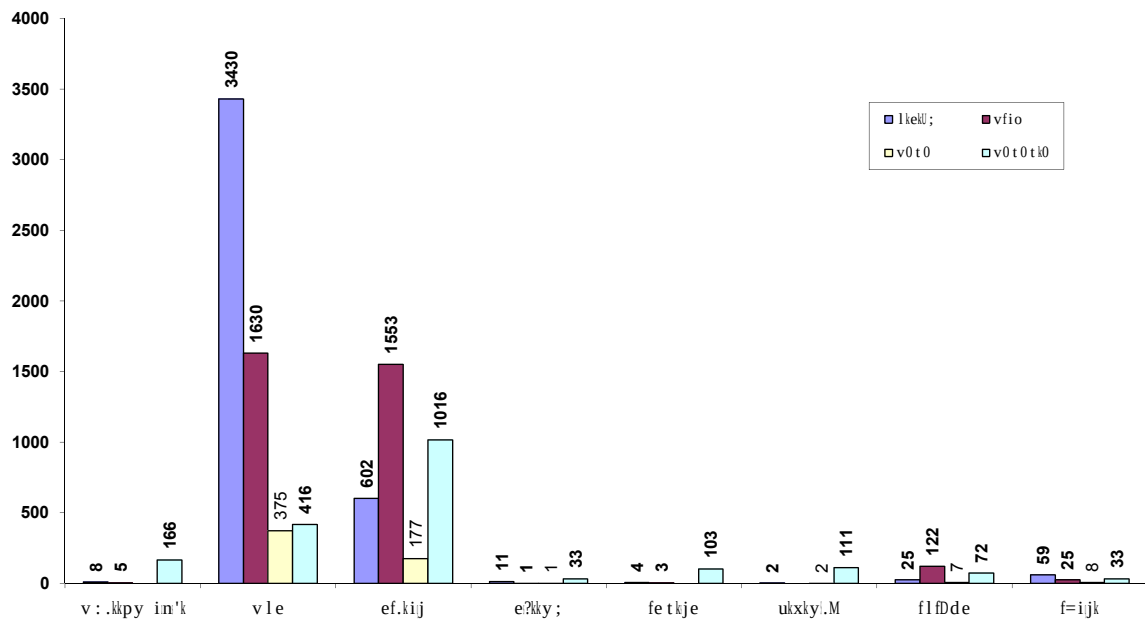
Ø- l-	C;kjk	fnukd 01-04-2014 l: Nk=ofUk dh nj	fnukd 01-04-2014 l: Nk=ofUk dh nj	Nk=ofUk dh vofek
1.	छात्रवृत्ति की राशि (सामान्य उपाधि के कार्यक्रमों के लिए)	3,500/- रुपये प्रतिमाह की दर से	5,400/- रुपये प्रतिमाह की दर से	स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	छात्रवृत्ति की राशि (चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु)	5,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से	7,800 /- रुपये प्रतिमाह की दर से	

rkfydk 6-6-%i% o"k 2014&15 d fy, mUkj&io {k= gr M'b'kku mn;** uked fo'k'k Nk=ofUk ;ktuk d rgr Nk=ofUk gr p;u dh fLFkfr

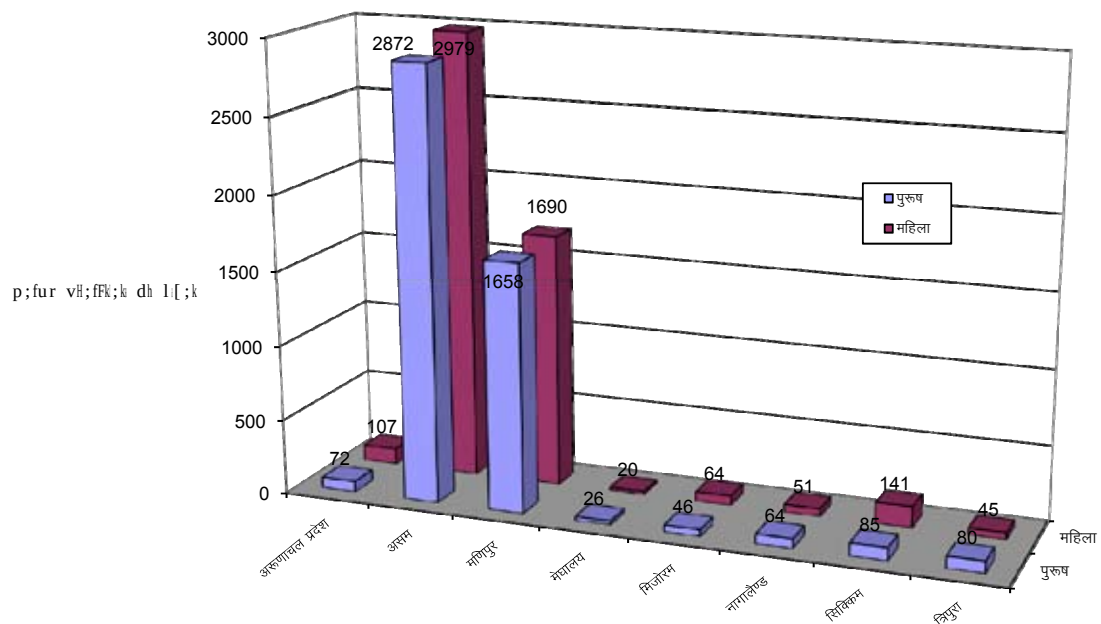
jkT;	p;fur vH;fFk;k dh l: ;k								
	fyxokj lforj.k			Ji.khokj lforj.k				dy	vunkuk dk Hkxrku
	efgyk	i: 'k	dy	lkekU;	vfio	v-t-	v-t-t-k-		
अरुणाचल प्रदेश	107	72	179	8	5		166	179	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच किये गये समझौता ज्ञापन (एमओयू) के
असम	2979	2872	5851	3430	1630	375	416	5851	
मणिपुर	1690	1658	3348	602	1553	177	1016	3348	
मेघालय	20	26	46	11	1	1	33	46	
मिजोरम	64	46	110	4	3		103	110	
नागालैण्ड	51	64	115	2		2	111	115	

jkT;	p;fur vH;fFk;k dh lI;k									
	fyxokj lforj.k			Ji.khokj lforj.k				dy	'kkjhfd :i l;fu'kDr vH;fFk;k lgr ¼'kkjhfd :i l;fodykx½	vunkuk dk Hkxrku
	efgyk	iI:"k	dy	lkekU;	vfio	v-t-	v-t-tk-			
सिक्किम	141	85	226	25	122	7	72	226	2	अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को सीधे ही केनरा बैंक से अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।
त्रिपुरा	45	80	125	59	25	8	33	125		
dy ;kx	5097	4903	10000	4141	3339	570	1950	10000	49	

jI[kkfp= 6-6% mUkj&iol {k= dI fy, Mb'kku mn;** uked fo'k'k Nk=ofUk ;ktuk dI rgr Nk=ofUk gr p;fur vH;fFk;k dh jkT;okj rFkk Ji.khokj lI;k



jI[kkfp= 6-6% mUkj&iol {k= dI fy, Mb'kku mn;** uked fo'k'k Nk=ofUk ;ktuk dI rgr Nk=ofUk gr p;fur vH;fFk;k dh jkT;okj rFkk Ji.khokj lI;k



(6.2 से 6.6): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों का संक्षेप में ब्यौरा

o"K 2014&15 d nkjku 'kkèk vokM@'kkèk oKkfud] ikLV MkDVkjy vè;rkofÜk] 'kkèk vè;rkofÜk]
LukrdkÜkj Nk=ofÜk] Lukrdio Nk=ofÜk ;ktukvk dk C;kjk

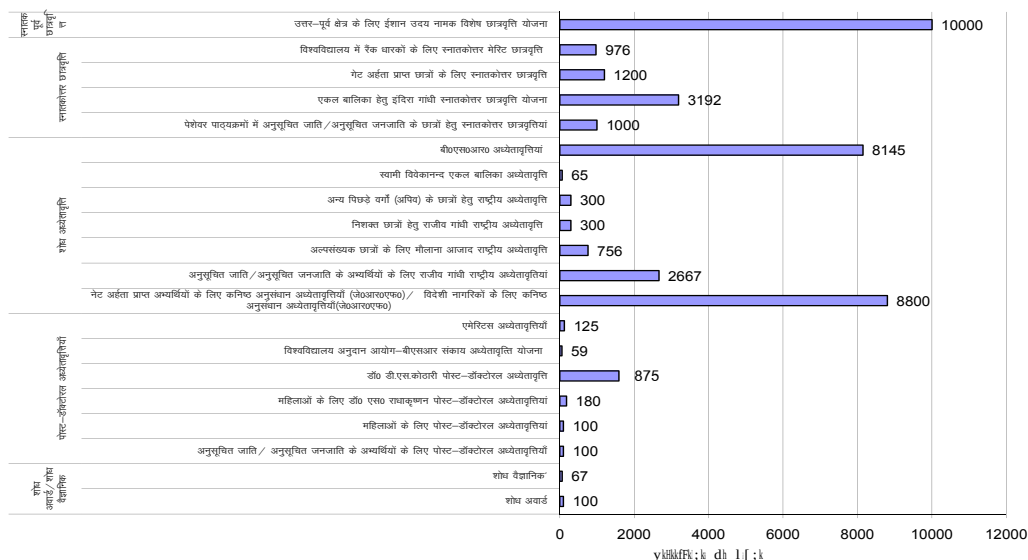
Ø-1-	;ktuk dk uke	;ktuk dk lkjHk dju dk o"K	ifro"K LykVki dh l; ;k	vè;rkofÜk@ Nk=ofÜk dh vofèk	p;fur ykhkffk;ki dh l; ;k	o"K 2014&15 d nkjku tkjh dh xbi jkf'k ½djkm #i; e½
6-2 'kkèk vokM@'kkèk oKkfud						
6-2(i)	शोध अवार्ड		100 (प्रत्येक दूसरे वर्ष)	2 वर्ष	100	15.48 रुपये
6.2(ii)	शोध वैज्ञानिक*	1983			67	10.10 रुपये
6-3 ikLV&MkDVkjy vè;rkofÜk; k						
6-3(i)	पेशेवर पादयक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	2006-07	100	5 वर्ष	100	11.63 रुपये
6-3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	1998	100	5 वर्ष	100	20.67 रुपये
6.3(iii)	भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	2014-15	200	3 वर्ष	180	2.17 रुपये
6.3(iv)	डॉ. डी.एस.कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	2008-2009	500	3 वर्ष	875	26.93 रुपये
6.3(v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति	2010-11	(कोई अधिकतम सीमा नहीं) 80	3 वर्ष	59	3.74 रुपये
6.3(vi)	एमरेटस अध्येतावृत्ति		किसी दिये गये समय पर दो वर्षों के लिए 200	2 वर्ष	125	4.67 रुपये
6-4 vulèkku vè;rkofÜk; k ½, e-fQy-@ih-, p-Mh- gr½						
6.4(i)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे.आर.एफ.)	1957-58	8800	5 वर्ष	8800	433.00 रुपये
6.4(ii)	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा अनुसंधान एसोशिएटशिप (आर.ए.)	1957-58	20+7	4 वर्ष	60	
6.4(iii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई)	2005-2006	2000+667	5 वर्ष	अनुसूचित जाति-2000 अनुसूचित जनजाति-667 कुल-2667	149.58; (अनुसूचित जाति के लिए) 46.61 (अनुसूचित जनजाति के लिए) कुल-196.19 रुपये
6.4(iv)	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ (वर्ष 2009-2010 से आरंभ की गई नई योजना तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई)	2009-2010	756	5 वर्ष	756	65.21 रुपये
6.4(v)	निशक्त छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2012-13	200	5 वर्ष	300 (संचयी आधार पर 655)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निशक्तता विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है
6.4(vi)	अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2014-15	300	5 वर्ष	300	
6.4(vii)	सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014-15	300	4-5 वर्ष	65	0.04
6.4(viii)	बी.एस.आर. अध्येतावृत्तियाँ (आरएफएसएमएस)	2006-07	1500	5 वर्ष	8145 (संचयी आधार पर)	75.65 रुपये

Ø-1- ;ktuk dk uke	;ktuk dk lkjHk dju dk o"K	ifro"K LykV dh l[;k	vè;rkofÜk@ Nk=ofÜk dh vofèk	p;fur ykHkFk; k dh l[;k	o"K 2014&15 d nkjku tkjh dh xb jkf'k %dkM #i; e#
6-5 Lukr dÜkj Nk=ofÜk; k					
6.5(i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	2006—07	1000	2/3 वर्ष	अनुसूचित जाति —665 अनुसूचित जनजाति —335 कुल —1000	4.78
6.5(ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005—07	कोई सीमा नहीं	2 वर्ष अथवा 20 माह	3192	8.46 रुपये
6.5(iii) गेट अर्हता प्राप्त एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	लंबे समय से	1400	2/3 वर्ष	1200	17.42 रुपये
6.5(iv) विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्तियाँ	2005—07	3000	2 वर्ष	976	2.87 रुपये
6-6 Lukr dio' Nk=ofÜk; k					
6.6(i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना	2014—15	10000	स्नातकपूर्व स्तर की पूर्ण अवधि के लिए	10,000	

* योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है, केवल पुराने मामलों को ही वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में 69 शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

;ktuk&okj ykHkFk; k dh l[;k % 2014&15

;ktuk&okj ykHkFk; k dh l[;k % 2014&15



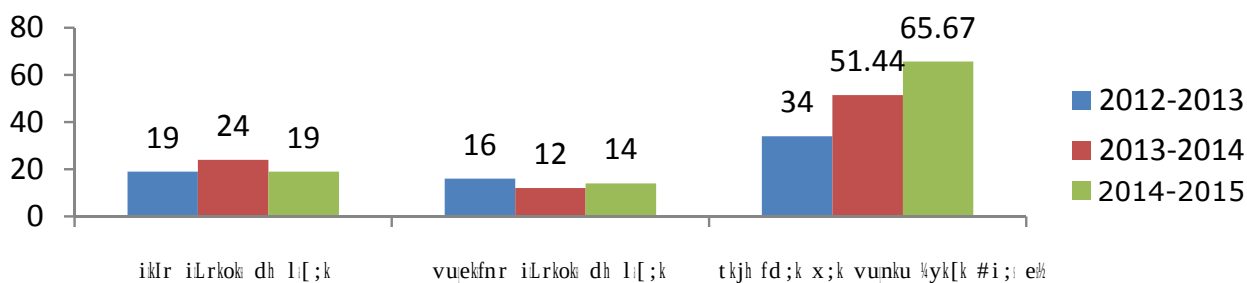
6.7 विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना।

योजना का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं में विशिष्ट क्रियाकलापों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विषय आधारित संघों को सहायता देना है ताकि शिक्षकों तथा शोधार्थियों को पत्र प्रस्तुत करने हेतु सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके जिससे पत्रों का प्रकाशन हो सके। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4695352_guidelines-for-incentivisation-of-teachers.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

ckjgoh ipo"kh; ; ktuk vFkk'r o"K 2012&17 %2014&15% d nkjku Hkxrku fd; x; vunku dh jkf'k

o"K	iLrkok dh l[;k		tkjh fd;k x;k vunku %yk[k #i; e#	dy %yk[k #i; e#
	iklr	vuekfmr		
	fo'ofok ky;	fo'ofok ky;		
2012—2013	19	16	34.00	34.00
2013—2014	24	12	51.44	51.44
2014—2015	19	14	65.67	65.67
dy%	62	42	151-11	151-11

रेखाचित्र 6.7 : बारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षकों को प्रेरित करने के संबंध में प्राप्त हुए प्रस्ताव-अनुमोदित प्रस्ताव –जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में):



6.8 खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना

खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों सहित पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत तथा राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं अथवा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस, अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा एशिया ओलम्पिक समिति (ओसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र की पात्रता के अध्यधीन, प्रत्येक मामले में प्राप्त ब्यौरे के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों को वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति की जाती है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रोफार्मा के अनुरूप विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित तथा सत्यापित संगत दस्तावेजों को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट <http://www.ugc.ac.in/oldpdf/xiipdf/medal-winners-guidelines.pdf> से प्राप्त किया जा सकता है।

योजना के तहत, वर्ष 2014-15 के दौरान, अब तक 70 लाभार्थियों को 40.00 लाख रुपये के व्यय की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

6.9 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय में मूलभूत वैज्ञानिक शोध को पुनर्जीवित करने के लिए एक कृतबल का गठन किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कृतबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु यूआईसीटी मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में प्रथम अधिकार प्राप्त समिति का गठन मई, 2005 में किया था। समिति ने मार्च, 2014 तक लगभग 8 वर्ष तक की अवधि तक कार्य किया। तत्पश्चात्, कृतबल की सिफारिशों को लागू करने के लिए नवम्बर, 2014 में डॉ० अनिल सहस्रबुद्धि की अध्यक्षता में दूसरी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

कृतबल की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6-9%1% vki'ku QidYVh jhpkti %,Qvkjih%

'ऑपरेशन फैंकल्टी रीचार्ज' को वर्ष 2001 में आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन द्वारा भरा जाना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमें प्रो० आर० पी० गांधी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो० सुदेश नागिया सह-समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। वर्तमान में 163 संकाय अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह-आचार्यों का चयन किया जा चुका है जिसमें से 77 ने कार्य ग्रहण कर लिया है।

संकायों अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह-आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष है जिसके पश्चात् सहकर्म समीक्षा (पीयर-रीव्यू) की जायेगी। सिद्धांत रूप में "फैंकल्टी रीचार्ज" पदों को अधिवर्षिता की आयु (65 वर्ष) तक जारी रखा जा सकता है। पांच वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल में मध्यावधि मूल्यांकन का उपबंध है।

foUkh; lgk;rk%

oru% वि०अ०आ०-संकाय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय के समकक्ष परिलब्धियां प्राप्त होती हैं।

vfrfjDr vunku%

संकाय पदधरियों को शोध हेतु 7.00लाख रुपये तक का स्टार्ट-अप अनुदान प्राप्त होता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से चयनित संकायों को वेतन तथा स्टार्ट-अप अनुदान के लिए 6.92 करोड़ रुपये जारी किये गये ।

6.10 नेटवर्किंग शोध केन्द्र: समर-विंटर स्कूल

नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत है:-

1. समय-समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा शोध विद्वानों का शोध प्रशिक्षण तथा कौशल विकास ।
2. संकाय एवं विभागों को उनके शोध कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण ।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना ।
4. अन्य संस्थानों/शोधकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त अनुसंधान संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना ।
5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक अनुसंधान अवसंरचना तथा अन्य अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उनका निर्माण करना ।

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नवत 10 विभागों को अनुमोदित किया गया है :

Ø- 1-	fo'ofok ky ; dk uke	folkkx	LFkkiuk dk o"ki
1.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	जीव विज्ञान	2008
2.	कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	2008
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	रसायन	2008
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	पदार्थ अभियांत्रिकी	2008
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	रसायन अभियांत्रिकी	2008
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	जीव विज्ञान का एक भाग	2008
7.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	भेषज विज्ञान	2008
8.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	भौतिकी	2008
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	जीव-जन्तु विज्ञान विद्यालय	2008
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	भौतिकी	2014-2015

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2014-15 के दौरान दो विभागों के लिए अब तक 7.61 करोड़ रुपये जारी किये गये थे ।

6.11 भर्ती हुए नये संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट-अप' अनुदान

इस योजना के तहत ऐसे सभी शिक्षक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी0एच0डी0 उपाधि धारक हों तथा जिनके अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों । जो सहायक आचार्य, विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष विभाग/विश्वविद्यालयों में पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के दौरान आवेदन करेंगे वे वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नये भर्ती हुए 425 संकाय सदस्यों को 25.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई ।

6.12 बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को "एकमुश्त अनुदान"

इस एकमुश्त अनुदान "योजना" के तहत शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 7.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है । इस अनुदान को छोटे-मोटे उपकरण, रसायन की आकस्मिक आवश्यकता तथा क्षेत्र कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है ।

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का प्रयोजन अपने विशिष्टता प्राप्त क्षेत्र में शोध जारी रखना है । न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

- सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व कम से दो वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए ।
- आवेदन की तिथि तक सेवावधि के दौरान कम से कम 15 पीएचडी प्रदान की हो और पिछले पांच वर्षों के दौरान 5 पीएचडी प्रदत्त की हो ।

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/उद्योग द्वारा निधि प्राप्त कम से कम पांच प्रायोजित शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और साथ ही प्राप्त निधि का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
- वर्तमान में चलाई जा रही शोध परियोजनाएं और उनके मार्गदर्शन में कार्यरत पीएचडी 'उम्मीदवारों' का ब्यौरा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "एकमुश्त अनुदान" प्राप्त करने के संबंध में एक पृष्ठ में औचित्य के साथ अनुदान के उपयोग की विशिष्ट योजना प्रस्तुत की जाये।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य कर रहे 33 शिक्षकों को 2.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.13 महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान

शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विज्ञान के स्नातकोत्तर स्तर के शोध सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जलापूर्ति, सुरक्षा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु मेज एवं अपेक्षित अन्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विभागों को विकास अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

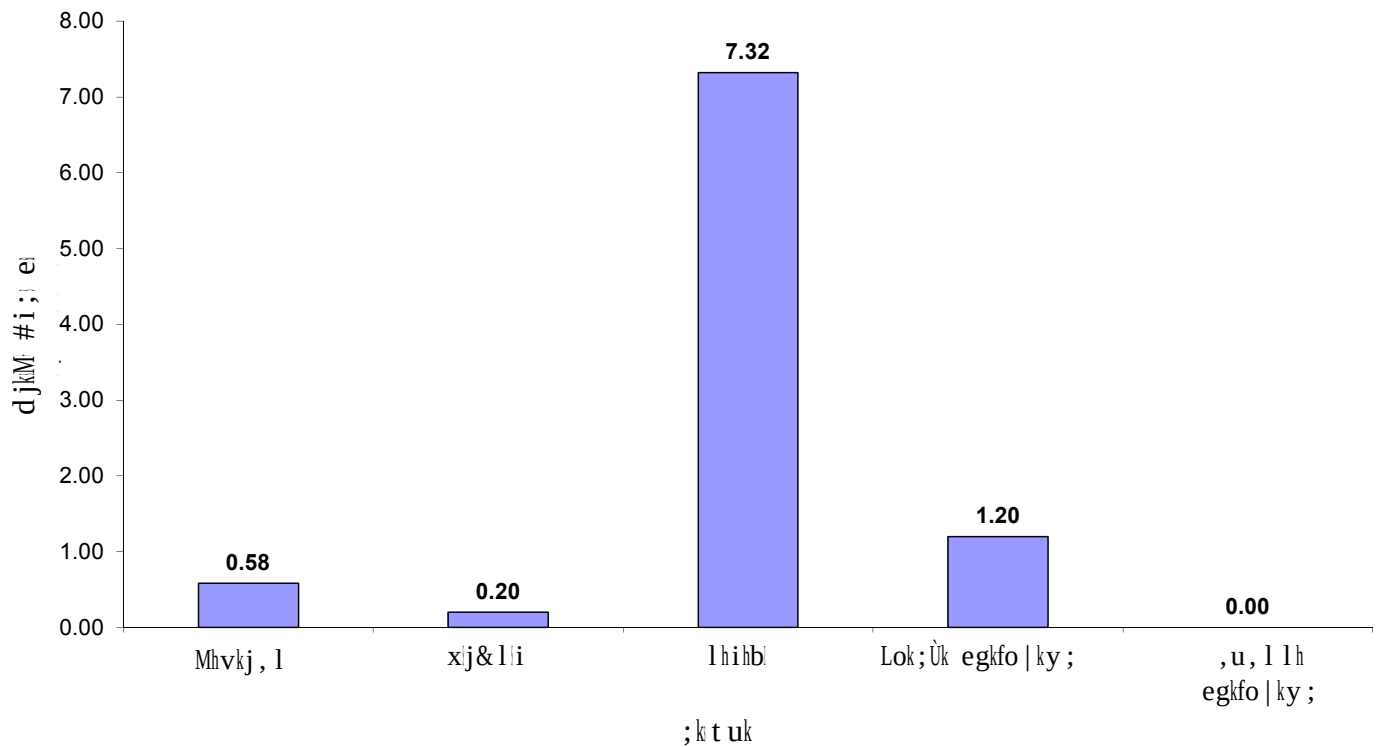
वर्ष 2014-15 के दौरान एसएपी विभागों, स्वायत्त महाविद्यालयों, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों, गैर-एसएपी विभागों, एनएएसी प्रत्यायित महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

Ø- l- ;ktuk dk uke	vuekfur ifj.kke	ykHkkFFk; k dh Lk[;k												
1. एसएपी विभागों (सीएस विभागों/डीएसए विभागों/डीआरएस विभागों) के लिए अवसंरचना विकास अनुदान	<u>Mh,,l gr</u> प्रथम किस्त: 20 लाख रुपये दूसरी और तीसरी किस्त: 20 लाख रुपये <u>Mh,l,@lh,,l gr</u> प्रथम किस्त: 20 लाख रुपये दूसरी और तीसरी किस्त: 30 लाख रुपये	<u>Mhvkj,l gr</u> 05 विभाग												
2. गैर-सैप विभागों हेतु अवसंरचना अनुदान	<u>xj&li</u> (पी0एच0डी0 प्रस्तुत किए जाने पर) <u>iFke fdLr</u> <table border="1"> <tr> <td><u>ldk; lnL;k dh Lk[;k</u></td><td><u>fiNy; 5 o"kk d nkjku inRr ih,-p-Mh- dh li[;k</u></td><td><u>lLr;r voljpukRed vunku %j'k ₹ e</u></td></tr> <tr> <td>5 और अधिक</td><td>10 और अधिक</td><td>10 लाख</td></tr> <tr> <td>10 और अधिक</td><td>20 और अधिक</td><td>15 लाख</td></tr> <tr> <td>15 और अधिक</td><td>25 और अधिक</td><td>25 लाख</td></tr> </table> इस संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुदान की समान राशि द्वितीय किस्त के रूप में संस्वीकृत की जा चुकी है।	<u>ldk; lnL;k dh Lk[;k</u>	<u>fiNy; 5 o"kk d nkjku inRr ih,-p-Mh- dh li[;k</u>	<u>lLr;r voljpukRed vunku %j'k ₹ e</u>	5 और अधिक	10 और अधिक	10 लाख	10 और अधिक	20 और अधिक	15 लाख	15 और अधिक	25 और अधिक	25 लाख	<u>xj&li gr</u> 01 विभाग
<u>ldk; lnL;k dh Lk[;k</u>	<u>fiNy; 5 o"kk d nkjku inRr ih,-p-Mh- dh li[;k</u>	<u>lLr;r voljpukRed vunku %j'k ₹ e</u>												
5 और अधिक	10 और अधिक	10 लाख												
10 और अधिक	20 और अधिक	15 लाख												
15 और अधिक	25 और अधिक	25 लाख												
3. उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय की अवसंरचना	<u>lhbb d nt! oky foKku egkfo ky;k gr</u> अवसंरचनात्मक विद्युत आपूर्ति, संरक्षा उपकरण, फ्यूम हूड और काम करने की मेज आदि की व्यवस्था करने के लिए विज्ञान विभागों को प्रथम किस्त के रूप में प्रति विज्ञान विभाग 5.00 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है।	14 महाविद्यालय												
4. स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु अवसंरचनात्मक अनुदान	<u>Lok;r nt! oky foKku egkfo ky;k gr</u> अवसंरचनात्मक विद्युत आपूर्ति, संरक्षा उपकरण, फ्यूम हूड और काम करने की मेज आदि की व्यवस्था करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों को प्रथम किस्त के रूप में 10.00 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है।	06 महाविद्यालय												
5. एनएएसी प्रत्यायित स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालयों हेतु अवसंरचना अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पुरानी पद्धति के अनुसार न्यूनतम बीबी++स्तर तथा नई पद्धति के अनुसार न्यूनतम बी स्तर के एनएएसी प्रत्यायित विज्ञान के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु 10 लाख रु0 की एकमुश्त अनुदान राशि उपलब्ध कराता है।	शून्य												
dy		26												

रक्यद 6-13% ०" 2014&15 दऱ fy, tkjh fd;k x;k vunku

Ø- 1-	;ktuk dk uke	०" 2014&2015 दऱ fy, tkjh fd;k x;k vunku %djkm : i; e#
1.	डीआरएस	0.58
2.	गैर-सैप	0.20
3.	सीपीई	7.32
4.	स्वायत्त महाविद्यालय	1.20
5.	एनएएसी महाविद्यालय	.
dy#		9-30

j:[kkfp= 6-13 % egkfo|ky; k@fo'ofok|ky; foHkkxk ei voljpuk dk ln< dju दऱ fy,
;ktukokj tkjh fd;k x;k fodkl vunku



लिंग तथा सामाजिक समानता

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास तथा उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण

भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास तथा उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय प्रणाली में एक सांविधिक विभाग के रूप में स्थापित कर उन्हें सुदृढ़ करना तथा पोषित करना है। साथ ही अन्य घटकों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता को सुकर बनाना है जिससे वे एक-दूसरे को सहारा दे सकें साथ ही एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सकें और साथ ही बेहतर लिंग संतुलन हेतु उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। जाति/वर्ग/धर्म, समुदाय तथा पेशे की सीमाओं से परे भागीदारी तथा कार्यवाही, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं ज्ञानवर्धन कर क्षेत्रगत परियोजनाएं विकसित करने साथ ही इस नेटवर्क में अधिकाधिक लोगों और संगठनों को शामिल करने पर विशेष बल दिया गया है ताकि इस नई उभरते हुई विधा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजनाओं के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/8004557_WS-Guidelines_XII-Plan_Revised-Final.pdf पर उपलब्ध है।

दिनांक 31.03.2015 तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 153 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे तथा कार्य कर रहे थे।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण योजना के तहत, 205 संवेदनशील बनाना/जागरूकता पैदा करना/प्रोत्साहन देना (एसएएम), 22 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी), 13 प्रबंधन कौशल उन्नयन मॉड्यूल (एमएसईएम) तथा 05 पुनश्चर्या कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'भारतीय विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों के विकास हेतु योजना' के तहत दिनांक 03.03.2015 तक 27.00 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका था जिसमें से वर्ष 2014-15 तक 9.54 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका था।

7.2 सामाजिक बहिष्करण और समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना

सामाजिक बहिष्करण से केवल तनाव, हिंसा और विघटन ही पैदा नहीं होता है अपितु इससे समाज में असमानता और सुविधावंचन भी पैदा होता है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के लाभ प्राप्त करने के मामले में प्रणालिगत बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्करण एक जटिल और बहु-आयामी संकल्पना है जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और अस्वैच्छिक प्रवास जैसी आर्थिक-समष्टिभाव कारकों के परिणामतः इस व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों से वंचित कर दिया जाता है। बहिष्करण के जिस मुख्य स्थान का अध्ययन किया जा सकता है, उसे भली-भांति समझा जा सकता है और इसका अनुभव किया जा सकता है, वे हैं हमारे विश्वविद्यालय जो समाज के लिए आदर्श हो सकते हैं तथा जिन्हें आदर्श बनना चाहिए। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले अनुसंधानों को सहायता देने का निर्णय लिया है जिसका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्त्व है। इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण-सह-शोध केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/2118716_social-exclusion-colleges.pdf पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार आवर्ती तथा अनावर्ती मदों के तहत केन्द्रों के उपर्युक्त कार्यकरण हेतु चयनित विश्वविद्यालयों को शतप्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

योजना के आरंभ होने से लेकर आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र स्थापित किये हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रों को 777.00 लाख रुपये का अनुदान जारी किया है।

7.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना

भारतीय समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें मात्र नौकरियाँ उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार करना है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्यों में इस आरक्षण को उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

आयोग ने “विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की स्थापना” की योजना वर्ष 1983 में आरंभ की थी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु उपर्युक्त योजना के संशोधित दिशानिर्देश आयोग के विचाराधीन हैं।

7.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों हेतु विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रवेश, शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर पदों पर आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति का भी गठन किया है। समिति में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञ, पूर्व कुलपति तथा विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। आरक्षण की स्थिति तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बैकलॉग रिक्तियों की निगरानी करने के लिए स्थायी समिति की समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है। स्थायी समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। बैठक में, प्रवेश, शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों तथा अन्य संबद्ध मामलों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नीति के मूल्यांकन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। स्थायी समिति की पिछली बैठक दिनांक 25.11.2014 को आयोजित हुई थी।

7.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजनाएं

7-5d½ vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr@vU; fiNMk oxl ¼vliiUu ox½ rFkk vYil l[;d lenk; d Nk=½ d fy, mipkjh vuf'k{k.k ;ktuk,½

विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान, शैक्षणिक कौशल तथा भाषा संबंधी कौशल में सुधार करने और उसे सुदृढ़ के उद्देश्य से स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

7-5[½½ vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr@vU; fiNMk oxl ¼vliiUu ox½ rFkk vYil l[;d lenk; d Nk=½ d fy, uV@lV gr vuf'k{k.k

योजना का मुख्य उद्देश्य नेट/सेट परीक्षा में बैठने वाले अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना है।

7-5½x½ vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr@vU; fiNMk oxl ¼vliiUu ox½ rFkk vYil l[;d oxl d Nk=½ d fy, lokvk ei io'k gr vuf'k{k.k d{kk,½

अनुशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को 'क', 'ख', और 'ग' समूह की केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं अथवा निजी क्षेत्र में समकक्ष स्तर का लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित करना है।

उपर्युक्त प्रत्येक योजना हेतु वित्तीय सहायता निम्नवत है:

fo'ofok ky; gr vunku dh vfekdre lhek

अनावर्ती : 5.00 लाख रुपये (एकमुश्त)

आवर्ती : 7.00 लाख रुपये

egkfo ky; gr vunku dh vfekdre lhek

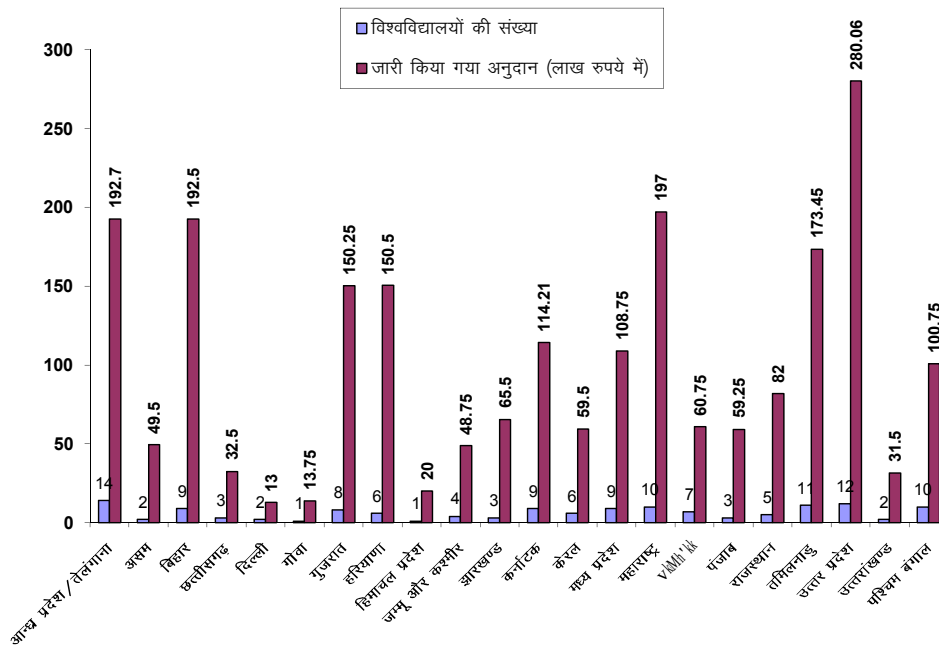
अनावर्ती : 5.00 लाख रुपये (एकमुश्त) {नेट/सेट अनुशिक्षण हेतु 3.50 लाख रुपये (एकमुश्त)}

आवर्ती : 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष (नेट/सेट अनुशिक्षण हेतु 1.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष)

अवधि — पांच वर्ष

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, अब तक 137 राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अनुशिक्षण योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के तहत 2195.67 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

j:[kkfp= 7-5% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vofèk d nkjku vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr@vU; fiNMk ox@ vYilI[: d Nk=k d fy, vuf'k{k.k ;ktukvk d rgr tkjh fd; x; vunku rFkk vuekfnr fo'ofokky; k dh jkT; okj lI;k



7.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक छात्रों हेतु अनुशिक्षण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों हेतु अनुशिक्षण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की दिनांक 12 नवम्बर, 2014 तथा 21 जनवरी, 2015 को दो बैठकें आयोजित की गईं।

7.7 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) का गठन करने की योजना तैयार की है। समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान किये गये अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

ik=rk

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत आते हैं तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

fo'ofokky; gr vunku dh vfèkdre lhek

2.00 लाख रुपये प्रति योजना

egkfo|ky; gr vunku dh vfèkdre lhek

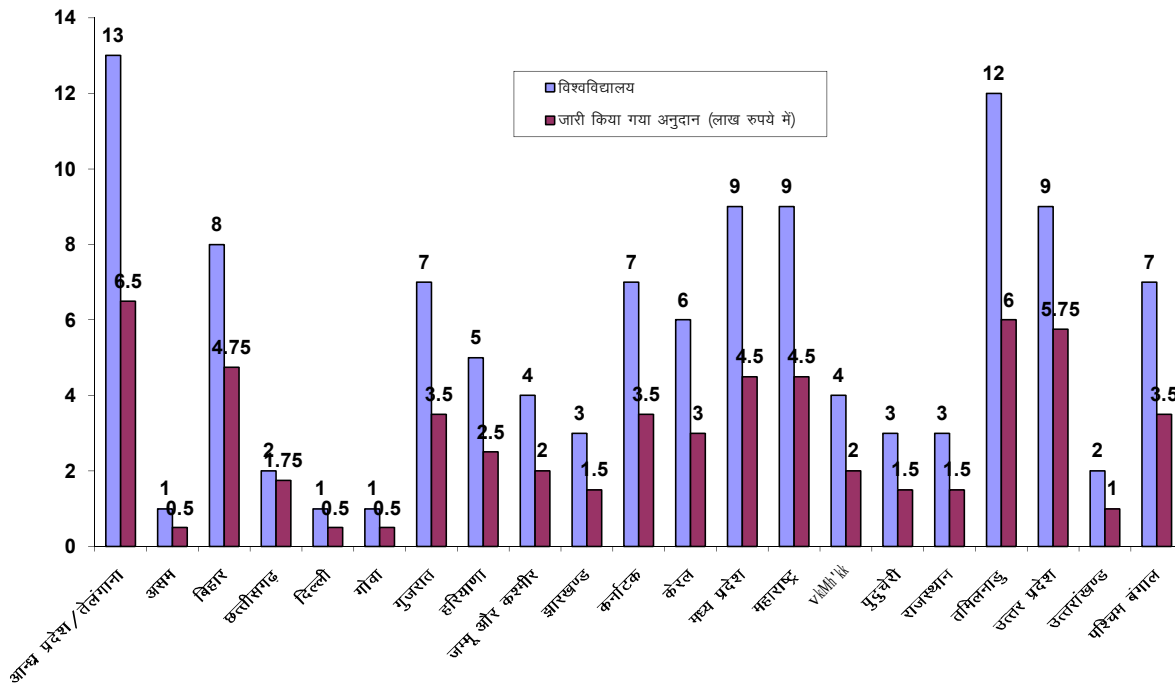
स्नातकोत्तर : 75,000 /—रुपये प्रतिवर्ष

स्नातकपूर्व : 55,000 /—रुपये प्रतिवर्ष

vofèk 05 वर्ष

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, समान अवसर प्रकोष्ठ योजना के तहत अब तक 116 राज्य विश्वविद्यालयों को 60.75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

j:[kfp= 7-7% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk vofèk d nkjku leku volj idk"Bk dh LFkkiuk dh ;ktuk d rgr tkjh fd; x; vunku %yk[k #i; e% rFkk ykHkkfFk; k %fo'ofokj; dh jkT;okj l; k



7.8 निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए गुणवत्तायुक्त जीवन, स्वतंत्रता, न्याय एवं सम्मान सुनिश्चित करता है तथा संविधान अन्तर्निहित तौर से यह अधिदेशित करता है कि निशक्त व्यक्तियों सहित समस्त व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बने। पिछले कुछ वर्षों से निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में काफी बड़ा एवं सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा अनुभव किया गया है कि निशक्तता से ग्रस्त ऐसे अधिकांश व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने तथा उन्हें प्रभावी पुर्नवास उपाय उपलब्ध कराये जाने पर वे जीवन का बेहतर ढंग से निर्वाह कर सकते हैं।

निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार पृथक रूप से शारीरिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों की शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देशभर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है तथा उन्हें विशेष शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों में शामिल कर निशक्त व्यक्तियों को सशक्त बना रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों को समस्त नीति-विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें निशक्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोजगार के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए सभी विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित किया गया था जिसमें उनसे अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई के साथ अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निशक्त व्यक्तियों के हित के लिए योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने रोजगार तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों प्रवेश हेतु निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की नीति की निगरानी करने तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को आयोजित हुई थी।

7-8%fu'kDr 0;fDr;k grj mPprj f'k{kk %,pbih,l,u%

mI';

एचईपीएसएन योजना का उद्देश्य मूल रूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा अधिगम के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना, विनिर्माण का उद्देश्य

पहुंच में सुधार करना, शिक्षण अनुभव को सम्पन्न बनाने के लिए उपस्कर का क्रय करना—इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियां हैं।

ik=rk

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत आते हैं तथा धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

fo'ofokky; gr|vunku dh vfekdre lhek

घटक-I	: 1.18 लाख रुपये प्रतिवर्ष
घटक-II	: 10.00 लाख रुपये प्रति योजना
घटक-III	: 8.00 लाख रुपये प्रति योजना

egkfo|ky; gr|vunku dh vfekdre lhek

घटक-I	: 98,000/- रुपये प्रतिवर्ष
घटक-II	: 5.00 लाख रुपये प्रति योजना
घटक-III	: 1.50 लाख रुपये प्रति योजना

vofek - पांच वर्ष

7-8 %██ fo'k" f'k{kk gr| f'k{kdk dk if'k{k.k inku djuk %Vhbih, lb%

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने हेतु टीईपीएसई योजना का उद्देश्य विशेष तथा समावेशी परिवेश में निशक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ करना है। योजना के अंतर्गत निशक्तता के किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बी.एड. तथा एम.एड. उपाधि पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

mle' ;

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने हेतु टीईपीएसई योजना का विशिष्ट उद्देश्य विश्वविद्यालयों को एम.एड. विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि विशेष शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सेवा करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

ik=rk

बी.एड. तथा एम.एड. उपाधि स्तर पर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निम्नवत शर्तों पर सहायता प्रदान की जा रही है।

1. विश्वविद्यालय विभाग के पास विशेष शिक्षा में संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए भारतीय पुर्नवास परिषद् का अनुमोदन होना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय में एक आदर्श विद्यालय होना चाहिये जहां निशक्त बच्चों की भर्ती किया जाये। अपना स्वयं का आदर्श विद्यालय न होने पर विश्वविद्यालय को लिखित में यह देना होगा कि वह निकट स्थित एक विशेष/समेकित विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकार करेगा।
3. विश्वविद्यालय को बी.एड. स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
4. विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों से निशक्तता के क्षेत्र में विशेषज्ञ तथा स्वयं निशक्त व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। संबंधित योजना(ओं) से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित की जानी चाहिये।
5. योजना के लिए आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय को वि.अ.आ. की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत अनुमोदित होना चाहिये।

foUkh; lgk;rk

बी.एड. विशेष शिक्षा अथवा एम0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए 2.00 लाख रुपये (योजनागत अवधि)।

बी.एड. तथा एम.एड. दोनों विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए 4.00 लाख रुपये (योजनागत अवधि)।

vofek & पांच वर्ष

7-8 ¼III½ –f"Vckfèkr f'k{kdk d fy, foÙkh; lgk;rk

mİ';

योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और अधिगम उपकरणों की सहायता से ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है। दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को 18,000/– रुपये प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जायेगा।

ik=rk

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 के तहत धारा 2 (च) के तहत आते हैं तथा धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

fo'ofok|ky;@egkfo|ky; gr|vunku dh vfèkdre lhek

36,000/– रुपये प्रतिवर्ष

प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ करना

स्नातकपूर्व स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना (1994-95) के दौरान आरम्भ किए गए थे जिन्हें शिक्षा को वृत्ति उन्मुखी बनाने/जीविकोन्मुखी कार्यक्रम/जीविकोन्मुखी पाठ्यक्रम की संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 में पुनः तैयार किया गया था।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने वाले स्नातकों के पास सामान्य रूप से श्रम क्षेत्र में तथा विशिष्ट रूप से स्व-रोजगार के क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल तथा अभिरुचि हो ताकि निष्णात उपाधि कार्यक्रमों हेतु अधिगम के उच्चतर संस्थानों पर दबाव को कम किया जा सके। ये पाठ्यक्रम परम्परागत बी.ए., बी.काम और बी.एस.सी. उपाधि कार्यक्रमों के समानान्तर चलाए जाते हैं। पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा के रूप में पढ़ाए जाते हैं जिन्हें विद्यार्थी परम्परागत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. उपाधि कार्यक्रमों के समानांतर कर सकते हैं।

अध्ययन कराए जाने वाले पाठ्यक्रम अंतर-विषयक स्वरूप के हैं। विद्यार्थी को न केवल अपनी मुख्य विधा से इतर विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण की स्वतंत्रता होगी अर्थात् कोई विज्ञान का विद्यार्थी अपने अध्ययन के साथ-साथ समारोह प्रबंधन (ईवेन्ट मैनेजमेन्ट) कार्यक्रम का अध्ययन कर सकता है और मानविकी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को विज्ञान, पत्रकारिता आदि में पाठ्यक्रम अध्ययन करने का विकल्प उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुमोदित अतिरिक्त (एड-ऑन) पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

- (क) मानविकी तथा वाणिज्यिक विधा में पांच वर्षों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 7 लाख रुपए की एकमुश्त 'सीड मनी' (प्रारंभिक राशि)।
- (ख) विज्ञान विधा में प्रति पाठ्यक्रम पांच वर्षों के लिए 10 लाख रुपए की 'सीड मनी'।

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया कि महाविद्यालयों के संबंध में कैरियरोन्मुखी पाठ्यक्रम की योजना को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा जबकि विश्वविद्यालय के संबंध में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीओसी ब्यूरो द्वारा लागू किया जायेगा।

फरवरी, 2013 के माह में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता हेतु 522 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों का चयन किया गया तथा वर्ष 2014-15 के दौरान कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रम योजना के तहत 353 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को निधियां उपलब्ध कराई गईं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2012-17 के लिए 2014-15 के लिए निम्नलिखित निधियां उपलब्ध कराई गईं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2014-15 के लिए निम्नलिखित निधियां उपलब्ध कराई गईं।

8.2 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा कमियों के साथ उभरा है। शीत युद्ध के बाद के समय के संदर्भ में जब वैश्विकरण अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एजेन्डा निर्धारित कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शर्तों को निर्धारित कर रहा है, कार्यक्रम को इसके शैक्षिक बल, पद्धति तथा संगठनात्मक प्ररूप पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- क.) क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना।
- ख.) उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना।
- ग.) क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना।
- घ.) विशेषरूप से देश के आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराना।

ड) विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना।

च) अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों के तहत 08 केन्द्र (दिनांक 01.04.2011 से 31.04.2016 की अवधि के लिए) तथा 40 केन्द्र (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 अवधि के लिए) कार्य कर रहे थे।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 4.10 करोड़ रुपए की राशि (01.04.2012 से 31.03.2013 तक) तथा 6.82 करोड़ रुपए की राशि (01.04.2013 से 31.03.2015 तक) जारी की।

{k= v/;;u dUnk dh lph uhp nh xb g%&

LFkkiuk dk o"ki	fo'ofok ky; dk uke	dUn dk uke
1987	आंध्र विश्वविद्यालय	सार्क अध्ययन हेतु केन्द्र
2011	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अध्ययन हेतु केन्द्र
1976	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	नेपाल संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
2011	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	इंडीक तथा एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
1978	कोलकाता विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
2005	कोलकाता विश्वविद्यालय	पाकिस्तान और पश्चिम एशियाई अध्ययन हेतु कार्यक्रम
2007	कोलकाता विश्वविद्यालय	चीन और पड़ोसी देशों के अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	दिल्ली विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययन संबंधी केन्द्र
2002	दिल्ली विश्वविद्यालय	कनाडाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
1964	दिल्ली विश्वविद्यालय	पूर्व एशिया अध्ययन विभाग (डीईएस)
2007	दिल्ली विश्वविद्यालय	विकासशील देश संबंधी शोध केन्द्र
1988	गोवा विश्वविद्यालय	लैटिन अमरीकी अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	हेमचंद्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय	भारतीय डायस्पोरा और सांस्कृतिक अध्ययन हेतु कार्यक्रम
1996	हैदराबाद विश्वविद्यालय	भारतीय डायस्पोरा संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	रणनीतिक तथा क्षेत्रीय अध्ययन हेतु केन्द्र
1994	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	संघीय अध्ययन संबंधी केन्द्र
2006	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन कार्यक्रम
2007	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	मध्य एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
2011	जामिया मिलीया इस्लामिया	अफगानिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
2011	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	चीन संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	यूरोपीय अध्ययन संबंधी केन्द्र
2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	फ्रान्को-फोन, सब-सहारा अफ्रीकी अध्ययन संबंधी केन्द्र
1978	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन हेतु खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम केन्द्र
1978	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	रूसी, मध्य एशियाई तथा पूर्वी यूरोपीय अध्ययनों हेतु केन्द्र
2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
2001	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	आंतरिक एशियाई देशों के अध्ययनों हेतु केन्द्र
1983	कश्मीर विश्वविद्यालय	मध्य एशिया के संबंध में अध्ययन केन्द्र
2002	केरल विश्वविद्यालय	कनाडाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
1971	मुंबई विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययनों हेतु केन्द्र
1971	मुंबई विश्वविद्यालय	यूरेशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
1997	मद्रास विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	मणिपुर विश्वविद्यालय	म्यांमार संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
1989	मणिपुर विश्वविद्यालय	मणिपुर संबंधी अध्ययन केन्द्र
2002	एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा	कनाडा अध्ययन संबंधी केन्द्र
2011	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	समसामयिक चीनी अध्ययनों संबंधी केन्द्र (आईसीसीएस)
1978	नार्थ बंगाल युनिवर्सिटी	हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
1983	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	हिन्द महासागर संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
2011	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	यूरोपीय अध्ययन हेतु केन्द्र
2014	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	सामुद्रिक अध्ययन हेतु केन्द्र
2007	पंजाबी विश्वविद्यालय	दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया (पाकिस्तान – अफगानिस्तान) हेतु केन्द्र
2014	पंजाबी विश्वविद्यालय	पंजाब/पंजाबी डायस्पोरा पर विशेष बल के साथ भारतीय डायस्पोरा में उच्च अध्ययन तथा शोध हेतु केन्द्र
2011	पुणे विश्वविद्यालय	एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
1963	राजस्थान विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र

LFkkiuk dk o"k	fo'ofok ky; dk uke	dUn dk uke
2011	राजस्थान विश्वविद्यालय	यूरोपीय अध्ययन हेतु केन्द्र
2002	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	कनाडाई अध्ययन संबंधी केन्द्र
1976	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	दक्षिणपूर्वी एशियाई तथा प्रशान्त अध्ययन हेतु केन्द्र
2014	केन्द्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय	तिब्बती साहित्य के अध्ययन हेतु केन्द्र

8.3 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने नवीन विचार विकसित किये तथा भारत को सांस्कृतिक तथा सदाचारी देश की पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों से परिचित कराने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें सृजनात्मक कार्यों के अध्ययन, शोध तथा क्षेत्र कार्य आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रम में शामिल किए जाने की भी जरूरत है। भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों संबंधी अध्ययन योजना (विशेष अध्ययन) को वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था तथा यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी है।

mī'; RkFkk e[; fo'k"krk,

योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को महान चिंतकों और सामाजिक नेताओं/सुधारकों के विचारों और दृष्टिकोण से अवगत कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष अध्ययन हेतु केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

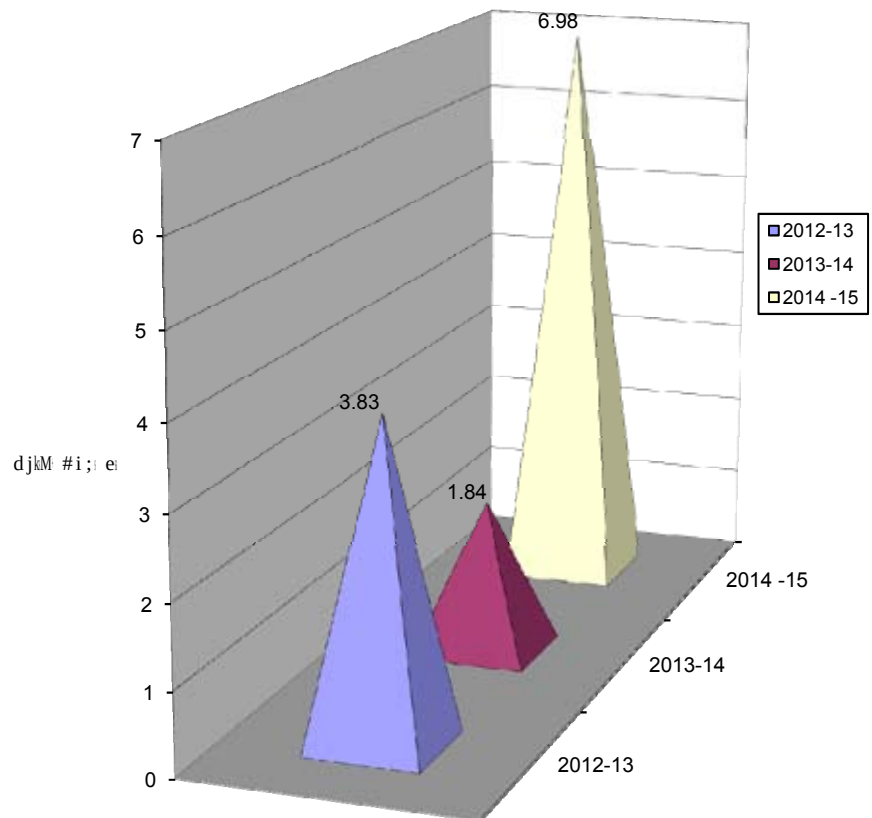
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की अधिकतम सीमा: आवर्ती अनुदान के रूप में 7,50,000/— रुपये तथा अनावर्ती अनुदान के रूप में 3,00,000/— रुपये (अध्यक्षपीठ की स्थापना के समय एकमुश्त)

‘भारत के युगप्रवर्तक सामाजिक चिंतकों’ संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 404 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। यह योजना सभी लाभार्थियों (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, अ0जा0/अ0ज0जा0 आदि) के लिए है।

ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku
o"k okj fd, x, vunkuk d Hkxrku
¼2012&17½ dk C;kjk

2012-13	3.83 करोड़ रुपये
2013-14	1.84 करोड़ रुपये
2014-15	6.98 करोड़ रुपये
dy	12-25 djkm #i;

j[kkfp= 8-3% ckjgoh ipo"kh; ;ktuk d nkjku ;x iorid lkekftd
fopkjdk dh ;ktuk d rgr o"kokj vunku dk Hkxrku
¼djkm #i; e½



8.4 मानवाधिकार शिक्षा (एचआरई)

❖ ekuokfèkdj vkj dÙk0;

जबकि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है कतिपय वर्गों में यह सोच व्याप्त थी की जबकि अधिकारों की शिक्षा तो प्रदान की जाती है, कर्तव्यों के मुद्दे पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे समाज में जहां शताब्दियों से केवल कर्तव्यों पर ही बल दिया गया, अधिकारों की शिक्षा प्रदान किये जाने से ऐतिहासिक विकृतियों का समाधान किया गया है। अधिकारों के उल्लंघन को केवल उस स्थिति में ही ठीक किया जा सकता है जब सम्पन्न व्यक्तियों को समाज में हाशिये पर जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रति उनके कर्तव्यों को स्मरण कराया जाये तथा समाज में हाशिये पर जीवनयापन करने वाले लोगों को अधिकारों की शिक्षा के माध्यम से शनैः-शनैः सशक्त बनाया जाये। इन स्तरों पर मानवाधिकार की शिक्षा लिंग समानता, जाति तथा सामुदायिक संबंधों, बहुसंख्यक-अल्पसंख्यकों के बीच विवाद, 'अगड़ों और पिछड़ों' की समस्या तथा उत्तर-दक्षिण के बीच शक्ति संबंध जैसे क्षेत्रों में प्रदान की जायेगी। संक्षेप में, अधिकारों तथा कर्तव्यों के पुनर्गठन के माध्यम से सभी प्रकार के शक्ति संबंध को मानवीय तथा जनतांत्रिक बनाया जाना चाहिये।

❖❖ ekuokfèkdj vkj eY;

मानवाधिकार की शिक्षा के तहत मूल्यों की शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रीत किया जायेगा:

- (क) इसके एक उद्देश्य में, मूल्यों के प्रति जागरूकता तथा प्रतिबद्धता का विकास किया जाना है जहां व्यक्ति विशेष के स्वयं के हित का समग्र तथा व्यापक उद्देश्य हेतु एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाये।
- (ख) वैश्विक मूल्यों तथा संस्कृति द्वारा निर्धारित यथार्थवादी मूल्यों के संबंध में एक वाद-विवाद होना चाहिये। वैश्विक परंतु विखंडित विश्व में वैश्विक मूल्यों की खोज का और भी महत्व हो जाता है।
- (ग) बहुलवाद, सभी धर्मों के लिए आदर, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, खुला मस्तिष्क जनता द्वारा जवाबदेही आदि मूल्य, यह सभी लंबे समय से भारतीय परम्परा का भाग रहे हैं, इन्हें संजोकर रखना होगा तथा बढ़ावा देना होगा।

❖❖❖ ekuokfèkdj rFkk ekuo fodkl

अधिकार केवल मानक नहीं होते हैं, परंतु समाज के संसाधनों के आवंटन में नागरिकों का भी अधिकार होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर रही है परंतु इसके साथ-साथ आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। इस बात को समझने की आवश्यक है कि विकास संबंधी आवश्यकताओं तथा समानता संबंधी चिंताओं पर एक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। किसी भी स्तर के भौतिक विकास से मानव संतुष्ट नहीं होगा जबतक कि इसमें मानव जीवन को महत्व न दिया जाये तथा इसमें ऐसी परिस्थितियां न हो जिससे मानव क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन हो सके। विकास के केन्द्र में मानव है। राष्ट्र पर अधिकारों के संवर्धन तथा प्रवर्तन का दायित्व है और अधिकारोन्मुखी विकास को साकार करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इन दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तो संतुलित मानव विकास होगा। मानवाधिकार की शिक्षा में यह सब घटक शामिल होंगे।

योजना के तहत वि.अ.आ. द्वारा निम्नवत क्रियाकलापों हेतु सहायता प्रदान की जायेगी:

- क) शोध
- ख) शिक्षण
- ग) संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का आयोजन

इन क्रियाकलापों को निम्नवत अनुपात में आरम्भ करने के लिए दस लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा:

- (i) शोध : अधिकतम राशि का 25 प्रतिशत
- (ii) शिक्षण : अधिकतम राशि का 25 प्रतिशत
- (iii) संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का आयोजन : अधिकतम राशि का 50 प्रतिशत

आयोग ने दिनांक 10 मई, 2013 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया कि मानवाधिकार तथा शिक्षा संबंधी योजना को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया जाये। तदनुसार, सभी पुराने प्रस्ताव जिनमें अनुदान की पहली किस्त जारी की जा चुकी है, उन्हें एचआरई अनुभाग द्वारा संसाधित किया जाता रहेगा।

नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अनुमोदित तथा संस्वीकृत पुराने मामलों को वि0अ0आ0 द्वारा शेष अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी तथा तदनुसार उनके लेखा का निपटान करने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। वैसे, इसके लिए प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी वि.अ.आ. योजनाएं) जारी रहेंगी।

;ktuk di rgr 244 fo'ofok |ky; k@egkfo |ky; k dk ykHk igpkA

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 (2014-15) के दौरान प्रदत्त अनुदान: 4.43 करोड़ रुपये

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

9.1 ई-गवर्नेंस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विकेन्द्रीयकृत कार्यान्वयन मॉडल हेतु विभिन्न ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों की अंतर्प्रचालनता के उद्देश्य को प्राप्त करने के एक केन्द्रीयकृत पहल के माध्यम से ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन की पहल की है। ई-गवर्नेंस परियोजना का कार्य वर्ष 2013 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर (एनआईसी) को प्रदान किया गया था।

ई-कार्यालय कार्यान्वयन ॥ रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ई-कार्यालय के निर्बाध कार्यान्वयन तथा उपयोग हेतु संयुक्त सचिव के स्तर तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों के लिये अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। कुछ मास्टर ट्रेनरों की पहचान की गई है तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे सभी स्तरों पर सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें तथा भविष्य में दैनिक के मुद्दों का निपटान कर सकें।

fo'ofoky; vunku vk;kx ;ktuk gr oc vkëkkfjr ,lyhd'ku ॥

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्ष 2011 से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वर्तमान में 23 ऐसी योजनाएँ हैं जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ई-छात्रवृत्ति-अध्येतावृत्ति अवार्ड पंजीकरण प्रणाली (ई-स्टार्ट) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं के लिए इक्कीस ऑनलाइन आवेदन हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/ugc_schemes/ पर पहुँचा जा सकता है।

एनआईसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारूपों का विकास कर रहा है। केन्द्रीय, राज्य तथा सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना तथा भारतीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में महिला अध्ययन के विकास योजना हेतु उपयोगकर्ता नियम पुस्तिका का भी विकास किया गया है जो एप्लीकेशन के बारे में प्रत्येक चरण हेतु चरणबद्ध अनुदेश उपलब्ध कराता है। एप्लीकेशन को एनआईसी के सर्वर पर भी होस्ट किया गया है जिस पर यूआरएल <http://eschemesugc.gov.in> पर पहुँचा जा सकता है।

;ktuk, ftud fy, vkuykbu vkonu ifØ;k g 23 ;ktuk,

Ø- l-	fo'ofoky; vunku vk;kx ;ktuk	oclkbV gr ;vkj,y	vkuykbu dk;kÙo;u dh frfFk
1	विज्ञान विषय में डॉ० डी०एस० कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	http://ugcdskpdf.unipune.ac.in/	जनवरी, 2008
2	'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम	http://www.ugcfrp.ac.in/	मई, 2011
3	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	http://www.ugc.ac.in/manf/	08,06,2011
4	अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/rgnf/	29,07,2011
5	एकल बालिका हेतु इंदिरा गाँधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/sgc/	18,08,2011
6	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfss/	25,08,2011
7	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	www.ugc.ac.in/pgsprof/	25,08,2011
8	विश्वविद्यालय-रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/urh/	08,09,2011
9	महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfw/	11,01,2012
10	शिक्षकों के लिए शोध अवार्ड	http://www.ugc.ac.in/ra/	01,05,2012
11	अमेरिका में भारतीय विद्वानों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल रमन अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfindous/	12,05,2012
12	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/ef/	31,08,2012
13	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/jrfet/	25,04,2013
14	निशक्त छात्रों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	http://www.ugc.ac.in/rgnfd/	28,06,2013

Ø- 1-	fo'ofok; ky; vunku vk;kx ;ktuk	oclkbV gr; ;vkj,y	vkuykbu dk;klo;u dh frfFk
15.	नए भर्ती हुए संकायों के लिए "स्टार्ट-अप अनुदान"	http://ugcfrrs.ac.in/uohyd/start-up-research-grant/	अप्रैल, 2013
16.	वि.अ.आ.-बी.एस.आर. संकाय अध्येतावृत्ति योजना	http://ugcfrrs.ac.in/uohyd/the-ugc-bsr-faculty-fellowship/	अप्रैल, 2013
17.	संकायों को एकमुश्त शोध अनुदान	http://ugcfrrs.ac.in/uohyd/one-time-grant/	अप्रैल, 2013
18.	बृहद् शोध परियोजनाएं	http://www.ugc.ac.in/pdfnews/7716504_12th-plan-guidelines.pdf (http://www.ugc.ac.in/mrp/)	08,08,2013
19.	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	http://www.ugc.ac.in/nfobc/	01,06,2014
20.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना	http://www.ugc.ac.in/pdfnews/9424599_revised-ISHAN-UDAY.pdf	06,07,2014
21.	विशेष सहायता कार्यक्रम	http://www.ugc.ac.in/pdfnews/5202160_SAPguidelines.pdf	10,10,2014
22.	सामान्य विकास सहायता, केन्द्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों हेतु योजनाएं	http://www.eschemesugc.gov.in/download/GDA.pdf	अक्टूबर, 2014
23.	भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों का विकास	http://www.eschemesugc.gov.in/download/WS.pdf	अक्टूबर, 2014

9.2 स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना

b&Lukr dkkj ikB'kkjk सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमई-आईसीटी) को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 'किसी भी समय किसी भी स्थान पर' पद्धति पर सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2011 में 'एनएमई-आईसीटी-एमएचआरडी द्वारा 77 स्नातकोत्तर विषयों में 'स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु तैयार करने' की परियोजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक नोडल एजेंसी के रूप में प्रदान किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परियोजना लागत स्वरूप 84 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

योजना का उद्देश्य शिक्षकों तथा छात्रों के लाभ हेतु भारतीय विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त ई-विषयवस्तु उपलब्ध कराना है। यह अमीर/गरीब, शहरी/ग्रामीण, जाति तथा धर्म आधारित विषमताओं, भौगोलिक विषमताओं, क्षेत्रीय विषमताओं आदि विभिन्न प्रकार की विषमताओं को दूर करेगा। छात्रों द्वारा अपनी कक्षाओं, शिक्षण तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पढाये जाने वाले विभिन्न विषयों के अनुपूरक के रूप में ई-विषयवस्तु को उपयोग किया जा सकता है। ई-विषयवस्तु शिक्षकों हेतु लाभप्रद भी होगा चूंकि वे ई-पाठशाला कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-विषयवस्तु की गुणवत्ता को देखकर शिक्षण में सुधार कर सकते हैं।

इस ई-पीजी पाठशाला पहल के तहत विकसित की जा रही विषयवस्तु सामाजिक विज्ञान, कला, ललितकला, नैसर्गिक तथा गणित विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा भाषा की सभी विधाओं में अलग-अलग विषयों में उच्च गुणवत्तायुक्त, पाठ्यचर्या आधारित और परस्पर प्रभावशील है। ई-पीजी पाठशाला हेतु अधिगम प्रबंधन प्रणाली (<http://epgp.inflibnet.ac.in/>) पर मुक्त पहुँच हेतु उपलब्ध है तथा इन्फ्लिबनेट के सर्वर पर होस्ट की गई है साथ ही साक्षात पोर्टल के माध्यम से भी इस तक पहुँचा जा सकता है।

अभी तक, कार्यक्रम के तहत 70 विषयों तथा 1500 मॉड्यूलों की पहचान की गई है तथा ई-पाठशाला वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 5000 से अधिक मॉड्यूल अपलोड किये जाने की प्रक्रिया में है तथा अब तक 2.5 लाख व्यक्तियों ने ईपीजी पाठशाला वेबसाइट को देखा, जिसे मार्च, 2014 को आरंभ किया गया था।

वर्ष 2014-15 के दौरान परियोजना पर कुल 9,08,45,336/- रुपए की लागत आई है।

9.3 डिजीटल इंडिया पहल - उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मैपिंग:

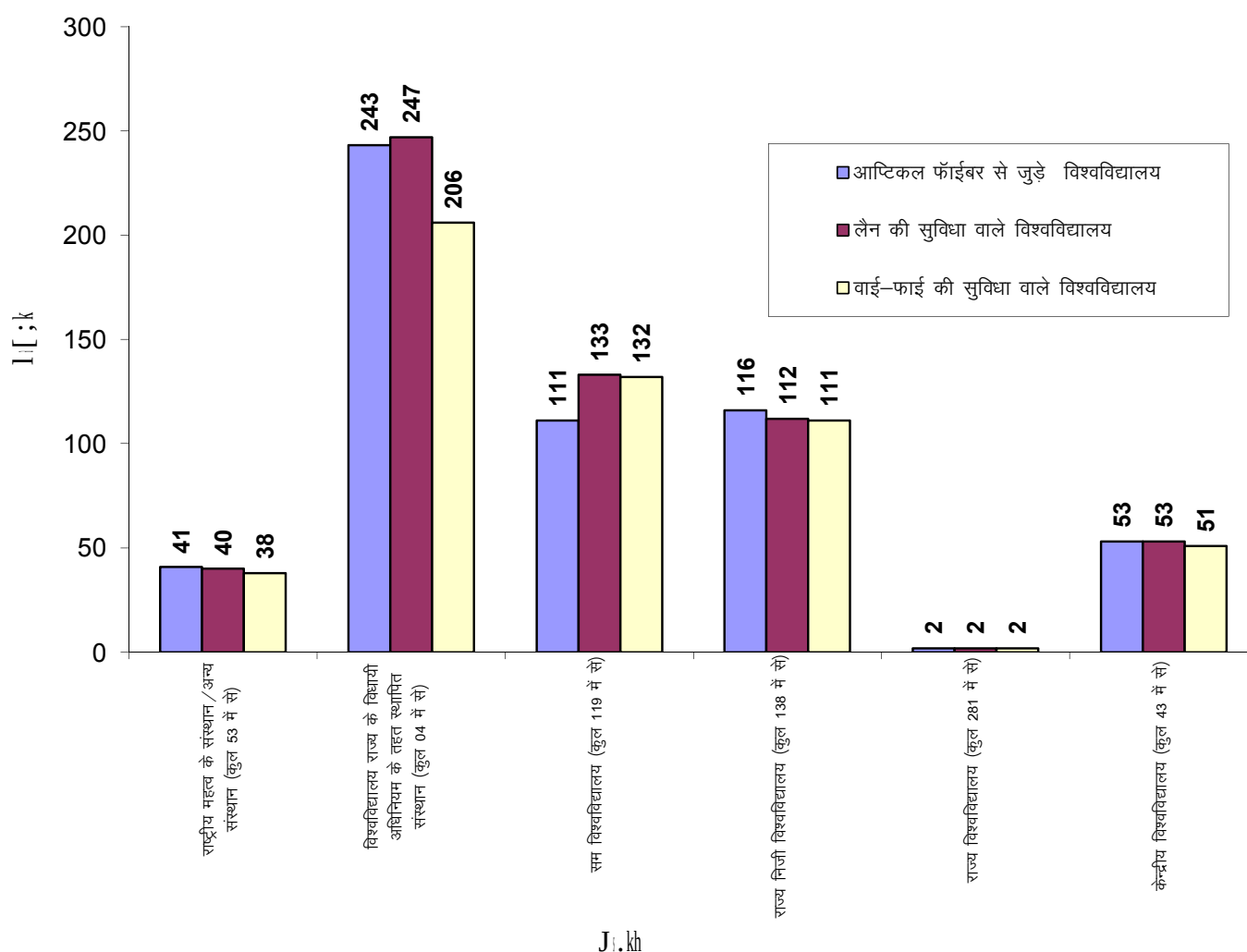
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की डिजीटल इंडिया पहल के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (क) डिजीटल फाईवर से जुड़े विश्वविद्यालय (ख) एलएएन वाले विश्वविद्यालयों और (ग) वाई-फाई सुविधा वाले विश्वविद्यालयों के संदर्भ में विश्वविद्यालयों की मैपिंग की है। 636 उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नीचे विश्लेषण किया गया है।:

महत्वपूर्ण बिंदु: शिक्षण; फो'फो'क; के अंतर्गत 2014-15

फो'फो'क; के लो:ी	दय	फो'फो'क; के लो:ी; के कुल:ी फो'फो'क; के लो:ी; के	वर्षीय कृषि लो: तम: फो'फो'क;	यु: के लो:ी के फो'फो'क;	कृषि के लो:ी के फो'फो'क;
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	45	43	41	40	38
राज्य विश्वविद्यालय	322	281	243	247	206
राज्य निजी विश्वविद्यालय	184	138	111	133	132
सम विश्वविद्यालय	129	119	116	112	111
राज्य के विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	4	2	2	2	2
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/अन्य संस्थान	64	53	53	53	51
दय	748	636	566	587	540
कि: व: के लो:ी के फो'फो'क;		'क: फो'फो'क;	89 फो'फो'क;	92 फो'फो'क;	85 फो'फो'क;

नोट: उपर्युक्त विश्लेषण 636 विश्वविद्यालयों के आंकड़ों पर आधारित है।

मि: के लो:ी के फो'फो'क; के लो:ी के 636 के अंतर्गत 2014-15



नई पहल

1.1 सामुदायिक महाविद्यालय

lkenkf; d egkfo | ky ; ; kt uk %1h01h0%

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013-14 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संदर्भ पर प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना आरंभ की थी। बृहद रूप से सामुदायिक महाविद्यालय मॉडल तक समुदाय के व्यक्तियों को पहुंच उपलब्ध होगी तथा इसमें कम लागत की गुणवत्तायुक्त शिक्षा की स्थानीय रूप से पेशकश की जायेगी जिसमें पारम्परिक कौशल विकास साथ ही पारम्परिक पाठ्यक्रम कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार यह शिक्षार्थी को सीधे ही नियोजन क्षेत्र अथवा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में जाने का अवसर मुहैया करवाता है। यह एक लचीली तथा मुक्त शिक्षा प्रणाली की पेशकश करता है, जो सामुदायिक आधार पर आजीवन अधिगम आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। इसका समुदाय, सामुदायिक महाविद्यालयों (सीसी) तथा नियोजन बाजार के बीच एक सहक्रियात्मक संबंध है।

तत्पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया तथा इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में अंगीकार कर लिया। यह योजना विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों, दोनों के लिए है। तथापि, इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास अनुदान प्राप्त कर रहे मौजूदा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:

- उच्चतर शिक्षा को शिक्षार्थी तथा समुदाय के प्रति अधिक संगत बनाना;
- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में संगत कौशल को शामिल करना;
- वर्तमान में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे और जल्द से जल्द जनशक्ति में जुड़ने के इच्छुक छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना;
- वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त शिक्षार्थी, जो मौजूदा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में नहीं जाना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य सामान्य शिक्षा के साथ-साथ नियोजन योग्य तथा प्रमाणित किये जाने योग्य कौशल प्रदान करना;
- शिक्षार्थियों को उनकी आयु के अनपेक्षित: उनके द्वारा अर्जित पारम्परिक कौशल का उन्नयन करना तथा प्रमाणन प्रदान करना;
- समुदाय को व्यक्तिगत विकास तथा रुचि हेतु सामान्य रुचि के पाठ्यक्रमों की पेशकश कर समुदाय आधारित आजीवन अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना ;
- भविष्य में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना; और
- सामान्य व्यावसायिक शिक्षा में प्रमाणपत्र धारकों को लघु पाठ्यक्रमों की पेशकश करना ताकि उन्हें उपर्युक्त एनवीईक्यूएफ स्तर के समकक्ष लाया जा सके।

y{; leg@ik=rk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय, जो सामान्य विकास सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे सामुदायिक महाविद्यालय की योजना को कार्यान्वित करने के लिए करने हेतु पात्र हैं।

सामुदायिक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग का अंग नहीं होना चाहिए। यह राज्य तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय दोनों पर लागू है। तथापि, यदि इसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाता है तो इसकी पृथक पहचान होनी चाहिए। शिक्षा को संगत बनाने तथा 'उद्योग के लिये उपर्युक्त' कुशल श्रम शक्ति का सृजन करने के लिये, सामुदायिक महाविद्यालय को लगातार उद्योग के संपर्क में रहना होगा ताकि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिये श्रमशक्ति की आवश्यकताओं के संबंध में अद्यतन रहें। इन महाविद्यालयों को स्व-रोजगार तथा उद्यमिता विकास सहित रोजगार के संबंध में उपर्युक्त आवासन, उपर्युक्त रूप से तैयार की गई पाठ्यचर्या के साथ स्थानीय क्षेत्र की संस्कृति तथा विरासत, चाहे वह कला, शिल्प, हस्तशिल्प, संगीत, वास्तु अथवा अन्य कुछ ऐसा ही क्यों न हो, को परिरक्षित करना चाहिए तथा बढ़ावा देना चाहिए।

सामुदायिक महाविद्यालय, स्थानीय भागीदारी उद्योग के साथ परामर्श कर अध्ययन बोर्ड के समग्र मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के मामले में प्रबंधन बोर्ड के समग्र मार्गदर्शन में पाठ्यचर्या विकसित करेगा। तथापि, महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय मौजूदा पद्धति का पालन कर सकते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद् द्वारा विकसित राष्ट्रीय पेशे के मानदण्डों के अनुरूप पाठ्यचर्या को ढालने के लिए कार्य करना चाहिए। इससे ज्ञान अर्जन करने वालों की राष्ट्रीय तथा वैश्विक गतिशीलता होगी। साथ ही, रोजगार के प्रयोजनार्थ

उद्योग द्वारा उच्च स्वीकार्यता को बढ़ावा मिलेगा। सामुदायिक महाविद्यालय, एनवीईक्यूएफ/एनएसक्यूएफ के अनुरूप पाठ्यक्रम के ढांचे तथा पाठ्यचर्या के डिजाइन को तैयार करने की दिशा में भी कार्य करेगा।

इस योजना के तहत ज्ञान अर्जन करने वालों के लिये प्रति छात्र प्रतिमाह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष 7500 ज्ञान अर्जकों को प्रशिक्षण देने तथा 100 नये सामुदायिक महाविद्यालयों को सहायता देने का लक्ष्य है ताकि व्यापक रूप से छात्रों को रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। क्योंकि उद्योग, भागीदार ज्ञान अर्जकों के लिये पाठ्यचर्या तैयार करने, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन में भागीदार होगा। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाले छात्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

rkfy dk 10-1½d½

Ø- l-	;ktuk dk uke	vuekfmr iLrkok dh l[;k		dy	o"K 2014&15 l 2015&16 d 02 o"KK d fy, vkofVr vunku	o"K 2014&15 d nkjku tkjh fd;k x;k vunku
		fo'ofok ky;	egkfo ky;			
1.	सामुदायिक महाविद्यालय	16	141	157	140.46 करोड़ रुपये	35.89 करोड़ रुपये

अगले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2018–19 के लिए वास्तविक तथा संघी लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

rkfy dk 10-1¼[k½

lkenkf; d egkfo ky;				
o"k	o"kokj okLrfod y{;		lp;h y{;	
	lLFkku	f'k{kkfFk;k dh l[;k	lLFkku	f'k{kkfFk;k dh l[;k
2014-15	100	7500	100	7500
2015-16	100	7500	200	15000
2016-17	100	7500	300	22500
2017-18	100	7500	400	30000
2018-19	100	7500	500	37500

वर्ष 2014–15 के दौरान 157 अनुमोदित सामुदायिक महाविद्यालयों की सूची नीचे तालिका 10.1(ग) में दी गई है:

rkfy dk 10-1¼x½ lkenkf; d egkfo |ky; ;ktuk d rgr fo'ofok |ky; k@egkfo |ky; k dh lph

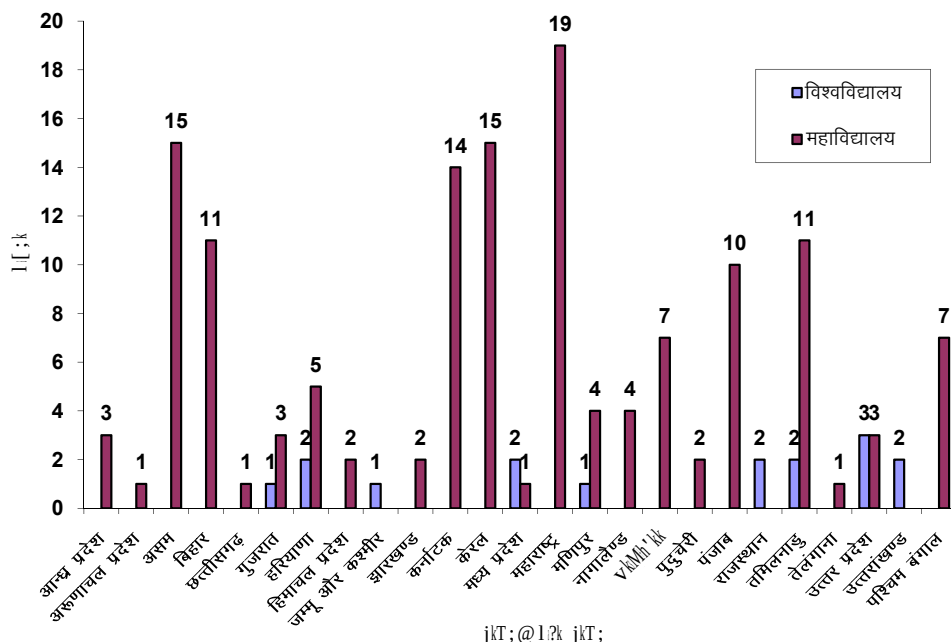
Ø- l-	egkfo ky; dk uke
vkUek çn'k	
1.	चौ. एस.डी. सेंट थेरेसिया आटोनोमस कालेज फार वीमेन, शनिवारपूपेट पोस्ट एलूरू-534003, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश
2.	धर्मा अप्पाराव महाविद्यालय, नूजविड (आन्ध्र प्रदेश)
3.	पारवाथानेनी ब्रह्मैय्या सिद्धार्थ कालेज आफ आर्ट्स एण्ड साइंस (स्वायत्त), सिद्धार्थ नगर, विजयवाड़ा-520010 कृष्ण जिला, आन्ध्र प्रदेश
v : .kkpy çn'k	
4.	जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, पी.ओ. हिलटाप पासीघाट, पूर्वी स्टांग जिला, अरुणाचल प्रदेश
v le	
5.	ए.डी.पी महाविद्यालय, साउथ हैबोरगांव, आर.आर.बी. रोड, नागांव-782002, असम
6.	अंबूरी महाविद्यालय, अंबूरी-785680
7.	बाहोना महाविद्यालय, पी.ओ. बाहोना जिला जोरहाट, असम-785101
8.	बी.एच. महाविद्यालय, होवली-781316, बारपेटा, असम
9.	चाएद्वार महाविद्यालय, पी.ओ.गोपुर, जिला सोनीतपुर, असम, पिन-784165
10.	दक्षिण कामरूप महाविद्यालय, मिर्जा, कामरूप-781125, असम
11.	जगीरोड महाविद्यालय, पी.ओ. जाएगरोड, जिला मोरीगांव, असम-782410
12.	जेंगराईमुख महाविद्यालय, पी.ओ. जेंगराईमुख, मजुली, जोरहाट जिला, असम, पिन-785105
13.	नामरूप महाविद्यालय, पी.ओ. परबतपुर, जिला डिब्रूगढ़ (असम) पिन-786623
14.	नार्थ लखीमपुर महाविद्यालय (स्वायत्त), खेलमाती, उत्तरी लखीमपुर-787031, असम
15.	राहा महाविद्यालय, पी.ओ.-राहा, जिला नौगांव, पिन-782103, असम
16.	रूपाही महाविद्यालय, एटी/पी.ओ.-रूपाही, जिला नौगांव, असम, पिन-782125
17.	टीहू महाविद्यालय, टीहू, जिला नालबारी (असम)
18.	उत्तर कामपीठ महाविद्यालय, ग्राम और डाकघर जागारा, जिला नालबारी, असम-781310
19.	कछाड़ महाविद्यालय, ट्रंक रोड, सिल्वर पिन 788001 (असम)
fcgkj	
20.	अनुग्रह नारायण महाविद्यालय, बोरिंग रोड, पटना, (बिहार)-800013
21.	सी.एम. साईस कालेज, पी.ओ. लालबाग, जिला दरभंगा-846001 (बिहार)

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke
22.	गया महाविद्यालय, गया-823001(बिहार)
23.	शासकीय महिला महाविद्यालय, गर्दानी बाग थाना, जिला पटना (बिहार) 800 002
24.	जे.डी. महिला महाविद्यालय, पटना
25.	लंगत सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)
26.	मुंशी सिंह महाविद्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी (बिहार)
27.	पटना महिला महाविद्यालय, पटना
28.	पूर्णिया महाविद्यालय, पूर्णिया-854301 (बिहार)
29.	राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय, तिवारी टोला, सहरसा (बिहार)
30.	रामकृष्ण महाविद्यालय, मधुबनी (बिहार)
NÜkhl x<	
31.	शासकीय डी.बी. बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक
x t jkr	
32.	सी.पी. पटेल एण्ड एफ.एच. शाह कमर्शियल कालेज, एन.एस. पटेल सर्किल के निकट, सरदार पटेल ओवरब्रिज, आणंद-388001, गुजरात
33.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात युनिवर्सिटी, पाटन - 384265, गुजरात
34.	एन.एस. पटेल आर्ट्स महाविद्यालय, एनएस पटेल सर्किल, भालेज रोड, आणंद-380001, गुजरात
35.	प्रमुख स्वामी साईंस एण्ड एच.डी. पटेल आर्ट्स कालेज, सर्व विद्यालय कैम्पस, रेलवे स्टेशन कड़ी के सामने, जिला मेहसाणा-382715
gfj ; k.kk	
36.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत
37.	डीएवी बालिका महाविद्यालय, यमुना नगर-135001, हरियाणा
38.	दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरुथल-131039 हरियाणा
39.	गीता विद्यामंदिर बालिका महाविद्यालय, मुरुथल रोड, सोनीपत, हरियाणा
40.	गुरु नानक बालिका महाविद्यालय, संतपुरा, यमुनानगर
41.	केवीए डीएवी महिला महाविद्यालय, रेलवे रोड, करनाल (हरियाणा)
42.	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद - 121006, (हरियाणा)
fgekpy in'k	
43.	शासकीय महाविद्यालय, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-174101
44.	श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गवर्नमेन्ट कालेज, पौंटा साहेब (हिमाचल प्रदेश)
t Ee vkj d'ehj	
45.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी जम्मू और कश्मीर
>kj [k.M	
46.	ए0एस0 कालेज, सतसंग नगर, बी0 देवघर-814112 (झारखण्ड)
47.	टाटा कालेज, चैलबासा
dukVd	
48.	बीएलडीईए न्यू आर्ट्स कालेज, तिकोटा-586130, जिला बीजापुर (कर्नाटक)
49.	जेएसएस कालेज आफ आर्ट्स, कामर्स एण्ड साईंस (स्वायत्त), ऊटी रोड, मैसूर-570025
50.	कनकदास शिक्षण समिति के.एस.एस. आर्ट्स, कामर्स, साईंस कालेज एण्ड पी.जी. सेन्टर, विद्यानगर, मसारी, गदाग-582101(कर्नाटक)
51.	लाल बहादुर आर्ट्स, साईंस एण्ड एस.बी. सोलाबना शेडटी कामर्स कालेज (स्वायत्त)
52.	श्रीमती भाग्यलक्ष्मी राठेल्ली रामाप्पा महाजना फर्स्ट ग्रेड कालेज, जयलक्ष्मीपुरम, मैसूर-570012
53.	सेन्ट फिलोमेना कालेज (आटो), पी.ओ. बाक्स 30, बन्नीमंतप, मैसूर-570015, कर्नाटक
54.	टेरेसेन कम्प्यूनिटी कालेज, मैसूर
55.	गवर्नमेन्ट आर्ट्स एण्ड साईंस कालेज, कारवाड़-581301, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक
56.	गवर्नमेन्ट आर.सी. कालेज ऑफ कामर्स एण्ड मेनेजमेन्ट, पेलेस रोड, बासावेश्वरा सर्किल, बंगलुरु-560001
57.	जेएसएस बनाशंकरी आर्ट्स, कामर्स एण्ड एस.के. गुब्बी साईंस कालेज, विद्यागिरी, धारवाड़
58.	माऊंट कार्मेल कालेज, 58 पेलेस रोड, वसंत नगर, बंगलुरु-560052
59.	श्रीमती वी.एच.डी. सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होम साईंस, शेक्षाद्री रोड, बंगलुरु-560001
60.	सेन्ट अलासियस कालेज (आटोनोमस), लाईट हाऊस हिल रोड, पो.बा. 720, मंगलुरु- 575 003
61.	सेंट जोसेफ इवनिंग कालेज, 55, म्यूजियम रोड, बंगलुरु-560025
djy	
62.	बिशप चूलापारामबिल मेमोरियल कालेज फार वीमेन, कोट्टायम-686001, केरल
63.	बिशप कुरियालाचेरी कालेज फॉर वीमेन, अमालगिरी, पी.ओ.-कोट्टायम, केरल-686561
64.	हेनरी बेकर कॉलेज, मेलूकरवू (केरल)
65.	मेरीन कालेज, कुट्टीकानम, इदुक्की, जिला केरल-685531
66.	नेवामन कालेज, थोड्डुपुज्जा, थोड्डुपुज्जा ईस्ट पी.ओ. इदुक्की जिला केरल-685585

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke
67.	पवनात्तम कोलज, मुरीकास्से, इदुक्की, केरल-685604
68.	पाजास्सी राजा कालेज, पुलपाली, वायनाड, केरल- 673579
69.	सेंट माईकल कोलज, माईओथारा, चेरथाला, केरल
70.	सेंट थॉमस कालेज, पाला, अरुणापुरम, कोट्टायम-686574, केरल
71.	सेंट थॉमस कालेज, कालेज रोड, थिसूर, केरल- 680001
72.	गवर्नमेन्ट कालेज, नाट्टाकोम, पी.ओ. कोट्टायम- 686 013
73.	गवर्नमेन्ट कालेज, अट्टीनगल (केरल)
74.	पोकोया थानगल मेमोरियल गवर्नमेन्ट कालेज, पेन्थालमाना, पथाईकारा-679322, मल्लपुरम जिला (केरल)
75.	श्री नीलकांत शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, पाटाम्बी, मीलापट्टमबी, पी.ओ., पलक्कड़ जिला, केरल पिन-679306
76.	श्री सी. अच्युतानंद मेनन गवर्नमेन्ट कालेज, कुट्टानेलूर, थिसूर-680014 (केरल)
eè; in'k	
77.	जीवाजी विश्वविद्यालय, "सामुदायिक केन्द्र," विद्या विहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर - 474011
78.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट - 485331, जिला, सतना
79.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, दशहरा मैदान, भण्डारी रोड, बदवानी-451551 (मध्य प्रदेश)
egkj'k"V	
80.	अरविन्द बाबू देशमुख महाविद्यालय, पी.ओ. भारसिंगी, तालुक नारखेड़, नागपुर-441305, महाराष्ट्र
81.	भारतीय जैन संगठन आर्ट्स, साईंस एण्ड कामर्स कालेज, वागहोली रोड, बाकोरी फाटा, पुणे-412207, महाराष्ट्र
82.	धोते बंधु साईंस कालेज, कुडवा रोड, गोन्डीया-441614, महाराष्ट्र
83.	के.टी.एस.पी. मंडल हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय, पुणे-नाशिक राजमार्ग, खेड़ पुलिस स्टेशन के समीप
84.	के.आर.टी आर्ट्स, बीएच कामर्स एण्ड ए.एम. साईंस कालेज, नाशिक, (महाराष्ट्र)
85.	लाल बहादुर शास्त्री कालेज ऑफ आर्ट्स, साईंस एण्ड कामर्स, 17, मल्हार पेट, सतारा-415002, (महाराष्ट्र)
86.	स्वर्गीय छगनलाल मुलीजीभाई कडी कला महाविद्यालय, अचलपुर कैम्प
87.	एमएसएस कला महाविद्यालय, तीर्थपुरी, जालना-431209, (महाराष्ट्र)
88.	न्यू आर्ट्स, कामर्स एण्ड साईंस कालेज, मीरी रोड, शेवगांव, तालुक-शेवगांव, जिला अहमदनगर, (महाराष्ट्र)
89.	पद्मश्री विखे पाटील कालेज ऑफ आर्ट्स, साईंस एण्ड कामर्स, लोनी केडी-413713, राताठा, अहमदनगर, (महाराष्ट्र)
90.	शरदचन्द्र आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, पी-16, एमआईडीसी बूतिबोरी, जिला नागपुर - 441 122
91.	शिक्षण महर्षि डा. बापूजी सालुंके महाविद्यालय, पंढारपुर रोड, मीराज - 416 410 (महाराष्ट्र)
92.	श्री एस.एच. केलकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साईंस, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
93.	श्री वेंकटेश आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, देयुलगांव राजा, जिला बुलगाणा (महाराष्ट्र) - 443204
94.	विवेकानन्द आर्ट्स सरदार दलिपसिंह कॉमर्स एंड साईंस कालेज, समर्थनगर, औरंगाबाद- 431001, महाराष्ट्र
95.	विवेकानन्द कॉलेज, 2130, ई, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर, तहसील, कारवीर, जिला कोल्हापुर- 416003 महाराष्ट्र
96.	डॉ. अम्बेडकर कॉलेज, दीक्षाभूमि, नागपुर
97.	मत्स्योदरी शिक्षण संस्थान, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साईंस कॉलेज, मोतीबाग फ्लाईओवर पुल के निकट, जालना - 431203 (महाराष्ट्र)
98.	श्री शिवाजी महाविद्यालय, शिवाजी नगर, बर्सी - 413411 जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)
ef.kij	
99.	चूडाचांदपुर कॉलेज, चूडाचांदपुर (मणिपुर)
100.	धनमंजुरी कम्युनिटी कॉलेज (डीएम कॉलेज), इम्फाल
101.	सेंट कूला महिला महाविद्यालय, कोंघखामापट, डाकघर और थाना - नांबोल, विष्णुपुर, जिला मणिपुर - 795134
102.	वाईकोम मणि गर्ल्स कॉलेज, थोबई ओकरम, डाकघर एवं जिला थोडबाल, मणिपुर - 795138
103.	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर - 795003
ukxky'.M	
104.	मॉडर्न कॉलेज दझवूरु, पो. बॉक्स 405 कोहिमा, नागालैण्ड - 797001
105.	पटकाई क्रिस्चियन कॉलेज (स्वायत्त), चुमुकेदिमा-सेईथेकेमा, बीपीओ पटकाई-797103, जिला दीमापुर, नागालैण्ड
106.	सेंट जोसेफ कॉलेज जाखमा, पोस्ट बॉक्स - 39, कोहिमा (नागालैण्ड)
107.	दीमापुर गवर्नमेंट कॉलेज, आरियेन्टल कालोनी, दीमापुर - 797112
vkMh'kk	
108.	गवर्नमेन्ट (स्वायत्त) कॉलेज राउरकेला - 769004 (ओडीशा)
109.	गवर्नमेन्ट (स्वायत्त) कॉलेज भवानीपटना - 766001, जिला कालाहांड, ओडीशा
110.	विक्रमदेव कॉलेज, जयपोर, कोरापुट - 764001, ओडीशा
111.	महाराजा पूरण चन्द्र महाविद्यालय, तक्तपुर, बारीपाडा, मयूरभंज - 757003, ओडीशा
112.	डी.डी. (स्वायत्त) कॉलेज, क्यॉंझर - 758001
113.	फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज, बालासोर - 756001 (ओडीशा)
114.	खालीकोटे (स्वायत्त) कॉलेज, बेरहामपुर, गंजम - 760001

Ø- l-	egkfo ky ; dk uke
lknpijh	
115.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय सामुदायिक महाविद्यालय, सीमेटरी रोड, माहे - 673310, पुदुचेरी
116.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय कम्युनिटी कॉलेज लॉवस्पेट (पुदुचेरी)
i: tkc	
117.	डी.ए.वी. कॉलेज फॉर गर्ल्स, गढ़शंकर - 144527
118.	डी.ए.वी. कॉलेज, सेक्टर 10, चण्डीगढ़
119.	देव समाज महिला कॉलेज, फिरोजपुर सिटी, पंजाब
120.	जी.एस.एस.डी.जी.एस. खालसा कॉलेज, बादंगर रोड, पटियाला - 147001, पंजाब
121.	गोस्वामी गणेश दत्त एस.डी. कॉलेज, चण्डीगढ़
122.	हंसराज महिला महाविद्यालय, जालंधर
123.	जेसी डीएवी कॉलेज दसूया, होशियारपुर
124.	कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, फगवाड़ा
125.	गवर्नमेंट मोहिन्द्रा कॉलेज, पटियाला - 147001
126.	एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज, सिविल लाइन्स, लुधियाना - 141001
jk t LFkku	
127.	बनस्थली विद्यापीठ, पो.ओ. बनस्थली विद्यापीठ - 304002, राजस्थान
128.	सेन्ट्रल युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एनएच-8, बंदरसिंदरी, किशनगढ़, जिला अजमेर - 305817 (राजस्थान)
ryxkuk	
129.	गिरराज शासकीय महाविद्यालय (स्वायत्त) दूबोआ, निजामाबाद - 503001 (तेलंगाना)
rfeyukM	
130.	अय्या नाडर जानकी अम्मल कॉलेज (स्वायत्त), श्रीविल्लीपुत्तूर रोड, शिवाकासी वेस्ट - 626124, वीरूदूनगर, तमिलनाडु
131.	द्वारका दास गोवर्धन दास वैष्णव कॉलेज (स्वायत्त), नं. 833, पेरियार ईवीआर सलाई, अरुम्बाक्कम, चेन्नई
132.	जयराज अन्नापाकियम महिला महाविद्यालय, (स्वायत्त), पेरियाकुलम, तमिलनाडु - 625601
133.	लेडी दोक कॉलेज, मदुरई - 625002 (तमिलनाडु)
134.	लोयोला कॉलेज (स्वायत्त), टैंक बंद रोड, नुगाम्बक्कम, चेन्नई - 600034
135.	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज (स्वायत्त), ईस्ट तम्बारम चेन्नई - 600059
136.	मदुरई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, 9, अलगर कोवील रोड, मदुरई - 625002
137.	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली, तमिलनाडु
138.	पीएसजीआर कृष्णमल्ल महिला महाविद्यालय, पीलामेडु, कोयम्बटूर, तमिलनाडु - 641004
139.	श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंस एसआरकेवी पोस्ट, एलएमडब्ल्यू प्रिव्यू, पेरियानाकन, पलायन, कोयम्बटूर, 641020 (तमिलनाडु)
140.	दि अमेरिकन कॉलेज, मदुरई - 625002, तमिलनाडु
141.	दि गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, (सम विश्वविद्यालय), गाँधीग्राम - 624302, (तमिलनाडु)
142.	विवेकानन्द कॉलेज, कन्याकुमारी - 626701 (तमिलनाडु)
mÜkj in'k	
143.	दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), आगरा - 5
144.	इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, गौघाट, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद - 211003
145.	नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, लखनऊ
146.	रघुनाथ महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ (उत्तरप्रदेश)
147.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
148.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
mÜkj[k.M	
149.	कुंमाऊ विश्वविद्यालय, स्लीपी हॉलो, नैनीताल - 263001 (उत्तराखण्ड)
150.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौरस कैम्पस, श्रीनगर गढ़वाल - 249161 (उत्तराखण्ड)
if'pe cXky	
151.	आशुतोष कॉलेज, 92, एस.पी. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700026
152.	भत्तेर कॉलेज, एटी+पो.ओ. - दांतन, पश्चिम मेदिनिपुर - 721426, पश्चिम बंगाल
153.	सिटी कॉलेज 102/1, राजा राममोहन सराय, कोलकाता - 700009 (पश्चिम बंगाल)
154.	डेरोजिओ मेमोरियल कॉलेज, राजरहाट रोड, गोपालपुर, नॉर्थ 24, परगना, कोलकाता, (पश्चिम बंगाल)
155.	महिशादल राज कॉलेज, पोस्ट ऑफिस महिशादल, जिला पूर्वी मेदिनिपुर पिन - 721628 (पश्चिम बंगाल)
156.	मायनागुरी कॉलेज, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल, (पश्चिम बंगाल)
157.	सिल्दा चन्द्र शेखर कॉलेज, पो.ओ. सिल्दा, जिला पश्चिम मेदिनिपुर - 721414

j[kkp= 10-14x% lkenkf; d egkfo | ky; ; k tuk %2014&15% d rgr vuekfnr
fo' ofo | ky; k@egkfo | ky; k dh jkT; okj l[; k



10.2 व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.वोक.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण योजना अर्थात् व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम को लागू कर रहा है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अर्थव्यवस्था के उभरती हुई आवश्यकताओं के साथ संबंध करने की जरूरत एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्नातकों के पास रोजगार तथा उद्यमिता के लिए पर्याप्त ज्ञान और कौशल मौजूद हों। वित्त मंत्रालय ने कौशल विकास संबंधी मंत्रिमण्डलीय निर्णय के अनुपालन में दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में एनवीईक्यूएफ को अधिक्रमित करते हुए नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को अधिसूचित किया। इससे बी.वोक. उपाधि पूर्ण कर रहे स्नातक, उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर और उद्यमी बनकर तथा उपयुक्त ज्ञान का सृजन कर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु एक सार्थक भागीदारी करने में सक्षम होंगे।

m}';

- किसी विशिष्ट पेशे से संबंधित कौशल तथा सामान्य शिक्षा की उपयुक्त विषय-वस्तु का तर्कसंगत सम्मिश्रण उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि छात्रों के पास पर्याप्त ज्ञान और कौशल उपलब्ध हो, ताकि कार्यक्रम के सभी उपाधि स्तरों पर वे कार्य करने हेतु सक्षम हों।
- पूर्व निर्धारित प्रवेश तथा बहु निकास बिन्दुओं के आधार पर छात्रों को एक लचीलापन मुहैया कराना।
- एनएसक्यूएफ को उच्चतर शिक्षा के स्नातकपूर्व स्तर के भीतर समेकित करना ताकि स्नातकों को रोजगार मुहैया कराने की योग्यता तथा उद्योग की अपेक्षाओं की पूर्ति में वृद्धि की जा सके। ऐसे स्नातकों से स्थानीय, साथ ही राष्ट्र स्तर के उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा वैश्विक जनशक्ति का भाग बनने हेतु पूर्ण रूप से सुसज्जित होने की भी आशा की जाती है।
- व्यवसाय से संबंधित विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को आगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विविध अवसर उपलब्ध कराना।

व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम में बहु-प्रवेश तथा बहिर्गमन विकल्प नीचे दर्शाये गये हैं:-

mikfèk	vofèk	led{k ,u, lD; ,Q Lrj
प्रमाणपत्र	6 माह	4
डिप्लोमा	1 वर्ष	5
उच्च डिप्लोमा	2 वर्ष	6
व्यवसाय स्नातक उपाधि	3 वर्ष	7

प्रत्येक उपाधि के कोष्ठकों में कौशल/विशेषज्ञता को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उदाहरण के लिए:

1. व्यवसाय स्नातक उपाधि (नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन)
2. व्यवसाय स्नातक उपाधि (खुदरा प्रबंधन)
3. व्यवसाय स्नातक उपाधि (खुदरा प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी)
4. उच्च डिप्लोमा (खाद्य प्रसंस्करण)
5. उच्च डिप्लोमा (स्वास्थ्य परिचर्या)
6. उच्च डिप्लोमा (आतिथ्य तथा पर्यटन)
7. डिप्लोमा (ग्रीन हाऊस प्रौद्योगिकी)
8. डिप्लोमा (बीपीओ)
9. डिप्लोमा (आभूषण डिजाईनिंग)

ik=rk@Yk{; leg

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 के तहत धारा 2 (च) तथा धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित ऐसे सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो वि.अ. आ. से योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें योजना के तहत वि.अ.आ. वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता किसी भी विधा में 10+2 अथवा समकक्ष योग्यता है।

प्रत्येक वर्ष हेतु सुझाए गए क्रेडिट निम्नवत निर्धारित किए गए हैं:

,u, lD; ,Q Lrj	vokM gr l p; h ØfMV		lkeK; dy.Mj vofek	cfgxieu v d@mikfek
	dk'ky ?kVd d ØfMV	lkeK; f'k{kk d ØfMV		
प्रथम वर्ष	36	24	छह सेमेस्टर	डिप्लोमा
द्वितीय वर्ष	72	40	चार सेमेस्टर	उच्च डिप्लोमा
तृतीय वर्ष	108	72	दो सेमेस्टर	व्यवसाय स्नातक उपाधि

संगत संस्थानों को आबंटित तथा जारी किये गये अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है:—

;kt uk dk uke	vuekfnr iLrkok dh l; ;k		;kx	vuekfnr nkf[kyk dh l; ;k	fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d vul kj okLrkfod ukekdu	03 o"kk d fy, vkcfVr vunku %djkm #i; e	tkjh fd;k x;k vunku %2014&15% %djkm #i; e
	fo'ofokky;	egkfo ky;					
व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम	20	107	127	12700	6183	231.36	80.64

व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम की योजना के तहत प्रत्येक वर्ष में 1000 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 100 नये संस्थानों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है ताकि छात्रों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में व्यापक रूप से सुधार किया जा सके चूंकि औद्योगिक भागीदार शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके मूल्यांकन में शामिल होता है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाले छात्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

अगले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक तथा संचयी लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

0;olk; Lukrd mikfek dk;Øe				
o"k	okf'kd y{;		lp;h y{;	
	vuekfnr fd; tku oky lLFkku	f'k{kkfFk; k dh l; ;k	vuekfnr fd; tku oky lLFkku	f'k{kkfFk; k dh l; ;k
2014-15	100	10000	100	10000
2015-16	100	10000	200	20000
2016-17	100	10000	300	30000
2017-18	100	10000	400	40000
2018-19	100	10000	500	50000

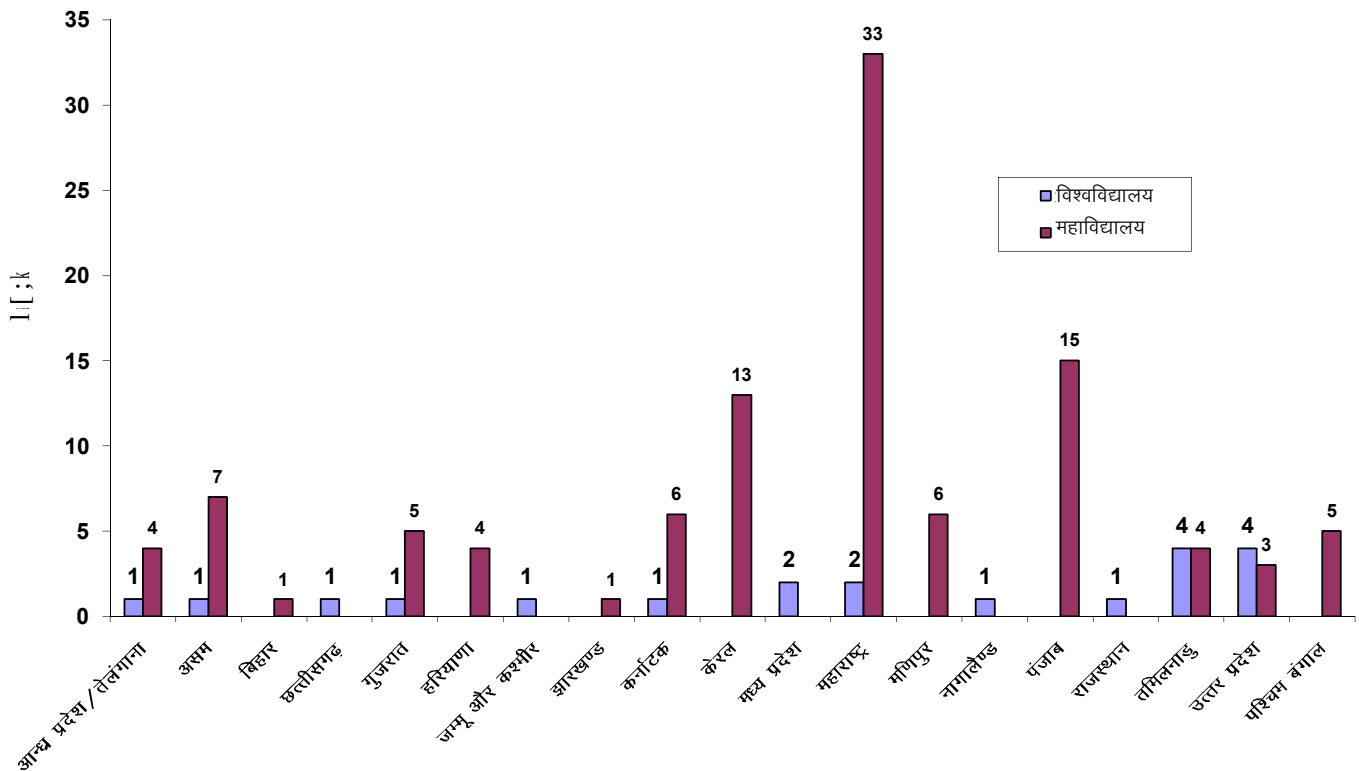
rkfydk 10-2% 0;olk; Lukrd mikfek dk;Øe d rgr vuekfnr 127 egkfo|ky; k@fo'ofokky; k dh lph

o"k	lLFk dk uke
	vkUek in'k
1.	आन्ध्रा लोयोला कॉलेज, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश — 520008
2.	चौधरी एस.डी. सेंट थेरेसिया कॉलेज फॉर वीमेन, एलूरू — 534003, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश
3.	पिथपुर राजा गवर्नमेंट कॉलेज, काकीनाडा — 533001, आन्ध्र प्रदेश
4.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति — 517502

o"kk	lLFkk dk uke
5.	सेंट फ्रांसिस महिला कॉलेज, स्ट्रीट नं. 6, उमानगर, बेगमपेट, हैदराबाद — 500016 v l e
6.	अभयपुरी कॉलेज, अभयपुरी, जिला बोंगाईगांव, असम — 783384
7.	चैदूर कॉलेज, सोनितपुर, असम — 784178
8.	जागीरोड कॉलेज, जागीरोड, मोरीगांव, असम — 782410
9.	कालीयाबोर कॉलेज, कुवारीतोल, जिला नागांव, असम — 782137
10.	नाजिरा कॉलेज, नागा अली नाजिरा, सिबसागर, असम — 785640
11.	पीयूषी कामरूप कॉलेज, बैहाटा चारेली, कामरूप असम — 781381
12.	सोनापुर कॉलेज, सोनापुर, कामरूप (एम), असम — 782402
13.	तेजपुर विश्वविद्यालय, पो.ओ. नापाम, जिला सोतिपुर, तेजपुर, असम — 784028 fcgkj
14.	कलावती स्नातक महाविद्यालय, रानीगंज अररिया, बिहार — 854334 NÜkh l x<
15.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ — 491881 x i t j k r
16.	सी.पी. पटेल एंड एफ.एच. शाह कॉमर्स कॉलेज आनन्द, भालेज रोड आनन्द, एन.एस. पटेल आर्ट्स सर्कल के निकट, गुजरात — 388001
17.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन — 384265 गुजरात
18.	एन.एस. पटेल आर्ट्स कॉलेज, भालेज रोड आनन्द, गुजरात — 388001
19.	प्रमुख स्वामी साइंस एंड एच.डी. पटेल आर्ट्स कॉलेज, सर्व विद्यालय, कैम्पस, जिला मैसाणा रेलवे स्टेशन के पीछे, कादी — 382715, गुजरात
20.	श्री मणिभाई एंड श्रीमती नवलबेन वीरानी साइंस कॉलेज "योगीधाम गुरुकुल", कलावाड़ रोड, गुजरात — 360005
21.	तोलानी कॉमर्स कॉलेज, आदिपुर कच्छ, गुजरात — 121004 g f j ; k . k k
22.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ तिगांव रोड, (फरीदाबाद) — 121004
23.	आर्य कॉलेज, जी.टी. रोड, पानीपत, हरियाणा — 132103
24.	डी.ए.वी. कॉलेज फॉर गर्ल्स, जगाधरी रोड, यमुना नगर, हरियाणा — 135001
25.	केवीए डीएवी महिला कॉलेज, स्टेट हाइवे 8, सदर बाजार, करनाल, हरियाणा — 132001 t E e
26.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, त्रिकूटा नगर, जम्मू — 180012 > k j [k . M
27.	सेंट जेवियर कॉलेज, रांची, डा. कामली बुल्के पथ, (पुरुलिया रोड), झारखण्ड — 834001 d u k V d
28.	जे.एस.एस. महिला महाविद्यालय, सरस्वतीपुरम, मैसूर, कर्नाटक — 570009
29.	जेएसएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ऊटी रोड, मैसूर, कर्नाटक — 570001
30.	ज्योति निवास कॉलेज, होसूर रोड, बंगलुरु — 560095
31.	महारानी लक्ष्मी अम्मानी महिला महाविद्यालय, बंगलुरु— 560012
32.	माउंट कार्मेल कॉलेज, स्वायत्त, 58, पैलेस रोड, बंगलुरु — 560052
33.	सेंट जोसेफ कॉलेज (स्वायत्त) लालबाग रोड, बंगलुरु — 560027
34.	तुमकूर विश्वविद्यालय, साइंस कॉलेज कैम्पस, बी.एच. रोड, तुमकूर — 572101 d j y
35.	अल्फोंसा कॉलेज, कोट्टायम, केरल — 686575
36.	कार्मेल कॉलेज, माला, केरल — 680732
37.	फारुख कॉलेज, कोझीकोड — 673632
38.	कॉरीकोस इलायस कॉलेज, जिला — कोट्टायम, केरल — 686502
39.	मार इवानोईस कॉलेज तिरुवनंतपुर, केरल — 695015
40.	एमईएस कॉलेज, मारमपल्ली पो.ओ. नार्थ वाझाकुलम, अलुवा — 683107, केरल
41.	सेंट एलबर्ट कॉलेज, एर्णाकुलम, कोच्चि — 682100
42.	सेंट मेरी कॉलेज, कॉलेज रोड, थिरुसूर — 680020
43.	सेंट माईकल कॉलेज, माईथीथारा, चेरथाला, केरल
44.	सेंट थॉमस कॉलेज, पाला, अरुणापुरम—686574

o"kk	lLFkk dk uke
45.	सेंट थॉमस कॉलेज, कॉलेज रोड, थिसूर, केरल – 680001
46.	सेंट ऑलोसियस कॉलेज, एल्थुरुथ, त्रिसूर – 680611
47.	सुल्लामुसालम साइंस कॉलेज, एरीकोड – वाझाक्काड रोड, केरल – 673639 eè; in'k
48.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर – मध्य प्रदेश 452001
49.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट – 485331 egkj"V
50.	आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, सुपर एक्सप्रेस हाइवे, पुलगांव, जिला वर्धा – 442302
51.	देवगिरि कॉलेज, औरंगाबाद, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)–441614
52.	धोते बंधु साइंस कॉलेज, तिरोरा रोड, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) – 441614
53.	ध्यानोपासक शिक्षण मंडल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, परभनी – 431401
54.	डा. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र – 431004
55.	फर्रगसन कॉलेज, डेक्कन जिमखाना, पुणे, महाराष्ट्र – 431004
56.	एच.आर. कॉलेज ऑफ कामर्स एंड इकोनामिक्स, चर्चगेट, मुंबई– 4400020
57.	जयसिंहपुर कॉलेज, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) – 416001
58.	जे.एम. पटेल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, भंडारा – 441904
59.	जीवन विकास महाविद्यालय, धुगोनोदेव, तहसील नारखेड़, जिला नागपुर – 431301
60.	कमला कॉलेज, कोल्हापुर महाराष्ट्र – 416008
61.	कमला नेहरू महाविद्यालय, सक्करदारा स्ववेयर, उमरेर रोड, नागपुर – 441301
62.	खांदेश कॉलेज एजुकेशन सोसायटी मूलजी जेठा कॉलेज, जिला पेथ, जलगांव – 425201
63.	केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस कॉलेज, शिवाजी नगर, गंगापूर रोड, नासिक (महाराष्ट्र) – 422013
64.	केवीपी किसान आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निकट, एट. पो. ताल, पारोला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र – 425111
65.	लेट शॉ. कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय, जितूर रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 34, परभनी – 431401
66.	लोकनेते वेंकटराव हिरे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज (महाराष्ट्र) – 400051
67.	नगिनदास खंडवाला कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज एंड शंताबेन नागिनदास खंडवाला कॉलेज ऑफ साइंस, मुंबई – 400023
68.	पी.ई.एस. मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, गणेशखिंद महाराष्ट्र – 411053
69.	पीडीईए बाबूरावजी गोलप कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, नई सांगवी, पुणे – 411027
70.	प्रो. रामकृष्ण मोर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, सेक्टर नं. 28, गंगानगर, प्राधिकरण, अकरुणि, पुणे – 411044, महाराष्ट्र
71.	आर.जे. कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, रेलवे स्टेशन घाटकोपर के सामने, मुंबई – 400086
72.	रामनारायण रुईया कॉलेज, एन.एल. रोड, मातुंगा (ईस्ट) मुंबई – 400019
73.	संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, डी.जे. मालपानी कॉमर्स एंड बी.एन. सारदा साइंस कॉलेज, पुणे नासिक हाइवे, घुलेवाडी, संगमनेर, अहमदनगर – 414001
74.	शंकर महर्षि लेट भास्करराव सिंघे आर्ट्स कॉलेज बुलढाना (महाराष्ट्र) – 443201
75.	संत रामदास आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, घंसावांगी जिला, जालना – 431209
76.	शरद चन्द्र आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, पी-16, एमआईडीसी बूटीबोरी, जिला नागपुर – 440016
77.	सेंट जेवियर कॉलेज, महापालिका मार्ग, मुंबई – 400001
78.	तुलजाराम चतुरचंद कॉलेज, बॉक्स नं. 51, ए.पी. तहसील-बारामती, जिला पुणे, पिन – 413102
79.	पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिण्ड, पुणे महाराष्ट्र – 411007
80.	विकास नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, मुंबई – 400080
81.	विवेकानन्द कॉलेज, 2130, ई, ताराबाई पार्क, तालुक कारवीर कोल्हापुर – 416416
82.	वीएमवी कॉमर्स, जेएमटी आर्ट्स एंड जेजेपी साइंस कॉलेज, वर्धमाननगर, नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001
83.	वाघिरे कॉलेज, ए/पी : सासवाद, तहसील-पुरंदर, जिला पुणे, पिन 412301, महाराष्ट्र
84.	वाईसीएसपी मंडल्स दादासाहेब दिगम्बर शंकर पाटिल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, जलगांव (महाराष्ट्र) – 425001 ef.kij
85.	खा मणिपुर कॉलेज, मणिपुर – 795001
86.	नाम्बोल एल. सनोई कॉलेज, नाम्बोल, विष्णुपुर, मणिपुर – 795134

o"k	lLFkk dk uke
87.	नौराम बीराहरी कॉलेज, खुदराकापम इम्फाल, मणिपुर — 795144
88.	एस. कूला महिला महाविद्यालय, कोंगखाम्पेट, मणिपुर — 795134
89.	सॉउथ ईस्ट मणिपुर कॉलेज, कोमलथाबी, पो.ओ. पल्लेल, चंदेल जिला, मणिपुर — 795135
90.	थोबाल कॉलेज, थोबाल वांगमाताबा, डाकघर एवं थाना थोबाल, 795138 मणिपुर ukxkyi.M
91.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, बागवाना विभाग, एसएसएसआरडी, मेदजीफेमा कैम्पस, मेदजीफेमा — 797106 नागालैण्ड i t k c
92.	ए.एस. कॉलेज, समराला रोड, खन्ना, लुधियाना — 141402, पंजाब
93.	एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, महावीर मार्ग, जालंधर, पंजाब — 144004
94.	बी.बी.के. डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय लारेंस रोड, अमृतसर, पंजाब — 143001
95.	दोआबा कॉलेज, विद्यालय मार्ग, देवी तालाब मंदिर के सामने, जालंधर शहर, जिला जालंधर, पंजाब — 144004
96.	जी.एस.एस.डी.जी.एस. खालसा कॉलेज, पटियाला — 147001
97.	गोस्वामी गणेश दत्त एस.डी. कॉलेज, सेक्टर 32—सी, चण्डीगढ़ 160030
98.	गुरु नानक कॉलेज बुधलाडा, मानसा, पंजाब — 151502
99.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय महाविद्यालय, पट्टी, तारण — 143005
100.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय महाविद्यालय, वरका, जिला — अमृतसर, पिन 143501
101.	हंसराज महिला महाविद्यालय, महात्मा हंस राज मार्ग, जालंधर, पंजाब 144001
102.	कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, फगवाड़ा कपूरथला, पंजाब — 144401
103.	खालसा महिला कॉलेज, जी.टी. रोड, दशमेश अकेडमी के सामने, छेराटा, पुतली घर, अमृतसर, पंजाब — 143001
104.	लायलपुर खालसा कॉलेज, जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब — 144001
105.	माता गुजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब — 140406
106.	अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह मेमोरियल कॉलेज, बेला रोपण पंजाब ग्राम बेला तहसील चमकौर साहिब, जिला रोपण, पंजाब — 140112 j k t L F k k u
107.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली — 304022 r f e y u k M
108.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी, कराईकुडी, तमिलनाडु — 630003
109.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर — 608002 (तमिलनाडु)
110.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर — 641046, तमिलनाडु
111.	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, (स्वायत्त) ताम्बराम ईस्ट, चेन्नई 600059
112.	पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, अविनाशी रोड, सिविल एरोड्रोम पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु — 641014
113.	पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला महाविद्यालय, पीलामेडु, कोयम्बटूर — 641004
114.	सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु — 620002
115.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, मेट्टूपलायम रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु — 641043 m ū k j i n ' k
116.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश — 202002
117.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, 226025
118.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय) आगरा — 282005
119.	हामिदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सुल्तानपुर भावा, नूरुउल्लाह रोड, इलाहाबाद — 211003
120.	नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, लखनऊ, 226001
121.	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलेनाला, परमानंदपुर, वाराणसी — 221001
122.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ — 226007 (उत्तर प्रदेश) i f ' p e c x k y
123.	आशुतोष महाविद्यालय, 92, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता — 700026, पश्चिम बंगाल
124.	बेल्दा कॉलेज, पो.ओ. बेल्दा, जिला पश्चिम मिदिनापुर — 721424, पश्चिम बंगाल
125.	डेरोजिओ मेमोरियल कॉलेज, परगना — 700136, पश्चिम बंगाल
126.	महिषादल गिरी महाविद्यालय, रांगीबासन, डाकघर महिषादल, पूर्वी मिदिनापुर (पश्चिम बंगाल) पिन — 721628
127.	रामनगर कॉलेज पूर्वी मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल — 721453



10.2 दूरस्थ शिक्षा

10-2%ik njLFk f'k{kk C;jk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के आदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के विनियमन, मानकों के अनुरक्षण तथा तदनुसार मान्यता प्रदान करने के संबंध में निदेश जारी किये हैं। निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत अंतर्विष्ट हैं:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (ओडीएल) के संबंध में विनियामक के रूप में कार्य करेगा तथा विश्वविद्यालय/संस्थानों को ऐसे कार्यक्रम चलाने करने के लिये मान्यता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होगी;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माधव मेनन समिति की रिपोर्ट (दिसम्बर, 2011) की सिफारिशों के अनुरूप मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) कार्यक्रमों में मानदण्डों तथा मानकों के अनुरक्षण हेतु विनियम तैयार करेगा;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियामक कृत्यों के निर्वहन हेतु अनिवार्य वास्तविक अवसंरचना तथा जनशक्ति का प्रबंधन करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ इग्नू के परामर्श से पूर्ववर्ती दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसी) के कर्मचारिवृद्धों की सेवाएं लेगा;
- जैसे ही डीईसी का विघटन किया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ओडीएल कार्यक्रमों के विनियामक के रूप में कार्य करना आरंभ कर देगा।

इसके अनुसरण में दिनांक 04 मई, 2013 को इग्नू द्वारा अधिसूचना के माध्यम से डीईसी का विघटन कर दिया गया था तथा डीईसी के कार्यकरण को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 31 मई, 2013 के आदेश के माध्यम से अपने हाथ में लिया गया था। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ओडीएल प्रणाली में मानदण्ड के रखरखाव हेतु नये विनियमों को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 17 जून, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से ओडीएल संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु न्यूनतम अपेक्षा संबंधी डीईसी दिशानिर्देशों को अंगीकार किये जाने को अधिसूचित किया।

डीईसी, इग्नू के कर्मचारिवृद्धों की वापसी के साथ ही वर्ष 2014-15 से डीईसी के समग्र कार्यकरण को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने हाथ में ले लिया। कार्यकरण संबंधी अभिलेखों को भी इग्नू परिसर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शाखा कार्यालय 35, फिरोजशाह रोड भेज दिया गया। दूरस्थ शिक्षा से संबंधित कार्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) द्वारा परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ नियमित कर्मचारिवृद्धों का पुनर्समायोजन कर प्रबंधन किया जा रहा है।

मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में मानकों का रखरखाव करने के लिए प्रो. एन.आर. माधव मेनन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से नये ओडीएल विनियम तैयार कर रहा है।

नये ओडीएल विनियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान केवल उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता को जारी रखने का निर्णय लिया जो वर्ष 2013-14 के दौरान मान्यताप्राप्त थे।

वर्ष 2014-15 के दौरान दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम की सूची नीचे तालिका 10.3(क) में दी गई है।

rkfy dk 10-3% d ½ f'k{kk o"K 2014&15 d nkjku njLFk f'k{kk i)fr d ekè;e l dk;Øek dh i'kd'k dju gr ekU; rkiklr fo'ofokky; k@lLFkkuk d uke dh lphA

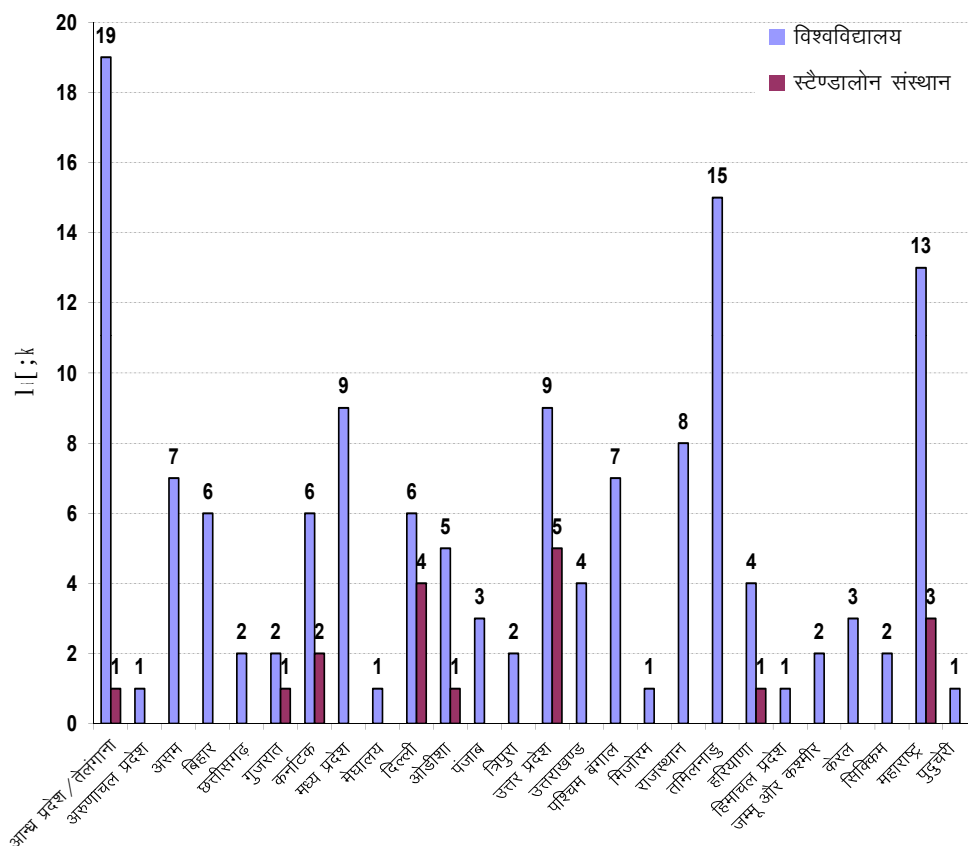
Ø- l-	jkT;	fo'ofokky; @egkfo ky;
1.	vkUek in'k	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर
2.		आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
3.		डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, तेलंगाना
4.		द्रविड़यन विश्वविद्यालय, आगाराम
5.		गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड मेनेजमेन्ट, रूशीकोन्डा, विशाखापत्तनम
6.		जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
7.		काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल (तेलंगाना)
8.		मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबौली, हैदराबाद, तेलंगाना
9.		नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च (नालसार) नालसार विधि विश्वविद्यालय, जस्टिस सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना
10.		नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट, राजेन्द्रनगर मण्डल, हैदराबाद, तेलंगाना+
11.		ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
12.		पोट्टी श्रीरामूलू तेलगू विश्वविद्यालय, नामपल्ली, हैदराबाद
13.		राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
14.		रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूल
15.		श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर
16.		श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, (वीमेन युनिवर्सिटी) पद्ममावती, तिरुपति, चित्तूर
17.		श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति
18.		द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना
19.		द आईसीएफएआई फाऊन्डेशन फॉर हॉयर एजुकेशन, हैदराबाद, (आईएफएचई), दोनथानापल्ली, हैदराबाद
20.		हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
21.	v#.kkpy in'k	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख
22.	vle	असम डान बास्को विश्वविद्यालय, अजारा, गुवाहाटी
23.		असम डाउन टॉउन विश्वविद्यालय, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी
24.		असम विश्वविद्यालय, सिल्वर
25.		डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़
26.		गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
27.		कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
28.		तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
29.	fcgkj	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
30.		जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
31.		ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
32.		मगध विश्वविद्यालय, बोध गया
33.		नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना
34.		पटना विश्वविद्यालय, पटना
35.	NÜkh l x<	सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा विलासपुर
36.		पण्डित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
37.	x t jkr	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
38.		इंटरप्रेनूर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद

Ø- 1- jkT;	fo' ofo ky ; @egkfo ky ;
39.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट
40. dukVd	आई.एफ.आई.एम. बिजनेस स्कूल, बंगलुरु
41.	कन्नड विश्वविद्यालय हम्पी, हम्पी
42.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर
43.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा
44.	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर
45.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी
46.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु
47.	तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर
48. eè; in'k	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
49.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
50.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
51.	डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय
52.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
53.	एम.पी.भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल
54.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटना
55.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
56.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
57. e?kk y ;	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, खाना पारा
58. ub' fnYyh	ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन
59.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
60.	इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट
61.	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय
62.	जामिया मिलिया इस्लामिया
63.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमली वेलफेयर
64.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सम विश्वविद्यालय
65.	स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय
66.	टेक्नीया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज
67.	टेरी विश्वविद्यालय
68. vkMh'kk	एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भुवनेश्वर
69.	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर – 760007
70.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर
71.	उत्तरी ओडिशा विश्वविद्यालय श्रीराम चंद्र विहार, मयूरभंज
72.	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, सम्भलपुर
73.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
74. i t k c	लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी, फगवाड़ा
75.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
76.	थापर विश्वविद्यालय, पटियाला
77. f=i j k	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला
78.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर
79. mUkj in'k	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
80.	एमिटी युनिवर्सिटी, नोएडा
81.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, (सम विश्वविद्यालय), आगरा
82.	ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेटर नोएडा
83.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोई
84.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद
85.	इंटीग्रल युनिवर्सिटी, लखनऊ
86.	एनआईएमटी ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा
87.	एनआईएमटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद
88.	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
89.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
90.	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
91.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

Ø- 1-	jkT;	fo' ofo ky ; @egkfo ky ;
92.		सैम हिग्निबोटम इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस (एसएचएआईटीएस), सम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
93.	mÜkj[k.M	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार
94.		आईसीएफएआई युनिवर्सिटी, देहरादून
95.		युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस), देहरादून
96.		उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
97.	if'pe cxky	युनिवर्सिटी ऑफ नार्थ बंगाल, दार्जिलिंग
98.		जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
99.		नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता
100.		वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान
101.		कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी
102.		विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर
103.		रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता
104.	fe t kje	आईसीएफएआई, आइजौल
105.	jk t LFkku	वर्द्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा
106.		जैन विश्वभारती इंस्टिट्यूट, लान्डनू
107.		एनआईएमएस विश्वविद्यालय, जयपुर
108.		जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर
109.		जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर
110.		भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर
111.		जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर
112.		ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
113.	rfeyukM	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई
114.		अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर
115.		भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
116.		भारथीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली
117.		दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई
118.		मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई
119.		पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम
120.		शणमुगा आर्ट्स साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी, थंजावुर
121.		तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
122.		तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी
123.		तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर
124.		मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
125.		मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली
126.		अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी
127.		मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल
128.	gfj;k.kk	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा
129.		गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार
130.		कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
131.		महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
132.		जे.के. बिजनेस स्कूल, गुडगांव
133.	fgekpy in'k	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
134.	tEe vkj d'ehj	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
135.		कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
136.	djy	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर
137.		कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड(वि.अ.आ. की क्षेत्रीय नीति का उल्लंघन करने के कारण मान्यता वापस ली जा रही है)
138.		केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम (वि.अ.आ. की क्षेत्रीय नीति का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 15.06.2015 से वर्ष 2015-16 के लिए मान्यता वापस ली जा रही है)
139.	flfDde	आईसीएफएआई, गंगटोक
140.		विनायक मिशनस सिक्किम युनिवर्सिटी, गंगटोक
141.	egkj'V'	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक
142.		भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे

Ø- l- jkT;	fo'ofok y ;@egkfo k y ;
143.	डॉ. डी. वार्ड. पाटिल विश्वविद्यालय, पुणे
144.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई
145.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा
146.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई
147.	पदमश्री डॉ. डी.वार्ड पाटिल विद्यापीठ, नवी मुंबई
148.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
149.	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई
150.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड
151.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई
152.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
153.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
154.	सिम्बायोसिस सेंटर्स फॉर डिस्टेंस लर्निंग, पुणे
155.	एमआईटी स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, पुणे
156.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटीरियल मैनेजमेंट
157. inpjh	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी

j:[kkfp= 10-3% d% njLFk f'k{kk i:.kkyh %2014&15% d ekè;e l dk;Øek dh i:'kd'k dju gr ekU;rkiklr
fo'ofok y ;@egkfo k y ;k dh jkT;okj lph



दोहरी पद्धति के विश्वविद्यालय जो नियमित पद्धति से भी शिक्षा प्रदान कर रहे थे उन राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों (डीईआई) को विकास अनुदान तथा अनियोजित अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा था। वर्ष 2014-15 के दौरान विकास अनुदान के रूप में सात राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को 1557.50 लाख रुपये जारी किये गये थे। किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान को अनियोजित अनुदान जारी नहीं किये जा सके। डीईआई को कोई भी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास निधियां उपलब्ध नहीं थी।

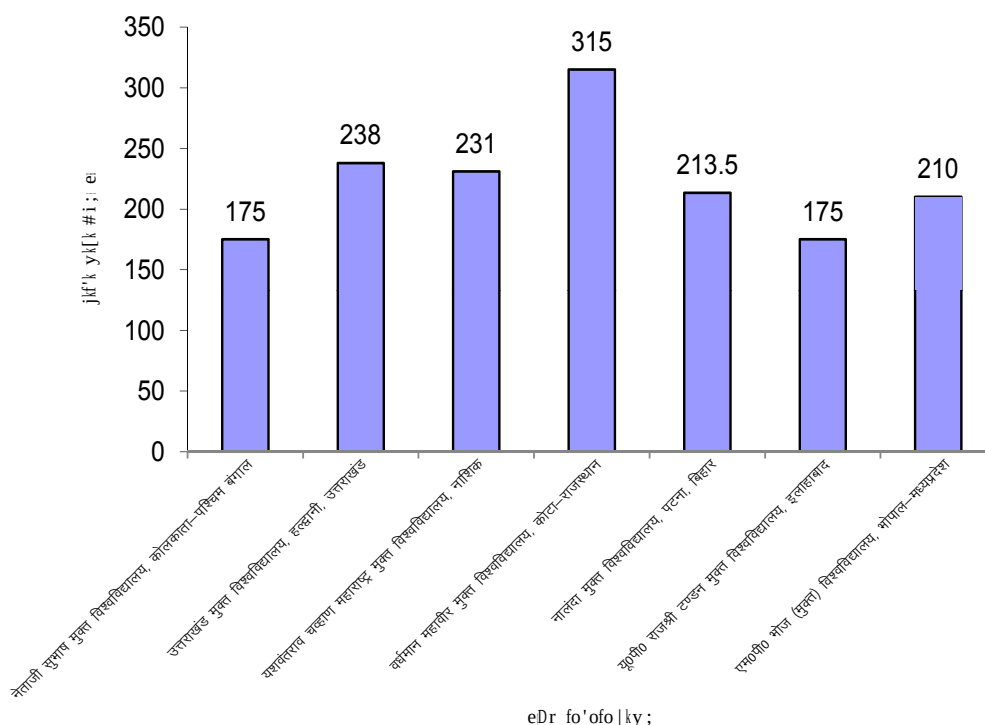
वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को जारी किये गये विकास अनुदान के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण तालिका 10.3(ख) में दिया गया है।

तालिका 10-3 विकास अनुदान 2014-15 के दौरान राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को जारी किये गये विकास अनुदान के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण तालिका 10.3(ख) में दिया गया है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान (लाख रुपये में)
1.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता-पश्चिम बंगाल	175.00
2.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	238.00
3.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	231.00
4.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा-राजस्थान	315.00
5.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	213.50
6.	यू.पी. राजश्री टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	175.00
7.	एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल-मध्यप्रदेश	210.00
	कुल	1557.50

तालिका 10-3 विकास अनुदान 2014-15 के दौरान राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को जारी किये गये विकास अनुदान के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण तालिका 10.3(ख) में दिया गया है।



10.3 विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यचर्या में नवोन्मेष तथा सुधार, शिक्षण-ज्ञान अर्जन प्रक्रिया तथा परीक्षा और मूल्यांकन प्रणालियों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक मानदण्ड और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आरंभ की गई अनेक पहलों में से एक पहल सीबीसीएस भी है।

सीबीसीएस के तहत विश्वविद्यालयों में वर्तमान में अपनाई जा रही अंकों में मार्किंग करने की प्रणाली के स्थान पर मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली का अपनाने का अनुरोध किया गया है।

इससे एक देश तथा विदेश में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्रों का स्थानांतरण किया जा सकेगा तथा संभावित नियोजक, छात्र के निष्पादन का आकलन करने में सक्षम होंगे। ग्रेडिंग प्रणाली में वांछित एकरूपता लाने के लिए तथा परीक्षाओं में छात्रों के निष्पादन के आधार पर संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) के परिकलन की पद्धति को आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विस्तृत

दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके साथ-साथ सीबीसीएस के तहत उच्चतर शिक्षा के संस्थान पारंपरिक वार्षिक प्रणाली से सेमेस्टर प्रणाली को अपना लेंगे। सेमेस्टर प्रणाली शिक्षण-ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को गति देता है तथा ज्ञान अर्जन में उर्ध्व तथा समस्तरीय स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यचर्या को तैयार करने तथा पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और शिक्षण के घंटों के आधार पर क्रेडिट प्रदान करने में लचीलापन प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बी.ए., बी.काम., तथा बी.एस.सी. (सामान्य तथा प्रवीण) जैसे अलग-अलग स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए एक न्यूनतम पाठ्यचर्या भी विकसित की है। सीबीसीएस के तहत एक मॉड्यूल के रूप में पाठ्यचर्या को पुनः तैयार किया जाना है। देशभर में उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता की मदद से तैयार किये गये पाठ्यचर्या को विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है।

fnukd 31-03-2015 dh fLFkfr d; vu|kj dUnh;] jkT; %fo'ofok|ky; vunku vk;kx vf/kfu;e dh /kkjk 12%[k½ d; rgr lfeefyr fo'ofok|ky; k lfg r½] jkT; fu th fo'ofok|ky; vkj jkT; foëkkue.Myk d; vf/kfu;e d; vUrxir LFkkfir lLFkku rFkk lfo'ofok|ky; lLFkkuk dh jkT;okj lph

(क) दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Ø-1-	jkT;@fo'ofok ky;	LFkkiuk dk o"k	oclkv
	v: .kkpy in'k		
1	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स, पी.ओ. दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश-791112	1985 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	http://www.rgu.ac.in
	v le		
2	असम विश्वविद्यालय, पी.ओ. असम विश्वविद्यालय, सिलचर-788011	1994	http://www.aus.ac.in
3	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनीतपुर, पोस्ट बॉक्स नम्बर 72, नापाम, तेजपुर, असम-784001	1994	http://www.tezu.ernet.in
	fcgkj		
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पी.ओ.-बी.वी. कालेज, पटना-800 014	2009	http://www.cub.ac.in
5	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा-803116, बिहार*	2010	http://nalandauniv.edu.in
6	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार	2014	http://www.mguniversity.ac.in
	NRrh l x<		
7	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य कैम्पस, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495009	1983 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	http://www.ggu.ac.in
	x t jkr		
8	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-29, गाँधीनगर-382029, गुजरात	2009	http://www.cug.ac.in
	gfj; k.kk		
9	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जंत-पाली, जिला महेन्द्रगढ़-123029	2009	http://www.cuh.ac.in
	fgekpy in'k		
10	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नम्बर 21, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176215	2009	http://www.cuhimachal.ac.in
	tEe vkj d'ehj		
11	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्पस, सोनवार, जी.बी. पंत अस्पताल के निकट, श्रीनगर-190005(जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cukashmir.ac.in
12	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बाग्ला (राहया-सुचानी), जिला साम्बा, जम्मू-181143 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cujammu.ac.in
	>kj [k.M		
13	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रातु लोहारडागे रोड, बराम्बे, रांची-835205 झारखण्ड	2009	http://www.cuj.ac.in
	dukVd		
14	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कदागांची, अलांद रोड, अलांद तालुक, गुलबर्गा (जिला)-585311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in

Ø-1-	jkT;@fo' ofo ky ;	LFkkiuk dk o"ki	oc lkbV
	djy		
15	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बी.के.एम. टॉवर, नयनमार मूला, विद्यानगर, पो.ओ.—कासरगोड—671123	2009	http://www.cukerala.ac.in
	ee; in'k		
16	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश—470003	1946 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	http://www.dhsgsu.ac.in
17	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी, मकाल सदन, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश	2008	http://www.igntu.nic.in
	egkj'V		
18	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नम्बर 16, पंचटीला, उमरी ग्राम, अर्वा रोड, वर्धा, मुंबई—442001	1997	http://www.hindivishwa.org
	ef.kij		
19	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल—795004*	1993	http://www.cau.org.in
20	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, इम्फाल, मणिपुर—795003	1983 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	http://www.manipuruniv.ac.in
	e?kky ;		
21	नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, एनईएचयू कैम्पस, शिलांग, मेघालय—793022	1973	http://www.nehu.ac.in
	fe t kje		
22	मिजोरम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नम्बर 910, आईज़ौल, मिजोरम—796009	2000	http://www.mzu.edu.in
	ukxky'.M		
23	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमानी, नागालैण्ड—797001	1994	http://www.nagalanduniversity.ac.in
	vkMh'kk		
24	ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लांडीगुड़ा, कोरापुट, ओड़िशा—764020	2009	http://www.cuo.ac.in
	i t kc		
25	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पो0बा0—55, भटिन्डा, पंजाब—151001	2009	http://www.cup.ac.in
	jk t LFkku		
26	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8, बंदार सिंदरी, जिला—अजमेर—305801, राजस्थान	2009	http://www.curaj.ac.in
	fl fDde		
27	सिक्किम विश्वविद्यालय, छठा माइल, समदुर, डाकघर तदांग, गंगटोक, सिक्किम—737102	2007	http://www.cus.ac.in
	rfeyukM		
28	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, निलाकुड़ी कैम्पस, कांगलानचेरी (पोस्ट), तिरुवारूर—610001, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
29	इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई—600119*	2008	http://www.imu.edu.in
	ry: xkuk		
30	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश—500046	1974	http://www.uohyd.ac.in
31	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबौली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश—500032	1998	http://www.manuu.ac.in

Ø-l-	jkT;@fo'ofok ky ;	LFkkiuk dk o"kk	oc lkbV
32	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, ओ.यू. कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500007	1973 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	http://www.efluniversity.ac.in
	f=ijk		
33	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सुर्यामणिनगर, त्रिपुरा-799130, अगरतला	1987	http://www.tripurauniv.in
	mRrj in'k		
34	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002	1920	http://www.amu.ac.in
35	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002	1887	http://www.alluniv.ac.in
36	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्यानगर, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025	1996	http://www.bbau.ac.in
37	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	1916	http://www.bhu.ac.in
38	राजीव गांधी नेशनल एवियेशन युनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश *		
	mRrjk[k.M		
39	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246174	1973 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	http://www.hnbgau.ac.in
	if'pe cXky		
40	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल-731235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in
	jk"Vh; jktèkkuh {k=} fnYyh		
41	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली -110007	1922	http://www.du.ac.in
42	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068*	1985	http://www.ignou.ac.in
43	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	1988	http://www.jmi.nic.in
44	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110067	1969	http://www.jnu.ac.in
45	सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्य पुरी नई दिल्ली *	2010	http://www.southasianuniversity.org
	inppjh		
46	पुदुचेरी युनिवर्सिटी, आर. वेंकटरमन नगर, कालापेट, पुदुचेरी-605014	1985	http://www.pondiuni.edu.in

* नोट: छह विश्वविद्यालय नामतः (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (दो) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और (तीन) इंडियन मेरीटाईम युनिवर्सिटी, चेन्नई-600119, (चार) सॉउथ एशियन युनिवर्सिटी, नई दिल्ली (पांच) राजीव गाँधी नेशनल एवियेशन युनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, (छह) नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार को अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है क्योंकि इन्हें सीधे ही भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

ख. दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय

(*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किये गये विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं)

Ø- l-	jkT;@fo' ofo ky ;	LFkkiuk dk o"k	oc lkbV
	vkU/k in'k		
1.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर – 522510*	1976	http://www.anu.ac.in
2.	अदिकवि नन्या विश्वविद्यालय, जया कृष्णपुरम, राजामुन्त्री – 533105 आन्ध्र प्रदेश	2006	http://www.nannayauniversity.info
3.	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम – 530003*	1926	http://www.andhrauniversity.edu.in
4.	दामोदरम संजीवैया, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी (पूर्व में ए.पी. युनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से विख्यात) पैलेस लेआउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम – 530017 (आन्ध्र प्रदेश) (राज्य विश्वविद्यालय)	2008	http://www.dsnlu.ac.in
5.	डा. एन.टी.आर युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (पूर्व में आंध्र प्रदेश युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम से विख्यात) विजयवाड़ा – 520008 (राज्य विश्वविद्यालय)	1986	http://www.ntruhs.ap.nic.in
6.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, एतचेरला-532410 श्रीकाकूलम	1982	http://www.brau.in
7.	द्रविडयन विश्वविद्यालय, कुप्पम – 517425*	1997	http://www.dravidianuniversity.ac.in
8.	डा. वार्ड.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वेंकटारमणनगुंडम, जिला पश्चिम गोदावरी- 536101, आन्ध्र प्रदेश*	2011	www.drysrhu.edu.in
9.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर*	2008	http://www.jntua.ac.in
10.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा*	2008	http://www.jntuk.edu.in
11.	कृष्णा विश्वविद्यालय, आन्ध्र जातीय कालासाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम – 521001	2008	http://www.krishnauniversity.ac.in
12.	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूल – 518002*	2008	http://rayalseemauniversity.ac.in
13.	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तापुर – 515003*	1981	http://www.skuniversity.org
14.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति – 517502 *	1983	http://www.spmvv.ac.in
15.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति – 517507 *	1954	http://www.svuniversity.in
16.	श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, पुरुन्देरादास कॉम्प्लेक्स, परकासम रोड़, तिरुपति*	2006	http://www.svvedicuniversity.org
17.	श्री वेंकटेश्वरा वैटेरीनरी युनिवर्सिटी, प्रशासनिक कार्यालय, क्षेत्रीय ग्रंथालय भवन, तिरुपति – 517502*	2005	http://www.svvu.edu.in
18.	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरुपति – 517507 *	1993	http://www.svimstpt.ap.nic.in
19.	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर – 524003	2008	http://www.simhapuriuniv.ac.in
20.	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वेमानापुरम, कदप्पा – 516003*	2006	http://www.yogivemanauniversity.ac.in
	v le		
21.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट – 785013*	1968	http://www.aau.ac.in
22.	असम राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ को-ऑपरेटिव मेनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम*	2010	http://www.argucom.org.in
23.	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहीलीपारा, गुवाहाटी – 19 असम	2011	http://www.astu.org.in
24.	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट-785004, असम	2013	http://www.awu.ac.in

Ø- 1-	jkT ; @fo' ofo ky ;	LFkki uk dk o" k	oc l kbV
25.	बोडोलैण्ड विश्वविद्यालय, देब्रागांव, डाकघर रंगालीखेटा, कोकराझार, 783370, बीटीसी, असम	2009	http://www.bodolanduniversity.ac.in
26.	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम (राज्य विश्वविद्यालय)	2011	http://www.ccsu.ac.in
27.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ – 786004*	1965	http://www.dibru.ac.in
28.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी – 781014*	1948	http://www.gauhati.ac.in
29.	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006	2007	http://www.kkhsou.in
30.	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी-781335, असम	2011	http://www.kbvsasu.in
31.	नेशनल लॉ युनिवर्सिटी एण्ड जूडीशियल अकादमी, एनइजेओटीआई बिल्डिंग, बी. के. काकाती रोड, भोलानाथ मंदिर पथ, उलूबेरी, गुवाहाटी – 781007, असम	2012	http://www.nluassam.ac.in
32.	श्रीमंत शकरादेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007	http://www.ssunhs.in
fcgkj			
33.	आर्यभट्ट नॉलेज युनिवर्सिटी, 8, ऑफिस पोलो रोड, पटना – 800001, बिहार	2008	http://www.akubihar.ac.in
34.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर – 842001 *	1952	http://www.brabu.net
35.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर, भागलपुर, 813210, बिहार	2010	http://www.bausabour.org.in
36.	भूपेन्द्र नारायण मण्डल युनिवर्सिटी, मधेपुरा – 852113*	1993	http://www.bnmu.bih.nic.in
37.	चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टैंडीज कैम्पस, गांधी मैदान, पटना – 800001 *	2006	http://www.cnlu.ac.in
38.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301*	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
39.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008*	1961	http://www.ksdsu.edu.in
40.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008*	1972	http://www.lnmu.in
41.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया – 824234*	1962	http://www.magadhuniversity.org
42.	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन युनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड, पटना – 800001 (बिहार)	2004	http://www.mmhapu.bih.nic.in
43.	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना – 800001	1995	http://www.nalandaopenuniversity.com
44.	पटना विश्वविद्यालय, पटना – 800005*	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
45.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर – 848125*	1970	http://www.pusavarsity.org.in
46.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर – 812007*	1960	http://www.tmbu.org
47.	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा – 802301*	1994	http://www.vksu-ara.org
NÜkh l x<			
48.	छत्तीसगढ़ आयुश एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ (राज्य विश्वविद्यालय)	2008	http://www.cghealthuniv.com
49.	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदालपुर, जिला – बस्तर	2008	http://www.bvvjdp.ac.in
50.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2011	http://www.bilaspuruniversity.ac.in
51.	छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग-491001, छत्तीसगढ़	2011	www.cgkv.ac.in

Ø- 1-	jKT; @fo' ofo ky ;	LFkkiuk dk o"K	oc lkbV
52.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर – 8, भिलाई 490009 (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.csvtu.ac.in
53.	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर – 492001*	2003	http://www.hnlu.ac.in
54.	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर – 492006*	1987	http://www.igau.edu.in
55.	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ – 491881*	1956	http://www.iksvv.com
56.	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktunj.ac.in
57.	पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर – 492010*	1964	http://www.prsu.ac.in
58.	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	http://www.pssou.ac.in
59.	सरगूजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर	2008	http://www.sua.nic.in
	xkok		
60.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा – 403206*	1985	http://www.unigoa.ac.in
	x t jkr		
61.	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	http://www.aau.in
62.	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर – 364002*	1978	http://www.bhavuni.edu
63.	सेंटर फॉर एनवार्यमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी युनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय मार्ग, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009 (गुजरात)	2005	http://www.cept.ac.in
64.	चिल्ड्रेन्स युनिवर्सिटी, सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर – 20, गांधीनगर, गुजरात*	2009	www.cugujarat.ac.in
65.	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड, नाडियाड – 387001 (गुजरात)* (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	2000	http://www.ddu.ac.in
66.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद – 380003	1995	http://www.baou.edu.in
67.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय सरदार क्रूशीनगर, बनासकांथा – 385506*	1972	http://www.sdau.edu.in
68.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर – 361008*	1968	http://www.ayurveduniversity.edu.in
69.	गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर – 382007*	2003	http://www.gnlu.ac.in
70.	गुजरात विश्वविद्यालय अहमदनगर – 380009*	1950	http://www.gujaratuniversity.org.in
71.	गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात*	2007	http://www.gtu.ac.in
72.	गुजरात फॉरेन्सिक साइंस युनिवर्सिटी, सेक्टर 18/ए, पुलिस भवन के निकट, गाँधीनगर – 382007 गुजरात	2008	http://www.gfsu.edu.in
73.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात युनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, युनिवर्सिटी रोड, पाटन – 384265*	1986	http://www.ngu.ac.in
74.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, शासकीय महाविद्यालय परिसर, महात्मा मंदिर के निकट, जी-4, सेक्टर – 15, गांधीनगर, 382016, गुजरात	2010	www.iite.ac.in
75.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़-362001, गुजरात	2004	http://www.jau.in

Ø- 1-	j kT ; @fo' ofo ky ;	LFkk i uk dk o" k	oc l kbV
76.	कामधेनू विश्वविद्यालय, "कृषिभवन", सेक्टर-10, ए-ब्लॉक, पोडियम लेवल, गांधीनगर-382010, गुजरात	2009	http://www.ku-guj.org
77.	क्रान्तिगुरु श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, सीएस-60, जुबली ग्राउंड, भुज-कच्छ - 370001	2004	http://www.kskvku.digitaluniversity.ac.in
78.	महाराजा सायाजीरॉव बड़ोदा विश्वविद्यालय, वडोदरा - 390002*	1949	http://www.msubaroda.ac.in
79.	रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, न्यू मेंटर कारनर, मेघनीनगर, अहमदाबाद - 380016, गुजरात	2011	http://www.rakshashaktiuniversity.ac.in
80.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर - 388120*	1955	http://www.spuvvn.edu
81.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट - 360005*	1955	http://www.saurashtrauniversity.edu
82.	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत-395007*	1965	http://www.vnsgu.ac.in
83.	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तालुक बेरावल, जिला जूनागढ़ - 362265 (गुजरात)	2005	http://www.shreesomnathsanskrituniversity.info
84.	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी, सेक्टर - 19, पुनीत वन रोड, सुविधा केन्द्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस के निकट, गांधीनगर, 382019, गुजरात	2011	http://www.sycd.gujarat.gov.in
	gfj ; k. kk		
85.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा*	2006	http://www.bpswomenuniversity.ac.in
86.	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी-127021, हरियाणा	2014	http://www.cblu.ac.in
87.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा*	2003	http://www.cdlu.in
88.	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द, हरियाणा	2014	http://www.crsujind.org
89.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार - 125004*	1970	http://www.hau.ernet.in
90.	दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरुथल, हरियाणा*	2006	http://www.dcrusm.org
91.	पं. भगवत दयाल शर्मा युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा*	2008	http://www.uhsr.ac.in
92.	गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार - 125001*	1995	http://www.gjust.ac.in
93.	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी-122502, हरियाणा	2013	http://www.igi.ac.in
94.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र - 136119*	1956	http://www.kuk.ac.in
95.	लाला लाजपत राय युनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार - 125004, हरियाणा*	2010	http://lwww.uvas.edu.in
96.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक - 124001*	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
97.	स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एण्ड विजुअल आर्ट्स, इंटीग्रेटेड कैम्पस, सेक्टर-6, रोहतक, हरियाणा	2014	http://www.supva.ac.in
98.	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद - 121006, हरियाणा*	2009	http://www.ymcaust.ac.in
	fgekpy in'k		
99.	डॉ. वाई.एस. परमार युनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री युनिवर्सिटी, नौनी - 173230*	1986	http://www.yspuniversity.ac.in
100.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला - 171005*	1970	http://www.hpuniv.ac.in

Ø- 1-	jkT;@fo'ofok ky ;	LFkkiuk dk o"kk	oc lkbV
101.	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर – 176062*	1978	http://www.hillagric.ac.in
102.	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, शासकीय बहुकला संस्थान, बारु, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	2010	http://www.himtu.ac.in
	tEe vkj d'ehj		
103.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*	2005	http://www.bgsbuniversity.org
104.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर – 190006*	1949	http://www.kashmiruniversity.net
105.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर – 191121*	1982	http://www.skuastkashmir.ac.in
106.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू-180009	1999	http://www.skuast.org
107.	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू – 180004*	2004	http://www.smvdu.net.in
108.	इस्लामिक युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी युनिवर्सिटी एवेन्यू, अवान्तिपुरा, पुलवामा – 192122 (जम्मू और कश्मीर)*	2005	http://www.islamicuniversity.edu.in
109.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी 180006*	1968	http://www.jammuniversity.in
	>kj[k.M		
110.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची – 834006*	1980	http://www.baujharkhand.org
111.	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूम (झारखण्ड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
112.	नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एण्ड रिसर्च इन लॉ, बहुकला संस्थान परिसर, बीआईटी, मेसरा, रांची-835217, झारखण्ड	2010	http://www.nusrlranchi.ac.in
113.	नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मादीनीनगर, पलामू – 822101	2007	http://www.npu.ac.in
114.	राँची विश्वविद्यालय, राँची – 834001*	1960	http://www.ranchiuniversity.org
115.	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका – 814101*	1992	http://www.skmu.edu.in/
116.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग – 825301*	1993	http://www.vbu.co.in
	dukVd		
117.	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु – 560056*	1964	http://www.bub.ernet.in
118.	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002 कर्णाटक (राज्य विश्वविद्यालय)*	2009	http://www.davangereuniversity.org
119.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा – 585106*	1980	http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in
120.	कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, जिला बेलारी, कमालपुरा – 583276*	1992	http://www.kannadauniversity.org
121.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580003*	1949	http://www.kud.ac.in
122.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर – 586101 (कर्नाटक)*	2004	http://www.kswu.ac.in
123.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा – 577451*	1987	http://www.kuvempu.ac.in
124.	कर्नाटक वेटरिनेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंस युनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर – 585401 (कर्नाटक)	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
125.	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली*	2009	http://www.kslu.ac.in
126.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर – 570006	1996	http://www.ksoumysore.edu.in

Ø- 1-	j kT ; @fo' ofo ky ;	LFkk i uk dk o" k	oc l kbV
127.	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बंगलुरु — 580018	2011	http://www.ksu.ac.in
128.	कर्नाटक फोकलोर युनिवर्सिटी, 2/106, केएसएसएसआईए बिल्डिंग, तीसरा तल, 17वां क्रॉस, मागडी कोर्ड रोड, विजयनगर, बंगलुरु — 460040, कर्नाटक	2011	http://www.janapadauni.in
129.	केएसजीएच संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर — 570004, कर्नाटक	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
130.	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर — 574199*	1980	http://www.mangaloreuniversity.ac.in
131.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर — 570005*	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
132.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी, बंगलुरु — 560072*	1992	http://www.nls.ac.in
133.	राजीव गाँधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज युनिवर्सिटी, बंगलुरु — 560041	1994	http://www.rguhs.ac.in
134.	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, एनजी-4, पीबी हाइवे, बेलागावी — 591156, कर्नाटक*	2010	http://www.rcub.ac.in
135.	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड, तुमकुर — 572101 (कर्नाटक)*	2004	http://www.tumkuruniversity.in
136.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु—560065*	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
137.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ — 580005*	1986	http://www.uasd.edu
138.	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगाम — 590010	1999	http://www.vtu.ac.in
139.	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, ज्ञान सागर कैम्पस, विनयका नगर, छावनी, बेल्लारी — 583104 कर्नाटक	2010	http://www.vskub.org
	djy		
140.	कालीकट युनिवर्सिटी, त्रिची पालारी, मालापुरम जिला कोझीकोड — 673635*	1968	http://www.universityofcalicut.info
141.	कोचीन युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची — 682022*	1971	http://www.cusat.ac.in
142.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर — 670562*	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
143.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थिसूर — 680656*	1972	http://www.kau.edu
144.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवन्नतपुरम — 695034*	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
145.	केरल युनिवर्सिटी आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पनागढ़, कोच्ची — 682506 केरल (राज्य विश्वविद्यालय) *	2011	http://www.kufos.ac.in
146.	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, थिसूर — 680596 केरल *	2011	http://www.kuhs.ac.in
147.	केरल युनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल (राज्य विश्वविद्यालय)	2011	http://www.kvasu.ac.in
148.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम — 686560*	1983	http://www.mgu.ac.in
149.	नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.) कालोर, कोच्चि — 682017, केरल	2009	http://www.nuals.ac.in
150.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी — 683574*	1994	http://www.ssus.ac.in
151.	थुनछट एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहन विलास, पुकायिल, डाकघर तिरूर, जिला मल्लपुरम, केरल—676107	2013	http://www.malayamuniversity.edu.in

Ø- l- jkT; @fo' ofo ky ;	LFkkiuk dk o"k	oc lkbV
e/; in'k		
152. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा — 486003*	1968	http://www.apsurewa.nic.in
153. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल — 462016 मध्य प्रदेश	2011	http://www.abvhv.org
154. बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल — 462026*	1970	http://www.bubhopal.nic.in
155. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर — 452001*	1964	http://www.dauniv.ac.in
156. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर — 482004*	1964	http://www.jnkvv.nic.in
157. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर — 474011*	1964	http://www.jwaji.edu
158. मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, एनएससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर, बेडाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	http://www.mpmsu.edu.in
159. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट — 485331, जिला सतना*	1993	http://www.mgcvchitrakoot.com
160. एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल — 462016*	1995	http://www.bhojvirtualuniversity.com
161. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल — 462039	1993	http://www.mcu.ac.in
162. महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश—456010	2008	http://www.mpsvvujain.org
163. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर — 482001 मध्य प्रदेश	2009	http://www.mppcvv.org
164. नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट युनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल*	1999	http://www.nliu.ac.in
165. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009, मध्य प्रदेश	2009	http://www.rmtmusicandartsuniversity.com
166. राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल — 462036*	2004	http://www.rgtu.net
167. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर — 482001*	1957	http://www.rdunijbp.in
168. राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड ग्वालियर,—474002, मध्य प्रदेश	2009	http://www.rvskvv.nic.in
169. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन — 456010*	1957	http://www.vikramuniversity.org
egkj"V		
170. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद — 431004*	1958	http://www.bamu.net
171. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे — 402103*	1992	http://www.dbatu.ac.in
172. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला — 444104*	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
173. गोंडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्प्लेक्स, गढ़चिरोली, 422605, महाराष्ट्र	1994	http://www.gondwana.digitaluniversity.ac
174. कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर — 441106*	1997	http://www.sanskrituni.net
175. कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि — 415712*	1972	http://www.dbskkv.org
176. महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज युनिवर्सिटी, फुताला लेक रोड, नागपुर — 440001	2002	http://www.mafsu.in

Ø- l-	jkT;@fo'ofok ky ;	LFkkiuk dk o"kk	oc lkbV
177.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक - 424004	2000	http://www.muhs.ac.in
178.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी - 413722*	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
179.	मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी - 431402*	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
180.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई - 400032*	1857	http://www.mu.ac.in
181.	नार्थ महाराष्ट्र युनिवर्सिटी, जलगाँव - 425001*	1991	http://www.nmu.ac.in
182.	सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411007*	1949	http://www.unipune.ac.in
183.	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती - 444602*	1983	http://www.sgbau.ac.in
184.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर - 416004*	1962	http://www.unishivaji.ac.in
185.	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुम्बई - 400020*	1951	http://www.sndt.digitaluniversity.ac
186.	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड, केगांव, शोलापुर - 413255*	2004	http://www.su.digitaluniversity.ac
187.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड - 431606*	1995	http://www.srtmun.org
188.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक - 422222*	1990	http://www.ymou.digitaluniversity.ac
189.	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर - 440001 (महाराष्ट्र)*	1923	http://www.nagpuruniversity.org
	vkMh'kk		
190.	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर - 760007*	1967	http://www.bamu.nic.in
191.	बीजू पटनायक युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला-769004	2003	http://www.bput.ac.in
192.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर - 596020*	1999	http://www.fmuniversity.nic.in
193.	उत्तरी ओडिशा विश्वविद्यालय, बारीपदा, जिला मयूरभंज - 757003, भुवनेश्वर*	1999	http://www.nou.nic.in
194.	नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स-28, कटक - 753001 ओडीशा*	2008	http://www.nluo.ac.in
195.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751003*	1962	http://www.ouat.ac.in
196.	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक - 753003*	2005	http://www.ravenshawuniversity.ac.in
197.	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, सम्भलपुर - 768019*	1967	http://www.suniv.ac.in
198.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी-752003*	1981	http://www.sjsv.nic.in
199.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004*	1943	http://www.utkal-university.org
200.	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751009	1999	http://www.uuc.ac.in
201.	वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुरला, जिला सम्भलपुर, ओडीशा (राज्य विश्वविद्यालय)*- 768018	2009	http://www.vssut.ac.in
	itkc		
202.	बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सादिक रोड, फरीदकोट - 151203*	2002	http://www.bfuhs.ac.in
203.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर - 143005*	1969	http://www.gndu.ac.in
204.	गुरु अंगददेव वेदिरनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज युनिवर्सिटी, लुधियाना - 141004	2005	http://www.gadvasu.in
205.	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब-146001	2010	http://www.graupunjab.org

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना	वेबसाइट
206.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – 141004*	1962	http://www.pau.edu
207.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर – 141011	1998	http://www.ptu.ac.in
208.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला – 147002*	1962	http://www.punjabiversity.org
209.	द राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला – 147001*	2006	http://www.rgnul.ac.in
ज.क. वि. वि.			
210.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 89, रॉयल हाऊस, खवासजी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड, जयपुर-302018, राजस्थान	2012	
211.	हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंपर्क विश्वविद्यालय, सूचना केन्द्र संकुल, सवाई राम सिंह मार्ग, जयपुर-302004, राजस्थान	2012	http://www.hjuj.ac.in
212.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342011*	1962	http://www.jnvu.edu.in
213.	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, 2-2ए, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान)*	1998	http://www.jrsanskrituniversity.ac.in
214.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा – 324010*	1987	http://www.vmu.ac.in
215.	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001*	2000	http://www.mpuat.ac.in
216.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर – 305009*	1987	http://www.mdsuajmer.com
217.	महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, एम.एस.जे. महाविद्यालय भवन, भारतपुर-321001 (राजस्थान)	2012	http://www.brijuniversity.ac.in
218.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001*	1962	http://www.mlsu.ac.in
219.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342004*	2004	http://www.nljodhpur.ac.in
220.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर – 334006*	1987	http://www.raubikaner.org
221.	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
222.	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान-342304	2012	http://www.policeuniversity.ac.in
223.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – 302004*	1947	http://www.uniraj.ernet.in
224.	राजस्थान युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी-1, सवाई मानसिंह रोड, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर	2005	http://www.ruhsraj.org
225.	राजस्थान युनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान	2010	www.rajuvas.org
226.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान* (पूर्व में बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर था)*	2003	http://www.mgsuikaner.ac.in
227.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अकेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा-324010	2006	http://www.rtu.ac.in
228.	शेखावत विश्वविद्यालय, श्रीकल्याण शासकीय महाविद्यालय की पीछे, सीकर-332001, राजस्थान	2012	http://www.shekhau.ac.in
229.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)*	2003	http://www.uok.ac.in
रा.वि.वि.			
230.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी – 630003*	1985	http://www.alagappauniversity.ac.in
231.	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडई, चेन्नई – 600025*	1978	http://www.annauniv.edu
232.	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर – 608002*	1929	http://www.annamalaiuniversity.ac.in

Ø- 1-	j kT ; @fo' ofo ky ;	LFkk i uk dk o" k	oc l kbV
233.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641046*	1982	http://www.b-u.ac.in
234.	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली – 620024*	1982	http://www.bdu.ac.in
235.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई – 600005*	1857	http://www.unom.ac.in
236.	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई – 625021*	1965	http://www.mkuniversity.org
237.	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली – 627012*	1992	http://www.msuniv.ac.in
238.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल – 624102*	1984	http://www.motherteresawomenuniv.org
239.	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम – 636010*	1998	http://www.periyaruniversity.ac.in
240.	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर – 613010*	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
241.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641003*	1971	http://www.tnau.ac.in
242.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, न. 577 अन्ना सलाई सायदापेट चेन्नई – 600015*	2004	http://www.tnou.ac.in
243.	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी, चेन्नई – 600028*	1998	http://www.tndalu.ac.in
244.	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल युनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई – 600032*	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
245.	तमिलनाडु मत्स्यिकी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम-611001, तमिलनाडु	2012	http://www.tnfu.org.in
246.	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्ट, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली – 620009, तमिलनाडु*	2012	http://www.tnls.ac.in
247.	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई*	2005	http://www.tnpesu.org
248.	तमिलनाडु म्युजिक एण्ड फाइन आर्ट्स युनिवर्सिटी, डॉ. डी. जी. एस. दिनाकरन सलाई, चेन्नई-600028	2013	http://www.tnmfau.in
249.	तमिलनाडु वेदिरनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज युनिवर्सिटी, चेन्नई – 600051*	1990	http://www.tanuv.ac.in
250.	थिरुवल्लूर विश्वविद्यालय, सेरकाड, वेल्लोर – 632115*	2003	http://www.tvuni.in
251.	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन युनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई – 600005	2008	http://www.tnteu.in
	r y xkuk		
252.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500030*	1964	http://www.angrau.net
253.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033*	1982	http://www.braou.ac.in
254.	जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला तथा ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद-500028	2008	http://www.jnafau.ac.in
255.	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजीकल युनिवर्सिटी, हैदराबाद-500085*	1972	http://www.jntuh.ac.in
256.	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल – 506009*	1976	http://www.kakatiya.ac.in
257.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, नलगोण्डा-508254, आन्ध्र प्रदेश, (येल्लारेड्डीयूडम)*	2008	http://www.mguniversity.ac.in
258.	नालसार युनिवर्सिटी ऑफ लॉ, शमीरपेट आर. आर. जिला, हैदराबाद-500101*	1999	http://www.nalsar.ac.in
259.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082*	1989	http://www.nims.ap.nic.in
260.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500007'	1918	http://www.osmania.ac.in

Ø- 1-	jkT;@fo'ofok y ;	LFkkiuk dk o"k	oc lkbV
261	पालामुरु विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्पलेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर – 509001 आन्ध्र प्रदेश*	2008	http://www.palamuruuniversity.ac.in
262	पोट्टी श्रीरामलू तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500004*	1985	http://www.teluguuniversity.ac.in
263	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030, तेलंगाना	2014	http://www.pjtsau.ac.in
264	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	2011	http://www.rgukt.in
265	सातवाहन विश्वविद्यालय, मल्कापुर क्रासिंग रोड, चिंताकुंता, करीमनगर – 505001	2008	http://www.satavahana.ac.in
266	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद – 503322*	2006	http://www.telanganauniversity.ac.in
	mÜkj in'k		
267	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी – 284128*	1975	http://www.bujhansi.org
268	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर – 208002*	1974	http://www.csauk.ac.in
269	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर – 208024*	1965	http://www.kanpuruniversity.org
270	चौधरी चरण सिंह युनिवर्सिटी, मेरठ –250005*	1965	http://www.ccsuniversity.org
271	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009*	1957	http://www.ddugu.edu.in
272	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224001*	1975	http://www.rmlau.ac.in
273	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, सेक्टर – डी-1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड स्कीम, लखनऊ-266012*	2005	http://www.rmlnlu.ac.in
274	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004*	1927	http://www.dbrau.com
275	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला – गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. – 201308	2002	http://www.gbu.ac.in
276	खाजा मोइनूद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2010	http://www.uafulucknow.ac.in
277	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226003	2004	http://www.kgmcindia.edu
278	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007*	1921	http://www.lucknowuniv.org
279	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273010, उत्तर प्रदेश	2013	http://www.mmmut.ac.in
280	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006*	1975	http://www.mjpru.ac.in
281	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002*	1974	http://www.mgkvp.ac.in
282	महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, सी-22, सेक्टर-62, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश –201301	2010	http://www.mtu.ac.in
283	नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224229*	1974	http://www.nduat.ernet.in
284	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221002*	1958	http://www.ssvv.up.nic.in

Ø- 1-	jkt;@fo'ofok ky ;	LFkkiuk dk o"kk	oclkV
285	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ — 250110 (उत्तर प्रदेश)*	2004	http://www.svbpmeerut.ac.in
286	यू.पी. किंग जार्ज दंत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ — 226003 (उ.प्र.)	2004	
287	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www.upvetuniv.edu.in
288	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड़) इलाहाबाद — 211001 (उत्तर प्रदेश)	2004	http://www.uprtou.ac.in
289	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, सीतापुर रोड़, लखनऊ — 226021	2001	http://www.uptu.ac.in
290	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ. शकुंतला मिश्रा युनिवर्सिटी, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017*	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
291	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर — 222002*	1987	http://www.vbspu.ac.in
	mÜkjk[k.M		
292	दून विश्वविद्यालय, मोथरावाला रोड, केदारपुर, देहरादून-248001*	2005	http://www.doonuniveristy.ac.in
293	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर — 263145*	1960	http://www.gbpuat.ac.in
294	हेमवती नन्दन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा विहार, रोडवेज कार्यशाला के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड	2014	http://www.hnbumu.ac.in
295	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल — 263001*	1973	http://www.kuntl.in
296	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बडशाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249199	2011	http://www.sdsuv.ac.in
297	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7-ए, प्लेजेन्ट वेली, राजपुर रोड़, देहरादून — 248009, उत्तराखण्ड*	2009	http://www.uau.ac.in
298	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार- 249401 (उत्तरांचल)	2005	http://www.usvv.org
299	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12, सरस्वती विहार, लवर अघोवाला, पोस्ट-धालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड		http://www.uktech.ac.in
300	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के निकट, तीनपानी बाई पास रोड़, पोस्ट-औद्योगिक एस्टेट, हल्द्वानी — 263139 (नैनीताल), उत्तराखण्ड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
301	उत्तराखण्ड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	2011	http://www.uuhf.ac.in
	if'pe cxy		
302	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700091	2007	http://www.aliah.ac.in
303	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया — 741252*	1974	http://www.bckv.edu.in
304	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाती, वर्द्धमान — 713104*	1960	http://www.buruniv.ac.in
305	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता — 700073*	1857	http://www.caluniv.ac.in

Ø- l-	jkT; @fo' ofo ky ;	LFkkiuk dk o"kk	oc lkbV
306	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानन्द रोड, कूच बिहार-736101, पश्चिम बंगाल		http://www.cbpbu.ac.in
307	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032*	1955	http://www.jadavpur.edu
308	गौर बंग विश्वविद्यालय, रविन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पोस्ट बॉक्स. एवं जिला - मालदा - 732101	2007	http://www.ugb.ac.in
309	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी - 741235*	1960	http://www.klyuniv.ac.in
310	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, पुराना एडीडीए कार्यालय भवन (आसनसोल बालिका महाविद्यालय के पीछे) डाकघर- आसनसोल- 713304, जिला- वर्द्धमान, पश्चिम बंगाल	2012	http://www.knuedu.in
311	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग - 734430*	1962	http://www.nbu.ac.in
312	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700020	1997	http://www.wbnsou.ac.in
313	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता - 700073, पश्चिम बंगाल*	2010	http://www.presiuniv.ac.in
314	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता - 700050*	1962	http://www.rbu.ac.in
315	सिद्धो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय, परिबेस भवन, 10ए, ब्लॉक - एलए, सेक्टर-III, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700098	2010	http://www.skbu.ac.in
316	द वेस्ट बंगाल नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता*	2004	http://www.nujs.edu
317	द वेस्ट बंगाल युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी-36, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता - 700064	2002	http://www.wbuhs.ac.in
318	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला - कूच बिहार - 736165	2001	http://www.ubkv.ac.in
319	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर - 721102*	1981	http://www.vidyasagar.ac.in
320	वेस्ट बंगाल युनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता - 700037	1995	http://www.wbuafsc.ac.in
321	वेस्ट बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय, बीएफ-142, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091*	2001	http://www.wbut.net
322	वेस्ट बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, बरसात शासकीय महाविद्यालय, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 केएनसी रोड, कोलकाता - 700124	2007	http://www.wbsubregistration.org
	jk"Vh; jk t /kkuh {k= fnYyh		
323	भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006*	2007	http://www.aud.ac.in
324	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)*	2009	http://www.dce.edu
325	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर 16-सी, द्वारका, दिल्ली - 110078*	1998	http://www.ipu.ac.in
326	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006.	2013	http://www.igdtuw.ac.in
327	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नियर गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस-III, नई दिल्ली - 110020*	2008	http://www.iiitd.ac.in
328	नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली*	2008	http://www.nludelhi.ac.in
	jk"Vh; jk t /kkuh {k= p.Mhx<		
329	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ - 160014*	1947	http://www.puchd.ac.in

ग. दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

Ø- l-	jkT;@fo' ofo ky ; v : .kkpy in'k	vf/k l puk dh frfFk	oc l kbV
1.	एपेक्स प्रोफेशनल युनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश-791102	10.05.2013	www.apexuniversity.ac.in
2.	अरुणाचल युनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच-52, नामसाई, जिला नामसाई, -792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	www.arunachaluniversity.ac.in
3.	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला-नामसाई-791103, अरुणाचल प्रदेश	21.10.2014	www.arunodayauniversity.ac.in
4.	हिमालयन युनीवर्सिटी, 401, टकर काम्पलैक्स, नाहरलगुन, इटानगर, जिला- पापुमपारे-791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	www.himalayanuniversity.com
5.	नार्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्नीकल युनिवर्सिटी, सिबु-पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश-791001	03.09.2014	www.neftu.edu.in
6.	द इंदिरा गांधी टेक्नॉलोजी एण्ड मेडिकल साइंसेज युनिवर्सिटी, जीरो, अरुणाचल प्रदेश-791120	26.05.2012	www.indiragandhiuniversity.in
7.	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012	www.vou.ac.in
	v l e		
8.	असम डॉन बोस्को युनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी-781017	12.02.2009	http://www.dbuniversity.ac.in
9.	असम डॉउन टॉउन युनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी - 781036	29.04.2010	www.adtu.in
10.	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्पलेक्स, हल्दार भुयान पथ, कालोंगपार, नौगांव-782001, असम	14.08.2013	www.mssv.co.in
11.	द असम काजीरंगा युनिवर्सिटी, जोरहाट, असम-785006	11.04.2012	www.kazirangauniversity.in
	NÜkh l x<		
12.	एमिटी युनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसील-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	www.amity.edu/raipur/
13.	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड, कोटा, बिलासपुर-495001	03.11.2006	http://www.cvrui.ac.in
14.	आईसीएफआई विश्वविद्यालय, रा.रा.-6, रायपुर-भिलाई रोड, ग्राम-छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	www.iuraipur.edu.in
15.	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपारवाड़ा, नया रायपुर, जिला-रायपुर - 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	www.itmuniversity.org
16.	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24.03.2011	www.kalingauniversity.org
17.	महर्षि युनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर - 495001	18.04.2002	http://www.mumt.com
18.	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम - गुल्लू, तहसील - अरांग, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़	03.11.2006	http://www.matsuniversity.ac.in
19.	ओपीओ जिन्दल युनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरोन्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़-496001, छत्तीसगढ़	21.08.2014	www.opju.ac.in
	x t jkr		
20.	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, आईएस बंगलो नम्बर - 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009	7/7/2009	http://www.ahduni.edu.in
21.	एयूआरओ युनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटैलिटी एण्ड मैनेजमेंट, सूरत, गुजरात-394510	12.10.2011	www.auruniversity.edu.in
22.	केलारेक्स टीचर्स युनिवर्सिटी, अहमदाबाद-382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org

Ø- l-	j kT ; @fo' ofo ky ;	vf/kl puk dh frffk	ocl kbV
23.	चरोत्तर युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा – 388421, जिला – आनन्द	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
24.	सी.यू. शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर-अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी-363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013	www.cushahuniversity.ac.in
25.	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गाँधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in
26.	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा – 382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in
27.	इन्डस विश्वविद्यालय, इन्डस कैम्पस, रणचारदा, वाया-थालटेज, अहमदाबाद – 382115 – गुजरात	02.05.2012	www.iiuedu.in
28.	आईटीएम-वोकेशनल युनिवर्सिटी, प्लॉट नम्बर 6512, अजवानिमेता रोड, रावाल तालुका, वागोडिया, वडोदरा, गुजरात	08.05.2014	www.itm.ac.in
29.	कादी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय कैम्पस, सेक्टर 15/23, गाँधीनगर	16.05.2007	http://www.ksvuniversity.org.in
30.	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना-भयली रोड, वडोदरा-391410, गुजरात	07.07.2009	http://www.nuv.ac.in
31.	निरमा युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद-382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
32.	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसेन, जिला गाँधीनगर – 382009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
33.	आर.के. युनिवर्सिटी, राजकोट-भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात-360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
34.	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात-382260	02.05.2009	www.raiuniversity.edu
35.	टीम लीज स्किल युनिवर्सिटी, तारसाली –वडोदरा रोड, तारसाली बाईपास, वडोदरा-390009, गुजरात	22.04.2013	www.teamleaseuniversity.org
36.	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली-महुआ रोड, जिला-सूरत, गुजरात-394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
	gfj ; k.kk		
37.	अल-फलाह युनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	www.alfalahuniversity.edu.in
38.	एमिटी युनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला – गुडगाँव – 122413, हरियाणा	26.04.2010	www.amity.edu/gurgaon
39.	अंसल विश्वविद्यालय, गुडगाँव, हरियाणा	10.02.2012	ansaluniversity.edu.in
40.	एपीजे स्टॉय युनिवर्सिटी, पलवल रोड, सोहना, गुडगाँव – 122103, हरियाणा	02.11.2010	http://www.apeejay.edu, university.apeejay.edu/
41.	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली, रा.रा.क्षे., सोनीपत, हरियाणा-131028	02.05.2014	www.ashokaka.edu.in
42.	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा-124021	10.02.2012	www.babamastnathuniversity.com
43.	बीएमएल मुंजाल युनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा.रा.-8, सिधरावली, जिला- गुडगाँव-123413, हरियाणा	02.05.2014	www.bml.edu.in
44.	जी.डी. गोएनका विश्वविद्यालय, जी.डी. गोएनका एजुकेशन सिटी, गुडगाँव सोहना रोड, गुडगाँव, हरियाणा-122103	03.05.2013	www.gdgoenkauniversity.com
45.	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, गुडगाँव-122017 हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
46.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़, – झझर रोड, झझर – 124507, हरियाणा	03.05.2013	www.jagannathuniversityncr.ac.in
47.	के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुडगाँव, हरियाणा-122103	03.05.2013	www.krmangalam.edu.in

Ø- l-	j kT ; @fo' ofo ky ;	vf/k l p uk dh frffk	oc l kbV
48.	एम.वी.एम. विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा-121105	10.02.2012	www.mvn.edu.in
49.	महर्षि माकण्डेश्वर युनिवर्सिटी, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा-134007	29.10.2010	http://www.mmumullana.org
50.	एन.आई.आई.एल.एम. युनिसर्सिटी, 9वाँ कि.मी. स्टोन, रा.रा.-65 कैथल-136027, हरियाणा	27.09.2011	www.niilmuniversity.in
51.	ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल युनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा-131001	10.11.2006	http://www.jgu.edu.in
52.	श्री गुरु गोबिन्द सिंह ट्राईसेनेटरी युनीवर्सिटी, फारुख नगर रोड, बुधेरा, जिला गुडगांव, हरियाणा	03.05.2013	www.sgtuniversity.org
53.	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत-कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा- 131029	03.05.2013	www.srmuniveristy.in
	fgkpy in'k		
54.	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक (चैचौट), जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	www.abhilashiuniversity.in
55.	एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम पुजाली, शोधी मेहली बाई-पास रोड, पंथाघाटी के निकट, शिमला, -171009	07.06.2012	www.apg.edu.in
56.	अरनी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)-176401	03.11.2009	http://www.arni.in
57.	बद्दी युनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205	15.10.2009	http://www.baddiuniv.ac.in
58.	बरहा विश्वविद्यालय, वीपीओ - वाकनाघाट, तहसील - कांडाघाट, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश-173215	21.01.2011	www.bahrauniversity.edu.in
59.	कैरियर प्वाइंट युनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-176041	03.05.2012	www.cpuniverse.in
60.	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन - 174103	21.01.2009	http://www.chitkara.edu.in
61.	एटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब जिला सिरमौर, पिन-173101 हिमाचल प्रदेश	22.10.2009	http://www.eternaluniversity.edu.in
62.	आईसीसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) युनिवर्सिटी, प्लॉट न. 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	www.iecuniversity.com
63.	आईसीएफआई, युनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंधाला, वाया बरोतीवाला, बद्दी, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश - 174103	20.10.2011	www.iuhimachal.edu.in
64.	इन्डस इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174301	01.02.2010	http://www.iiuedu.in
65.	जेपी युनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, पी.ओ.वाकनाघाट, तहसील कण्डाघाट जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173234	22.05.2002	http://www.juit.ac.in
66.	महर्षि मरकण्डेश्वर युनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड़, सोलन - 173229, हिमाचल प्रदेश	19.09.2010	http://www.mmusolan.org
67.	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला - सोलन - 174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	www.mau.ac.in
68.	मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडो सुल्तानपुर, कुमारहट्टी सोलन, 173229 (हिमाचल प्रदेश)	22.09.2009	http://www.manavbhartiuniversity.edu.in

Ø- l-	jkT ; @fo' ofo ky ;	vf/k l puk dh frffk	oc l kbV
69.	शूलनी युनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट साइंसेज, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity.com
70.	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity.org
	>kj [k.M		
71.	झारखण्ड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, राँची-835222	02.02.2012	www.jru.edu.in
72.	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड	27.04.2012	www.sainathuniversity.com
73.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, राँची - 834202, झारखण्ड	17.06.2008	http://www.iujharkhand.edu.in
	dukVd		
74.	अलॉयन्स युनिवर्सिटी, बंगलुरु, (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in
75.	अजीम प्रेमजी, युनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड बंगलुरु, कर्नाटक	13.10.2010	www.azimpremjiuniversity.edu.in
76.	सीएमआर विश्वविद्यालय, दूसरा, तीसरा, 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलुरु-560043, कर्नाटक	16.05.2013	www.cmr.edu.in
77.	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागल्ली ग्राम, हरोहल्लाहोबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	www.dayanandsagar.edu.in
78.	एमएस रमैया अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रशासनिक ब्लॉक, नया बीईएल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलुरु-560054, कर्नाटक	09.07.2013	www.msruas.ac.in
79.	पीईएस विश्वविद्यालय, 100 फुट रिंग रोड, बीएसके तृतीय चरण, बंगलुरु- 560085 (कर्नाटक)	16.05.2013	www.pes.edu
80.	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), डिब्बूर एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट होबली, बंगलुरु (कर्नाटक)	16.05.2013	www.presidencyuniversity.in
81.	राय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डोडाबालापुर, नीलमंगला रोड, एसएच-74, ऑफ हाईवे 207, डोडाबालापुर तालुक, बंगलुरु-561204, कर्नाटक	09.07.2013	raitechnologyuniversity.in
82.	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बंगलुरु-560064	16.05.2013	www.reva.edu.in
	eeè; in'k		
83.	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश - 485001	31.12.2011	www.aksuniversity.ac.in
84.	एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल - चिकलोड रोड, नियर बंगरसिया चौराहा, भोपाल, मध्य प्रदेश	30.12.2010	www.aisectuniversity.ac.in
85.	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	30.12.2010	www.amity.edu/gwalior
86.	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम कैम्पस, सिथोली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच-75, झांसी रोड, ग्वालियर - 474001, मध्य प्रदेश	04.05.2011	http://www.itmuniversity.ac.in
87.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल-462044, मध्य प्रदेश	24.04.2013	www.jlu.edu.in
88.	जेपी युनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, एबी रोड, राघोगढ़, जिला गुना - 473226 (मध्यप्रदेश)	13.08.2010	http://www.juet.ac.in
89.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001	29.11.1995	http://www.mmyvv.com
90.	ओरियेन्टल युनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट नं. 1 के सामने, सानवेर रोड, पीओ बॉक्स नं. 311, विजयनगर डाकघर, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश	04.05.2011	www.orientaluniversity.in

Ø- l-	j kT ; @fo' ofo ky ;	vf/k l p uk dh frffk	oc l kbV
91.	पीपल्स युनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल – 462037	04.05.2011	www.peopleuniversity.edu.in
92.	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाई-पास रोड, आरजीपीसी कैम्पस के निकट, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	www.rkdf.ac.in
93.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा.रा.-12, होशंगाबाद रोड, जटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	www.srku.edu.in
94.	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सेहोर-466001, मध्यप्रदेश	12.02.2014	www.ssutms.co.in
95.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	www.svnuniversity.ac.in
96.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोज (गोशाला के निकट) जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश-464228	09.01.2013	www.technoglobaluniversity.com
	egkj k"V		
97.	एमिटी युनिवर्सिटी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट-सोमाथने, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र-410206	25.07.2014	www.amity.edu/mumbai
	e?kky ;		
98.	सी.एम.जे. विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cmjuniversity.edu.in
99.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पी.ओ. एरियामाइल, मैचकोगरे, दूरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	www.mgu.edu.in
100.	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन युनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग-793001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
101.	टेक्नो ग्लोबल युनिवर्सिटी, शिलांग बहुकला परिसर, मावलाई, शिलांग – 793022	02.12.2008	http://www.technoglobaluniversity.org
102.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी, डांकागरे, पोस्ट अराईमील तुरा पश्चिम गारो हिल्स – 794101 (मेघालय)	04.11.2009	http://www.iuemeghalaya.edu.in
103.	युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय – 793101	02.12.2008	www.ustm.ac.in
104.	युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, शिलांग, मेघालय – 793003	27.05.2011	www.utm.ac.in
105.	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्पलाइड रोड, शिलांग – 793001, मेघालय	13.07.2005	wcu.co.in
	fe t kje		
106.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी, दुर्तलांग नार्थ आइज़ोल – 796025, मिजोरम	21.03.2006	http://www.iumuzoram.edu.in
	ukxky! .M		
107.	द ग्लोबल ओपन युनिवर्सिटी, वोखा – 797111, नागालैण्ड	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
108.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी, छठा माईल सोविमा ग्राम, कोहिमा रोड, दीमापुर – 797112, नागालैण्ड	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
	v kMh 'kk		
109.	सेंचूरियन युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्राम आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी – 761221 गजपति, ओडीशा	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in
110.	श्री श्री युनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडीशा	26.12.2009	www.srisriuniversity.edu.in
111.	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओडीशा	13.05.2013	www.ximbac.in

Ø- l-	jkT ; @fo' ofo ky ;	vf/kl puk dh frfK	ocl kbV
	i t k c		
112.	आदेश विश्वविद्यालय, रा.रा.-7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब	10.07.2012	www.adeshuniversity.ac.in
113.	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, धारुवान, मोहाली - 140413, पंजाब	10.07.2012	http://www.chandigarhuniversity.ac.in
114.	चितकारा युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, (रा.रा.-64), ग्राम - झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब - 140401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
115.	डी.ए.वी. युनिवर्सिटी, जालन्धर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग- 44, ग्राम, सरमस्तपुर, जालन्धर, पंजाब	18.02.2013	http://www.@davuniversity.org
116.	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह, अमलोह रोड़, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	18.02.2013	http://www.deshbhagatuniversity.in
117.	जीएनए युनिवर्सिटी, ग्राम-श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला-144401, पंजाब	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
118.	गुरु काशी युनिवर्सिटी, तलवंडी साबो, जिला - भटिंडा, पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity.in
119.	लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी, जालन्धर-लुधियाना जी.टी. रोड़, चेहरू रेलवे ब्रिज, के निकट फगवाड़ा, जिला - कपूरथला, पंजाब - 144002	26.12.2005	http://www.lpu.in
120.	रयात बहारा युनिवर्सिटी, ग्राम एवं डाकघर-साहूरान, तहसील-खरड़, जिला-मोहाली, पंजाब-140105	13.08.2014	www.rayatbahrauniversity.edu.in
121.	संत बाबा भाग सिंह युनिवर्सिटी, ग्राम-खियाला, डाकघर-पंदिआना, जिला जालंधर-144030, पंजाब	12.02.2015	www.sbbs.edu.in
122.	श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड युनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ़ साहिब - 140406, पंजाब	15.05.2008	http://www.sggswu.org
	jk t LFkku		
123.	एमिटी युनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच-11सी, कान्त कालवार, जयपुर - 303002	29.03.2008	www.amity.edu/jaipur
124.	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड़, अजमेर - 305004	16.04.2008	http://www.bhagwantuniversity.com
125.	कॅरियर प्वाइंट युनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	www.cpur.in
126.	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट-1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान - 304021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
127.	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	www.geetanjaliuniversity.com
128.	होम्योपैथी युनिवर्सिटी, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर - 302029, राजस्थान	03.04.2010	http://www.homoeopathyuniversity.org
129.	आईसीएफआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर - 302031, राजस्थान	23.08.2011	www.iujaipur.edu.in
130.	आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, 1, प्रभुदयाल मार्ग, सांगानेर विमानापत्तन के निकट, जयपुर-302029, राजस्थान	26.02.2014	www.iihmr.edu.in
131.	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	www.jecrcuniversity.edu.in
132.	जे.के. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, लालिया का वास, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड़, जयपुर - 302026, राजस्थान	15.09.2011	www.jklu.edu.in
133.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, रा.रा.-12 चाकसु, बाईपास, टोंक रोड़ जयपुर-303901	16.04.2008	http://www.jagannathuniversity.org
134.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर-302017	21.10.2007	http://www.jnujaipur.ac.in
135.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदान्त ज्ञान वैली, ग्राम झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड़, एनएच-8, जयपुर - 303007	21.04.2008	http://www.jvwomensuniv.com
136.	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड़, जोधपुर - 342001	11.08.2008	http://www.jodhpurnationaluniversity.com

Ø- l-	j kT ; @fo' ofo ky ;	vf/k l p uk dh frffk	oc l kbV
137.	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बनास ब्रिज टॉल के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग-14, ग्राम-वाड़ा/भुजेला, पंचायत समिति-भरजा, तहसील-पिंडवाड़ा, अबु रोड, जिला-सिरोही, राजस्थान-307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu.in
138.	महाराज विनायक ग्लोबल युनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
139.	महात्मा गांधी मेडीकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर-302022	15.09.2011	http://www.MGUMST.ORG
140.	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी-2 और 3, कान्त कालवार, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच-1, आचरोल, जयपुर	03.02.2009	http://www.mjrpuniversity.com
141.	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक युनिवर्सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के निकट, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर - 302026, राजस्थान	15.09.2011	http://www.jaipur.manipal.edu
142.	मौलाना आज़ाद युनिवर्सिटी, ग्राम- बुजावाड़ा, तहसील-लुनी, जोधपुर-342802, राजस्थान	16.09.2013	http://www.mauj.ac.in
143.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, रा. रा. - 79, गंगरार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान - 312901	22.09.2008	http://www.mewaruniversity.org
144.	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www.niituniversity.in
145.	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर - 303001	29.03.2008	http://www.nimsuniversity.org
146.	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील-राजगढ़, जिला-चूरु, राजस्थान	16.09.2013	http://www.opjsuniversity.edu.in
147.	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च युनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर - 313003	29.04.2010	http://www.pacific-university.ac.in
148.	पेसेफिक मेडीकल युनिवर्सिटी, बिलो का बेडला, बाई पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	http://www.pacificmedicaluniversity.ac.in
149.	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012	http://www.poornima.edu.in
150.	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमरे-दिल्ली-मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity.in
151.	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, नीमराना - 201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesunivrsity.edu.in
152.	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity.ac.in
153.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला विश्वविद्यालय, विद्या नगरी, झुंझुनू - चूरुरोड, चुंदेला, जिला - झुंझुनू - 333001, राजस्थान	03.02.2009	http://www.jjtu.ac.in
154.	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, चिरावा रोड, पिलानी, राजस्थान - 333031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity.ac.in
155.	सिंधानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझुनू, राजस्थान-333515	29.03.2008	http://www.singhanianuniversity.co.in
156.	सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, भतेवार, उदयपुर - 313601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
157.	सनराईज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, तहसील - रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
158.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल जगतपुर, जयपुर, राजस्थान-302017	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org
159.	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर-335002, राजस्थान	16.09.2013	http://www.tantiauniversity.com
160.	युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in

Ø- l-	j kT ; @fo' ofo ky ;	vf/k l puk dh frf k	oc l kbV
161.	विवेकानन्द ग्लोबल युनिवर्सिटी, सेक्टर - 36, एनआरआई रोड, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर - 3030012, राजस्थान	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
	f l fD de		
162.	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनीवर्सिटी, (ई आई आई एल एम) आठवां माईल, मालबासे, बुदांग, पश्चिम सिक्किम - 737121	24.03.2006	http://www.eiilmuniversity.ac.in
163.	श्री रामास्वामी मेमोरियल युनिवर्सिटी, पांचवां माईल, तदांग, रानीपूल पीओ, गंगटोक, सिक्किम-737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
164.	सिक्किम-मनीपाल युनिवर्सिटी 5वां माईल डाकघर, तदांग गंगटोक - 737102	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
165.	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी (आई. सी.एफ.ए.आई.), रांका रोड, लोअर सिचे, गंगटोक - 737101 सिक्किम	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in
166.	विनायक मिशनस सिक्किम युनिवर्सिटी, प्लॉट नं 438, एन-312, संग फाटक रोड, मिडल तदांग, पी.ओ. दारागाओरा, तदांग, पूर्वी सिक्किम - 237102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
	f=i j k		
167.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, (आई सी एफ ए आई) डाकघर कमलघाट अगरतला -सिमना रोड, मोहन पुर - 799210 त्रिपुरा	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
	m'k j i n'k		
168.	एमिटी युनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity.edu
169.	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org
170.	जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, 17 कि. मी. स्टोन, रा. रा.-2, दिल्ली - मथुरा रोड, पी. ओ. चारुमुहन, मथुरा, - 281406 (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
171.	गलगोटिया विश्वविद्यालय, 1, प्लॉट नं. 2, सेक्टर 17 ए ग्रेटर नोएडा - 201303, उत्तर प्रदेश	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu.in
172.	आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड मुरादाबाद - 244102, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.iftmuniversity.ac.in
173.	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226026 (उत्तर प्रदेश)	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in
174.	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली-लखनऊ नेशनल हाइवे-24, बरेली - 243123 (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010	http://www.invertsi.org
175.	जगतगुरु रामभद्राचार्य हैण्डिकेप्ड युनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम - 210204 (उत्तर प्रदेश)	06.10.2001	http://www.jrhu.com
176.	जेपी युनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर-203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www.jaypee.ac.in
177.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, - 202145 उत्तर प्रदेश	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
178.	महर्षि युनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महर्षि बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट धिबुरिया, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश	24.09.2013	http://www.muit.in
179.	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www.jauharuniversity.org
180.	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ-पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245101	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
181.	नोएडा इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
182.	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी.टी. रोड, मंधाना, कानपुर-209217, उत्तर प्रदेश	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
183.	शारदा युनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 32-34, नालेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा - 201306, (उत्तर प्रदेश)	24.03.2009	http://www.sharda.ac.in

Ø- l-	j kT ; @fo' ofo ky ;	vf/k l p uk dh frffk	oc l kbV
184.	शिव नाडर युनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
185.	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला-सहारनपुर- 247341, (उत्तर प्रदेश)	05.07.2012	http://www.shobituniversity.ac.in
186.	श्री रामस्वरूप मेमोरियल युनिवर्सिटी, हरदोई, देवा-लखनऊ रोड़, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www.srmu.ac.in
187.	श्री वेंकटेश्वर युनिवर्सिटी, रा.रा.-24, राजाबापुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
188.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती युनिवर्सिटी, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250005	05.09.2008	http://www.subharti.org
189.	तीर्थकर महावीर युनिवर्सिटी, रा. रा. - 24 दिल्ली रोड़, मुरादाबाद - 244001	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in
190.	दि ग्लोकल युनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिर्जापुर पोल, तहसील - बेहट, सहारनपुर - 247001, उत्तर प्रदेश	05.07.2012	http://www.glocaluniversity.edu.in
mÜkj k [k.M			
191.	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शांतिकुंज, हरिद्वार - 249411	22.01.2002	http://www.dsvv.ac.in
192.	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून - 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013	http://www.dituniversity.edu.in
193.	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड़, क्लेमेट हाउस, देहरादून - 248002, उत्तराखण्ड	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
194.	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ-शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून - 248197 उत्तराखण्ड	11.07.2003	http://www.hnv.edu.in , www.himgirizeeuniversity.edu.in
195.	आईएमएस यूनिसन युनिवर्सिटी, माक्कवाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून - 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013	http://www.iuu.ac
196.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), रजवाला रोड़ सेंट्रल होप टाऊन सेलाकुई, देहरादून - 248007	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.rdu.in
197.	स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, डाकघर-दोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013	http://www.srhuedu.in
198.	पंतजलि विश्वविद्यालय, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	http://www.universityofpatanjali.com
199.	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, बिधोली, कैम्पस, एनर्जी एकड़ डाकघर दिधोली, देहरादून - 284006 (उत्तराखण्ड)	10.07.2003	http://www.upes.ac.in
200.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरकाडिया ग्रांट, डाकघर चदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड	15.02.2013	www.uttranchaluniversity.ac.in
if'pe c xky			
201.	एडमेस युनिवर्सिटी, बारासात, बाराकपोर रोड़, बारबेरिया, डाकघर जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता-700126, पश्चिम बंगाल	11.04.2014	www.adu.edu.et
202.	जेआईएस युनिवर्सिटी, अगरपारा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	www.jisuniversity.ac.in
203.	सीकॉम स्किल युनिवर्सिटी, ग्राम केन्द्राडांगा, डाकघर-सातोर, थाना-पानरुई, जिला-बीरभूम-731236, पश्चिम बंगाल		www.seacomskillsuniversity.ore
204.	टेक्नो इंडिया युनिवर्सिटी, ईएम-4, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700091, पश्चिम बंगाल	16.08.2012	https://www.technoindiauniversity.ac.in
205.	युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट, युनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नम्बर III-बी/5, मेन आर्टिरियल रोड़ (पूर्व-पश्चिम), न्यू टॉऊन, एक्शन एरिया-III, कोलकाता-700156, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	www.uem.edu.in

(घ) दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार राज्य विधानमण्डल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान

क्र.सं.	संस्थान का नाम	स्थापित वर्ष	वेबसाइट
1	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992	http://www.igims.org
2	शेरे-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990	http://www.skmis.nic.in
3	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सा. साइंसेज	1983	http://www.sgpqi.ac.in

(ड) 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची

Ø- 1-	l e fo' ofo ky ; vklùk in'k	l e fo' ofo ky ; d : i e v fèk l fpr fd ; t ku dh fr fèk	oc l kbV
1.	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गांधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045, आंध्र प्रदेश	13.08.2007	http://www.gitam.edu
2.	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीनफील्ड्स, कुन्वानापल्ली पोस्ट वाडेशवरम्, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश - 522002	20.02.2009	http://www.kluniversity.edu.in
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507, आंध्र प्रदेश	16.11.1987	http://www.rsvidyapeetha.ac.in
4.	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतनिलयम-515134, जिला अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
5.	विगनान्स फाउंडेशन फॉर साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522313	19.12.2008	http://www.vignanuniversity.org
6.	नार्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला-पापुमपारे-791109, अरुणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
7.	बिहार योगभारती, गंगा दर्शन, फोर्ट, मुँगेर-811201, बिहार	07.06.2000	http://www.yogavision.net
8.	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा-803111 (बिहार)	13.11.2006	http://www.navanalandamahavi-hara.org
9.	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380014, गुजरात	16.07.1963	http://www.gujaratvidyapith.ac.in
10.	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला वडोदरा, गुजरात	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity.co.in
11.	लिंगाया युनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद-जासना रोड, फरीदाबाद-121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity.edu.in
12.	महर्षि मार्केण्डश्वर शिक्षा न्यास, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा - 133003	12.06.2007	http://www.mmumullana.org
13.	मानव रचना इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा - 121001	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
14.	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुड़गाँव, - 121001 हरियाणा	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
15.	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
16.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रिनीयोरशिप एण्ड मैनेजमेंट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुन्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
17.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची-835215, झारखण्ड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
18.	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद - 826004, झारखण्ड	18.09.1967	http://www.ismdhanbad.ac.in

Ø- l-	l e fo' ofo ky ;	l e fo' ofo ky ; d : i e i vfèk l fpr fd ; t ku dh frfFk	oc l kbV
	dukVd		
19.	बी.एल.डी.ई. विश्वविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
20.	क्रॉइस्ट कालेज, होसूर रोड, बंगलुरु-560029, कर्नाटक	22.07.2008	http://www.christuniversity.in
21.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु-560012, कर्नाटक	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in
22.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, 26/सी, इन्फोसिस (द्वार सं०-1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बंगलुरु-560100, कर्नाटक	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
23.	जगतगुरु श्री शिवारात्रिस्वरा युनिवर्सिटी, जगतगुरु डॉ. श्री शिवरातरी राजेन्द्र सर्कल, रामानुजा रोड, मैसूर -570004, कर्नाटक	28.05.2008	http://www.jssuni.edu.in
24.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जाकुर कैम्पस, जाकुर, बंगलुरु, -560064, कर्नाटक	17.08.2002	http://www.jncasr.ac.in
25.	जैन युनिवर्सिटी, जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वाँ कि. मी., रा.रा. 209 पोस्ट कनकपुरा, तालुक, रमनागरा, जिला - 562112	19.12.2008	http://www.jainuniversity.ac.in
26.	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जे.एन. मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक) - 570010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu.in
27.	मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, उदुप्पी, मनीपाल-576104, कर्नाटक	01.06.1993	http://www.manipal.edu
28.	एन.आई.टी.टी.ई. युनिवर्सिटी, कर्नाटक, देरालकटे मंगलोर -575018	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
29.	श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड, तमाका, कोलार -563101, कर्नाटक	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
30.	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिला टुमकुर -572 102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
31.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या-9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमाराजपेट, बंगलुरु-560018, कर्नाटक	08.05.2002	http://www.svyasa.org
32.	येनपोया विश्वविद्यालय देरालकाटे, मंगलोर, - 575018	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.inorg
	djy		
33.	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, चेरुथुरुथि - 679531, वाया थ्रिसूर, केरल	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
34.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुअनन्तापुरम, केरल - 695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
	eè; in'k		
35.	अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, एण्ड मैनेजमेन्ट, रा.रा.-92, मोरेना लिंक रोड, ग्वालियर - 474005, मध्य प्रदेश	26.03.2001	http://www.iiitm.ac.in
36.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in
37.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, दुमना एयरपोर्ट रोड, डाकघर कामारिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482005	24.06.2009	http://www.iitkdmj.ac.in

Ø- l-	l e fo' ofo ky ;	l e fo' ofo ky ; d : i e v fēk l f p r f d ; t k u d h f r f f k	o c l k b V
	egkj k"V		
38.	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411030, महाराष्ट्र	26.04.1996	http://www.bvuniversity.edu.in
39.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज युनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400061, महाराष्ट्र	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
40.	डी. वाई. पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, लाइन बाजार, कासाबा, बावाडा कोल्हापुर-416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
41.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे), वर्धा - 442004, (महाराष्ट्र)	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
42.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे-411006, महाराष्ट्र	05.03.1990	http://www.deccancollegepune.ac.in
43.	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे-411018, महाराष्ट्र	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
44.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे -411004, महाराष्ट्र	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in
45.	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालय: नालेज मेनेजमेन्ट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेंट्रल काम्पलेक्स, मुंबई -400085, महाराष्ट्र	03.06.2005	http://www.hbni.ac.in
46.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई-400065, महाराष्ट्र	05.12.1995	http://www.igidr.ac.in
47.	डिफेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नालॉजी (इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नालॉजी) गिरीनगर, पुणे-411025, महाराष्ट्र	10.09.1999	http://www.diat.ac.in
48.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, गोवान्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई-400088, महाराष्ट्र	31.07.1985	http://www.iipsindia.org
49.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालॉजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुन्गा, मुंबई महाराष्ट्र-400019	12.09.2008	http://www.ictmumbai.edu.in
50.	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड, जिला सतारा-महाराष्ट्र	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
51.	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैंम्पस, सेक्टर-18, कामोठे, नवी मुंबई-410209 (महाराष्ट्र)	30-08-2006	http://www.mgmhuhs.com
52.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई-400056, महाराष्ट्र	13.01.2003	http://www.nmims.edu
53.	पदमश्री डॉ. डी.वाई पाटिल विद्यापीठ,, विद्यानगर, सेक्टर-7, नेरूल, नवी मुंबई-400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
54.	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीके-413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
55.	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, ग्राम लावाले, तहसील मुल्शी, जिला पुणे-412115, महाराष्ट्र	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
56.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, मुंबई-400005, महाराष्ट्र	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in

Ø- 1-	l e fo' ofo ky ;	l e fo' ofo ky ; d : i e i vfèk l fpr fd ; t ku dh frfFk	oc l kbV
57.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुम्बई-400088, महाराष्ट्र	29.04.1964	http://www.tiss.edu
58.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे-411037, महाराष्ट्र	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in
	vkMh'kk		
59.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर-751024, ओड़ीशा	26.06.2002	http://www.kiit.ac.in
60.	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, जे-15, कांधागिरी भुवनेश्वर-751030, ओड़ीशा - 751030	17.07.2007	http://www.soauniversity.ac.in
	i t k c		
61.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल. आई.ई.टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर-148106, पंजाब	10.04.2007	http://www.sliet.ac.in
62.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टैक्नोलॉजी कैम्पस, बड़सन रोड, पटियाला-147004, पंजाब	30.12.1985	http://www.thapar.edu
	j k t L F k k u		
63.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली-304022, राजस्थान	25.10.1983	http://www.banasthali.org
64.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी-333031, राजस्थान	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
65.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सदर शहर, -331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity.org.in
66.	आई.आई.एस. युनिवर्सिटी, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान-302020	02.02.2009	http://www.iisuniv.ac.in
67.	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, लान्डनू, नागौर-341306, राजस्थान	20.03.1991	http://www.jvbi.ac.in
68.	जर्नाधन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, प्रतापनगर, उदयपुर-331001, राजस्थान	12.01.1987	http://www.jrnrvu.org
69.	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम-रूपा की नागल, पोस्ट-सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला-जयपुर-303012 (राजस्थान)	03.02.2006	http://www.lnmiit.ac.in
70.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मनगढ़, जिला सीकर-332311, (राजस्थान)	20.02.2004	http://www.modyuniversity.ac.in
	r f e y u k M		
71.	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135, पूर्वतट रोड, कानाथुर, चेन्नई-600113 (तमिलनाडु)	21.08.2007	http://www.ametuniv.ac.in
72.	अमृत विश्व विद्यापीठम्, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर-641112, तमिलनाडु	13.01.2003	http://www.amrita.edu
73.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर-641043, तमिलनाडु	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
74.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई-600073, तमिलनाडु	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com

Ø- l-	l e fo'of o ky ;	l e fo'of o ky ; d : i e v f e k l f p r f d ; t k u d h f r f f k	o c l k b v
75.	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, वान्डालुर, चेन्नई, तमिलनाडु – 600048	16.12.2008	http://www.bsauniv.ac.in
76.	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच-1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरयूसेरी-603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
77.	चेतिनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन (सी.ए.आर.ई.), पादुर, केलाम्बक्कम, जिला कांचीपुरम तमिलनाडु	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity.com
78.	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, डिन्डीगुल-624302, तमिलनाडु	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
79.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिट्स), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केल्मबालम, चेन्नई – 606103 (तमिलनाडु)	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in
80.	कैलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड हॉयर एजुकेशन, आन्नद नगर, कृष्णनकोईल, विरुद्धनगर- 626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in
81.	कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारुण्या नगर, कोयम्बटूर-641114 (तमिलनाडु)	23.06.2004	http://www.karunya.edu
82.	करपागम आकदमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, पोलाच्ची मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर तमिलनाडु	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
83.	डॉ. एमजीआर एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सेलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई-600095, तमिलनाडु	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
84.	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के.के. नगर, चेन्नई-600078, तमिलनाडु	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
85.	नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हॉयर एजुकेशन, कुमारकोईल, थुकालाए, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु –629175	08.12.2008	http://www.niuniv.com
86.	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर-613403, तमिलनाडु	17.08.2007	http://www.pmu.edu
87.	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), यगप्पा चावाडी, थंजावुर-614904, तमिलनाडु	04.01.2008	http://www.prist.ac.in
88.	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, एस आर एम नगर, कट्टानकुलाथुर – 603203, कांचीपुरम जिला, (तमिलनाडु)	02.08.2002	http://www.srmuniv.ac.in
89.	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई-600119 (तमिलनाडु)	16.07.2001	http://www.sathyabamauniv.ac.in
90.	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्चवडी, चेन्नई-6000077, तमिलनाडु	18.03.2005	http://www.saveetha.com
91.	शणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी (एसएसटीआरए), तिरुमाला सामुद्रम, थंजावुर-613401, तमिलनाडु	26.04.2001	http://www.sastra.edu

Ø- 1-	l e fo' ofo ky ;	l e fo' ofo ky ; d : i e i v f e k l f p r f d ; t k u d h f r f f k	o c l k b V
92.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, काँचीपुरम-631561, तमिलनाडु	26.05.1993	http://www.kanchiuniv.ac.in
93.	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई-600116	29.09.1994	http://www.sriramachandra.edu.in
94.	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अवाड़ी चेन्नई-600054 तमिलनाडु	26.05.2008	http://www.stpetersuniversity.org
95.	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज(विस्टास), पालवरम्, चेन्नई, तमिलनाडु – 600117	04.06.2008	http://www.velsuniv.ac.in
96.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर-632014 (तमिलनाडु)	19.06.2001	http://www.vit.ac.in
97.	विनायक मिशनस रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम-636308, तमिलनाडु	01.03.2001	http://www.vinayakamission.com
98.	वेलटेक रंगाराजन डॉ. शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अवाड़ी चेन्नई – 600062 तमिलनाडु	15.10.2008	http://www.veltechuniv.edu.in
	ryxkuk		
99.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्वे नम्बर 25, गचीबाओली, जिला रंगा रेड्डी, हैदराबाद-5000032, आंध्र प्रदेश	21.08.2001	http://www.iiit.ac.in
100.	आई.सी.एफ.ए.आई. फाउन्डेशन फॉर हॉयर एजुकेशन, दोंतापल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद –501203, तेलंगाना	16.12.2008	http://www.ifheindia.org
	mRrj in'k		
101.	सैम हिग्नियोटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद-211007, उत्तर प्रदेश	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
102.	भारतखण्ड संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ , उत्तर प्रदेश –226001	24.10.2000	http://www.bhatkhandemusic.edu.in
103.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिक्नन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
104.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
105.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, देवघाट, झालवा, इलाहाबाद-211012, उत्तर प्रदेश	04.08.2000	http://www.iiita.ac.in
106.	इंडियन वेदिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर-243122, उत्तर प्रदेश	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
107.	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, ए-10, सेक्टर-62, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश)	01.11.2004	http://www.jiit.ac.in
108.	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
109.	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ-250010 (उत्तर प्रदेश)	08.11.2006	http://www.shobhituniversity.ac.in
110.	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009	13.06.2007	http://www.santoshuniversity.com

Ø- l-	le fo'ofoky ;	le fo'ofoky ; d : i ei v fēk l f p r fd ; t ku dh fr f k	oclkbV
	mRrjk[k.M		
111	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून-248006, उत्तराखण्ड	28.11.1991	http://www.icfre.org
112	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249404, उत्तराखण्ड	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
113	एच.आई.एच.टी. विश्वविद्यालय, स्वामी रामा नगर, जौली ग्रांट, डाकघर डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	06.06.2007	http://www.hiituniversity.edu.in
114	ग्रॉफिक इरा युनिवर्सिटी, 566/6, बेल रोड, कलेमेन्ट टाऊन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in
	if'pe cXky		
115	रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर बेलूर मठ, जिला हावड़ा-711202, पश्चिम बंगाल	05.01.2005	http://www.rkmvu.ac.in
	fnYyh		
116.	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली-110012	22.08.1958	http://www.iari.res.in
117.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016	20.05.2002	http://www.iift.edu
118.	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001	29.10.2004	http://www.ili.ac.in
119.	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), डी-1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली-110070	10.07.2009	http://www.ilbs.in
120.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062	10.05.1989	http://www.jamiahamdard.edu
121.	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली-110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in
122.	नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016	11.08.2006	http://www.nuepa.org
123.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56,57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	07.05.2002	http://www.sanskrit.nic.in
124.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, ब्लॉक-बी, नई दिल्ली-110002	27.12.1979	http://www.spa.ac.in
125.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016	16.11.1987	http://www.slbsrsv.ac.in
126.	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवॉन्स स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेड प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
	p.Mhx<		
127.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर-12, चण्डीगढ़-160012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
	inpjh		
128.	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडीकल कालेज कैम्पस, पान्डी-कुडालोर मेन रोड, पिल्लैयार्ककुप्पम, पुदुचेरी-607402	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com

o" 2014&15 d nkjtu fo'ofu | ky; k d k l k e U ; k t u k x r v u n k u k e l ; ' l h " k o l j h d v r x r i n U k v u n k u k d k n ' k k u o k y k f o o j . k

kyk[k #i; e h

Ø- fo'ofu ky; l- d l n h ; fo'ofu ky; %	{k=d&1 fo'ofu ky; %			{k=d&2 l e f o ' o f o k y ; %			{k=d&3 l e f o ' o f o k y ; %			{k=d&4 l i d h . k h			{k=d&9 M h b c h			d y			d y ; k x (31+35+36)
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
d l n h ; fo'ofu ky; %																			
1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1000.00	1225.00	1000.00				1309.47	146.00	0.00							2309.47	1371.00	1000.00	4680.47
2 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	0.00	5363.19	653.75				2246.66	31.00	0.00							2246.66	5394.19	653.75	8294.60
3 असम विश्वविद्यालय, सिलचर	750.00	0.00	1694.65				71.35	7.50	0.00							821.35	7.50	1694.65	2523.50
4 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	100.00	3782.50	1380.00				291.27	50.00	0.00							391.27	3832.50	1380.00	5603.77
5 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1530.00	4100.00	770.00				3396.18	194.58	0.00							4926.18	4294.58	770.00	9990.77
6 बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना	500.00	6000.00	1000.00				27.50	0.00								527.50	6000.00	1000.00	7527.50
7 गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	489.18	2825.58	1761.25				24.27	0.00	0.00							513.45	2825.58	1761.25	5100.28
8 हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुडगांव	0.00	5000.00	500.00				37.20	0.00	0.00							37.20	5000.00	500.00	5537.20
9 हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (हिमाचल प्रदेश)	0.00	0.00	0.00				80.00	0.00	0.00							80.00	0.00	0.00	80.00
10 जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	829.76	11517.84	1680.06				24.23	0.00	0.00							853.99	11517.84	1680.06	14051.89
11 कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर	95.74	4833.41	697.44				0.00	0.00	0.00							95.74	4833.41	697.44	5626.59
12 झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची	700.00	0.00	1800.00				89.62	0.00	0.00							789.62	0.00	1800.00	2589.62
13 केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	1596.25	12210.00	1877.25				65.96	0.00	0.00							1662.21	12210.00	1877.25	15749.46
14 कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	2232.25	8200.00	2236.50				38.52	0.00	0.00							2270.77	8200.00	2236.50	12707.27
15 ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कालीघाट	1490.00	5438.75	777.50				2.00	0.00	0.00							1492.00	5438.75	777.50	7708.25
16 पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिण्डा	2200.00	8936.00	2300.00				99.18	0.00	0.00							2299.18	8936.00	2300.00	13535.18
17 राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर	0.00	5580.94	1000.00				276.44	2.50	0.00							276.44	5583.44	1000.00	6859.88
18 तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर	0.00	8538.75	0.00				35.25	0.00	0.00							35.25	8538.75	0.00	8574.00
19 दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	0.00	0.00	0.00				2390.16	60.47	0.00							2390.16	60.47	0.00	2450.63

क्र.सं.	विश्वविद्यालय, सागर	{k=d&1 dUnh; fo'ofok y; %				{k=d&2 lfo'ofok y; %				{k=d&3 dUnh; @ jT; @ lfo'ofok y; %				{k=d&4 dUnh; @ jT; @ lfo'ofok y; %				{k=d&9 dUnh; @ jT; @ lfo'ofok y; %				d y ; kx (31+35+36)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
20	डॉ. एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	0.00	0.00	0.00				417.85	3.26	0.00				417.85	3.26	0.00				417.85	3.26	0.00			421.11
21	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	102.50	457.50	2000.00				135.46	9.50	0.00				237.96	467.00	2000.00				237.96	467.00	2000.00			2704.96
22	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	0.00	2700.50	0.00				190.71	0.00	0.00				190.71	2700.50	0.00				190.71	2700.50	0.00			2891.21
23	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	500.00	1300.00	200.00				1476.79	102.00	0.00				1976.79	1402.00	200.00				1976.79	1402.00	200.00			3578.79
24	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00				13.89	0.00	0.00				13.89	0.00	0.00				13.89	0.00	0.00			13.89
25	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी, अमरकंटक	952.50	19333.79	1980.00				30.77	1.80	0.00				983.27	19335.59	1980.00				983.27	19335.59	1980.00			22298.86
26	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	0.00	4060.00	1740.00				1234.25	572.38	0.00				1234.25	4632.38	1740.00				1234.25	4632.38	1740.00			7606.63
27	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2958.75	6200.00	301.25				2403.92	70.27	0.00				5362.67	6270.27	301.25				5362.67	6270.27	301.25			11934.19
28	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	52.50	317.50	280.00				5.80	0.00	0.00				58.30	317.50	280.00				58.30	317.50	280.00			655.80
29	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	100.00	2500.00	0.00				420.32	11.00	0.00				520.32	2511.00	0.00				520.32	2511.00	0.00			3031.32
30	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	50.00	1937.50	3600.00				325.20	248.34	0.00				375.20	2185.84	3600.00				375.20	2185.84	3600.00			6161.05
31	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	923.13	2600.00	705.35				420.25	2.30	0.00				1343.38	2602.30	705.35				1343.38	2602.30	705.35			4651.03
32	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	362.58	1500.00	300.00				34.33	0.00	0.00				396.91	1500.00	300.00				396.91	1500.00	300.00			2196.91
33	नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग	700.00	1000.00	0.00				402.73	49.60	0.00				1102.73	1049.60	0.00				1102.73	1049.60	0.00			2152.33
34	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	174.96	41.25	2195.00				877.51	17.63	0.00				1052.47	58.88	2195.00				1052.47	58.88	2195.00			3306.34
35	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	0.00	900.00	0.00				48.00	0.00	0.00				48.00	900.00	0.00				48.00	900.00	0.00			948.00
36	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	1720.29	4500.00	300.00				86.75	0.00	0.00				1807.04	4500.00	300.00				1807.04	4500.00	300.00			6607.04
37	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	594.00	0.00	1400.00				141.00	62.95	0.00				735.00	62.95	1400.00				735.00	62.95	1400.00			2197.95
38	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, हैदराबाद	1200.00	1000.00	1200.00				370.15	0.00	0.00				1570.15	1000.00	1200.00				1570.15	1000.00	1200.00			3770.15
39	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	0.00	2000.00	600.00				38.62	10.00	0.00				38.62	2010.00	600.00				38.62	2010.00	600.00			2648.62
40	विश्वभारती शांति निकेतन	912.50	1200.00	0.00				549.85	0.00	0.00				1462.35	1200.00	0.00				1462.35	1200.00	0.00			2662.35
	d y	24816.89	147100.00	37930.00	0.00	0.00	0.00	20129.41	1653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44946.30	148753.08	37930.00	0.00	0.00	0.00	44946.30	148753.08	37930.00	0.00	0.00	231629.39

Ø. fo'ofok; ; I-	{k=d&1 d'ofok; ; fo'ofok; ;	{k=d&1 d'ofok; ; fo'ofok; ;			{k=d&2 lefo'ofok; ;			{k=d&3 d'ofok; ; lefo'ofok; ;			{k=d&4 d'ofok; ; fo'ofok; ;			{k=d&9 d'ofok; ; lefo'ofok; ;			d'ofok; ; lefo'ofok; ;			d'ofok; ; lefo'ofok; ; (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	lefo'ofok; ;																			
1	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन, कोयंबटूर							86.37	84.50								86.37	84.50	0.00	170.87
2	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)							144.87									144.87	0.00	0.00	144.87
3	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली				26.21	271.65		105.83	58.00								132.04	329.65	0.00	461.69
4	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी				0.00	0.00		578.83	11.85								578.83	11.85	0.00	590.68
5	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची				0.00	0.00		68.17									68.17	0.00	0.00	68.17
6	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर लिबरल स्टडीज, वाराणसी				0.00	0.00		2.00	7.50								2.00	7.50	0.00	9.50
7	चिन्मई मेथुनिकल इंस्टीट्यूट, सिरुसेरी (तमिलनाडु)				300.00	850.00											300.00	850.00	0.00	1150.00
8	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा				357.82	172.92		829.79	52.50								1187.61	225.42	0.00	1413.03
9	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे				48.00	44.00		20.91									68.91	44.00	0.00	112.91
10	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, छिन्नीगुल				4.00	4.00		427.75	3.50								431.75	7.50	0.00	439.25
11	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे				0.00	207.31		118.86									118.86	207.31	0.00	326.17
12	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद				140.80	299.20		11.51	0.50								152.31	299.70	0.00	452.01
13	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार							34.69									34.69	0.00	0.00	34.69
15	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, माडुगा मुंबई				0.00	250.00		1281.57									1281.57	250.00	0.00	1531.57
16	जेन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लान्डन, (राजस्थान)				211.00	114.00		33.23									244.23	114.00	0.00	358.23
17	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली				0.00	700.00		366.27	7.50								366.27	707.50	0.00	1073.77
18	जर्नदन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर							5.18									5.18	0.00	0.00	5.18
19	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा																0.00	0.00	0.00	0.00
20	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति							18.72									18.72	0.00	0.00	18.72

Ø. l-	fo'ofok y ;	{=d&1 dūh; fo'ofok y ;			{=d&2 l'efo'ofok y ;			{=d&3 dūh; @ jT; @ l'efo'ofok y ;			{=d&4 dūh; l'efo'ofok y ;			{=d&9 Mhbc			d y			d y ; kx (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
21	श्री लालबहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली							294.38	105.00					294.38	105.00		31	35	36	399.38
23	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग अनन्तापुर				141.00	325.96		20.33						161.33	325.96					487.29
24	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांसेज, मुंबई				0.00	70.00		308.61	20.54					308.61	90.54					399.15
25	शापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला							48.45						48.45	0.00					48.45
26	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे							0.96							0.96	0.00		0.00	0.00	0.96
27	एन.यू.ई.पी.एण्ड ए., नई दिल्ली				346.17	111.00								346.17	111.00					457.17
28	आर.एम.टी. एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा				75.00	375.00								75.00	375.00					450.00
	dy	0.00	0.00	0.00	1650.00	3795.04	0.00	4807.28	351.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6457.28	4146.43	0.00				10603.71
	vrf'ofok y ; dūn																			
1	कन्सोर्शियम फॉर एजुकेशन कन्सोर्शियम, नई दिल्ली							98.00	147.00					98.00	147.00					245.00
2	इन्सुलबनेट सेंटर, अहमदाबाद							5518.85	0.00		2000.00			7518.85	0.00					7518.85
3	अंतर्विश्वविद्यालय एक्सीलेटर केन्द्र, नई दिल्ली							188.31	387.68					188.31	387.68					575.99
4	इंटर युनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे							598.07	897.11					598.07	897.11					1495.18
5	वि.अ.आ.-डी.ए.ई. कन्सोर्शियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कोलकाता							23.32	0.00					23.32	0.00					23.32
6	यूजीसी-डी.ए.ई. कन्सोर्शियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इन्दौर							1147.43	1721.15					1147.43	1721.15					2868.58
	dy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7573.98	3152.94	0.00	2000.00	0.00	0.00	9573.98	3152.94	0.00				12726.92
	jT; fo'ofok y ; vlek in 'l@ryxluk																			
1	आर्य नगराजुन विश्वविद्यालय, गुंटूर							250.67	248.70					250.67	248.70					499.37
2	आन्धा विश्वविद्यालय, वाट्टेय							871.49	160.28					871.49	160.28					1031.77
3	ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद							43.38	0.00					43.38	0.00					43.38
4	द्रविडियन विश्वविद्यालय							22.09	11.43					22.09	11.43					33.51
5	जवाहर लाल टेक्नीकल, हैदराबाद							133.30	2.00					133.30	2.00					135.30
6	जवाहरलाल नेहरू टेक्नीकल, आनंदपुर							3.79	0.00					3.79	0.00					3.79

Q- I-	fo' ofo ky ;	{k=d&1, dUnit; fo' ofo ky ; k}			{k=d&2 l efo' ofo ky ; k}			{k=d&3 dUnit; @ jKT; @ l efo' ofo ky ; k}			{k=d&4 h i d i l sh l efo' ofo ky ; k}			{k=d&9 Mhbcsh l efo' ofo ky ; k}			dy			dy ; kx (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
7	जवाहरलाल नेहरू टेक्नीकल, काकीनाड़ा							19.39	0.00								19.39	0.00	0.00	19.39
8	काकातीया विश्वविद्यालय, वारांगल							324.88	0.00								324.88	0.00	0.00	324.88
9	महात्मा गांधी विश्वविद्यालयए नालगोंण्डा							12.14	0.00								12.14	0.00	0.00	12.14
10	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च युनिवर्सिटी ऑफ लॉ							50.04	116.76								50.04	116.76	0.00	166.80
11	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद							1362.10	15.50								1362.10	15.50	0.00	1377.60
12	पोट्टी श्रीरामूलू तेलुगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद							14.75	0.00								14.75	0.00	0.00	14.75
13	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर							121.95	11.95								121.95	11.95	0.00	133.90
14	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति							164.63	55.86								164.63	55.86	0.00	220.49
15	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति							643.63	304.99								643.63	304.99	0.00	948.62
16	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद							38.20	0.00								38.20	0.00	0.00	38.20
17	योगी वेम्न्या विश्वविद्यालय, कदप्पा							204.57	112.00								204.57	112.00	0.00	316.57
	mi&;lx\			0.00	0.00	0.00	0.00	4281.00	1039.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4281.00	1039.47	0.00	5320.47
	v le																			
1	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़							215.20	55.00								215.20	55.00	0.00	270.20
2	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी							632.36	111.43								632.36	111.43	0.00	743.79
	mi&;lx\			0.00	0.00	0.00	0.00	847.56	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.56	166.43	0.00	1013.99
	f cglj																			
1	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर							47.65	0.00								47.65	0.00	0.00	47.65
2	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा							2.56	0.00								2.56	0.00	0.00	2.56
3	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा							2.05	0.00								2.05	0.00	0.00	2.05
4	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा							25.03	0.00								25.03	0.00	0.00	25.03
5	माधव विश्वविद्यालय, बोध गया							18.06	0.00								18.06	0.00	0.00	18.06
6	पटना विश्वविद्यालय, पटना							183.70	0.00								183.70	0.00	0.00	183.70
7	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर							24.22	0.00								24.22	0.00	0.00	24.22
8	वीर कृँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा							6.53	0.00								6.53	0.00	0.00	6.53
	mi&;lx\			0.00	0.00	0.00	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.79	0.00	0.00	309.79

Sl. No.	fo'ofok; ; I-	{k=d&1 d'uh; fo'ofok; ;			{k=d&2 fo'ofok; ;			{k=d&3 fo'ofok; ;			{k=d&4 d'uh; fo'ofok; ;			{k=d&9 fo'ofok; ;			dy ;kx (31+35+36)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
4	दीन बन्धु छोटू राम युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी मुखल गुरु जम्भवर विश्वविद्यालय, हिसार							113.91	5.00					113.91	5.00	0.00			
5	गुरु जम्भवर विश्वविद्यालय, हिसार							285.28	2.00					285.28	2.00	0.00			
6	गुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुरुक्षेत्र							536.84	0.00					536.84	0.00	0.00			
7	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक							624.23	20.00					624.23	20.00	0.00			
8	पंडित भगवती दयाल शर्मा युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मि&; kx							0.90	0.00					0.90	0.00	0.00			
	fgelpy in'k							1696.07	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1696.07	29.00	0.00			
1	वाई.एस. परमार युनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, नौनी							5.39	3.50					5.39	3.50	0.00			
2	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला							1385.49	95.25					1385.49	95.25	0.00			
3	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर							8.42	0.00					8.42	0.00	0.00			
	mi&; kx							1399.30	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.30	98.75	0.00			
	tEe v'ij d'ehj																		
1	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी							13.13	17.50					13.13	17.50	0.00			
2	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू							723.12	2.43					723.12	2.43	0.00			
3	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर							399.82	3441.96					399.82	3441.96	0.00			
4	शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर							111.69	0.00					111.69	0.00	0.00			
5	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा							38.43	0.00					38.43	0.00	0.00			
	mi&; kx							1286.18	3461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1286.18	3461.89	0.00			
	>kj [k.M																		
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची							148.88	0.00					148.88	0.00	0.00			
2	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग							30.93	12.50					30.93	12.50	0.00			
	mi&; kx							179.81	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179.81	12.50	0.00			
	duk'd																		
1	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु							229.38	2.00					229.38	2.00	0.00			
2	देवानगिरी विश्वविद्यालय, देवानगिरी							6.89	0.00					6.89	0.00	0.00			
3	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा							128.84	13.20					128.84	13.20	0.00			
4	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी							0.00	93.50					0.00	93.50	0.00			

क्र.सं.	विश्वविद्यालय, शिवालय	{=d&1 d'of'ky; %}			{=d&2 l'efo'of'ky; %}			{=d&3 %d'of'ky; %}			{=d&4 %i d'h. %}			{=d&9 %Mibcd %}			dy			dy ; kx (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
5	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड							208.55	16.36								208.55	16.36	0.00	224.91
6	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर							29.40	0.00								29.40	0.00	0.00	29.40
7	कुवेम् विश्वविद्यालय, शिमोगा							144.18	10.00								144.18	10.00	0.00	154.18
8	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर							187.46	73.63								187.46	73.63	0.00	261.09
9	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर							622.04	183.21								622.04	183.21	0.00	805.26
10	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी, बंगलुरु							68.08	0.00								68.08	0.00	0.00	68.08
11	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, बेलागावी							4.48	0.00								4.48	0.00	0.00	4.48
12	तुमकूर विश्वविद्यालय, तुमकूर							75.77	50.05								75.77	50.05	0.00	125.82
13	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु							12.48	0.00								12.48	0.00	0.00	12.48
	मि. & ल. dijy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1717.56	441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1717.56	441.95	0.00	2159.51
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड							639.96	67.00								639.96	67.00	0.00	706.96
2	कोच्ची युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची							542.73	0.00								542.73	0.00	0.00	542.73
3	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर							73.62	2.00								73.62	2.00	0.00	75.62
4	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थिरुसूर							7.33	0.00								7.33	0.00	0.00	7.33
5	केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम							1473.83	22.44								1473.83	22.44	0.00	1496.26
6	महात्मा गांधी युनिवर्सिटी, थिरुसूर							238.11	0.00								238.11	0.00	0.00	238.11
7	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी							162.80	6.60								162.80	6.60	0.00	169.40
	मि. & ल. e/; in'k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3138.39	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3138.39	98.04	0.00	3236.43
1	अक्षय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा							1.75	34.83								1.75	34.83	0.00	36.58
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, मोपाल							79.50	0.00								79.50	0.00	0.00	79.50
3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर							40.63	50.30								40.63	50.30	0.00	90.93
4	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर							89.59	4.00								89.59	4.00	0.00	93.59
5	एम.पी. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, मोपाल							0.00	0.00					210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
7	एमजी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, मोपाल							35.30	54.00								35.30	54.00	0.00	89.30

क्र.सं.	विश्वविद्यालय, जिला	{k=d&1;fo'ofok;}			{k=d&2;fo'ofok;}			{k=d&3;fo'ofok;}			{k=d&4;fo'ofok;}			{k=d&9;fo'ofok;}			{k=d&10;fo'ofok;}		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
9	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला							17.88	7.50					17.88	7.50				
10	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जिला							189.51	0.72					189.51	0.72				
11	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन							24.62	50.00					24.62	50.00				
	मि.क.क.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.79	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	688.79	201.35	0.00	0.00	0.00	890.14
	एग्लि'व'																		
1	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद							451.24	63.78					451.24	63.78				515.02
2	मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, पारभनी							2.05	0.00					2.05	0.00				2.05
3	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई							560.77	60.77					560.77	60.77				621.54
4	नार्थ महाराष्ट्र युनिवर्सिटी, जलगाँव							138.05	26.23					138.05	26.23				164.28
5	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर							226.48	2.00					226.48	2.00				228.48
6	एस.एम.एस. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे							789.50	50.00					789.50	50.00				839.50
7	एस.एम.एस. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई							127.55	12.25					127.55	12.25				139.80
8	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती							78.95	16.03					78.95	16.03				94.97
9	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर							172.84	3.60					172.84	3.60				176.44
10	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर							15.94	0.90					15.94	0.90				16.84
11	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नांदेड							71.18	29.73					71.18	29.73				100.91
	मि.क.क.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2634.56	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2634.56	265.29	0.00	0.00	0.00	2899.84
	व.म.क.																		
1	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर							11.59	0.00					11.59	0.00				11.59
2	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर							2.05	0.00					2.05	0.00				2.05
3	नार्थ ओडिशा युनिवर्सिटी, बारीपाडा							7.74	0.00					7.74	0.00				7.74
4	रावेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक							76.94	0.00					76.94	0.00				76.94
5	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर							170.57	9.50					170.57	9.50				180.07
6	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी							0.79	0.00					0.79	0.00				0.79
7	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर							263.12	2.51					263.12	2.51				265.63
	मि.क.क.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.80	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	532.80	12.01	0.00	0.00	0.00	544.82

Sl. No.	fo'ofolky;	{k=d&1;fo'ofolky;}			{k=d&2;fo'ofolky;}			{k=d&3;fo'ofolky;}			{k=d&4;fo'ofolky;}			{k=d&5;fo'ofolky;}			dy; kx (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
8	मनोनमनीय सुन्दरार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली							298.94	25.00					298.94	25.00	0.00	323.94
9	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल							44.44	0.00					44.44	0.00	0.00	44.44
10	मेरियार विश्वविद्यालय, सेलम							141.78	0.00					141.78	0.00	0.00	141.78
11	तमिलनाडु विश्वविद्यालय, तंजावुर							39.72	70.90					39.72	70.90	0.00	110.62
12	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर							74.82	0.00					74.82	0.00	0.00	74.82
	mi&;kx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5132.57	593.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5132.57	593.81	0.00	5726.37
	mlrj in'k																
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी							99.52	159.14					99.52	159.14	0.00	258.66
2	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ							199.99	0.00					199.99	0.00	0.00	199.99
3	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर							411.33	217.91					411.33	217.91	0.00	629.24
4	डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, अमरा							39.71	0.00					39.71	0.00	0.00	39.71
5	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर							19.16	0.00					19.16	0.00	0.00	19.16
6	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ							2162.78	52.50					2162.78	52.50	0.00	2215.28
7	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी							41.56	0.00					41.56	0.00	0.00	41.56
8	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली							15.33	0.00					15.33	0.00	0.00	15.33
9	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी							30.45	0.00					30.45	0.00	0.00	30.45
10	यू.पी. राजश्री टण्डन मुलत विश्वविद्यालय, इलाहाबाद							8.84	0.00					8.84	0.00	0.00	8.84
11	पी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर							19.46	10.00					19.46	10.00	0.00	29.46
	mi&;kx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3048.12	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3048.12	439.55	0.00	3487.67
	mlrj k.M																
1	दून विश्वविद्यालय, देहरादून							9.03	0.00					9.03	0.00	0.00	9.03
2	जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर							80.78	0.00					80.78	0.00	0.00	80.78
3	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार							65.96	0.00					65.96	0.00	0.00	65.96
4	कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल							327.64	21.05					327.64	21.05	0.00	348.69
	mi&;kx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.41	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	483.41	21.05	0.00	504.46

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र-1 : केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोलकाता			क्षेत्र-2 : समविश्वविद्यालय, क्षेत्र-3 : (केन्द्रीय/राज्य/सम)			क्षेत्र-4 : प्रकीर्ण, क्षेत्र-5 : डीईबी 31-सहायता अनुदान, 35-पूजीगत परिसरमलिया, 36-चेल			क्षेत्र-6 : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग			कुल
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
1	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, कोलकाता													622.42
2	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता													3024.10
3	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता													1779.29
4	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी													177.72
5	नार्थ बंगाल युनिवर्सिटी, दार्जिलिंग													181.00
6	प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालय, कोलकाता													213.77
7	रविन्द्र भारती युनिवर्सिटी, कोलकाता													75.91
8	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस युनिवर्सिटी, कोलकाता													167.69
9	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिर्जापुर													233.65
10	वेस्ट बंगाल युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता													3.83
मि.सं.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6479.37
कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50114.11
क्षेत्र-1 : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग		24816.89	147100.00	37930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44946.30	148763.08	37930.00	231629.39
क्षेत्र-2 : समविश्वविद्यालयों का योग		0.00	0.00	0.00	1650.00	3795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6457.28	4146.43	0.00	10603.71
क्षेत्र-3 : (केन्द्रीय/राज्य/सम)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15051.62	510.01	0.00	15561.63
क्षेत्र-4 : प्रकीर्ण, क्षेत्र-5 : डीईबी 31-सहायता अनुदान, 35-पूजीगत परिसरमलिया, 36-चेल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9573.98	3152.94	0.00	12726.92
क्षेत्र-6 : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40873.99	9240.13	0.00	50114.11
क्षेत्र-7 : ऑनलाइन योजनाएं		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13100.07	0.00	0.00	13100.07
कुल		24816.89	147100.00	37930.00	1650.00	3795.04	0.00	101326.35	14907.55	0.00	210.00	0.00	0.00	333735.82

क्षेत्र-1 : केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्र-2 : समविश्वविद्यालय, क्षेत्र-3 : (केन्द्रीय/राज्य/सम) विश्वविद्यालय, क्षेत्र-4 : प्रकीर्ण, क्षेत्र-5 : डीईबी 31-सहायता अनुदान, 35-पूजीगत परिसरमलिया, 36-चेल

वर्ष 2014-15 के दौरान महाविद्यालयों को सामान्य योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) के अंतर्गत प्रदत्त अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

ky[k #i ; e

Ø- l-	fo'of o ky ;	dlnh ; fo'of o ky ;	{k=d&1 %dlnh ; fo'of o ky ; %				{k=d&3 %dlnh ; @jKT ; @ l e fo'of o ky ; %				dy			dy ; kx l31+35+36%		
			31	35	36		31	35	36		31	35	36			
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद									43.47	70.09		43.47	70.09	0.00	113.56
2	असम विश्वविद्यालय, सिलचर									5.60	0.00		5.60	0.00	0.00	5.60
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी									47.59	1.44		47.59	1.44	0.00	49.03
4	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली									749.67	26.90		749.67	26.90	0.00	776.57
5	डॉ. एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर									2.60	1.60		2.60	1.60	0.00	4.20
6	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर									1.23	0.00		1.23	0.00	0.00	1.23
7	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर									40.90	0.00		40.90	0.00	0.00	40.90
8	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल									237.33	415.75		237.33	415.75	0.00	653.08
9	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल									4.61	0.00		4.61	0.00	0.00	4.61
10	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा									67.16	39.00		67.16	39.00	0.00	106.16
11	नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग									18.96	0.00		18.96	0.00	0.00	18.96
12	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी									67.34	0.00		67.34	0.00	0.00	67.34
13	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर									10.40	6.00		10.40	6.00	0.00	16.40
14	युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंसेज, दिल्ली									333.11			333.11	400.00	2070.00	2803.11
	dy									1296.86	560.78	0.00	1629.97	960.78	2070.00	4660.75
	lefo'of o ky ;									2.62			2.62	0.00	0.00	2.62
1	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली									30.91			30.91	0.00	0.00	30.91
2	भारतीय विद्यापीठ, पुणे													0.00	0.00	
	dy	0.00	0.00	0.00						33.53	0.00	0.00	33.53	0.00	0.00	33.53
	jKT ; fo'of o ky ;															
	vlekk in'k@ryxlu															
1	आर्चाय नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर									94.69	61.60		94.69	61.60	0.00	156.29
2	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाट्टेयर									146.16	302.00		146.16	302.00	0.00	448.16
3	जवाहर लाल टेक्नीकल, हैदराबाद									5.70	0.00		5.70	0.00	0.00	5.70
4	जवाहरलाल नेहरू टेक्नीकल, आनंदपुर									3.28	0.00		3.28	0.00	0.00	3.28
5	जवाहरलाल नेहरू टेक्नीकल, काकीनाड़ा									4.22	2.35		4.22	2.35	0.00	6.57
6	काकातीय विश्वविद्यालय, वारंगल									51.43	1.00		51.43	1.00	0.00	52.43
7	कृष्णा विश्वविद्यालय									31.60	89.00		31.60	89.00	0.00	120.60
8	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद									216.54	235.50		216.54	235.50	0.00	452.04
9	सातवाहन विश्वविद्यालय									12.60	0.00		12.60	0.00	0.00	12.60
10	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर									32.19	0.00		32.19	0.00	0.00	32.19
11	श्री वैकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति									37.93	18.60		37.93	18.60	0.00	56.53
	mi&;lx		0.00	0.00						636.34	710.05	0.00	636.34	710.05	0.00	1346.39
	vle															
1	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़									283.47	168.20		283.47	168.20	0.00	451.67
2	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी									435.11	387.03		435.11	387.03	0.00	822.14
	mi&;lx		0.00	0.00						718.58	555.23	0.00	718.58	555.23	0.00	1273.82

Ø- I-	fo'ofolky; duVd	{k=d&3 %dlnh; fo'ofolky; % fo'ofolky; %					{k=d&3 %dlnh; @jKT; @le fo'ofolky; %					dy dy ; kx %31+35+36%	
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
1	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु				176.70	527.00		176.70	527.00	0.00			703.70
2	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा				25.00	93.00		25.00	93.00	0.00			118.00
3	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड				89.14	59.30		89.14	59.30	0.00			148.44
4	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर				28.87	37.50		28.87	37.50	0.00			66.37
5	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा				54.31	1.50		54.31	1.50	0.00			55.81
6	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर				112.57	103.50		112.57	103.50	0.00			216.07
7	मनीपाल विश्वविद्यालय				2.26	0.00		2.26	0.00	0.00			2.26
8	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर				237.43	189.35		237.43	189.35	0.00			426.78
9	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंस				4.98	0.00		4.98	0.00	0.00			4.98
10	विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय				19.09	3.30		19.09	3.30	0.00			22.39
	mi&;kx%		0.00	0.00	750.36	1014.45	0.00	750.36	1014.45	0.00			1764.81
	djy												
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड				432.59	415.05		432.59	415.05	0.00			847.64
2	कन्नूर विश्वविद्यालय,				60.27	0.00		60.27	0.00	0.00			60.27
3	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थिरुसूर				210.72	146.14		210.72	146.14	0.00			356.85
4	केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम				18.94	46.15		18.94	46.15	0.00			65.09
5	महात्मा गांधी युनिवर्सिटी, थिरुसूर				673.67	519.38		673.67	519.38	0.00			1193.04
	mi&;kx%		0.00	0.00	1396.18	1126.71	0.00	1396.18	1126.71	0.00			2522.89
	e/; in'k												
1	अक्षेय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा				52.22	0.00		52.22	0.00	0.00			52.22
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल				32.80	9.00		32.80	9.00	0.00			41.80
3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर				14.75	20.00		14.75	20.00	0.00			34.75
4	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर				26.10	0.00		26.10	0.00	0.00			26.10
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर				113.23	99.50		113.23	99.50	0.00			212.73
6	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन				10.75	0.00		10.75	0.00	0.00			10.75
	mi&;kx%		0.00	0.00	249.85	128.50	0.00	249.85	128.50	0.00			378.35
	egkj'v												
1	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद				298.87	229.05		298.87	229.05	0.00			527.92
2	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई				337.01	631.15		337.01	631.15	0.00			968.16
3	नार्थ महाराष्ट्र युनिवर्सिटी, जलगाँव				158.07	265.60		158.07	265.60	0.00			423.67
4	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर				330.99	412.63		330.99	412.63	0.00			743.62
5	एस.पी. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे				471.76	447.78		471.76	447.78	0.00			919.54
6	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई				38.68	21.00		38.68	21.00	0.00			59.68
7	एसजीबी अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती				340.32	257.59		340.32	257.59	0.00			597.91
8	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर				532.70	253.90		532.70	253.90	0.00			786.60
9	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर				13.07	0.00		13.07	0.00	0.00			13.07
10	स्वामी आरटीएम विश्वविद्यालय, नांदेड				300.73	197.60		300.73	197.60	0.00			498.33
	mi&;kx%		0.00	0.00	2822.21	2716.29	0.00	2822.21	2716.29	0.00			5538.49

Ø- l-	fo'ofol ky ; vMh'lk	{k=d&1 ldlmb; fo'ofol ky ; 31 35 36	{k=d&3 ldlmb; @jT;@le fo'ofol ky ; 31 35 36	dy	dy ; kx l31+35+36%
		31	35	36	36
1	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर				
2	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर				
3	नार्थ ओड़ीशा युनिवर्सिटी, बारीपाड				
4	सम्बलपुर, विश्वविद्यालय, सम्बलपुर				
5	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर				
	mi&;kx	0.00	0.00	0.00	0.00
	itkc				
1	बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट				
2	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर				
3	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़				
4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला				
5	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय				
	mi&;kx	0.00	0.00	0.00	0.00
	jktLFku				
1	बीकानेर विश्वविद्यालय				
2	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर				
3	जगदगुरु आर.आर. संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर				
4	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा				
5	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर				
6	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर				
7	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर				
	mi&;kx	0.00	0.00	0.00	0.00
	rfeyuM				
1	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी				
2	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई				
3	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर				
4	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली				
5	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई				
6	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई				
7	मनोमनीषम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली				
8	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल				
9	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम				
10	शिरूवलूर विश्वविद्यालय				
11	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई				
12	तमिलनाडु अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय				
13	तमिलनाडु वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस युनिवर्सिटी				
	mi&;kx	0.00	0.00	0.00	0.00
	mhrj in'k				
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी				
2	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ				

Ø- l-	fo'ofo ky ;	{k=d&1 %dÙnh; fo'ofo ky ; %				{k=d&3 %dÙnh; @j'kT; @le fo'ofo ky ; %				dly			dly ; %x %31+35+36%
		31	35	36		31	35	36		31	35	36	
3	चौ. शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर					119.04	19.68			119.04	19.68	0.00	138.72
4	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर					118.35	71.00			118.35	71.00	0.00	189.36
5	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा					128.97	39.23			128.97	39.23	0.00	168.19
6	डॉ. आर.एम.एल. अक्ख विश्वविद्यालय, फैजाबाद					58.00	8.20			58.00	8.20	0.00	66.20
7	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ					52.22	67.02			52.22	67.02	0.00	119.24
8	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी					17.95	111.77			17.95	111.77	0.00	129.72
9	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली					96.25	4.05			96.25	4.05	0.00	100.31
10	संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी					59.10	63.20			59.10	63.20	0.00	122.30
11	बी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर					51.74	46.28			51.74	46.28	0.00	98.02
	mi& ; %x %		0.00	0.00		1003.78	490.87	0.00		1003.78	490.87	0.00	1494.64
	mlR'j[k.k.M												
1	कुँमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल					9.42	0.00			9.42	0.00	0.00	9.42
	mi& ; %x %		0.00	0.00		9.42	0.00	0.00		9.42	0.00	0.00	9.42
	if'pe cxly												
1	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान					47.56	0.00			47.56	0.00	0.00	47.56
2	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता					266.09	195.65			266.09	195.65	0.00	461.74
3	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी					6.64	6.00			6.64	6.00	0.00	12.64
4	नार्थ बंगाल युनिवर्सिटी, दार्जिलिंग					23.14	6.00			23.14	6.00	0.00	29.14
5	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर					142.66	228.50			142.66	228.50	0.00	371.16
6	वेस्ट बंगाल युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता					18.08	0.00			18.08	0.00	0.00	18.08
7	पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय					15.43	50.00			15.43	50.00	0.00	65.43
	mi& ; %x %	0.00	0.00	0.00		519.62	486.15	0.00		519.62	486.15	0.00	1005.77
	dly	0.00	0.00	0.00		12535.06	10607.85	0.00		12535.06	10607.85	0.00	23142.91
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग	333.11	400.00	2070.00		1296.86	560.78	0.00		1629.97	960.78	2070.00	4660.75
	सम विश्वविद्यालयों का योग	0.00	0.00	0.00		33.53	0.00	0.00		33.53	0.00	0.00	33.53
	राज्य विश्वविद्यालयों का योग	0.00	0.00	0.00		12535.06	10607.85	0.00		12535.06	10607.85	0.00	23142.91
	dly ; %x %	333.11	400.00	2070.00		13865.46	11168.63	0.00		14198.57	11568.63	2070.00	27837.20

क्षेत्रक-1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रक-3: केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालय— 31:अनुदान सहायता (सामान्य), 35: पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ, 36: वेतन

Ø- l-	fo'ofø ky; dũnh; fo'ofø ky; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद असम विश्वविद्यालय, सिलचर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली डॉ. एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	b, e, evk lh, o llb lh {k=d&04}			vrfo'ofø ky; dũn {k=d&05}			fof'kv i; k t ukfk Cykd vunku {k=d&06}			le fo'ofø ky; k dk Cykd vunku {k=d&07}			dũnh; fo'ofø ky; k dk Cykd vunku {k=d&09}			dy			dy ;kx 131\$35\$36%			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36				
1																	10,426.66	2,650.00	51,096.73	10426.66	2650.00	51096.73	64173.39
2																	4,417.00	1,125.00	16,220.96	4417.00	1125.00	16220.96	21762.96
3																	415.00	550.00	3,566.46	415.00	550.00	3566.46	4531.46
4																	80.47	631.83	553.69	80.47	631.83	553.69	1265.99
5																	10,113.86	3,100.00	47,337.25	10113.86	3100.00	47337.25	60551.11
6																	6519.94	4800.00	28038.45	6519.94	4800.00	28038.45	39358.39
7																	1052.28	500.00	6959.87	1052.28	500.00	6959.87	8512.15
8																	194.06	300.00	1222.50	194.06	300.00	1222.50	1716.56
9																	269.32	500.00	6067.36	269.32	500.00	6067.36	6836.68
10																	2404.25	1850.00	11626.80	2404.25	1850.00	11626.80	15881.05
11																	2650.45	1650.00	16347.15	2650.45	1650.00	16347.15	20647.60
12																	5139.14	2427.17	16665.02	5139.14	2427.17	16665.02	24231.33
13																	50.00	450.00	699.60	50.00	450.00	699.60	1199.60
14			24.79	0.00	92.95												956.38	450.00	5442.98	981.17	450.00	5535.93	6967.09
15																	344.98	450.00	1969.54	344.98	450.00	1969.54	2764.52
16																	182.57	750.00	3573.81	182.57	750.00	3573.81	4506.38
17																	422.00	650.00	4998.16	422.00	650.00	4998.16	6070.16

Ø- I-	fo'ofok ky ; l-	b, e, evkjlh , o lhb1h			vrfo'ofok ky ; dUm			fof'k'v i; k t ukFl cykd vunku			le fo'ofok ky ; k cykd vunku			dUmh; fo'ofok ky ; k vunku			dk cykd			dy			dy ; kx
		{k= d&04			{k= d&05			{k= d&06			{k= d&07			{k= d&09			{k= d&10						
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
18	नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग																						31\$35\$36% 14650.07
19	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी																						7427.86
20	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर																						3092.69
21	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक																						0.00
22	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर																						0.00
23	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, हैदराबाद	21.78	35.07	101.24																			5428.12
24	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला																						3340.59
25	विश्वभारती शान्ति निकेतन																						2819.80
	dy ; leto'ofok ky ;	46.57	35.07	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28384.00	261666.10	56013.69	28419.07	261860.29	346293.04		
1	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हॉयर एजुकेशन कोयम्बतूर																						3341.00
2	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा																						1352.00
3	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल																						4187.00
4	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद																						2958.00
5	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार																						2840.75
6	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली																						800.00
7	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति																						1944.19
8	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली																						1819.00
9	श्री चंद्रशेखररेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम																						7.00
10	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई																						5544.00
	कुल :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3097.94	3451.00	18244.00	0.00	0.00	0.00	3097.94	3451.00	18244.00	24792.94		

Ø- I-	fo'ofokly; vrfo'ofokly; dln	b, e, evklh ,o liblh			vrfo'ofokly; dln			fof'kv i; kt ukfk cykd vunku			le fo'ofokly; k cykd vunku			dlni; fo'ofokly; k vunku			dy			dy ;kx
		{k= d&04			{k= d&05			{k= d&06			{k= d&07			{k= d&09						
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
1	कन्सोशियम फोर एजुकेशन कन्सुनिकेशन, नई दिल्ली	55.95	89.05	256.00													55.95	89.05	256.00	401.00
2	इन्विलवनेट सेंटर, अहमदाबाद				51.24	99.96	129.80										51.24	99.96	129.80	281.00
3	इंटर युनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली				0.00	782.40	1019.65										0.00	782.40	1019.65	1802.05
4	इंटर युनिवर्सिटी सेंटर फोर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे				125.00	378.40	550.60										125.00	378.40	550.60	1054.00
5	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलुरु				62.91	107.31	158.95										62.91	107.31	158.95	329.17
6	यूजीसी डी.ए.ई कन्सोशियम फोर साइन्टिफिक रिसर्च, इन्दौर				193.41	69.71	657.88										193.41	69.71	657.88	921.00
	dy %	55.95	89.05	256.00	432.56	1437.78	2516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.51	1526.83	2772.88	4788.22
	jkT; fo'ofokly; vlek in'k																			
1	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	8.83	15.36	52.91													8.83	15.36	52.91	77.10
	mi&;kx\	8.83	15.36	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	15.36	52.91	77.10
	xtjkr																			
1	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	8.64	20.16	18.79													8.64	20.16	18.79	47.59
	mi&;kx\	8.64	20.16	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	20.16	18.79	47.59
	tEe vli d'elj																			
1	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12.58	21.77	86.65													12.58	21.77	86.65	121.00
	mi&;kx\	12.58	21.77	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	21.77	86.65	121.00
	dukVd																			
1	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	22.80	8.73	65.48													22.80	8.73	65.48	97.00
	mi&;kx\	22.80	8.73	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	8.73	65.48	97.00
	djy																			
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोजीकोड	0.00	2.29	34.54													0.00	2.29	34.54	36.84
	mi&;kx\	0.00	2.29	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	34.54	36.84
	e/; in'k																			
1	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर	20.90	28.35	45.75													20.90	28.35	45.75	95.00
	mi&;kx\	20.90	28.35	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	28.35	45.75	95.00

Ø- I-	fo'fo ky; l-	b,e,evk lh ,o lh lh			vrfo'fo ky; d n			fof'kv i;k tuFk cykd vunku			le fo'fo ky;k cykd vunku			d n h; fo'fo ky;k vunku			dy			dy ;lx	
		{k=d&04}			{k=d&05}			{k=d&06}			{k=d&07}			{k=d&09}							
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36		
1	egj'v' एस.पी. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे																				
		30.62	56.28	105.60													30.62	56.28	105.60	192.50	
		30.62	56.28	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62	56.28	105.60	192.50	
i tlc	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़																				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13183.97	13183.97	
jkt LFku	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर																				
		13.50	31.50	22.50													13.50	31.50	22.50	67.50	
		13.50	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	31.50	22.50	67.50	
rfeyulM	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई																				
		14.18	30.00	64.49													14.18	30.00	64.49	108.68	
		14.18	30.00	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18	30.00	64.49	108.68	
dy	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग	132.05	214.44	496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.05	214.44	13680.68	14027.17	
		46.57	35.07	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55967.12	28384.00	261666.10	56013.69	28419.07	261860.29	346293.04
	समविश्वविद्यालयों का योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3097.94	3451.00	18244.00	0.00	0.00	0.00	3097.94	3451.00	18244.00	24792.94
		55.95	89.05	256.00	432.56	1437.78	2516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.51	1526.83	2772.88	4788.22
	राज्य विश्वविद्यालयों का योग	132.05	214.44	496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.05	214.44	13680.68	14027.17	
	lex : x'	234.56	338.56	946.89	432.56	1437.78	2516.88	0.00	0.00	13183.97	3097.94	3451.00	18244.00	55967.12	28384.00	261666.10	59732.18	33611.34	296557.84	389901.36	

वर्ष 2014-15 के दौरान महाविद्यालयों को सामान्य तैर-योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) के अंतर्गत प्रदत्त अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

Ø- l-	fo'ofo ky ; l-	b, e, e'v'j l'h , o l-l- b- l-l-				f'n'y'h fo'ofo ky ; d'k v'uj{k.k v'un'ku				c'uk'j l f'g'l'n fo'ofo ky ; d' eg'fo ky ; k d'k v'uj{k.k v'un'ku				d'l'n'h ; fo'ofo ky ; k d'k cy'k'd v'un'ku				d'y		lex ; kx		
		{k= d&4				{k= d& 08(i)				{k= d& 08(ii)				{k= d& 09								
		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36	(31+35+36)	3148.66
1	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी								208.92	100.00	2839.74							208.92	100.00	2839.74		
2	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली																					
3	युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंसेज, दिल्ली																					
	d'y :	0.00	0.00	0.00		24496.90	2575.00	118742.10										24496.90	2575.00	118742.10	145814.00	
	j'kT; fo'ofo ky ; i'f'pe c'xky																					
1	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	32.60	64.40	121.99														32.60	64.40	121.99	218.98	
	d'y :	32.60	64.40	121.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	64.40	121.99	218.98	
	d'y ; kx	32.60	64.40	121.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	64.40	121.99	218.98	
																		0.00	0.00	0.00	0.00	
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योग	0.00	0.00	0.00		24496.90	2575.00	118742.10	208.92	100.00	2839.74	492.88	270.00	5965.30	25198.70	2945.00	127547.14	155690.84				
	राज्य विश्वविद्यालयों का योग	32.60	64.40	121.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	64.40	121.99	218.98	
	d'y ; kx :	32.60	64.40	121.99		24496.90	2575.00	118742.10	208.92	100.00	2839.74	492.88	270.00	5965.30	25231.30	3009.40	127669.13	155909.82				

